राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] नवम् विधान सभा के छठे सत्र का चालीसवां दिवस [संख्या 27

शुक्रवार,

दिनांक 3 अप्रेल, 1992

(राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वान्ह 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल परमार।

पाली जिले के बीजपुर, काकराड़ी भीमाणा, पिडवाड़ा रोड्स का डामरीकरण

786. **श्री अमृतलाल परमार** (बाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली में बीजपुर, काकराड़ी, भीमाणा, पिड़वाड़ा रोड कच्चा होने के कारण आदिवासियों के आवागमन में कठिनाइयां होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे पक्का करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि कुण्डाल से भीमाणा एवं कुंडाव में गौरीया की सड़क का डामरीकरण काफी समय से नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो इस कार्य को कब तक करवा दिया जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी नहीं। बीजापुर, काकराड़ी, भीमाणा, पिडवाड़ा सड़क जिसकी कुल लम्बाई 57 किलोमीटर है, उसमें 30.5 किलोमीटर डामर, 17.5 किलोमीटर मेटल, 9 किलोमीटर ग्रेवल विद्यमान है। पूर्ण डामर सड़क बनाना राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(2) जी हां। इन सड़कों की पूर्ण लम्बाई में डामर युक्त सड़क बनाना योजना अन्तर्गत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

श्री अमृतलाल परमार : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को पूछना चाहूंगा जो उन्होंने बताया और आपको जो रिपोर्ट मिली है उसमें कुछ तथ्य सही है बाकी कुण्डाल से काकराड़ी के बीच का जो रास्ता है वहां डामर है ही नहीं। आज दिन तक कांग्रेस के चालीस साल के राज में डामर हुआ ही नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : समझ में नहीं आया यह जो बोले हैं।

श्री अध्यक्ष : देखिए आप, यह बोल रहे हैं कि यह 17 किलोमीटर और 9 किलोमीटर, 26 किलोमीटर डामर नहीं है तो यह जो गांवों के नाम नहीं हैं वह 26 किलोमीटर में पड़ते हैं क्या ?

श्री अमृतलाल परमार : हां, साहब।

श्री अध्यक्ष : तो उसमें तो यह ही कह रहे हैं ना।

श्री अमृतलाल परमार : मैं पूछ रहा हूं कि आपको जो रिपोर्ट मिली है और यह बताया गया है कि इतने एरिया में डामर हो गया....

श्री अध्यक्ष : इन्होंने कोई एरिया नहीं बताया। इन्होंने तो यह कहा है टोटल 57 किलोमीटर लम्बी है उसमें 30.5 पर तो डामर है और बाकी 26.5 के ऊपर 9 में ग्रेवल है और 17.5 में मेटल है....

श्री अमृतलाल परमार : वह भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मेटल भी नहीं है। यानि डामर भी नहीं है, मेटल भी नहीं है, ग्रेवल भी नहीं है।

श्री अमृतलाल परमार : कुछ भी नहीं है। वहां की जो रिपोर्ट मिली है, आपको जो रिपोर्ट दी है वह रिपोर्ट गलत मिली है, जो अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है वह बिल्कुल गलत दी है।

श्री अध्यक्ष : आपके हिसाब से क्या है ? आपके हिसाब से कितनी दूरी में डामर है....

श्री अमृतलाल परमार : वहां पर अभी तक कच्चा रास्ता है।

श्री अध्यक्ष : टोटल।

श्री अमृतलाल परमार : हां बिल्कुल।

श्री अध्यक्ष : यह तीस किलोमीटर डामर में भी कच्चा रास्ता है।

श्री अमृतलाल परमार : मैं बता रहा हूं जो डामर है, उसमें जो बताया है, किलोमीटर का हिसाब बताया है इन्होंने, उसके अन्दर भी गड़बड़ रिपोर्ट है। उसमें इतनी गड़बड़ है कि....

श्री अध्यक्ष : अच्छा होगा आप मन्त्री जी के साथ जाकर मौका देख लें। मौके पर मालूम पड़ जाएगा, अब यहां तो क्या मालूम पड़ेगा।

श्री अमृतलाल परमार : चाहे तो वहां आकर स्वयं मन्त्रीजी देख सकते हैं तो तथ्य मालूम पड़ जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी दौरे खूब करते हैं, एक दौरा आपके नाम।

श्री अमृतलाल परमार : मैं तो यह बता रहा हूं कि पहला जो प्रश्न दिया है उसकी अविलम्ब जांच की जाए और जिन्होंने सूचना दी है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ?

श्री अध्यक्ष : इन्होंने जो सूचना दी है उसमें झूठ सच का तो पता ही नहीं चलता क्योंकि नाम तो कुछ दिये ही नहीं।

श्री अमृतलाल परमार : अब दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जो कुण्डाल से भीमाणा व गौरीया की यह वनवासी क्षेत्र है, यहां अभी यक कोई काम नहीं हुआ। पूरा रास्ता कच्चा है और जिस प्रकार उदयपुर क्षेत्र के अन्दर भी वनवासी क्षेत्र है वहां प्राथमिकता के आधार पर ज्यादा कार्य हो रहा है तो क्या माननीय मन्त्रीजी यह बतायेंगे कि बाली क्षेत्र जो वनवासी क्षेत्र है क्या वह आपके अन्तर्गत नहीं आता है। आप तो पूरे राजस्थान के मन्त्री हैं। मेरे बाली क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा हुई है उस कार्य को आप प्राथमिकता देकर कब तक पूरा करेंगे, किस प्रकार प्राथमिकता देंगे और किस आधार पर वहां जल्दी कार्य करवायेंगे ? मैं यह पूछना चाहता हूं, क्योंकि....

श्री अध्यक्ष : अब क्योंकि क्यों हो रहा है ? पूछ लिया ना।

श्री अमृतलाल परमार : मैं पूछना चाहता हूं जिस प्रकार उदयपुर क्षेत्र के अन्दर जो कार्य हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : मैंने आज आपका 295 लगाया है उसमें आपको पूरा बोलने का मौका मिलेगा।

श्री अमृतलाल परमार : मैं यह बात निवेदन करता हूं कि इसको आप कब तक प्राथमिकता देंगे ? इस पर तवज्जोह देकर वनवासी क्षेत्र है, तो मेरा मन्त्री महोदय से यह कहना है कि वास्तव में ध्यान देकर काम कराएं।

श्री अध्यक्ष : यह बात कितनी बार रिपीट करेंगे ? यह तो बोल चुके।

श्री अमृतलाल परमार : कौनसे सेशन में यह करायेंगे, उपेक्षा हो रही है उसके लिए काम कुछ....

श्री अध्यक्ष : एक बार और रिपीट कर दो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना विभाग से उपलब्ध हुई है अगर उसमें किसी प्रकार की न्यूनता माननीय सदस्य बताएंगे और बात सही पाई जाएगी और विभाग की गलती पाई जाएगी तो उस अनुसार सड़क बनाई जाएगी। जिन्होंने नहीं बनाई है उनके विरुद्ध एक्शन भी लिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात एक और है जो आपने कहा कि वनवासी क्षेत्र है हमारे कुछ क्राइटेरिया तय हैं उन मानदण्डों में वनवासी इलाके में, मरू इलाके में, सामान्य इलाके में जो भी सड़कें आयेंगी राज्य सरकार उसको निश्चित रूप से बनवायेगी। क्राइटेरिया चाहे तो मैं दोहरा दूं ताकि आपको ध्यान में आ जाए।

श्री अध्यक्ष : ना ना, अब जरूरत ही नहीं है वह सन्तुष्ट हो गये। श्री चम्पालाल वाठिया। प्रश्न संख्या 787 (अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

ताल छापर अभयारण्य केन्द्र का विकास

788. **श्री भंवरलाल (सुजानगढ़)** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सालासर बालाजी, गोपालपुरा, पहाड़ी, हर्ष पहाड़ी, ताल छापर अभयारण्य केन्द्र को पर्यटन दृष्टि से विकसित करने की

(श्री भंवरलाल)

कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) काले हिरणों के लिए एशिया प्रसिद्ध अभयारण्य केन्द्र ताल छापर पर विदेशी व देशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आज तक पर्यटन विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी। पर्यटन मन्त्रीजी।

श्री भंवरलाल : पर्यटन मन्त्री अनुपस्थित हैं। प्रश्नकाल में मन्त्रीजी अनुपस्थित हैं....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : मन्त्री जी नहीं हैं तो कौन जवाब देगा ? (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब अगला क्वेश्चन ले लें इसे स्थगित कर दिया जाए।

श्री रामस्वरूप मीणा : ऐसे वक्त पर मन्त्री नहीं रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और उनसे माफी मंगवाई जाए।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : हुआ क्या है ? माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने मन्त्री जी की छुट्टी कर दी क्या ? मन्त्रीजी की छुट्टी हो गई हो तो हाउस को मालूम पड़े कि मन्त्रीजी बदल दिये गये हैं, दूसरे मन्त्री का चार्ज अभी दिया नहीं किसी को।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : कल भी आपने प्रताड़ना दी फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : मन्त्री के कोई असर नहीं होता।

श्री रामस्वरूप मीणा : बेकार है हमारा प्रश्नकाल में बोलना-करना जब मन्त्री नहीं रहेंगे तो।....(व्यवधान)....

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक मन्त्री से सम्पर्क नहीं हो तब तक किन परिस्थितिवश वह नहीं आई यह तो कहना मुश्किल है। इन परिस्थितियों में मैं यह निवेदन करूंगा इसको स्थगित करदें और आगे ले लें। उनके आने के बाद (व्यवधान)....

श्री हीरालाल देवपुरा : उनको नहीं आना था तो अध्यक्ष महोदय को बताना चाहिए था।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं उसको डिफेण्ड नहीं करता हूं (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : नहीं आने की सूचना तो देनी चाहिए ना।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : यह अध्यक्ष महोदय को पता होना चाहिए।

डा. चन्द्रभान : यह अध्यक्ष महोदय, गलत परम्परा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : सारा समय बरबाद हो रहा है सदन का और वह

(श्री रामस्वरूप मीणा)

जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं हैं.... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको उपस्थित रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उपस्थित रहना चाहिए, उपस्थित क्यों नहीं हो पाई जब तक उनसे सम्पर्क नहीं हो, किन परिस्थितियों के कारण वह अनुपस्थित रही हैं यह तो देखना ही पड़ेगा। एक बार, उनकी भूल है या मजबूरी है यह तो देखना ही पड़ेगा।

डा. चन्द्रभान : स्थगित किस लिए किया जाए, आपकी जानकारी में भी नहीं है, हाउस की जानकारी में नहीं है.... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : जवाब हम दे देते हैं ना।

श्री अध्यक्ष : रोज-रोज अखबारों में यह आना, यह मेरे लिए भी शोभाजनक नहीं है, सरकार के लिए भी शोभाजनक नहीं है और मैं सोचता हूं कि यदि सरकार गम्भीर नहीं है तो मैं हाउस को एडजोर्न करने को तैयार हूं लेकिन यह बार-बार रोज रिपीट होना बहुत खेद की बात है और मैं समझता हूं इससे बढ़कर कोई अधिक नेग्लीजेंस सरकार की विधान सभा के प्रति और हो नहीं सकती। (व्यवधान)....

नैक्स्ट श्री बालचन्द आर्यवीर।

राजस्थान टैक्सटाईल मिल, भवानी मण्डी में श्रम संगठनों से किये गये समझौते का उल्लंघन

789. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान टैक्सटाइल मिल, भवानी मण्डी में श्रम संगठनों द्वारा किये समझौते का उल्लंघन कर मनचाहा कार्य लिया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि मनमाने ढंग से श्रमिकों के वेतन से कटौती की जा रही है और पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा कैंटीन में घटिया किस्म की वस्तुएं उपयोग में ली जा रही हैं ?

(3) क्या यह सही है कि काफी समय से प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों को अतिरिक्त कार्य का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है ?

(4) क्या सरकार प्रबन्धकों द्वारा की जा रही मनमर्जी पर नियंत्रण कर श्रमिकों को शोषण से मुक्ति दिलाने का इरादा रखती है ? (व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : प्रश्न पूछ लिया गया है उत्तर देने वाला कोई नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन का जवाब ही कोई देने वाला नहीं है तो क्या करेंगे ?

राज्य मंत्री, श्रम (श्री बाबूलाल खाण्डा): स्थगन के लिए निवेदन किया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, स्थगन पर आपकी अनुमति है।

श्री अध्यक्ष : फरमाइये।

श्री बाबूलाल खाण्डा : अध्यक्ष महोदय, यह स्थगित किये जाने के लिए निवेदन किया था। स्थगन के लिए निवेदन है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका कारण तो बतायें कि क्यों स्थगित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष : कारण बता दीजिए।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय श्रमिकों से सम्बन्धित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रमिकों का शोषण हो रहा है।

श्री बाबूलाल खाण्डा : इसकी सूचना नहीं आई है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, इसे इसी सत्र में लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बैठिए। यह जो सूचना आपने चाही है यह किसी प्राइवेट मिल से मंगाने की है और उस प्राइवेट मिल ने सरकार को अभी तक जवाब दिया नहीं है, क्योंकि यह सरकार के डिपार्टमेंट की सूचना नहीं है, प्राइवेट मिल मालिक और मजदूरों के बीच जो समझौता हुआ है उसके बारे में आपने सूचना पूछी है।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्रालय के पास आती है....

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : यदि कोई सूचना नहीं देता है तो यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है....

श्री हेतराम बेनीवाल : एग्रीमेंट की कापी श्रम मंत्रालय के पास होती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कार्यवाही क्यों नहीं की ? (व्यवधान)....बुलाया जाय और उनको दंडित किया जाय। यह विधान सभा को इतना गलत ट्रीट करते हैं वह बिलकुल ठीक बात नहीं है। (व्यवधान).... इसकी सूचना प्राप्त हो और यदि सूचना प्राप्त नहीं हो रही है यह गम्भीर मामला है और चाहे प्राइवेट आदमी हो चाहे, श्रम मंत्रालय हो, यदि विधान सभा को इस प्रकार से इग्नोर किया जाय, कभी कोर्ट करती है, कभी कोर्ट जवाब नहीं देना चाहती है, कभी मंत्रालय जवाब नहीं देती है। यह अत्यन्त गम्भीर है। इस प्रकार से जब तक विधान सभा नहीं बतायेगी कि विधान सभा क्या है तब तक इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं लगेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम चाहते हैं कि उनको यहां बुलाया जाय, प्रताड़ित किया जाय, दंडित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित होता है।

नैक्स्ट। श्री श्रीकिशन सोनगरा।

अजमेर में बिना निविदाओं का कार्यादेश

790. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1991-92 में सिंचाई खण्ड द्वितीय अजमेर में कितने कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की गई तथा कितने कार्यों के लिए बिना निविदाएं कार्यादेश दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

(2) निविदा द्वारा आमंत्रित कार्यों में क्या दरें प्राप्त हुई तथा किन-किन कार्यों के लिए नेगोशिएशंस किये गये, जिन कार्यों के नेगोशिएशंस नहीं किये उसका आधार क्या रहा ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ कार्यों के निविदा प्रपत्र बेचे गये किन्तु उन्हें निविदा नहीं देने का दबाव डाला गया। कार्यवार एवं निविदा प्रपत्र बेचे जाने तथा निविदा प्राप्त होने का विवरण सदन की मेज पर रखें।

सिंचाई मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) वर्ष 1991-92 के दौरान सिंचाई खण्ड द्वितीय, अजमेर में कुल 60 कार्यों की निविदायें आमंत्रित की गई तथा कुल 35 कार्यों के बिना निविदायें कार्यादेश दिये गये हैं। जिनका विवरण प्रपत्र "अ" व "ब" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है। अधिकांश कार्य डिपोजिट वर्क था जो नगर परिषद के लिए पुष्कर लेक पर मिट्टी का कार्य कराया गया जिसके लिए एक्सकेवेटर, सी.ए.डी., कोटा से मंगाया गया था तथा इमर्जेन्सी की नेचर का कार्य था।

(2) निविदा द्वारा आमन्त्रित कार्यों की न्यूनतम दर सूची में दर्शायी गयी है जो निविदा दरें अधिक प्रतीत हुई उनके नेगोशेशंस किये गये एवं जो दरें वाजिब थीं उनके नेगोशियेशंस नहीं किये गये थे।

(3) किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया। कार्यवार विवरण प्रपत्र "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री श्रीकिशन सोनगरा : माननीय अध्यक्षजी, आपके द्वारा माननीय सिंचाई मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि खण्ड प्रथम में जो उन्होंने उत्तर दिया है उसके सन्दर्भ में पुष्कर सरोवर की खुदाई हेतु मिट्टी अनलोडिंग का पहला वर्क आर्डर कौनसी तारीख को दिया गया और अन्तिम वर्क आर्डर कौनसी तारीख को दिया गया ? साथ ही यह भी बतायें कि यह सही है कि बाद के वर्क आर्डर्स पहले की तारीख में हैं और पहले के वर्क आर्डर बाद की तारीख में हैं, घर बैठकर अधिकारियों ने बनाकर यह सब दे दिये हैं। इसके अलावा एक बात यह भी आप स्पष्ट करें कि क्योंकि पुष्कर की खुदाई का मामला है मंत्रीजी; मिट्टी अनलोडिंग का टोटल वर्क आर्डर 14 हैं और प्रत्येक वर्क आर्डर 9975 रुपये का 14 वर्क आर्डर्स एक ही दर क्यों काटे गये हैं ? क्या जिनको यह वर्क आर्डर्स दिये गये हैं वह ठेकेदार रजिस्टर्ड थे या नहीं ? इसके अलावा एक बात और बता दें आप साथ में कि इन टोटल 14 वर्क आर्डर्स की रकम कुल 1,39,650 रुपये थी, यदि थी तो इनकी निविदाएं आमंत्रित करके ही कार्य करवाना चाहिए थे और उन्होंने उनकी बजाय यह वर्क आर्डर काट कर जो सरकार को आय होने वाली थी; निविदाओं के फार्म्स की मार्फत और काम के नाम से जो धरोहर राशि जमा कर ठेकेदार को पाबन्द कर सकते थे; वह नहीं कर सके। कृपया इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला अतारांकित

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रश्न पूछा था उसमें हम जवाब दे चुके थे और आज यह तारांकित प्रश्न है और यह सही है कि वर्क आर्डर नम्बर 1, 8-5-1991 को दिया गया और वर्क आर्डर नम्बर 2, 1-5-1991 को दिया गया। यह मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, इसमें अगर यह स्क्वेंस सही है तो। यह भी सही है कि वर्क आर्डर 10 हजार के नीचे बनाकर के यह करवाया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अधिकार है कि तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए 10 हजार से नीचे के अधिशासी अभियन्ता अपने कार्य करवा सकते हैं। लेकिन इसमें जिस तरह के प्रश्न माननीय सदस्यों ने उठाये हैं और शायद 7 तारीख को भी इसी के लगता-बगता एक सवाल और किया गया है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि उनके द्वारा उठाये गये मुद्दे और इससे प्रासंगिक जो दूसरे मुद्दे हैं इन सब मुद्दे पर सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता, श्री माथुर को जांच अधिकार नियुक्त करता हूं और 1 महीने में उन्हें अपनी जांच करके रिपोर्ट देने के आदेश मैं आज ही कर दूंगा।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : माननीय अध्यक्षजी, मैंने सिंचाई विभाग की बजट मांगों पर भी हमारे अजमेर में जो खण्ड प्रथम और द्वितीय में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, उनके मुद्दे उठाये थे और मैं यह कहना चाहता हूं कि वह अधिकारी जो आज वहां मौजूद हैं वह बराबर रेकार्ड में हेरा-फेरी कर रहे हैं इसलिए उनको तत्काल हटाकर यह जांच करने का अगर आश्वासन दें, मंत्रीजी तब तो यह समझ में बात आयेगी अन्यथा वह सारी चीजें वहां बैठकर सुधार रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : तो नियुक्त कर दिया अधिकारी जांच के लिए, ऐसा कर दिया है।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन यह था कि मंत्रीजी ने यह नहीं बताया कि वह वर्क आर्डर कौन से ठेकेदार को दिये गये और क्या वह रजिस्टर्ड थे ?

श्री अध्यक्ष : यह सारी जांच करवा रहे हैं ना ? इन्होंने जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। आप जांच अधिकारी को जो आपको शकायें हैं वह बतायें। आप पूरे खड़े रहकर जांच करवायें, भरोसे मत रहना।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : नहीं, नहीं वह सब ठीक है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा। (व्यवधान)....

सुश्री पुष्पा जैन (पर्यटन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा याचना करती हूं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। माफ करिये मेरे दिल में इतना दुःख है.... (व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : कोई रिक्शे से एक्सीडेंट होने की वजह से....

श्री अध्यक्ष : मैं हाउस को एडजोर्न करने के मानस में था यदि सरकार इतनी नेगलीजेंस करती है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता....This is the height.

श्री हेतराम बेनीवाल : सदन क्या कर सकता है। आप तो एक तरफ से माफी मांगना शुरू कर दें सब, क्योंकि कल एक मांग चुके हैं, एक आज मांग रहे हैं एक फिर मांगेंगे। सारा सदन....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए। Mr. Rathore don't plead for it. This is the height.

डा. चन्द्रभान : एक तरफ गलती करते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप तो इन्हीं से शुरू कर दें।

डा. चन्द्रभान : माननीय उप मुख्य सचेतक महोदय (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप बैठिए। हो गया।

डा. चन्द्रभान : उप मुख्य सचेतक इसको प्लीड करते हैं जो गलती करते हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी वजह से लेट नहीं हुई हूं। रिक्शे से एक्सीडेंट हो गया था उसकी वजह से ट्रेफिक जाम हो गया और मैं लेट हो गई अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : फिर यह सदन जो है सरकार मुझे जवाब दे रही है कि बड़ा उपयुक्त हैं और....

सुश्री पुष्पा जैन : मैं क्षमा चाहती हूं इसके लिए।

श्री अध्यक्ष : तो यह रेकॉर्ड पर आना चाहिए कि इस सदन में आने के लिए रास्ते में एक्सीडेंट होते हैं, सदन में टाइम पर नहीं पहुच सकते हैं-It should come on record. इसलिए यह उपयुक्त नहीं है। सदन क्या बनाया जाय....(व्यवधान)....

श्री हेतराम बेनीवाल : ऐसी हालत है, मंत्री हाउस में पहुंच ही नहीं सकते हैं, मंत्री तक वक्त पर हाउस में नहीं पहुंच सकते हैं, एक्सीडेंट होते हैं रोजाना। यह बिल्कुल ठीक है।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए मुझे इस सरकार की तरफ से एक काल-अटेंशन के जवाब में कल यह मिला है कि किसी प्रकार की आवागमन में व्यवधान नहीं है। यह मुझे लिखकर दिया गया है और आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सदन के सामने है। अब आप करें जो मरजी आये सो करें। बाकी जैसा आप चलायें वैसा चलावें। हाउस कोई एक मत नहीं है। श्री रामस्वरूप मीणा।

प्लांटेशन आर.डी.एफ., बूचोलाई, गंगापुर द्वारा पौधारोपण

791. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्लांटेशन आर.डी.एफ. बूचोलाई 26 हेक्टेयर रेंज गंगापुर में कुल कितने पौधे लगाये गये ? मौके पर इस समय मात्र 5 हजार पौधे ही जीवित क्यों है जबकि रिकार्ड में 26 हजार 500 पौधे लगाना दिखाया गया है ?

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(2) क्या इसका एरिया रिकार्ड में 25 हैक्टेयर दिखाया गया है। जबकि वास्तविक एरिया 15 हैक्टेयर भी नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) प्लांटेशन अम्बाखेड़ा वृन्दावन रेंज बोली में कितने पौधे लगाये है ? मौके पर कितने मौजूद है ?

(4) वन विभाग नर्सरी टोड़ाभीम में रिकार्ड में कितने पौधे दर्ज हैं और मौके पर कितने मौजूद हैं ?

वन मंत्री (श्री लालचन्द डूडी) : (1) रेंज गंगापुर में आर.डी.एफ. बूचोलाई 25 हैक्टेयर नाम का कोई प्लांटेशन नहीं है।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) रेंज बोली के अम्बाखेड़ा 1991 एवं बन्धावल प्लांटेशन 1991 में क्रमश: 27,500 एवं 16,500 पौधे लगाये गये थे जिनमें से क्रमश: 16,682 एवं 10,430 पौधे जीवित हैं।

(4) नर्सरी टोड़भीम में रिकार्ड के अनुसार 20,000 पौधे तैयार हैं। मौके पर भी 20,000 पौधे ही हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जवाब चाहा था टोड़ाभीम के मामले में वह जवाब सन्तोषप्रद आ गया है मैं सप्लीमेन्ट्री नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, नैक्स्ट श्री दयाराम परमार।

जनजाति समुदाय के छात्रों को पुस्तक व पोशाकों का मुफ्त वितरण

792. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि जनजातीय समुदाय के छात्रों को पुस्तकें व पोशाकें मुफ्त दी जाती हैं ? यदि हां, तो किस कक्षा तक के छात्रों को तथा किस उद्देश्य से ?

(2) क्या यह भी सही है कि अविभक्त इकाई की पुस्तकें छात्रों की संख्या से बहुत अधिक दी जाती हैं ? पोशाकें नाम मात्र की होती हैं जो कि अधिकतर बच्चे पहन ही नहीं पाते ?

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री जीवराम कटारा) : (1) जी हां, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कक्षा 1 से 5 के जनजाति के छात्र/छात्राओं को मुफ्त पुस्तकें एवं पोशाकों का वितरण किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत आश्रम छात्रावासों में रह कर अध्यनरत जनजाति के छात्र/छात्राओं को दो दो पोशाकें वितरित की जाती हैं। कक्षा 1 से 2 के छात्र/छात्राओं एवं कक्षा 3 से 5 की केवल छात्राओं को पोशाक वितरित की जाती है। पुस्तकों का वितरण आश्रम छात्रावासों एवं अन्य राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को किया जाता है।

जनजाति समुदाय के छात्र/छात्राओं को मुफ्त पोशाक एवं पुस्तकें वितरित किये जाने का उद्देश्य यही है कि जनजाति के छात्र/छात्राओं की शिक्षा की न्यूनतम आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये इनके अभिभावकों पर आर्थिक भार न पड़े।

(श्री जीवराम कटारा)

(2) जी नहीं, पुस्तकें, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् द्वारा प्रेषित संख्या के अनुसार सम्बन्धित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा क्रय की जाकर वितरित की जाती हैं। पोशाकें नाम मात्र की ही नहीं अपितु छात्र/छात्राओं के माप के अनुरूप टेरीकाट की होती हैं।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि पोशाकें टेरीकाट की आप वितरित कर रहे हैं। गत वर्ष में आपने किस फर्म से यह टेरीकाट कपड़ा खरीदा ? बतायें।

श्री जीवराम कटारा : अध्यक्ष महोदय, हमने छात्र/छात्राओं के लिये पोशाकों का कपड़ा राजस्थान हैण्डलूम डवलपमेंट कार्पोरेशन, जयपुर से खरीदा है।

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे को अभी बहुत समझना है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह भी जानना चाहता हूं कि पुस्तकें और पोशाकें किस महीने तक वितरित कर देते हैं ?

श्री जीवराम कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्यतः पुस्तकें अगस्त और सितम्बर के महीने में पाठ्य पुस्तक मण्डल से खरीद कर वितरित की जाती हैं और अगस्त-अक्टूबर तक पोशाकों का वितरण किया जाता है।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्यता यह है कि जो पुस्तकें बच्चों को वितरित की जाती हैं वह अविभक्त इकाई की पुस्तकें होती हैं और यह संख्या के बारे में माननीय मंत्रीजी बता रहे हैं कि पंचायत समिति जो फिगर्स देती हैं उसके अनुसार बच्चों को देते हैं। ऐसा कोई हिसाब नहीं है। इतनी किताबें प्राइमरी स्कूल में दे दी जाती हैं कि उनको कोई पढ़ने वाला ही नहीं होता है। यह भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तीसरी और चौथी क्लास की एक-एक कक्षा में किताबों का केवल एक-एक सेट दिये जाते हैं लेकिन कहा यह जाता है कि प्रत्येक आदिवासी बच्चे को किताबें देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोयय, ड्रेस जो दी जाती हैं वह मेरे पास में हैं लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं घर से ला नहीं सका। वरना आपको दिखाता उसको कोई बच्चा पहन ही नहीं सकता है। इतनी नाम मात्र की ड्रेस होती है, लाकर उस बच्चे को दे देते हैं। माननीय मंत्रीजी बता रहे हैं कि हम नाप लेकर बनाते हैं, नाप लिया जाता है, उनका कोई पता नहीं है। कपड़ा खरीद करके, और यह बता रहे हैं कि टेरीकाट का खरीदा है, अबकी बार खरीदा हो तो मुझे पता नहीं लेकिन खादी का कपड़ा खरीद कर दिया जाता था कि वह बच्चा पहन ही नहीं सकता और एक महीने से ज्यादा वह ड्रेस चल नहीं सकती है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी इस तरह का कपड़ा खरीदने और पुस्तकें देने की जगह बच्चों को अगर सरकार चाहती है कि उनको सहायता मिले तो उनको कैश पेमेण्ट क्यों नहीं करना चाहती है ?

श्री जीवराम कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि पहले खादी की ड्रेस दी जाती थी और खादी के कपड़े में सिकुड़न आती थी इसलिये बालक-बालिकाओं की

(श्री जीवराम कटारा)

ड्रेसें ठीक ढंग से पहनने लायक नहीं होती थीं....

(11.25 म.पू.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उस व्यवस्था में भी परिवर्तन किया हैं और इस वर्ष से टेरीकाट की पोशाकें प्रदान कर रहे हैं यह व्यवस्था भी शुरू की है यदि इस व्यवस्था के ठीक परिणाम नहीं आयेंगे, सरकार का यह प्रयत्न हैं कि जो पाठ्य सामग्री दी जाती है और जो पोशाकें दी जाती है वह सही और ठीक ढंग की हो। इस व्यवस्था में भी यदि किसी प्रकार की त्रुटि रहेगी तो सरकार इसके बारे में जरूर विचार करेगी कि उनको पोशाकों और पाठ्य सामग्री की राशि की एवज में उनको छात्रवृत्ति दी जावे।

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : क्या यह बता सकते हैं कि कब-कब पुस्तकें और पोशाकें वितरित की गई है ? तारीख वाइज बता दीजिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : पहले खादी की पोशाकें दी जाती थीं अभी टेरीकाट दी जा रही हैं ऐसा मंत्रीजी बता रहे हैं। क्या खादी और टेरीकाटों की पोशाकों में कोई फर्क है ? या कीमत में फर्क है ? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि खादी संस्था को प्रोत्साहन मिलता था "खादी वस्त्र नहीं विचार है," इससे गरीबों को, मजदूरों को रोजी रोटी मिलती है उसको बन्द करके टेरीकाट की खरीदने की क्यों जरूरत पड़ी ?

श्री जीवराम कटारा : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं और सदन के अधिकांश सदस्य इस बात से वाकिफ हैं कि जो खादी का कपड़ा है उसमें धुलाई, प्रेस आदि पर जो खर्चा होता है वह सामान्यतः दूसरे कपड़े से ज्यादा बैठता है और एक आदिवासी गांव में रहने वाले उस अभिभावक की यह केपेसिटी नहीं होती कि उसका खर्चा वहन कर सके। धुलाई करा सकें, प्रेस करा सके इसलिये अन्य लड़कों में और उनमें कोई भिन्नता नहीं लगे इस दृष्टिकोण से इस प्रकार की व्यवस्था की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवरलाल जी।

स्थगित प्रश्न

(मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 1992)

वन विकास की योजनाओं में समानता

437. **श्री सांवरलाल** (भिनाय) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वन विकास की कौन-कौनसी योजनायें चल रही हैं ?

(2) क्या समस्त योजनाएं सम्पूर्ण राजस्थान में समान रूप से चल रही हैं ? यदि नहीं, तो कौन कौनसी योजनाएं किस किस क्षेत्र में चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) किस किस योजना में कितना कितना रुपया किस किस रेंज में गत पांच वर्षों में इस वर्ष सहित व्यय किया गया ? वर्षवार विवरण मय रेंज एवं योजना दर्शाते हुये सदन की मेज पर रखें।

(श्री सांवरलाल)

(4) क्या उपरोक्त राशि सरकार अपने बजट से व्यय कर रही है ? यदि नहीं, तो इन योजनाओं के लिये राशि किन किन स्रोतों से दी जा रही है ?

(5) क्या उपरोक्त योजनाओं का कार्य सम्पादन सरकार द्वारा होता है ? यदि नहीं, तो किस-किस संस्थाओं के सहयोग से गत पांच वर्षों में इस वर्ष सहित कार्य करवाया गया ? संस्थाओं के नाम, कार्य योजना, क्षेत्र, व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

वन मंत्री (श्री लालचन्द डूडी) : (1) विभाग में परिशिष्ट "क" के अनुसार वन विकास की योजनाएं चल रही हैं।

(2) जी नहीं, उक्त योजनायें जिन क्षेत्रों में चल रही हैं, उनका विवरण परिशिष्ट "क" में दर्शाये अनुसार है।

(3) सूचना अत्यधिक विस्तृत होने के कारण सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है।

(4) योजनाओं के लिये राशि के स्रोत का विवरण परिशिष्ट "क" में दर्शाये अनुसार है।

(5) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री सांवरलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि अरावली वृक्षा–रोपण योजना जो अरावली डवलपमेंट के लिये है उसमें क्या अजमेर जिला सम्मिलित किया जायेगा या नहीं ? इसके साथ ही आर्थिक वृक्षारोपण में भी जो राज्य सरकार के बजट से सम्पादित की जाती है क्या उसमें भी अजमेर जिले को सम्मिलित करने की आपकी मन्शा है या नहीं ?

श्री लालचन्द डूडी : जहां तक अरा–वली योजना का सवाल है अजमेर जिला इसमें इन्क्लूड नहीं किया जायेगा। जहां तक आर्थिक वृक्षारोपण की योजना के बारे में मैं जांच कराऊंगा कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

बाड़मेर में जिप्सम की खान का निजी क्षेत्र की संस्था को आवंटन

793. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में खनिज जिप्सम की कोई खान निजी क्षेत्र की संस्था को आवंटित की गई है, जबकि उक्त खनिज सरकारी क्षेत्र के लिये ही आरक्षित है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्था को पूर्व में बाड़मेर जिले में निम्न श्रेणी के खनिज के खनन के नाम से खनिज जिप्सम की खानें आवंटित की गई थी जिसका उपयोग थपड़ा (चूना) बनाने के काम में ही होना था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त संस्था

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

द्वारा आवंटित क्षेत्र में काम न कर दूसरे क्षेत्रों में अनाधिकृत खनन किया गया और उत्पादित माल को थथड़ा बनाने के स्थान पर सीमेंट कारखानों को बेचा गया जिससे राज्य सरकार के निर्देश की खुली अवमानना की गई ?

(4) क्या यह सही है कि बाड़मेर के सहायक खनिज अभियंता ने वर्ष 1987 में व बाद में भी यह स्पष्ट रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को भेजी थी कि उक्त संस्था द्वारा आवंटित क्षेत्र में कार्य न कर दूसरे क्षेत्र में खनन किया गया है ? उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उक्त आवंटन में हुई अनियमितताओं की जांच करने के लिये खनिज राज्य मंत्री को लिखा था ? सरकार द्वारा उक्त संस्था द्वारा अनाधिकृत खनन के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? इन सभी अनियमितताओं को देखते हुये क्या सरकार उक्त संस्था का आवंटन रद्द करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री खनिज (श्री कालूलाल गुर्जर) : जी नहीं। यह सही है कि खनिज जिप्सम को सार्वजनिक क्षेत्र में देने की सरकारी नीति रही है। लेकिन शासन के आदेश दिनांक 23.2.86 द्वारा बाड़मेर जिले में अकाल की स्थिति को देखते हुए क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से इन लोगों द्वारा गठित सर्वश्री बाड़मेर जिला जिप्सम थथड़ा उद्योग श्रमिक ठेका सहकारी समिति लिमिटेड के पक्ष में बाडमेर जिले के उत्तरलाई क्षेत्र में खनिज जिप्सम के खनन करने की कार्यानुमति विशेष परिस्थितियों में दी गई।

(2) जी नहीं। पूर्व में सरकार ने निम्न श्रेणी के जिप्सम के नाम से खनिज जिप्सम की खानें आवंटित नहीं की। बल्कि उक्त संस्था को जिप्सम खनन करने की कार्यानुमति 1986 में दी गई।

(3) जी नहीं। उक्त संस्था ने आवंटित क्षेत्र में ही खनन कार्य किया। शासन द्वारा उक्त संस्था को जारी स्वीकृति में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि वे उत्पादित खनिज को थथड़ा बनाने के काम में ही लेगी और सीमेन्ट कारखनों को माल नहीं बेचेगी। इसलिये इस संस्था ने सरकार के निर्देशों की अवमानना नहीं की है।

(4) जी नहीं। सहायक खान अभियंता, बाड़मेर ने इस बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है।

(5) जी हां, इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच विभाग द्वारा कराई जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीया श्रीमती सूर्यकांता जी।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी, मंत्री जी ने एक तरफ तो बताया है कि जी नहीं, दूसरी तरफ उनका उत्तर है उसके अन्दर स्वीकार किया है जब कि आगे उन तथ्यों को

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

स्वीकार किया है। यह कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से इन लोगों द्वारा गठित सहकारी समिति के पक्ष में कार्यानुमति आदेश जारी किया गया है, वे अनुसूचित जाति के लोग कौन थे, मंत्री महोदय यह बतावें। दूसरा मेरा निवेदन है इस सम्बन्ध में अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य नहीं, राज्य सरकार के इस आदेश से संस्था को मिल रही राहत या लाभ उन्हीं की जेब में जाता है। यह निर्णय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नाम से ही पहुंचाने हेतु तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लिया गया था और उसी कार्यानुमति आदेश की अवधि बढ़ाकर वर्तमान में भी इसमें भागीदारी हो रही है। माननीय मंत्री महोदय यह बतावें कि वे कौन थे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक तो यह कहा खण्ड (1) जी नहीं, के बाद आगे यह कहा कि कार्यानुमति दी गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आपने यह पूछा था कि क्या कोई खान आवंटित की गई है। चूंकि खान आवंटित नहीं की थी, इसलिए जी नहीं शब्द लिखा है और आगे चूंकि इस मामले में जो जिप्सम है उसकी वर्किंग परमीशन दी गई थी इसलिए आगे इसका विस्तृत विवरण हमने दिया है जो सही है। नम्बर दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सम्पत सिंह जी। मूल प्रश्नकर्ता श्रीमती सूर्यकांता जी।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : मैं यह पूछना चाह रही हूं कि वे अनुसूचित जाति के लोग कौन थे ?

श्री कालूलाल गुर्जर : मैं बता रहा हूं ना।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये पहले।

श्री कालूलाल गुर्जर : मैंने जवाब खत्म नहीं किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगे आपने यह कहा कि सहकारी समिति में जो व्यक्ति हैं उसमें अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग कौन हैं उसकी एक सूची मेरे पास है मैं अभी माननीय सदस्या को दे देता हूं।....(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में किस गैर जिम्मेदारी से उत्तर दिये जाते हैं, उसका प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं कि पहले प्रश्न में पहले कहा जी नहीं, प्रश्न यह है कि क्या यह जिप्सम की खानें सरकारी क्षेत्र में दी जाती हैं। यह कहते हैं नहीं और फिर कहते हैं हां, सरकार की नीति यही है। लेकिन प्राइवेट दे दीं, वह भी अनुसूचित जनजाति को दी है जिसका अध्यक्ष द्वारकेश जैन है, वह अनुसूचित जनजाति का है। उत्तर में माननीय उपाध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान) आप बिराजिये मंत्रीजी। पहले मेरी बात सुन लें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आपसे यह आशा रखता हूं कि किस गैर जिम्मेदारी से उत्तर दिये जाते हैं। एक-एक लाइन गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मई, 1987 में सहायक अभियन्ता ने, मैं आज कापी नहीं लाया हूं, शिकायत की है कि ये खान अपने अधिकृत क्षेत्र से अनधिकृत क्षेत्र में खनन कर रही है,

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

इसको कैन्सिल किया जाय, उस पर कोई कार्यवाही नहीं है । फौरमैन ने रिपोर्ट की है और यह निषिद्ध क्षेत्र में खनन हो रहा है । यह रिपोर्ट्स होने के बावजूद भी इस पर कार्यवाही नहीं हो रही है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि सरकारी क्षेत्र में दी जाती है । उसके पहले कहते हैं, को-आपरेटिव को दी गई, विशेष परिस्थितियों में दी गई, अकाल था इसलिए दी गई, 1987 से आज दिन तक अकाल है ? मुख्य मंत्रीजी को 5 महीने पहले शिकायत मिली, मुख्य मंत्रीजी ने शिकायत की जांच करने के लिए कागज भेजा, आज तक जांच नहीं हो रही है । उपाध्यक्ष महोदय, मिलीभगत है खान वाले से, मंत्रीजी जांच नहीं कराना चाहते हैं । किससे जांच करवा रहे हो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये ।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : मुख्य मंत्री जी के पत्र के बावजूद भी मंत्री जी ने जांच नहीं की थी.... (व्यवधान) यह षड़यंत्र है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। पहले उत्तर देने दीजिये । माननीय बेनीवाल साहब । पहले उत्तर देने दीजिये । (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : यह उत्तर का सवाल नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय..

श्री उपाध्यक्ष : यह लम्बा हो जायेगा । उत्तर देने दीजिये । पहले उत्तर आने दीजिये । (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उत्तर की एक-एक लाइन गलत है । उनको बचाने की कोशिश की जा रही है । (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बेनीवाल साहब । बैठिये । माननीय मंत्रीजी ।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में इल्जाम लगा है । हाउस में इस तरह का इल्जाम लग जाय कि मंत्रीजी ने यह गड़बड़ी की है (व्यवधान) यह उत्तर का सवाल नहीं । हाउस के अन्दर इस तरह का इल्जाम लग जाय और उस पर स्पष्टीकरण पहले मंत्री जी का यह आना चाहिये कि वह इसमें लिप्त हैं या उनका क्या दोष है । (व्यवधान) उत्तर की बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये । माननीय मंत्रीजी । इनका उत्तर तो आप सुनिये । बैठिये आप । (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : यह भ्रष्टाचार का मामला है (व्यवधान) उत्तर तो दिया इन्होंने ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी को बोलने दीजिये । प्रेमसिंह जी आप बैठिये । (व्यवधान) उत्तर आने दीजिये ।

श्री प्रेमसिंह दहिया : खुला अत्याचार का मामला है । भ्रष्टाचार का मामला है । इनके नाम सही बताइये । कौन है, कौन नहीं हैं । अनुसूचित जाति के हैं या जनजाति के हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर तो बता रहे हैं । मैं आपको भी अलाऊ कर दूंगा । उत्तर आने दीजिये पहले । माननीय मंत्रीजी,

(श्री उपाध्यक्ष)

उत्तर तो दीजिये । बैठिये आप । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है अब, उत्तर का कहां महत्व रह गया। बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने जब इतना गम्भीर आरोप मंत्रीजी पर लगाया है । मैं आपको कहता हूं उत्तर का क्या अर्थ रह गया है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर सुनिये आप । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्रीजी स्पष्टीकरण दें । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां तो दे रहे हैं ना । बैठिये । माननीय मंत्रीजी ।

श्री हेतराम बेनीवाल : उत्तर इस बात का आना चाहिये कि मंत्रीजी इसमें इन्वाल्व हैं ? (व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : जवाब देने का कोई अधिकार नहीं है । पहले स्पष्टीकरण होना चाहिये । उनको जवाब देने का कोई अधिकार नहीं है (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये पहले । कृपया बैठिये । माननीय मंत्रीजी ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्रीजी खुद शामिल है (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : प्रेम सिंह जी बैठिये । बैठिये आप । आप उत्तर सुनिये पहले । (व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उत्तर आ गया मंत्रीजी का । (व्यवधान)....

श्री प्रेमसिंह दहिया : मंत्रीजी के ऊपर आक्षेप लगाया है, उत्तर क्या सुनेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब नहीं सुनना चाह रहे हैं क्या ?

श्री परसादीलाल मीणा : उत्तर बाद में होगा । पहले उन पर आरोप लगाया है । उनका जवाब होगा । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, सब जवाब दे देंगे । उत्तर साथ में ही आएगा । बैठिये आप । (व्यवधान) अब तो बैठिये ना पहले । (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : मंत्रीजी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं । पहले उसका उत्तर दें मंत्रीजी । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर सुनिये पहले । परसादी लाल जी, बैठिये । माननीय मंत्री जी । (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह कहा गया है कि गैर जिम्मेदारी से जवाब दिया है जबकि मैंने इतना स्पष्ट जवाब दिया है, मैंने यह निवेदन किया है कि जिप्सम की खान प्राइवेट सेक्टर में देने का प्रावधान नहीं है और न ही दी जाती है और इसलिए मैंने ऊपर लिखा है जी नहीं । इन्होंने यह माना कि खानें आवंटित

(श्री कालूलाल गुर्जर)

की है, मैंने कहा कोई खान आवंटित नहीं की। केवल वर्किंग परमीशन दी है और वह भी सन् 1986 में दी गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हरिदेव जी जोशी के आदेश है। मैंने बाड़मेर जिला जिप्सम दागड़ा उद्योग श्रमिक ठेका सहकारी समिति बाड़मेर प्रकरण को देखा। यह श्रमिकों की एक अच्छी सहकारी समिति है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के भी काफी सदस्य हैं। इस क्षेत्र में अकाल की स्थिति भी रहती है, इसलिए यह उपयुक्त होगा कि पैरा नम्बर 10–11 के अनुसार एक वर्ष के लिए समिति को जिप्सम निकालने के लिए वर्किंग परमीशन दी जाय। इसके बाद सन् 1988 में माननीय श्री लक्ष्मणसिंहजी जब मंत्री थे तब उन्होंने फिर उनका कार्यकाल 4 साल के लिए आगे बढ़ाया। अब उपाध्यक्ष महोदय, किस बात से मेरे ऊपर कि मिली-भगत हो गई और किस बात पर मेरे ऊपर चार्ज लगाया जा रहा है। जहां तक शिकायत का सवाल है (व्यवधान)....बैठिये आप। आप सुनिये पहले।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप। आर्डर प्लीज।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप यह कहो कि असत्य है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह कहा गया कि 1978 में कोई या 1987 या 1988 में कोई शिकायत मिली। मैंने विभाग से मालूम किया पर विभाग ने जो उत्तर दिया कि पहले कोई शिकायत नहीं मिली। अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि 1987 में कोई शिकायत है तो मैं उनकी जांच करा लूंगा और गलत देने वालों के खिलाफ एक्शन लूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा, अभी लेटेस्ट शिकायत श्रीमती सूर्यकांता जी ने स्वयं ने अपने नाम से शिकायत की थी और वह शिकायत भी मुझे दिनांक 7.11.91 को मिली। मैंने माइंस सेक्रेटरी के पास में इसकी जांच के लिए भेजा है। उस समय डिप्टी सेक्रेटरी दो थे, उनके कार्य का विभाजन हो रहा था इसलिए फाइल इधर-उधर होने में थोड़ा टाइम लगा। दिनांक 24.2.92 से यह जांच हमने डाइरेक्टर को भेज रखी है। अभी जांच रिपोर्ट नहीं मिली। आते ही मैं जो भी गलत है पहले उस पर एक्शन लूंगा और यदि इसमें अनियमितताएं पाई जायेंगी, उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्यवाही हो, करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर आ गया। अब क्या रह गया। उत्तर आ गया। सूर्यकांता जी उत्तर आ गया है। (व्यवधान)....

श्री हेमराज मीणा : अनुसूचित जाति–जनजाति की सहकारी समिति है, इसका अध्यक्ष अनुसूचित जाति का क्यों नहीं है। दूसरे को कैसे लगा दिया। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें असल में यह स्पष्टीकरण अभी नहीं आया कि....

श्री उपाध्यक्ष : क्या नहीं आया ?

श्री हेतराम बेनीवाल : यह नहीं आया कि बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने इल्जाम लगाया था कि वे इसमें खुद लिप्त हैं (व्यवधान)....

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति की सहकारी समिति है, इसमें दूसरे को अध्यक्ष क्यों बनाया गया है ? क्या मंत्रीजी इसको हटायेंगे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । बैठिये आप । बैठिये पहले । (व्यवधान)....

श्री हेतराम बेनीवाल : उनका स्पष्टीकरण आना चाहिये । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बंशीलाल जी पटवा । आप बैठिये पहले । कहां है आपका नाम ? आर्डर प्लीज । माननीय पटवा साहब, बोलिये आप ।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, एक वर्ष के लिए खान दी थी, आज 4 महीने से जांच नहीं हो रही है । यह किस बात का प्रतीक है । जो रिपोर्ट हैं, उपाध्यक्ष महोदय, रिपोर्टें दबाई गई हैं । यह मई....

श्री उपाध्यक्ष : आगे एक्सटेंशन लेना भी बताया है । 1986 में दिया है, आगे एक्सटेंशन लेना बताया है ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अभी 3 साल के लिए एक्सटेंशन किस खुशी में किया है इन्होंने ? (व्यवधान) शिकायत होने के बाद उन्होंने एक्सटेंशन क्यों किया ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यास जी, बैठिए । माननीय पटवा साहब । मैंने पहले उनको अलाऊ किया । आप बैठिए चन्द्रभान जी । (व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने टेम्परेरी वर्किंग की दृष्टि से परमिशन दी और 1986 में श्री हरिदेवजी जोशी का राज था उस समय यह स्वीकृति दी गई । लेकिन आज की तारीख में भी इन माइन्स पर अतिक्रमण है और आज की तारीख में भी एनक्रोचमेंट होकर वहां पर काम जारी है । एक-दो जनजाति के लोगों का नाम लिया है तो किन-किन लोगों को परमिशन दी गई और किस सोसाइटी को दी गई ? जिस नाम पर जो सदस्य हैं उनके नाम पर और यदि आज की तारीख में चल रही है और श्री हरिदेव जी जोशी के राज में परमिशन मिली है तो आज की तारीख में माइन्स डिपार्टमेंट मौन क्यों है ? आज तक एनक्रोचमेंट को लेकर क्या कार्यवाही की गई ? उस सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष कौन है, नाम और पता बताइये और यदि इस तरह नहीं बता पाते हैं, कोई गड़बड़ है तो डिपार्टमेंट में करप्ट प्रेक्टिस हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, माननीय राजेन्द्र गहलोत ।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, बाड़मेर जिले में फर्टिलाइजर कार्पोरेशन को किन-किन जिप्सम

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

की माइन्स दी गई हैं ? उनका रिव्यू हुआ या नहीं, जिसके कारण सैकड़ों मजदूर बेकार हो रहे हैं, अकाल की स्थिति है, इसके बारे में जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सम्पत सिंह जी, पूछना चाहेंगे ? माननीय डा. चन्द्रभान जी। मंत्रीजी उत्तर दीजिए।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था संबंधी एक सवाल कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल में व्यवस्था नहीं होती है।

डा. चन्द्रभान : व्यवस्था नहीं। जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग व्यवहार कर रहे हैं हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इनकी नीयत यदि भागने की है तो वैसे ही बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए। माननीय श्री व्यास जी। आप बिराजिए। आर्डर प्लीज। मंत्रीजी एक मिनट बैठिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 1986 में श्री जोशीजी के कार्यकाल में कोआपरेटिव सोसायटी को दिया गया और 1988 में दुबारा दिया गया। तो बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 3 साल के लिए आपने फिर दिया। सवाल यह है कि आप इसको उचित मानते हैं या अनुचित मानते हैं और अनुचित मानते हैं तो दुबारा क्यों दिया ? क्योंकि आपकी खुद की जिम्मेदारी, आपकी अकांउटेबिलिटी तो आज की है। आज आप माइन्स मिनिस्टर हैं, आपकी गवर्नमेंट है। अब आपने फिर 3 साल के लिए क्यों दे दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। श्री प्रेमसिंह दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो खान दी थी वो तो नियमों में दी होगी, परन्तु उसके बाहर जो खनन हो रहा है उसके लिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं और जब शिकायत है, शिकायत होने के बाद इन्होंने रिव्यू क्यों की ?

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है, बैठिए। माननीय डा. साहब।

डा. जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जैसलमेर और बाड़मेर में जिप्सम की खानें और जैसलमेर में मोहनगढ़ में हिन्दुस्तान की सर्वश्रेष्ठ जिप्सम की खान है। इस खान की लीज फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया को दी हुई थी उसको भी अब सरकार ने खनन करने से मना कर दिया है। सरकार कहती है रीको या आर.एस.एम.डी.सी. करेगी। वो भी खनन नहीं कर रहे हैं और फर्टिलाइजर को भी अनुमति नहीं दी जा रही है। कई मजदूर बेकार हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करेंगे कि जिप्सम की खानों के सम्बन्ध में बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्र में खनन की सरकार की क्या नीति है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी । एक सवाल श्री केदार जी पूछ रहे हैं ।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि केवल एक साल दी गई थी । वर्किंग आर्डर एक साल के लिए था । वह भी स्पेशल केस बना करके, अकाल अफेक्टेड है वो भी इसलिए कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ये 3 मकसद थे । फिर एक साल के बाद क्यों एक्सटेंड किया ? नम्बर एक ।

जो मौजूदा सोसायटी है, क्या यह सही है कि उससे शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग बहुत कम हैं और नान शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग ज्यादा हैं । इसलिए यह टीम अनफेयर टीम है । इसमें किसका हाथ है, यह जांच का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी । आपको पुछवाया था उस समय तो पूछा नहीं, श्री यदुनाथ सिंह जी । (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : इसकी शिकायत हुई उसके बाद में आपने 3 साल के लिए दी है या पहले दी है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री कालूलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया है कि सन् 1988 में इसको आगे 3 साल के लिए बढ़ाया था । उसके बाद पुनः समिति द्वारा यह रिक्वेस्ट की गई कि इसका समय और बढ़ाया जाय । इस पर दिनांक 24.8.91 को यह पत्रावली जब आई तो मैंने मुख्य मंत्रीजी के पास भेजी और उन्होंने सब जांच करवाई । मैंने भी जांच करवाई और इसकी आवश्यकता को देखते हुए, क्योंकि अकाल की इस साल भी विभीषिका है इसको देखते हुए वापस आगे बढ़ाया गया और मेरे अकेले के नहीं बल्कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के हस्ताक्षर उस फाइल पर हुए हैं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह 91 में कौनसा अकाल था ?

श्री उपाध्यक्ष : सुनना नहीं चाहते बेनीवाल साहब ?

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिकायत जो आई है वह शिकायत आई है 11 वें महीने में जैसा मैंने कहा 7.11 को मेरे पास आई थी और इसका कार्यकल 24.8.91 को बढ़ाया । 3 महीने पहले ही कार्यकाल बढ़ा दिया गया था ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : फोरमैन और ए.ई.एन. की शिकायत कब आई है, यह बतायें आप ।

श्री कालूलाल गुर्जर : 7.11 को आई है, 7.11 को आई है, 7.11.91 को आई है ।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप उत्तर नहीं सुनेंगे श्री बेनीवाल साहब । मैं अलाउ नहीं करूंगा, उत्तर सुनिए आप ।

श्री कालूलाल गुर्जर : दिनांक 7.11.91 को शिकायत आई है, कार्यकाल 24.8.91 को बढ़ाया गया है और यह जो मेरे पर आरोप लगाये गये हैं यह मिलीभगत है या मंत्रीजी की मिलीभगत है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बारां से आने वाले सदस्य

(श्री कालूलाल गुर्जर)

और भीलवाडा से आने वाले सदस्य जानते हैं कि ये क्यों मेरे पर आरोप लगा रहे है, जिसको मैं एक्संप्लेन नहीं कर सकता माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम पर आरोप लगाये हैं। इन्होंने क्या कहा है यह बताया जाय ताकि हम स्पष्टीकरण दें। यह बताया जाय। क्योंकि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं इसलिए ये बता रहे हैं।.... (व्यवधान)...

श्री बंशीलाल पटवा : हम इसका क्लेरिफिकेशन देना चाहते हैं। हमको बताया जाय।... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, हमको सुनाई नहीं आया, इन्होंने क्या कहा, यह बताया जाय। इन्होंने क्या कहा है यह बताया जाय। हमने सुना नहीं, हम पर आरोप लगाये हैं। हम यह जानने के अधिकारी हैं कि इन्होंने क्या कहा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी अब बैठिए आप।

श्री कालूलाल गुर्जर : मैंने कोई आरोप नहीं लगाए।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हम जानना चाहते हैं इन्होंने क्या कहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप तो बहुत वरिष्ठ हैं। आप अपनी बात कह चुके हैं। (व्यवधान)....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, हम पर सदन में आरोप लगा है इसलिए हम जानना चाहते हैं, इन्होंने क्या कहा है ?

श्री बंशीलाल पटवा : मंत्रीजी पर इन्होंने आरोप नहीं लगाये माननीय उपाध्यक्ष जी। वापस लेना पड़ेगा इनको। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : +++

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजेंगे नहीं ? आप बैठिए। श्री बंशीलालजी बैठिए। हां, मंत्रीजी।

श्री बंशीलाल पटवा : हम गलत नहीं बोलने देंगे साहब। हम मंत्रीजी को गलतबयानी नहीं करने देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर नहीं सुनेंगे आप ?

कई माननीय सदस्य : खान मंत्रीजी, स्तीफा दो। खान मंत्रीजी स्तीफा दो।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्या आरोप लगाये हैं सुनाई नहीं दिये। यह बताया जाय कि इन्होंने क्या आरोप लगाया। यह स्पष्ट किया जाय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए आप पहले। स्पष्ट कर रहे हैं।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो आरोप मेरे पर भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने लगाया कि....(व्यवधान)....खानें मैंने ले रखी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुली चुनौती देता हूं अगर मैंने या मेरे परिवार के किसी व्यक्ति के नाम पर मैंने कोई खान ली है तो उसकी जांच की जाय....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : साले और बहनोइयों के नाम पर हैं, ससुराल वालों के नाम पर हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर : लेकिन माननीय सदस्य के लड़के, इनकी दो लड़की और इनकी पुत्रवधू, 5 खानें इन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के नाम से खुद ने ले रखी हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदन दिलावर बैठिए। श्री पटवा साहब विराजिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह बतायें कि इन्होंने ससुराल वालों के नाम पर कितनी ले रखी हैं, सालों के नाम पर कितनी ले रखी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, मैं अलाउ नहीं करूंगा। आइ विल नोट अलाउ। (व्यवधान)....

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : यह बहुत गम्भीर आरोप है। यहां एक-दूसरे पर आरोप लगाये हैं। यह कहते हैं ससुराल वालों के नाम पर ले रखी हैं। हाउस में सत्ता पक्ष के लोग एक-दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। इसकी स्थिति साफ होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के लोगों ने गंभीर आरोप लगाये हैं भ्रष्टाचार के। स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदन दिलावर।

शेरगढ़ तथा सांगोद तहसीलों में आम की खेती को प्रोत्साहन

794. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : क्या कृषि विभाग की जानकारी है कि शेरगढ़ (तहसील अटरू) बदावर, मोईकलां (तहसील सांगोद) में आम की खेती आसानी से की जा सकती है ? यदि हां, तो सरकार उसके विकास के लिए क्या प्रयास कर रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : खान मंत्री स्तीफा दो, भ्रष्टाचार है तो।

श्री उपाध्यक्ष : क्या चाहते हैं आप, हाउस नहीं चलने देंगे ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : बारां से आने वाले माननीय सदस्य और भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं....

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : इन पर ससुराल वालों के नाम पर आरोप लगे हैं। यह आरोप लगा है कि इन्होंने ससुराल

(श्री परसादीलाल मीणा)

वालों के नाम पर खानें आबंटित की हैं। इसका स्पष्टीकरण दें। (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप उप सचेतक हैं। स्पष्टीकरण दे चुके हैं। क्या चाहते हैं आप ? (व्यवधान)....उत्तर देना चाहेंगे तो ले लेंगे। आपको इससे क्या लेना-देना ? (व्यवधान)... अभी की अभी उत्तर देने की कोई व्यवस्था नहीं है। दें देंगे उत्तर। बैठिए आप। माननीय कृषि मंत्रीजी। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन।

डा. चन्द्रभान : खान मंत्रीजी को स्तीफा देना चाहिए। भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कुछ कह रहे हैं आप कृपया उनको सुनिए (व्यवधान)....खान मंत्रीजी को स्तीफा देना चाहिए। आप इसका क्लेरिफिकेशन करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए आप। माननीय कृषि मंत्रीजी। माननीय डाक्टर साहब, बिराजिये आप। माननीय कृषि मंत्रीजी। (व्यवधान)....

श्री बंशीलाल पटवा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे क्लेरिफिकेशन करने का मौका देवें, मेरे पर इन्होंने आरोप लगाया है....

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, वह मंत्रीजी ने स्वीकार किया है....

श्री उपाध्यक्ष : क्या क्लेरिफिकेशन करेंगे।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरे ऊपर आरोप लगाया है। यह हाउस का ट्रेडिशन है, कन्वेंशन है....

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो बोलिये।

श्री बिरधाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी विरोधाभास की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाउ नहीं करूंगा। पहले वह बोलें। मैं उनको अलाउ कर चुका हूं।

श्री बिरधाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी विरोधाभास की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप पहले। मैंने उनको अलाउ किया है, बैठिये आप पहले, बोल रहे हैं पटवा साहब। हां बोलिये आप।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया शांत रहें।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को लेकर के जो माननीय मंत्रीजी ने और सदस्य ने जो कोई आपस में आरोप लगाये हैं तो इस वक्त ही कोई एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है, नियमों के अन्तर्गत प्रावधान है उसके अन्तर्गत अलग से जब भी है जब जवाब दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : हां, जभी दे सकते हैं। (व्यवधान)....हां, दे सकते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : आगे का प्रोसीजर यह है....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मुझे अलाउ करिये ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, दे सकते हैं ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : व्यक्तिगत आक्षेप का जवाब अभी दिया जायेगा। इन्होंने आक्षेप क्या लगाया, सुनाई नहीं दिया। यह आक्षेप लगाया है, कौन सा आक्षेप लगाया है इन्होंने ।

श्री उपाध्यक्ष : बंशीलालजी, बैठिये पहले । (व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : मेरे ऊपर चार्ज लगाया है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बंशीलालजी, बैठिये। आप । अब बाद में दे दीजिए उत्तर। पटवा साहब, बैठिये ।

श्री बंशीलाल पटवा : मुझे अलाउ किया है ।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तो आप बैठते क्यों नहीं हैं। श्री बंशीलालजी बोल रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : जो लोग भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बंशीलाल जी, क्या कर रहे है । बैठते भी नहीं है, बोल भी नहीं रहे हैं ।

श्री बंशीलाल पटवा : उपाध्यक्ष महोदय मैंने प्रश्न करते समय मंत्रीजी....

श्री उपाध्यक्ष : आप शालीन भाषा में बोलेंगे ।

श्री बंशीलाल पटवा : शालीनता से ही बोल रहा हूं श्रीमन् ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो शालीन भाषा का प्रयोग कीजिये ।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा तो पिछले 80 से यह रिकार्ड रहा है कि मैं शालीनता से रहा हूं । मेरा यह निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, कि मैंने मंत्रीजी से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा है उसमें मैंने मंत्रीजी पर कोई चार्ज नहीं लगाया और उस समय मैंने केवल यह पूछा है कि सोसाइटी के अध्यक्ष कौन हैं और यह किस किस को दी और यदि श्री हरिदेव जोशी की सरकार के समय मान लो परमीशन दी गई तो आखिर में आज दिन तक यह इर्रेगुलरिटीज चल रही है उस पर मौजूदा सरकार और मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं और इनका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और अध्यक्ष का नाम बताया जाय, यह मैंने कहा । और यदि आप लोग हैं, अनधिकृत रूप से चलती रही तो डिपार्टमेंट में+++प्रेक्टिस है, यह मेरा नोट है । उसके बाद इन्होंने आवेश में आकर, वेग में पता नहीं क्या-क्या कहा है, श्री रघुवीर सिंहजी पर और बंशीलाल पटवा का नाम लेकर के कि इनकी पुत्रवधू पर, पुत्र पर और, और भी जो हैं....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मुझ पर नहीं है यह ।

श्री उपाध्यक्ष : आप पर नहीं है ।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री बंशीलाल पटवा : नहीं, आप पर नहीं है, मेरे ऊपर लगाये हैं। तो मेरा यह निवेदन है....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मुझ पर नहीं है यह। मेरे कोई खान नहीं है आज दिन तक। मुझे यह बताया जाय कि इन्होंने आरोप क्या लगाये हैं मेरे ऊपर, मुझे सुनाई नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये पहले।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, उल्टा +++ बताया जाय कि क्या आरोप लगाये हैं इन्होंने मेरे ऊपर.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये। हां, पटवा सहाब, बोलिये।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं अपना कम्पलीट कर लूं। मेरा यह निवेदन है कि उसके बाद मंत्री महोदय ने बड़ी आतुरता से, वेग में और शालीनता खोते हुए यह आरोप लगाया कि इनकी पुत्रवधू यह, मेरे पुत्र के नाम पर बूंदी में अप्लाई किया गया है। जब यह सरकार एक्जिस्टेंस में नहीं आई और मेरे बच्चों ने जो भी कुछ मान लो लिया है तो नोटिफाइड एरिया में नहीं लिया, कानूनी तौर-तरीके से यदि माइन्स लेते हैं, कोई बिजनस करते हैं, तरीका अपनाते हैं तो इसमें कोई पाप नहीं है और मंत्रीजी को मैं चुनौती देता हूं कि मेरे बच्चों पर और पुत्रवधू पर यदि अनर्गल आरोप माइन्स लेने का यह सिद्ध कर देगें तो इस हाउस से मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो यह मंत्री पद से हट जायें।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह नोटिफाइड एरिया में किस ने लिया है ?

श्री बंशीलाल पटवा : मंत्रीजी ने....

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी ने।

(11.55 म. पू.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री हेतराम बेनीवाल : क्या मंत्रीजी के किसी परिवार ने लिया है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का अभी तक कोई जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। बैठिये। प्लीज, बैठिये।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : मेरे को मेरे प्रश्न का जवाब दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, प्लीज। इस प्रश्न में जितने भी आरोप सदस्यों ने मंत्रियों पर और मंत्री ने सदस्यों पर लगाये, सबको रोक दिया जाय अभी। मैं उसको सबको देखूंगा और रिकार्ड में नहीं आवें। नेक्स्ट, श्री मदन दिलावर।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : अध्यक्ष महोदय, जवाब ही नहीं आया है।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(21)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। बैठिये आप। श्री मदन दिलावर।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्यों ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह कैसे हो सकता है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने उसमें जो असंसदीय शब्द का प्रयोग किया गया है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं देखूंगा। मैंने क्या कहा है—I will see to it. प्रेस—जब तक मैं देखूंगा नहीं, तब तक इसको पब्लिश नहीं किया जाएगा। I will see to it. मैं देख लूंगा। तो मैं आज देख लूंगा। आप बैठिये। मैं देख लूंगा। चलिये, आप पूछिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये, पूछिये। श्री मदन दिलावर, हां, बोलिये आप।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उसमें कोई अनपार्लियामेंट्री कार्यवाही है उसको देखेंगे। नहीं, अध्यक्ष महोदय, यदि कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग हुआ है, कोई अनपार्लियामेंट्री बात कही है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सब देख लूंगा। I will see to it. I will go through it. मैं इसको पूरा पढूंगा। अब जो मैंने रूलिंग दी है, मैंने दी है। मैं पढ़ कर, जब तक मैं पढ़ कर इसको नहीं करूंगा तब तक यह पब्लिश नहीं होगी। बैठिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक प्रार्थना है आप से।

डा. चन्द्रभान : यह तो भ्रष्टाचार का खुला है, इसको होने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : जो होगा, I will see to it. हां, आप बोलिये।

डा. चन्द्रभान : यह भ्रष्टाचार सामने आया है, इसको आने दीजिए। (व्यवधान)....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक प्रार्थना है। एक्सपंशन को....

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, यदि कोई भ्रष्टाचार के आरोप इस तरह से लगेंगे तो रिकार्ड नहीं होने देंगे क्या।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रूल 298 रेगुलेट करता है।

श्री अध्यक्ष : हां, जवाब दें दें आप। प्लीज़, bear with me. अब आप बैठिये। बैठ जाइये आप। प्लीज़, बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। बैठिये आप पहले।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक प्रार्थना सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक प्रार्थना सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब पहले बैठिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, बैठूंगा तो, सही एक प्रार्थना सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, पहले बैठिये। पहले बैठिये आप । प्लीज, पहले इनका जवाब हो जाय ।

श्री रामनारायण विश्नोई (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ (तहसील अटरू) बदावर, मोईकला (तहसील सांगोद) आम एवं अन्य फलों की खेती के लिए....

श्री सुरेन्द्र व्यास ; एक प्रार्थना है ।

श्री अध्यक्ष : मैं सुन लूंगा । पहले जवाब, इन्होंने जवाब शुरू कर दिया है । आप बैठिये, एक मिनट । हां, जवाब शुरू हो गया ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, उसके विषय में....

श्री अध्यक्ष : मुझे अल्प सूचना प्रश्न एक आपका लेना है । अभी एक समाप्त हो जाय, ले रहा हूं आपका ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, जो आपने व्यवस्था दी है ।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, प्लीज । प्लीज ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक वाक्य ही तो कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय । एक वाक्य में क्या है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, एक मिनट । हां, बोलिये क्या है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं, एक्सपंशन को रूल 298 में....

श्री अध्यक्ष : मैंने एक्सपंज नहीं किया है, I have kept it....

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो अध्यक्ष महोदय, आप कैसे रोकेंगे ।

श्री अध्यक्ष : हां, जी ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एलीगेशन जो मैटर आफ फैक्ट है, अगर फैक्ट....

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अध्यक्ष महोदय, It is not fair.

श्री अध्यक्ष : I will see to it. आपकी बात सुन ली । आपकी बात मैं ध्यान में रखूंगा । जब डिसीजन लूंगा, आपकी बात ध्यान में रखूंगा ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : आप मेरी भी बात ध्यान में रखें श्रीमान् ।

श्री अध्यक्ष : हां, वह भी रख लूंगा ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कोई मानहानिकारक, डिफेमेटरी सेन्टेन्स अगर यूज किया गया है, अनपार्लियामेंट्री साथ में होना चाहिए, लेकिन यदि फैक्चुअल एलीगेशन हाउस के अन्दर ही एक्सपंज किये गये....

श्री अध्यक्ष : I will keep it in mind.

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने इसको रोको....

श्री अध्यक्ष : I will keep it in

(श्री अध्यक्ष)

mind. मैं इसको माइण्ड में रखूंगा, आपके आग्युमेंट को भी ध्यान में रख कर फिर करूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह कब तक विलयर कर देंगे, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : आज कर दूंगा। अभी यह क्वेश्चन आन्सर होते ही अन्दर जाकर मंगा लेता हूं। मेरे यहां देरी नहीं होती है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह ठीक है।

श्री रामनारायण विश्नोई (कृषि मंत्री) : अध्यक्षजी, शेरगढ़ (तहसील अटरू) बदावर मोईकला (तहसील सांगोद) आम एवं अन्य फलों की खेती के लिए उपयुक्त है। उद्यान विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों से इन क्षेत्रों के कृषकों को उद्यानिकी फसलों की खेती हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा कृषकों को आम के पौधे 50 प्रतिशत अनुदान, उद्यान कलस्टर व अन्य विभागीय योजनाओं के तहत उपलब्ध कराये जा रहे हैं। आम के अतिरिक्त कृषकों की मांग के अनुसार उन्हें उन्नत किस्मों के अन्य फलदार पौधे जैसे नींबू, अमरूद, आंवला, मौसमी व बेर आदि भी वितरित किये जा रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, अटरू तहसील के शेरगढ़ क्षेत्र व बदावर मोईकला क्षेत्र के कितने लोगों को कब-कब प्रशिक्षण दिया गया तथा कितने–कितने पौधे कब–कब किस–किसको दिये गये ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण विश्नोई : अध्यक्षजी, अटरू के अन्दर सन 1991–92 में नींबू के 750 पौधे, अमरूद के 600 पौधे, मौसमी-संतरा के 300 पौधे और बेर के 150 पौधे वितरित किये गये। इसी प्रकार सांगोद क्षेत्र में 150 पौधे आम के, 700 नींबू के, 350 अमरूद के, 50 आंवला और 600 मौसमी–संतरा और 50 बेर के पौधे वितरित किये गये। जहां तक, माननीय अध्यक्षजी, किन–कितने लोगों को क्या-क्या प्रशिक्षण दिया गया, यह प्रश्न के अन्दर नहीं था इस वजह से इसका जवाब देना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, अल्प सूचना प्रश्न, माननीय श्री केदारजी।

अल्प सूचना प्रश्न

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के सहायक अभियन्ता का भ्रष्ट आचरण

25. **(अ. का. सू.,) श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के सहायक अभियन्ता जयपुर श्री अरविंद पांचाल के भ्रष्ट आचरण के बारे में विद्युत मण्डल की सतर्कता। (विजीलेन्स) शाखा में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

(2) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रामनारायण विश्नोई) : (1) जी हां, इनके विरूद्ध एक दुराचरण की शिकायत प्राप्त हुई है।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

(2) परिवाद उप निर्देशक (सतर्कता) को जांच हेतु सौंपी हुई है एवं परिवाद से सम्बन्धित कुछ व्यक्तियों के बयान लिये गये हैं, जांच कार्य जारी है।

श्री केदारनाथ : अध्यक्षजी, स्टेटमेंट रिकार्ड हो गया, कुछ एवीडेन्स पेश हो गई, क्या यह स्टेटमेंट इतने काफी नहीं है साबित करने के लिए कि यह ए. ईएन. का जो कन्डक्ट है वह इम्प्रोपर और इम्मोरल है, स्टेटमेंट से ? क्या यह सही है कि जिसने कम्पलेंट की है उससे पहले उसका रियल हसबेंड एक डीवाई. एस.पी. थे, वह एक्सीडेंट में मारे गये ? इसने गलत बायोडाटा देकर उससे शादी की और अध्यक्षजी, शादी के सात दिन के बाद ही फिजीकल डाइवोर्स कर दिया और मेन्टल और फिजीकल टार्चर करता रहा।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान पूछ रहे हैं। पहले इनका लिख कर आया हुआ है। आपको भी अलाऊ करूंगा।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो अरविन्द पांचाल हैं ये आर. एस. ई. बी. में कब से कार्यरत हैं और इन्होंने धोखा धड़ी करके कितनी शादियां कर ली हैं ? ये अखबार में एडवरटिजमेन्ट देते हैं इसमें इन्होंने अपनी जाति बताई है उत्तरी भारत का विश्वकर्मा ब्राह्मण, जबकि अध्यक्ष महोदय, ये डूंगरपुर के रहने वाले हैं और इनकी जाति है पांचाल जो कि लुहार कम्युनिटी के लोग होते हैं। इन्होंने फाल्स एफीडेविट और फाल्स इनफोर्मेशन के आधार पर दो तीन शादियां तो कर ली हैं और फिर आगे भी ये षड़यन्त्र रच रहे हैं। इस सम्बन्ध में जो महिला है उसने अपने पूरे बयानात दिये हैं और आपके आर. एस. ई. बी. के अधिकारियों ने यह माना है कि इसने फ्राड किया है, धोखाधड़ी की है। यदि इस तरह का इसका कन्डक्ट है तो इसको सस्पेण्ड तो तत्काल किया जाना चाहिए और इसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा आर.एस.ई.बी. को दायर करना चाहिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह 14-4-91 का विज्ञापन है जिसमें इन्होंने अपने को विश्वकर्मा ब्राह्मण कहकर विज्ञापित किया है। इससे पहले ये दिल्ली में रहने वाली एक लड़की से शादी करके उसे छोड़ चुके हैं। आरोप यह लगाया है, जब कि काफी दिन उसके साथ रहे, कि इसका रंग काला है, मैं गोरे रंग की लड़की से शादी करना चाहता हूं। यह कोई हिन्दू कानून के अन्तर्गत कानूनी मुद्दा नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि इन्होंने इस लड़की से एक महीने शादी करने के बाद उससे दुर्व्यवहार करना शुरू किया कि तुमसे ज्यादा सुन्दर लड़की लाऊंगा। वह लड़की एक अच्छे पद पर आसीन है। मेरे पास और लड़कियों के पत्र हैं, ए-2 याने आशा और अरविन्द, यह दर असल इस तरह लड़कियों को फंसाने का काम करता है। ये पत्र मेरे पास ओरिजिनल हैं जो कि बाई चांस उस लड़की के हाथ लगे। मैं यह कहना चाहती हूं कि यह इतना गन्दा आदमी है कि इसने उस लड़की के कमरे का एक-डेढ़ लाख रुपये का सामान सारा ऊपर फेंक कर एक और लड़की को फंसाने के लिए किराये पर रखा हुआ है। सरेआम यह अनैतिकता का कार्य कर रहा है। घर वाले इससे दबे हुए क्यों हैं, यह मैं नहीं जानती हूं। ऐसे आदमी राज की नौकरी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

में रहें और शादी कर करके छोड़ दें, मैं समझती हूं कि यह निन्दनीय है और इसके खिलाफ तत्काल एक्शन लिया जाना चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह का दुराचरण कहीं नहीं कर सके। मैं कहना चाहती हूं कि इसको सस्पेण्ड किया जाए और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। माननीय मंत्री जी कहेंगे तो मैं मूल पत्रावली उनके सुपुर्द कर दूंगी, आपकी आज्ञा से, जिससे उनको जांच में और उसके खिलाफ कार्यवाही करने में आसानी रहेगी। मूल विज्ञापन की प्रति मेरे पास है। यह मूल पत्र है, उसके हाथ का लिखा हुआ है। उसकी राइटिंग मिलाई जा सकती है, लेकिन इस आदमी को इस विभाग से तत्काल निकालने के लिए मैं आपसे आग्रह करती हूं। मंत्री महोदय बतायें कि वह क्या करने वाले हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रोफेसर केदार और डा. चन्द्रभान जी ने फर्जी विवाह करने का मामला उठाया है। जिस अधिकारी का जिक्र किया गया है उस सम्बन्ध में आपने भी बातें कहीं, उजला जी ने भी कुछ प्रमाण पत्र दिये और मंत्री महोदय ने भी कुछ बातें बताई। जिस तरह के आरोप लगाये गये हैं वह वास्तव में सीरियस हैं और इस तरह के अधिकारी के खिलाफ निश्चित रूप से कोई कार्यवाही होनी चाहिए। इस समय तो मेरे लिए कहना कठिन है। क्योंकि आपको ध्यान होगा एक मामले में जो कि टोंक का मामला था अरबी फारसी रिसर्च इन्सटीट्यूट के एक अधिकारी पर कई प्रकार के चार्जेज लगाये, मंत्री महोदय ने उसको सस्पेण्ड कर दिया और कोर्ट से दूसरे दिन ही स्टे आ गया। स्टे इस बात पर आया कि जब तक प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी नहीं हो तब तक किसी भी आदमी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। हम उस पर कन्टेस्ट जरूर कर रहे हैं लेकिन सोमवार तक इस सारे मामले में जो कुछ भी अब तक की कार्यवाही हुई है और जो कंम्पलेन्ट्स आई हैं उनको देखकर ही सदन को मैं जानकारी दे सकता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जानकारी नहीं, एफ. आई. आर. दर्ज करा देंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एफ. आई. आर. ही नहीं एफ. आई. आर. से भी ज्यादा कुछ हो सकता है तो भी करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सिविल सर्विसेज एण्ड कन्डक्ट रूल्स, 1971 के हैं उसमें जो रूल 4 है कि अगर मीअर एक लड़की के स्टेटमेंट से इम्मोरल कन्डक्ट साबित हो जाता है तो वह सस्पेन्शन के लिए काफी है। दूसरे मुख्य मंत्री महोदय ने कहा मेरा और डाक्टर साहब का, हम तो उस स्कूल आफ थाट के हैं-एक शेक्सपीरीयन सेन्टेंस है-O woman thy name is chastity. और यह अरविन्द जो हैं यह उस स्कूल आफ थाट के हैं O woman thy name is blasphemy. याने ऐसी औरत जिसके बारे में हमेशा शक किया जाये। अब हमारी बात मानोगे या उनकी बात मानोगे ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह स्कूल आफ थाट का कन्टेस्ट यहां मैं तय नहीं कर सकता, यह तो आप मान कर चलो। यह मैं आप पर ही छोड़ता हूं कि कौन-सा ठीक है कौन-सा नहीं है। इस पर तो मैं समझता हूं कि आप एक्सपर्ट हैं, डाक्टर चन्द्रभान साहब एक्सपर्ट हैं, हरिकुमार जी एक्सपर्ट हैं और कैलाश जी तो सबसे ही ज्यादा एक्सपर्ट हैं। चारों एक्सपर्ट्स की मैं कमेटी बना देता हूं कि कौन-सा स्कूल आफ थाट अच्छा है और बाकी जिस प्रसंग में आप बात कह रहे हैं, मैं खुद ही इसको सीरियसली लेता हूं और इसको देखकर जो कुछ भी कर सकता हूं दो दिन में मैं करके आपको बता दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ये ओरीजनल कागज...

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब यह कागज बाद में दे देना।

श्रीमती उजला अरोड़ा : रूल्स में बहुत स्पष्ट है....

श्री अध्यक्ष : उजला जी, जब मामला बहुत सीरियस है और मुख्य मंत्री जी ने मान लिया तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगी। वह प्रभावित महिला एक सम्भ्रान्त महिला है। आज भी उसको वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से टार्चर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार कैसे उसको इस टारचर से बचायेगी इसकी भी आप जानकारी दें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : दो दिन में मैं उससे भी बात कर लूंगा। जिस महिला के साथ आप बता रहे हैं कि अपराध किया जा रहा है उसको भी मैं बुलाकर बात करूंगा और बात करके उसको कान्फीडेन्स में लेकर पूछूंगा कि घटना किस प्रकार की है। अब कई बातें ऐसी हैं कि जो हाउस में मैं नहीं कह सकता। मेरे खुद के ध्यान में भी इस प्रकार के दो तीन मामले हैं। जो एज चीफ मिनिस्टर मेरे पास कम्पलेन्ट्स हुई हैं, मैंने उनकी स्टडी कराई है। स्टडी कराने के बाद नतीजे कुछ निकाले। मैं सारी जानकारी करके जो भी असलियत है सदन से नहीं छिपाऊंगा और जो कुछ भी मुझे एक्शन लेना है उसमें किसी प्रकार की नरमी नहीं बरतूंगा।

श्रीमती मदन कौर : उसको टारचर नहीं हो किसी प्रकार का, हम यह चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

पश्चिमी राजस्थान में वस्त्रों की रंगाई-छपाई उद्योग

787. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान में वस्त्र रंगाई छपाई का प्रमुख उद्योग अब दयनीय अवस्था में पहुंच गया

(श्री चम्पालाल बांठिया)

है ? व्यापार में इतनी गिरावट व मंदी के क्या कारण हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इन कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करना चाहती है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, यद्यपि इस उद्योग में कुछ मंदी आई है। जिसके प्रमुख कारणों में ग्रे–क्लॉथ के भावों में वृद्धि होना, अन्य राज्यों का प्रतिस्पर्धा में आना है।

(2) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इस उद्योग में मंदी के जो कारण भाग सं. 1 में बताये गये हैं, वे राज्य सरकार के नियंत्रण से परे हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील हिण्डौन की सड़कों की मरम्मत

1252. **श्री भरोसीलाल** (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हिण्डौन तहसील में कुल कितनी सड़कें बनी हुई हैं ? सूची, गांव के नाम एवं किलोमीटर सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा में घोषणा की गई थी कि दिनांक 15-10-1991 तक सभी सड़कों की मरम्मत कर दी जायेगी ? हिण्डौन तहसील में जिन सड़कों की मरम्मत की गई है उन सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि हिण्डौन तहसील की किसी भी सड़क पर आज तक मरम्मत का कार्य नहीं हुआ ? यदि हां, तो वसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) हिण्डौन तहसील में कुल 12 सड़कें 155.20 कि.मी. लम्बाई में बनी हुई है। सड़क की लम्बाई, उन पर पड़ने वाले गांव सूची "अ" में संलग्न है।

(2) जी हां। हिण्डौन तहसील में मरम्मत की गई सड़कों की सूची "अ" संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बंध घाटी (जयपुर) पर चार लेन रोड का निर्माण

1253. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या देहली से जयपुर आने वाले मार्ग पर बंध घाटी पर भी घाटी की गूणी की तरह चार लेन रोड बनाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या बंध की घाटी की चढ़ाई कम कर इसकी चौड़ाई बढ़ाने का विचार

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । राष्ट्रीय राज मार्ग के कार्य भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के मापदण्डों के अनुसार एवं उनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कराये जा सकते हैं ।

(2) इस घाटी की चढ़ाई कम करने का प्रस्ताव व तकमीना रु. 44.87 लाख का परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है । सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । चढ़ाई कम करने का कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृति देने के पश्चात ही सम्भव हो पायेगा ।

श्री माधोपुर-शिमारला (सीकर) सड़क का निर्माण

1254. **श्री सांवर लाल** (भिनाय)
श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या श्रीमाधोपुर (सीकर) से शिमारला (कोटड़ी) तक का सड़क निर्माण कार्य अधूरा है ? क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क पर दो बार मिट्टी डालने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ? यदि हां, तो सड़क कार्य पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ? अब कब तक सरकार इसे पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । श्रीमाधोपुर-कोटड़ी-शिमारला सड़क पर प्रथम बार अकाल-राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत मिट्टी का कार्य किया गया था । तत्पश्चात विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मिट्टी के कार्य की मरम्मत की गई । वर्तमान में श्रीमाधोपुर से कोटड़ी तक की सड़क न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है तथा कार्य प्रगति पर है । कोटड़ी से शिमारला तक की शेष सड़क का निर्माण कार्य योजना अन्तर्गत प्राथमिकताओं एवं सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में कराना संभव नहीं है ।

नारायणपुर टटवारा-मीनावाड़ा सड़क निर्माण

1255. **श्री प्रभुलाल** (सपोटरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी रोड को जोड़ता नारायणपुर टटवारा रेल्वे स्टेशन से मीनावाड़ा की 6 कि.मी. सड़क जो सन् 1980 से लेकर सन् 1991 तक (यानी 11 वर्षों में) 33 टेण्डर पास होने के बावजूद न तो पूर्ण हुई और न ही 6 कि.मी. का टुकड़ा जुड़ पाया है ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी हां । नारायणपुरा टटवाड़ा रेल्वे स्टेशन वाया मीनवाड़ा अभी तक सड़क से नहीं जुड़ पाया है । इस 8.4 किमी कार्य की आर.एल.ई.जी.पी., जवाहर रोजगार योजना एवं माड़ा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986 से 1991 तक सिर्फ 6 बार निविदायें की

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

गई थी, 33 बार नहीं। इस 8.4 कि.मी. में से स्वीकृत-कार्य कि.मी. 0.0 से 3.0 तक डामर की सड़क पूर्ण हो चुकी है और कि.मी. 3.0 से 5.0 तक बेलास्ट की कुटाई ही हो चुकी है। इन योजनाओं के बंद होने के कारण यह सड़क अधूरी रही है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1256

(स्थगित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों हेतु प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन

1257. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में गति प्रदान करने के उद्देश्य से जिला स्तर के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया गया है? यदि हां, तो किस-किस जिले में किन-किन अधिकारियों को इस वर्ष लगाया गया एवं उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस-किस जिले में क्या-क्या काम किये?

(2) नियंत्रण किस-किस अधिकारी ने रखने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा संस्थाओं के स्वास्थ्य कार्यक्रमों का निरीक्षण, कब-कब किया है? जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) कौन अधिकारी कितने निरीक्षण करेगा? इसका कोई मानदंड निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, पूर्व में मात्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पूरे जिले का प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ जिला मुख्यालय स्थित चिकित्सालय प्रभारी भी होते थे, फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते थे। प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन के अन्तर्गत जिला चिकित्सालयों, शहरी क्षेत्र स्थित चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी विशेषज्ञ का नामकरण प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कर दिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्र की चिकित्सा संस्थानों का प्रभारी लगाया गया ताकि वे ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ अधिक ध्यान दे सकें। इस पुनर्गठन के फलस्वरूप मुख्य चिकित्सा अधिकारीगण द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के माध्यम में ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा संस्थानों का निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप निरीक्षण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, समस्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा चिकित्सा सेवाओं में निश्चित रूप से सुधार हुआ है।

पदस्थापित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ग्रामीण क्षेत्र की चिकित्सा संस्थानों व स्वास्थ्य कार्यक्रमों की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण दिनों की जिलेवार सूची संलग्न है।

(चिकित्सा मंत्री)

(3) जी नहीं। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पदस्थापित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण संबंधी मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं तथापि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने, विभिन्न संस्थानों की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार लाने, बीमारियों की रोकथाम के लिए जाने के लिए आवश्यकतानुसार भ्रमण आदि की सुविधा प्रदान की गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर हेतु विभिन्न वर्ग के पदों की स्वीकृति

1258. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विगत दो वर्षों में जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में नये विभागों की स्थापना व बढ़ती हुई रोगी शैय्याओं को देखते हुए क्या नर्सिंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं सफाई कर्मचारियों की संख्या में अनुपातानुसार बढ़ोतरी की गई है ? यदि नहीं, तो सरकार सुचारू चिकित्सा सेवा हेतु इनके निश्चित मानदण्ड अनुसार कम पड़ रहे पदों की स्वीकृति कब तक जारी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

विगत दो वर्षों में जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में न तो किसी नये विभाग की स्थापना की गई है और न ही शैय्याओं की वृद्धि की गई है अतः स्टाफ/कर्मचारियों को बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु औषध विक्रेताओं की नियुक्ति

1259. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में नये-नये अस्पताल सरकार ने खोले हैं लेकिन वहां पर दवाइयों की दुकानें नहीं हैं ? क्या सरकार इन क्षेत्रों में अनुभव के आधार पर औषध विक्रेताओं को अधिकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां, राज्य के कुछ स्थानों पर ऐसी स्थिति है।

ड्रग, एण्ड कोस्मेटिक अधिनियम एवं फार्मेसी अधिनियम के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर औषधि विक्रय हेतु लाइसेन्स दिया जाता है एवं औषधि विक्रय हेतु योग्य व्यक्ति" को पंजीकृत (रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट) किया जाता है। बिना निर्धारित योग्यता के, केवल औषधि विक्रेता के अनुभव के आधार पर फार्मेसिस्ट हेतु रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता है। अतः वर्तमान प्रावधानों के अनुसार किसी भी औषधि विक्रेता को अनुभव के आधार पर "योग्य व्यक्ति' के रूप में अधिकृत नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार के शिथिलीकरण के लिए नियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

37

चेरिटेबल चिकित्सालयों में डाक्टर्स की प्रतिनियुक्ति

1260. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा चेरिटेबल ट्रस्ट के अस्पतालों के लिए डेपुटेशन पर दिनांक 1 जनवरी, 1988 से आज तक किस–किस डाक्टर को कार्य मुक्त किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन–जिन डाक्टर्स को डेपुटेशन पर नियुक्तियां दी गई उन डाक्टर्स को सरकार क्या–क्या तनख्वाह दे रही थी और डेपुटेशन पर इन्हें ट्रस्ट द्वारा क्या–क्या तनख्वाह दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) डाक्टर्स को मिल रहे वेतन में चेरिटेबल ट्रस्ट कितनी वृद्धि कर सकते हैं ?

(4) क्या इन डाक्टर्स को प्राइवेट प्रेक्टिस करने की सरकार सुविधा प्रदान करती है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित परामर्श शुल्क का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा चेरिटेबल ट्रस्ट में अस्पतालों के लिये डेपुटेशन पर भेजे गये चिकित्सकों का सूचना विभाग में प्रथक से संधारित नहीं की जाती है। 1 जनवरी, 1988 से आज तक इन संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये चिकित्सकों की सूची तैयार की जा रही है।

(2) जिन जिन डाक्टरों को डेपुटेशन पर नियुक्ति दी गई उन डाक्टर्स को उनके मूल वेतन एवं नियमानुसार देय अन्य भत्ते दिये गये तथा डेपुटेशन पर इन्हें ट्रस्ट द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 144(ए) के अनुसार एवं वित्त विभाग के आदेश संख्या प. 1 (47) वित्त/2/82 दिनांक 22-6-86 एवं 27-6-89 तथा समय समय पर संशोधित नियमों के अनुसार भत्ते की स्वीकृति दी गई। इन प्रावधानों के अनुसार चिकित्सक को उसके मूल वेतन, व्यक्तिगत वेतन (यदि कोई हो) जो पैतृक विभाग में ले रहा था, प्रतिनियुक्ति भत्ता जो मूल वेतन का 7 प्रतिशत (जो प्रतिमाह 300 रु. से अधिक नहीं होना चाहिए) दिया जाता है।

ट्रस्ट द्वारा दिये गये वेतन का विवरण राज्य सरकार को नहीं भिजवाया जाता है।

(3) डाक्टर्स को मिल रहे वेतन में चेरिटेबल ट्रस्ट उसके मूल वेतन का 7 प्रतिशत (जो 300 रु. प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए) तक प्रतिनियुक्ति भत्ता दे सकते हैं। चिकित्सक के वेतन में ट्रस्ट द्वारा कोई वृद्धि नहीं की जा सकती। निर्धारित वेतन एवं भत्ते में वृद्धि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति एवं वित्त विभाग की सहमति से ही की जा सकती है।

(4) चिकिसकों की प्रतिनियुक्ति की शर्तें राज्य सेवा नियमों की शर्तों के अधीन होती है। अतः पृथक से प्राइवेट प्रेक्टिस सम्बन्धी शर्त सुविधा जोड़ने या कम करने की आवश्यकता नहीं होती।

विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ के उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1261. श्री श्रीराम मीणा (राजगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? क्या इनमें कर्मचारियों के सृजित पदों के अनुसार पूर्ण पद भरे हुए हैं ? रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि रिक्त पदों के फलस्वरूप जनता को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही हैं।

उत्तर

(1) राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 42 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिनमें 42 पद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के स्वीकृत हैं। इनमें से 6 पद रिक्त हैं, जिनको प्रशिक्षित अभ्यार्थियों के उपलब्ध होने पर भर सकना संभव हो सकेगा।

(2) उप केन्द्रों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद रिक्त होने के कारण जनता को कुछ असुविधा होना संभव है। मगर प्रशिक्षित अभ्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण फिलहाल विभाग द्वारा पदों को भरा जाना संभव नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1262

(स्थगित)

खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वरिष्ठ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

1263. श्री जीतमल जैन (अलवर)
श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार की नीति के अनुसार खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रभारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी होते हैं ?

(2) यदि हां, तो राज्य में कितने केन्द्रों पर प्रभारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी नहीं हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार कब तक इन केन्द्रों पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्तमान में सरकारी नीति के अनुरूप कुल 236 ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 110 को सामुदायिक स्वा. केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जा चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कनिष्ठ विशेषज्ञ या वरिष्ठ चि. अ. में से जो वरिष्ठ होता है वही प्रभारी अधिकारी होता है। शेष बचे हुये 126 ब्लाक प्रा.स्वा. केन्द्रों में से 32 पर वरिष्ठ चि. अ. प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चयन कर लिये जाने के उपरान्त इन केन्द्रों पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति संभव होगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

लम्बी अवधि अवकाश पर रहे चिकित्सक

1264. **श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कई चिकित्सक एक वर्ष से अधिक अवधि तक अवकाश पर रहे ? यदि हां, तो कौन-कौन, कब से कब तक और क्यों ?

(2) क्या उच्च चिकित्सकों ने अवकाश की पूर्व स्वीकृति ली ? यदि हां, तो कितने कितने समय की व किस आधार पर ?

(3) क्या सरकार द्वारा इनके खिलाफ कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां, गत 3 वर्षों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ऐसे चिकित्सक जो एक वर्ष से अधिक अवधि तक अवकाश पर रहे हैं, की सूचना विभाग में इकजाई रूप से संकलित नहीं की जाती है। अब यह सूचना एकत्रित व संकलित की जा रही है।

(2) इस सम्बन्ध में भी सूचना एकत्रित व संकलित की जा रही है।

(3) इस भाग का उत्तर सूचना एकत्रित/संकलित होने के बाद ही भिजवाना संभव होगा।

रेफरल चिकित्सालय, मांडलगढ़ (भीलवाड़ा) में चिकित्सकों के रिक्त पद

1265. **श्री भंवरलाल जोशी (मांडलगढ़)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ स्थित रेफरल अस्पताल में चिकित्सकों के काफी पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने पद कब कब से रिक्त हैं और इसके क्या कारण हैं ? सरकार इन पदों पर कब तक चिकित्सक पदस्थापित कर देगी ?

उत्तर

(1) चिकित्सकों के कोई पद रिक्त नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

केकड़ी क्षेत्र के सब-सेन्टर्स/एडपोस्ट व डिस्पेन्सरीज

1266. **श्री शम्भुदयाल बडगूजर (केकड़ी)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में मार्च, 1990 से जनवरी, 1992 तक कुल कितने सब सेन्टर्स खोले गये व कितनी एडपोस्ट, डिस्पेन्सरीज, चिकित्सालय क्रमोन्नत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में सब-सेन्टर खोलने का विचार

(श्री शम्भुदयाल बडगूजर)

रखती है ? यदि हां, तो किन–किन गांवों में, कब तक खोल दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में मार्च, 1990 से जनवरी, 1992 तक कोई उप–केन्द्र नहीं खोला गया। इस क्षेत्र में इस अवधि में तीन डिस्पेन्सरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 5 उप केन्द्रों को क्रमोन्नत किया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992–93 के लिये अभी कोई उप–लब्ध नहीं होने से अभी कोई व्यवस्था संभव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

राजकीय उपक्रमों में हुई संचित हानि

1267. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)** : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1988-89 के अन्त में कुल 21 राजकीय उपक्रमों में संचित हानि थी ? यदि हां, तो कौन–कौन से उपक्रम में वर्ष 1990–91 तक कितनी हानि का आंकलन किया गया ? इन उपक्रमों में घाटे का क्या कारण रहा ? उपक्रमवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार इन उपक्रमों में सुधार के लिए क्या–क्या प्रयास कर रही है और उसके क्या परिणाम रहें ? क्या इन उप–क्रमों को बन्द रखने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो इन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 1990–91 के कुछ उप–क्रमों के लेखे अभी तैयार होने शेष हैं। वर्ष 1989–90 के अंकेक्षित अथवा प्रोवीजनल लेखों के आधार पर 23 उपक्रमों में संचित हानि थी। प्रत्येक उपक्रम में हानि की स्थिति मय कारणों के परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त उपक्रमों में सुधार हेतु सरकार ने समय–समय पर प्रयास किये हैं। राज–कीय उपक्रम ब्यूरों द्वारा उपरोक्त में से 21 उपक्रमों के कार्यों का मूल्यांकन कर इन्हें घाटे की स्थिति से उबारने एवं उनकी उत्पादकता बढ़ाने हेतु आवश्यक सुझाव दिये हैं। शेष उपक्रमों के कार्य मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है। ब्यूरों द्वारा दिये गये सुझावों से इन उपक्रमों की उत्पादकता एवं लाभदायकता में शनैः शनैः सुधार हुआ है, यह एक निरन्तर प्रक्रिया है।

ब्यूरों के अधीन आने वाले उपक्रमों ने (राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को छोड़–कर) वर्ष 88 89 के दौरान प्रथम बार 5.84 करोड़ रु. का लाभ (कर प्रावधानों से पूर्व) कमाया जो कि वर्ष 1989–90 के दौरान बढ़कर 17.84 करोड़ रु. हो गया है।

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

सरकार घाटा देने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को घाटे की स्थिति, सार्वजनिक हित में उपादेयता, पुनर्जीवन की संभावना इत्यादि महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखकर बन्द करने के विकल्प पर विचार करती है। उपक्रमों को बन्द करने बाबत निर्णय लेते समय यह ध्यान रखा जाता है कि इससे श्रमिकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

उपरोक्त उपक्रमों में से राजस्थान राज्य वन विकास निगम लि. का, राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि. की चूरू एवं लाडनूं स्थित मिलों को बन्द करने का निर्णय लिया जा चुका है। राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि. की स्थाई सम्पत्तियों को कोटा इन्स्ट्रूमेंटेशन लि. कोटा को एवं राजस्थान स्टेट टंग्स्टन डवलपमेंट कार्पोरेशन लि. के कार्य–कलापों को हिन्दुस्तान जिंक लि. उदयपुर को हस्तान्तरित कर दिया गया है। राजस्थान स्टेट टैनरीज लि. जो कि बन्द पड़ी है, को निजी क्षेत्र में हस्तान्तरित कर पुन: चलाने हेतु मांगी गई निविदाओं के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

राजकीय उपक्रमों की विस्तृत समीक्षा कर उनकी कार्य प्रणाली में सुधार हेतु एवं हानि में चल रहे उपक्रमों के विकल्प के बारे में सुझाव देने हेतु राज्य सरकार ने श्री मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या 1268
(स्थगित)

ग्राम सिरयारी (खारची) में बांध निर्माण के डूब में आई भूमि का मुआवजा

1269. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की तहसील खारची के गांव सिरयारी में बांध बनने से कितने किसानों की भूमि डूब में आयी ?

(2) जिन-जिन किसानों की भूमि बांध की डूब में आयी उनके मुआवजे के लिए राज्य सरकार ने क्या मानदण्ड तय किये और कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

(3) उक्त डूब में आई भूमि के किन-किन किसानों को मुआवजे की राशि दे दी गई है ? यदि नहीं दी है, तो क्यों तथा अब कब तक दे दी जावेगी ?

(4) बांध बनने के कारण डूब में आई भूमि के संबंध में मुआवजा देने के लिए क्या मानदण्ड तय किये हुये हैं ? क्या अलग-अलग जगहों के लिए अलग-अलग मानदण्ड हैं ? सरकार द्वारा तय किये गये मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले की तहसील खारची में गांव सिरयारी में सिरयारी बांध बनने से 83 खातेदारों की 86 बीघा भूमि डूब में आई है।

(2) बांध की पूर्ण भराव की 75

(सिचाई मंत्री)

प्रतिशत भराव क्षमता पर डूब में आने वाली भूमि का इच्छुक काश्तकारों को मुआवजा दिये जाने का प्रावधान सामान्यतः किया जाता है। सिरयारी बांध के मूल स्वीकृत प्रशासनिक तखमीने में भूमि के मुआवजे हेतु रुपये 0.566 लाख का प्रावधान स्वीकृत था एवं इसके संशोधित प्रशासनिक तखमीने में भूमि के मुआवजा भुगतान हेतु रुपये 2.43 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। भूमि का संबंधित तहसील के उप पंजीयक द्वारा प्रदत्त एवं उपखंड अधिकारी द्वारा प्रमाणित दरों पर मुआवजा का भुगतान किया जाता है।

(3) सिरयारी बांध की डूब में आई भूमि के 38 खातेदारों को रु. 1,06,035.00 का भुगतान कर दिया है उनकी सूची संलग्न है, शेष काश्तकारों को संशोधित प्रशासनिक तखमीने की स्वीकृति के अभाव में भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हुआ है। प्रशासनिक स्वीकृति होने पर शीघ्र ही भुगतान किया जावेगा।

(4) डूब से आई भूमि का मुआवजा देने की दरों के लिए भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23 के अनुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाती है, जिसकी प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति

1270. **श्री हुक्माराम मेघवाल** (सिवाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1990 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्यों में 10 लाख रुपये की मेली फीडर के नाम से कोई स्वीकृति मिली थी ? यदि हां, तो क्या यह कार्य पूर्ण करवा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) सिवाना तहसील में मेली फीडर पर करवाये कार्यों में कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

(3) इन कार्यों पर किये गये निरीक्षण से सम्बन्धित अधिकारियों के नाम, पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। मेली फीडर कार्य बाबत कोई स्वीकृति नहीं मिली थी। अतः कार्य शुरू ही नही करवाया गया। यह कार्य अभी भी क्षतिग्रस्त पड़ा है एवं भविष्य में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही पूर्ण कराना संभव होगा।

(2) सिवाना तहसील में मेली फीडर पर स्वीकृति के अभाव में कोई कार्य नहीं करवाया गया। अतः व्यय शून्य है।

(3) क्षतिग्रस्त मेली फीडर का निरीक्षण श्री बलदेव सिंह चौधरी, अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, जालौर एवं श्री पी. बी. माथुर, सहायक अभियन्ता, सिंचाई उप खण्ड बाड़मेर ने किया।

अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से प्रदेश को पानी की उपलब्धता

1271. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश को विभिन्न अन्तर्राज्यीय योजनाओं के अन्तर्गत किस-किस परियोजना से कितनी-कितनी मात्रा में पानी उपलब्ध हुआ है ? परियोजनावार, राज्य के हिस्से, राज्य की लागत एवं उपलब्ध पानी की मात्रा के बारे में सार संक्षेप सदन की मेज पर रखें।

(2) आठवीं पंचवर्षीय योजना में एवं नवीं पंचवर्षीय योजना में किन-किन अन्तर्राज्यीय योजनाओं से राज्य को कितनी-कितनी मात्रा में पानी उपलब्ध होगा तथा राज्य सरकार को कितनी-कितनी राशि उस पर व्यय करनी होगी ? उक्त परियोजनाओं का सार संक्षेप सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) परियोजनावार राज्य का हिस्सा, लागत एवं पानी उपलब्ध हुआ का विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) 8 वीं एवं 9 वीं पंचवर्षीय योजनाओं में निम्न परियोजनाओं के लिये विभिन्न समझौतों के आधार पर पानी उपलब्ध होना सम्भावित है।

परियोजना	पानी का हिस्सा	सम्भावित व्यय (करोड़ रु.)
1. नर्मदा	0.5 एमएएफ	465
2. माही नदी बेसिन	1.56 एमएएफ	आंकलित नहीं
3. चम्बल बेसिन कोटा बैराज के डाउन स्ट्रीम में।	हिस्सा निर्धारित नहीं।	
4. सिद्धमुख व नाहर परि.	0.47 एमए.एफ.	1.97

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

दुगारी बांध (बून्दी) की नहरों से सिंचाई हेतु जल वितरण

1272. श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी जिले में स्थित दुगारी बांध की नहरों से सिंचाई हेतु पानी किस वर्ष से दिया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि इस बांध की ग्राम दुगारी की सीमा में स्थित नहरों पर सन् 1984 से 1990 की अवधि में कतिपय किसानों द्वारा कट लगाये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो अब तक किन-किन व्यक्तियों के खिलाफ तावान की कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में तावान हेतु बनाये

(श्री बिरधाराम चौधरी)

गये प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में किस-किस अधिकारी द्वारा क्या-क्या निर्णय दिये गये ? बकाया मामलों के फैसले कब तक कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) वर्ष 1984-85 से सिंचाई हेतु पानी दिया जा रहा है।

(2) जी हां। श्री मोतीलाल आत्मज श्री रतना, श्री हैदर अली आत्मज श्री खान अली एवं श्री छोटूलाल आत्मज श्री नूर-मोहम्मद, ग्राम डुगारी के विरूद्ध तावान केस बनाये गये हैं।

(3) अभी निर्णय होना बाकी है, जिन पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जावेगा।

जिलेदारों के रिक्त पद

1273. **श्री रामस्वरूप** (रायसिंह नगर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सिंचाई विभाग में कितने जिलेदार के पद खाली और कहां-कहां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिलेदारों के रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ?

(3) रिक्त जिलेदारों के पदों को सरकार सीधी भर्ती से भरना चाहती है या पटवारियों की पदोन्नति करके भरना चाहती है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में सिंचाई विभाग में जिलेदार के 45 पद रिक्त हैं जो निम्न स्थानों के हैं :—

1. मुख्य अभियन्ता, हनुमानगढ़ 11 पद
2. मुख्य अभियन्ता, बिसलपुर 1 पद
3. अति. मुख्य अभियन्ता, जयपुर 16 पद
4. अति. मुख्य अभियन्ता, जोधपुर 5 पद
5. अति. मुख्य अभियन्ता, कोटा 4 पद
6. अति. मुख्य अभियन्ता, उदयपुर 8 पद

(2) इस विषय में कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है।

(3) पटवारियों की पदोन्नति द्वारा भी पद भरने की विभाग की मंशा है।

डाक बंगला (फागी) की व्यवस्था

1274. **श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा** (फागी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या फागी डाक बंगले में किवाड़, खिड़की, पंखे व लाइट जर्जर अवस्था में हैं ?

(2) क्या इस डाक बंगले में कुर्सियां, सोफा सेट, पलंग आदि टूटे-फूटे पड़े हैं ? यदि हां, तो इनको कब तक ठीक करवा दिया जावेगा ?

(श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा)

(3) फागी डाक बंगले में पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु क्या कोई कारगर व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो व्यवस्था को सुधारने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। सिंचाई विभाग का फागी में निरीक्षण हट है, डाक बंगला नहीं है।

(2) निरीक्षण गृह में टेबल, कुर्सियां व पलंग की व्यवस्था है। पर्याप्त बजट नहीं होने से रख रखाव पूरा नहीं हो रहा है।

(3) आवश्यकतानुसार पानी की व्यवस्था उपलब्ध है।

संभागीय मुख्यालयों पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता कार्यालय

1275. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग का वृत्त कार्यालय अजमेर में वर्ष 1962 से कार्यरत है तथा वर्ष 1975 तक इसके क्षेत्रधिकार में 12 ज़िलों का कार्य क्षेत्र था ?

(2) वर्ष 1991 तक उक्त 12 जिलों में से कितनी जगह अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता कार्यालय खोले गये ?

(3) क्या यह सही है कि सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता कार्यालय स्थापित किये गये हैं ? यदि हां, तो अजमेर में अब तक क्यों नहीं खोला गया ?

उत्तर

(1) सिंचाई वृत, कार्यालय 1963 से अजमेर में स्थापित है। इसके कार्य क्षेत्र में वर्ष 1975 में इसके अन्तर्गत 5 जिले ही थे।

(2) वर्ष 1991 तक उक्त 12 जिलों में से कोटा एवं जोधपुर में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के कार्यालय खोले गये हैं। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के कार्यालय सिर्फ जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा में है।

(3) पर्याप्त कार्य के आधार पर ही कार्यालय खोलने चाहिए। कार्यभार के आधार पर अजमेर में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता कार्यालय खोलने का औचित्य नहीं है।

मुख्य अभियन्ता उदयपुर खण्ड में अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांग/विधवाओं के नियुक्ति प्रकरण

1276. श्री शम्भूदयाल बड़गुजर (केकड़ी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर उदयपुर का पत्रांक एफ 1 (सीडी) 1/10 स्था/89/ दिनांक 27–12–89, 1–1–90 प्रति. मुख्य अभियन्ता सिंचाई खण्ड उदयपुर को अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र संख्या 3766–68 दिनांक 16–12–1989 के अनुक्रम में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री शम्भूदयाल बडगुजर)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पत्र सरकार की नीतिनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांग एवं विधवा अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर जिला कलक्टर को अविलम्ब सूचित करने के सम्बन्ध में था ? यदि हां तो उस पत्र की प्रति. मुख्य अभियन्ता सिंचाई खण्ड, उदयपुर ने पालना की ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को नियुक्ति दी गई ? सूची-नाम, पिता का नाम पद सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी ने उक्त पत्र के आधार पर अन्य जाति के व्यक्तियों को नियुक्ति दी है ? यदि हां, तो क्यों ? नियुक्त कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त नियुक्ति आदेश को निरस्त कर उक्त पत्र की पालना करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पत्र दिनांक 1–1–90 की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला कलक्टर उदयपुर से प्राप्त पत्रांक-एफ/सीडी (1) 10/स्था/89/दिनांक-1–1–90 के प्रत्युत्तर में अति. मुख्य अभियन्ता ने अपने पत्रांक-ई.एम./अ.ज़ा./अ./जा./90/4841 दिनांक–23.3.90 द्वारा जिला कलक्टर उदयपुर को अवगत कराया कि सम्भाग के अधीन मेजा फीडर खण्ड भीलवाड़ा के समाप्त होने से अधिशेष कनिष्ट लिपिकों का रिक्त पदों पर समायोजन करने के फलस्वरूप अब कनिष्ट लिपिकों का कोई पद रिक्त नहीं है। अतः कनिष्ट लिपिक के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई।

(3) उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 के उत्तर के अनुरूप अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं दी गई है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 के अनुसार किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

टोडारायसिंह (टौंक) के बांध तालाबों की जल संग्रह क्षमता

1277. **श्री घासीलाल** (टोडारायसिंह) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील टोडारायसिंह जिला टौंक, सिंचाई विभाग के कितने बांध व तालाब हैं ? इनकी जल संग्रह की कितनी–कितनी क्षमता है व इनसे कितनी–कितनी सिंचाई होती है ? अलग-अलग बांध व तालाबों की

(श्री घासीलाल)

जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1990–1991 में व 1991–92 में तहसील टोडारायसिंह के सिंचाई विभाग के कितने बांध व तालाब टूटे व कितनी में पाइपिंग शुरू हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्ष 1991–92 में कितने बांध व नहरें टूटी या क्षति ग्रस्त हुई ? उनकी मरम्मत करवा दी गई है, यदि नहीं, तो क्यों ? इनकी मरम्मत अब कब तक करवा दी जावेगी ?

(4) क्या सरकार टोरडी सागर बांध तहसील मालपुरा घरिडा तहसील टोडारायसिंह बांध कोली डूंगरी, गनेता, दीबरू गनेता तमोलिया पावालिया तहसील टोडारायसिंह नहरों की हालत जीर्ण-शीर्ण है जिससे जल बहकर चला जाता है ? क्या सरकार उक्त बांधों की नहरों की मरम्मत करवाना चाहती है यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(5) क्या सरकार टोरडी सागर बांध तहसील मालपुरा, जिला टोंक का आधुनिकरण करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि तहसील टोडारायसिंह में काफी छोटे-छोटे खोलों व नालों से बरसाती पानी बहकर फालतू निकल जाता है तथा इससे भूमि का कटाव भी होता है ? यदि हां, तो इनके इस पानी के उपयोग हेतु सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) तहसील टोडारायसिंह में सिंचाई विभाग के 48 बांध व तालाब हैं। इनकी जल ग्रहण क्षमता 1129.86 एम.सी.एफ.टी है तथा इनके द्वारा 10853 एकड़ (4394 हैक्टे.) भूमि में सिंचाई होती है। अलग-अलग बांध व तालाबों की जानकारी प्रपत्र-"अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) टोडारायसिंह तहसील में वर्ष 1990-91 में सिंचाई विभाग का कोई बांध/तालाब नहीं टूटा तथा पाइपिंग भी नहीं हुई। वर्ष 1991-92 में विभाग के 10 बांध/तालाब टूटे एवं 15 तालाबों में पाइपिंग हुई।

(3) रख-रखाव के मद में सीमित धन राशि उपलब्ध होने के कारण टूटे हुए/क्षतिग्रस्त बांधों की अति आवश्यक मरम्मत ही करवाई जाकर पानी रोका गया। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप स्थाई मरम्मत करवा दी जावेगी।

(4) नहरों में सीपेज अधिक है परन्तु बांधों व नहरों के रख-रखाव मद में पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण इनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। रख-रखाव के मद में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप नहरों की मरम्मत करवाया जाना संभव होगा।

(5) टोरडी सागर बांध के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव बनाना संभव होगा।

(6) छोटे नालों पर दो एनीकट भाटीखोल व गोलेडी के कार्य तीस जिले तीस

(सिंचाई मंत्री)

काम के अन्तर्गत प्रगति पर है, इन एनीकटों के निर्माण से नालों में पानी रुकेगा तथा भूमि कटाव भी बचेगा। एनीकटों के निर्माण कार्य जि. ग्रा. वि. अभिकरण द्वारा स्वीकृत होने पर कराये जाते हैं। विभागीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई विभाग सामान्यतया एनीकट कार्य नहीं कराता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

निजी व सरकारी नर्सरियों को अनुदान

1278. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में पिछले तीन वर्षों में निजी व सरकारी नर्सरी हेतु किस-किस जाति के कितने-कितने पौधे तैयार किये गये ?

(2) उक्त पौधों हेतु किस-किस व्यक्तियों को कितनी-कितनी धनराशि निजी क्षेत्र में अनुदान स्वरूप तथा अन्य धनराशि दी गई ?

(3) तैयार किये गये पौधे कितने-कितने लगवाये गये, शेष रहे कितने पौधों का प्रयोग नहीं हुआ ?

(4) जो पौधे विभिन्न स्थानों पर सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में लगाये गये क्या जीवित हैं ? यदि हां, तो कितने ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में विभागीय एवं विकेन्द्रित पौधशालाओं के माध्यम से विगत तीन वर्षों में 122.88 लाख पौधे तैयार किये गये जिनमें लगभग 46 प्रतिशत कांटेदार प्रजातियों के, 36 प्रतिशत छायादार व इमारती लकड़ी के पौधे, 18 प्रतिशत फलदार एवं फूलदार पौधे हैं।

(2) विकेन्द्रित पौधशालाओं में तैयार किये गये पौधों एवं वितरण किये गये पौधों के आधार पर निजी व्यक्तियों को चुकाई गई राशि परिशिष्ट "क" के अनुसार है।

(3) तैयार किये गये पौधों में से 42.635 लाख पौधे विभागीय वृक्षारोपण में लगाये गये एवं 62.884 लाख पौधे वितरण किये गये। अन्य विभागों द्वारा 7.53 लाख पौधे लगवाये गये। प्रत्येक वर्ष में शेष रहे पौधों को विभागीय नर्सरी में संधारित कर आगामी वर्षों में उपयोग में लिया गया है।

(4) जी हां, विगत तीन वर्षों में विभागीय वृक्षारोपण में लगाये गये एवम् वितरण द्वारा जन सामान्य (संस्थाओं के माध्यम) से लगवाये गये पौधों का मूल्यांकन अभी नहीं किया गया है। अत: जीवित रहे पौधों की संख्या दर्शाया जाना संभव नहीं है। वर्ष 86-87, 87-88 व 88-89 में विभागीय वृक्षारोपणों में लगाये गये पौधों में से क्रमश: 38.21, 49.78 एवं 26.03 प्रतिशत पौधों जीवित रहे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

वन विभाग में तकनीकी संवर्ग के कर्मचारी

1279. **श्री केदारनाथ शर्मा** (श्री गंगानगर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री केदारनाथ शर्मा)

(1) वन विभाग में तकनीकी संवर्ग में कितने कर्मचारी लम्बे अर्से से अनियमित चल रहे हैं ?

(2) क्या सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को नियमित करने की कार्यवाही की गई है ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या तकनीकी संवर्ग हेतु विभागीय पदोन्नति कमेटी की मीटिंग हुई ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो कब से मीटिंग नहीं हुई ?

(4) वन विभाग में तकनीकी कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी व अधिकारीगण का अनुपात क्या है ?

उत्तर

(1) विभाग में तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों से तात्पर्य, ओवरसीयर, ड्राफ्टसमैन, अमीन, सर्वेयर, खाद अवलोकन, खाद विश्लेषक, फील्डमैन, चैनमैन, प्रयोगशाला सहायक, ट्रेसर, खल्लासी–कम–चौकीदार से हैं। इस संवर्ग के लगभग 87 कर्मचारी लम्बे अर्से से अनियमित चल रहे हैं।

(2) अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों को नियमित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) राजस्थान वन अधिनस्थ नियम, 1963 में राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 2(1) कार्मिक/क–2/86 दिनांक 27–12–1988 से संशोधित आदेश प्रसारित कर अनुसूचित–IV जोडते हुए इस अनुसूची में अंकित विभिन्न पदों पर कार्यरत अनियमित नियुक्त कर्मचारियों की उपयुक्तता निर्णित कर नियमित करने हेतु स्क्रीन किये जाने का प्रावधान रखा गया है। तदनुसार ही स्क्रीन कमेटी/विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाने की कार्यवाही सम्पन्न की जा रही है।

(4) वन विभाग में तकनीकी कर्मचारी, मन्त्रालयिक कर्मचारी व अधिकारीगण की संख्या क्रमश: 264, 1050 व 257 है।

सपोटरा क्षेत्र में क्लोजर्स का निर्माण

1280. श्री प्रभूलाल (सपोटरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में सन् 1990 से अब तक कहां-कहां क्लोजर्स बनाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) प्रत्येक क्लोजर पर कितनी कितनी राशि खर्च की गई ?

(3) अब क्लोजर्स की क्या स्थिति है ? कितने पेड जीवित अवस्था में हैं ? क्लोजर वाइज विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में 1980 से अब तक दो क्लोजर निभेरा एवं दयारामपुरा में बनाये गये हैं।

(2) निभेरा क्लोजर पर कुल राशि रुपये 2,29,797.00 एवं दयारामपुरा क्लोजर पर कुल राशि रुपये 2,39,588.00 व्यय की गई है।

(3) इन दोनों क्लोजरों की स्थिति

(वन मंत्री)

संतोषजनक है। इनमें वृक्षारोपण नहीं कराया गया था केवल प्राकृतिक पौधे जो पूर्ण क्षेत्र में हैं, को सुरक्षा प्रदान की गई है।

रणथम्भौर वन्य जीव अभ्यारण्य में वृक्षों की कटाई

1281. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनू) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही हैं कि सवाई माधोपुर के रणथम्भौर वन्य जीव अभ्यारण्य में बड़े पैमाने पर वृक्षों की अवैध कटाई की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो फिर गुढा, नगदी, अणतपुरा आदि वन आरक्षित क्षेत्रों में सैकड़ों टन लकड़ी कैसे जमा है ?

उत्तर

जी नहीं। गुढा, नगदी, अणतपुरा आदि वन आरक्षित क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर सैकड़ों टन लकड़ी जमा नहीं है।

डग क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

1282. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डग विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्रामों को विद्युतीकृत कर दिया गया है ? विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या शेष ग्रामों की अगले वर्ष विद्युतीकरण करने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) डग विधान सभा क्षेत्र के 117 ग्रामों को माह फरवरी, 92 तक विद्युतिकृत कर दिया गया है। विद्युतीकरण से वंचित शेष 125 ग्रामों की सूची "अ" संलग्न है।

(2) जी नहीं, शेष रहे सभी स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण अगले वित्तीय वर्ष में कर पाना संभव नहीं हो सकेगा। स्वीकृत ग्रामों को हर वर्ष योजना में इस मद में प्रावधान व ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित किया जाता है। अतः इस विधान सभा क्षेत्र के शेष रहे सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक हो जावेगा, के बारे में निश्चित अवधि बता पाना अभी सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

नगर (भरतपुर) क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

1283. **श्री सम्पत सिंह** (नगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की भरतपुर जिले में शत प्रतिशत विद्युतीकरण करने की योजना थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) वर्तमान में उक्त जिले में विधान सभा क्षेत्रवार कितने प्रतिशत गांव विद्युतीकृत किये गये ? वर्ष 1985 से अब तक नगर विधान सभा क्षेत्र में कितने प्रतिशत

(श्री सम्पत सिंह)

गांवों का विद्युतीकरण हुआ ? शत प्रतिशत विद्युतीकरण न होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण में सीमित लक्ष्य एवं वित्तीय साधन होने के कारण शत-प्रतिशत विद्युतीकरण कर पाना संभव नहीं होता है । अतः शत-प्रतिशत विद्युतीकरण की अवधि के बारे में बता पाना फिलहाल संभव नहीं है ।

(2) भरतपुर जिले की सभी विधान सभा क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों का फरवरी, 1992 के अन्त तक पंचायत समितिवार प्रतिशत विद्युतीकरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	पं. स. का नाम	प्रतिशत विद्युतीकरण
1.	नगर	55.64
2.	कामा	52.8
3.	डीग	76.4
4.	नदबई	100.0
5.	सेवर	96.6
6.	वैर	100.0
7.	बयाना	74.8
8.	रूपवास	82.2
9.	कुम्हेर	98.3

जिला भरतपुर के नगर विधान सभा क्षेत्र में 224 ग्राम सम्मिलित हैं जिनमें से वर्ष 19 5 से फरवरी, 1992 तक कुल 74 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया तथा इस अवधि में विद्युतीकरण का प्रतिशत 33 रहा ।

लक्ष्य एवं वित्तीय साधन सीमित होने के कारण शत-प्रतिशत विद्युतीकरण कर पाना संभव नहीं है ।

बस्सी क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

1284. **श्री कन्हैयालाल (बस्सी)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बस्सी विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने एवं कौन-कौन से गांव विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत कर विद्युतीकृत किए गये ? उनमें कुल कितने कृषि कनेक्शन्स दिए गये हैं ?

(2) कितने गांव ऐसे हैं जो विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत कर दिए गए हैं किन्तु उनमें अभी तक एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो उनको कब तक कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए जायेंगे ?

(3) वर्षों से जिन गांवों की राजस्व सीमा से विद्युत् लाइन जा रही है क्या उन गांवों का विद्युतीकरण किया जाना नीति संगत है ?

उत्तर

(1) बस्सी विधान सभा क्षेत्र में कुल 178 गांव स्वीकृत है । उन सभी का विद्युतीकरण कर दिया गया है । विद्युतीकृत गांवों में अब तक 3717 कृषि कनेक्शन दिये गये हैं ।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) उक्त 178 विद्युतीकरण गांवों में से 16 गांव ऐसे हैं जिनमें अभी तक एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया है। ऐसे ग्रामों में मांग-पत्र जारी कर दिये गये हैं एवं सभी औपचारिकतायें पूर्ण होने पर कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

(3) जो ग्राम स्वीकृत हैं और उनमें से यदि कोई 11 के.वी. लाइन निकली हुई है तो ऐसे ग्रामों को विद्युतीकरण के वार्षिक कार्यक्रम में प्राथमिकता दी जाती है।

कठूमर (अलवर) के राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण

1285. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नौखा) : एवं **श्री निर्भय लाल** (भिनाय) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचत क्षेत्र कठूमर जिला अलवर में कौन-कौन से राजस्व ग्राम हैं, जिनमें अभी तक बिजली नहीं दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1980 से 1981 तक उक्त क्षेत्र के कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया ?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र कठूमर जिला अलवर में 33 राजस्व ग्राम ऐसे हैं, जिनमें अभी तक बिजली नहीं दी गई। सूची "अ" संलग्न है।

(2) वर्ष 1980 से 1991 (1.4.80 से 31.3.91) तक उक्त क्षेत्र के 79 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

पापड़दा (दौसा) में प्रस्तावित के. वी. सब-स्टेशन

1286. **श्री जियालाल बंशीवाल** (दौसा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1983-84 की एम.पी.ए. स्कीम पंचायत समिति दौसा में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन पापड़दा में प्रस्तावित थी।

(2) उक्त सब-स्टेशन कब बन जाना चाहिए था, तथा अब तक न बनने के क्या कारण हैं ?

(3) वर्ष 1983-84 से वर्ष 1991-92 तक दौसा खण्ड में 33/11 के. वी. सब-स्टेशन किस वर्ष कितने स्वीकृत हुए ? सब स्टेशन व वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उपरोक्त सब-स्टेशन न बनने से नांगल चापा फीडर पर कृषि व उद्योग का कोई नया कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है ?

(5) नांगल चापा फीडर पर कितने पेन्डिंग प्रार्थना-पत्र हैं तथा उनको कब तक कनेक्शन दे दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980–81 दौसा क्षेत्र की

(ऊर्जा मंत्री)

एस.पी.ए. स्कीम में ग्राम पापडदा में 33/11 के.वी. सब स्टेशन सम्मिलित है।

(2) क्षेत्र के विद्युत भार की वृद्धि के अनुसार यह सब स्टेशन वांछित है, किन्तु वित्तीय साधनों के अभाव में यह कार्य वार्षिक 33 केवी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जा सका है।

(3) वर्ष 1983–84 से वर्ष 1991-92 के दौरान विभिन्न स्वीकृत योजनाओं में दौसा खण्ड में निम्नलिखित सात 33/11 सब स्टेशन स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से 4 सब स्टेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्षवार सब स्टेशन की सूची निम्न है:—

क्र.सं.	स्वीकृत सब स्टेशन का नाम मय 33 केवी लाइन	स्वीकृति वर्ष	प्रगति विवरण
1	2	3	4
1.	गीजगढ	1984–85 पुन: 1986–87	वर्ष 1988 में कार्य पूर्ण हो चुका
2.	मानपुर	1984–85 पुन: 1986–87	वर्ष 1988 में कार्य पूर्ण हो चुका है
3.	भांवता	1984–85 पुन: 1986–87	जुलाई, 89 में कार्य पूर्ण हो चुका है
4.	डिगरिया भीम	1986–87	अक्टूबर, 91 में कार्य पूर्ण हो चुका है।
5.	कचोलिया	1986–87	लाइन कार्य पूरा हो गया।
6.	बगडी	1984–85	फेज प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं है।
7.	रामगढ पचवारा	1984–85	

(4) जी हां।

(5) तांगल चापा फीडर पर कुल 135 कृषि कनेक्शन एवं लघु उद्योग हेतु आवेदन पत्र पापडदा सब स्टेशन स्थापित नहीं होने के कारण लम्बित है। इस सब स्टेशन के बन जाने के पश्चात् लम्बित आवेदनों पर कार्यवाही की जा सकेगी और कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

सीकर मुख्यालय के विद्युत बिल

1287. **श्री दिलसुख राय चौधरी** (फतेहपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिला मुख्यालय पर सीकर शहर में विद्युत के बिल शहर ए. ई. एन. के ऑफिस में ही जमा किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जलदाय विभाग की तरह ही उपरोक्त बिलों को शहर में चार-पांच स्थानों पर जमा करवाने की सुविधा देकर जनता को राहत प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो, क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में बिजली के गलत बिल आने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं को अविलम्ब मीटर कार्ड सिस्टम जारी करके राहत दिलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1992–93 में बढ़े हुए उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुये दो अन्य और स्थानों पर भी बिल जमा कराने की सुविधायें प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है।

(2) बिल नियमानुसार ही सही बनाकर भेजे जाते हैं, फिर भी यदि किसी उपभोक्ता को भेजे गये बिल की राशि में भूल से कोई गलती रह जाती है तो उपभोक्ता द्वारा बताये जाने पर उसे ठीक कर दिया जाता है।

कृषि उपज मण्डी समितियों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी

1288. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डियों में दस वर्ष से भी अधिक समय से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या इन कर्मियों को नियमित करने हेतु कोई आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो क्या इनको नियमित कर दिया गया है ?

उत्तर

जी हां। आश्वासन की क्रियान्विती में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है, शीघ्र ही इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

कृषि उपज मण्डी समिति सोजत रोड़ (जैतारण) की सड़कों का डामरीकरण

1289. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की कृषि उपज मण्डी समिति सोजत रोड़, तहसील जैतारण द्वारा नई सड़कों के डामरीकरण के प्रस्ताव कब कब सरकार को भेजे और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? प्रस्ताव की सूची मय तखमीना के सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा के पूर्व बजट सत्र (चतुर्थ) में कृषि मंत्री द्वारा सदन को यह

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

आश्वासन दिया गया था कि जिले में बड़ी मण्डी समितियों की आय में से हिस्सा लेकर प्रत्येक जिले का एक कोष बनाया जावेगा ? इस विषय में आज तक क्या प्रगति हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मण्डी समिति के सचिवगण को विधिवत प्रस्ताव भेजने के निर्देश विपणन बोर्ड द्वारा दिये गये हैं ? यदि हां, तो गलत प्रस्ताव भेजने पर सचिवों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जैतारण मण्डी समिति के डामरीकरण के लिए प्रस्तावित सड़क रायपुर से दीपावास तथा रामगढ़ चांग से रेलड़ा व सोजत रोड मण्डी समिति की प्रस्तावित सड़क बगड़ी नगर से देवली हुल्ला, मुरडावा से ढोनरडी तथा ब्यावर मण्डी समिति की प्रस्तावित सड़कें कोटड़ा से पाली जिला सीमा, सराधना से प्रतापगढ़ सड़कों के डामरीकरण का कार्य कब प्रारम्भ किया जा रहा है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1991–92 में कृषि उपज मण्डी समिति, सोजत रोड़ द्वारा दिनांक 24–6–91 एवं जैतारण द्वारा दिनांक 6–12–91 एवं 18–2–92 को नई सड़कों के प्रस्ताव भेजे गये। इन मण्डी समितियों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से सड़कों की स्वीकृति सम्भव नहीं हो सकी। प्रस्तावित सड़कों की सूची एवं अनुमानित लम्बाई तथा लागत राशि सहित परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जिला स्तर पर मण्डी समिति कोष स्थापित करने हेतु राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम, 1961 में संशोधन प्रावधान के समावेश हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(3) जी हां। यदि प्रस्ताव के साथ पूरी सूचना प्राप्त नहीं होती है तो पुनः सूचना निर्धारित प्रपत्र में मांग ली जाती है। ऐसे मामलों में कोई विभागीय कार्यवाही भी नहीं की जाती है। जानबूझ कर विलम्ब किया जाता है तभी कार्यवाही की जाती है।

(4) सम्पर्क सड़क रामगढ़ से रेलड़ा में से स्वीकृत भाग चांग से रेलड़ा 3 कि. मी. का डामरीकरण किया जा चुका है। सराधना से प्रतापगढ़ सम्पर्क सड़क कृषि उपज मण्डी समिति, ब्यावर के मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है। सड़के स्वीकृत नहीं होने के कारण डामरीकरण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

जैतारण (पाली) क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य

1290. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में पिछले दो वर्षों में भू-संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत भू-संरक्षण

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

विभाग द्वारा कितने–कितने कार्य कहां–कहां पर चलाये गये ? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में पाली जिले के जैतारण क्षेत्र के कितने गांवों के कितने कार्यों के लिये विभाग को प्रस्ताव भेजे हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रस्तावित योजनाओं को स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) सूचना परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(3) सभी प्रस्तावित योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रासायनिक खाद मूल्य प्रकरण

1291. **श्री हरिसिंह (महुआ)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1991–92 में रासायनिक खाद की बिक्री दरों में वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो ये बढ़ी हुई दरें किस तिथि से प्रभावी मानी गई ? कौन-कौन सी रासायनिक खाद के विक्रय मूल्य में कितने-कितने रुपयों की बढ़ोतरी की गई ?

(2) जिला सवाई माधोपुर में रासायनिक खाद के सहकारिता एवं निजी क्षेत्र में, कुल कितने थोक एवं खेरूज विक्रेता हैं ?

(3) खाद के विक्रय मूल्य में वृद्धि की घोषणा के बाद जिला सवाई माधोपुर के प्रत्येक खाद विक्रेता के पास किस-किस किस्म के खाद का, कितना–कितना स्टॉक था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि खाद की मूल्य वृद्धि की घोषणा तक खाद का स्टॉक पूर्व निर्धारित विक्रय मूल्य पर ही बेचान करना था ? यदि हां, तो जिला सवाई माधोपुर के किस-किस निजी विक्रेता द्वारा कितनी-कितनी खाद पूर्व निर्धारित दरों पर बेची गई ?

(5) सवाई माधोपुर जिले की किस-किस क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. के पास खाद का कितना-कितना स्टॉक था ? मूल्य वृद्धि के बाद यह स्टॉक कब व किस-किस दर पर बेचा गया ?

उत्तर

(1) जी, हां। बढ़ी हुई दरें दिनांक 24 जुलाई, 91 को मध्य रात्रि से प्रभावी मानी गई है। भारत सरकार द्वारा पूर्व संशोधित दरें दिनांक 14 अगस्त, 91 से प्रभावी मानी गई। विभिन्न रासायनिक खादों के विक्रय मूल्य में की गई वृद्धि की सूची परिशिष्ट–क में संलग्न है।

(कृषि मंत्री)

(2) जिला सवाई माधोपुर में रासायनिक खाद के सहकारी एवं निजी क्षेत्र के थोक एवं खेरूज विक्रेता निम्न प्रकार से है :—

क्र. सं.	किस्म विक्रेता	सहकारिता	निजी क्षेत्र	एग्रो	योग
1.	थोक	5	28	—	33
2.	खेरूज	84	241	3	328

(3) मूल्य वृद्धि की घोषणा के बाद 204 खाद विक्रेताओं की सूची संलग्न तालिका परिशिष्ट-ख में दर्शायी गयी है।

(4) जी, हां। 137 विक्रेताओं द्वारा बेची गयी खाद की सूची तालिका—ग पर प्रस्तुत है। शेष 23 निजी विक्रेताओं की सूची और प्राप्त की जा रही है।

(5) सवाई माधोपुर जिले की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के पास उपलब्ध स्टॉक एवं वितरण "घ" "ड." पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रायपुर एवं सोजत पाली के ग्रामों में नये विद्यालय

1292. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रायपुर एवं सोजत के गांवों में वर्ष 1988-89 व 1989-90 में कितने प्राथमिक विद्यालय तथा शिक्षा केन्द्र खोले जाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई तथा कहां-कहां कितने-कितने विद्यालय खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस वर्ष किस-किस गांव में कौन-कौन से विद्यालय एवं शिक्षा केन्द्र खोले गये तथा पूर्व में की गई घोषणा में से कितने विद्यालय एवं शिक्षा केन्द्र नहीं खोले गये हैं? शिक्षा केन्द्र नहीं खोले जाने के क्या कारण रहे हैं एवं अब कब तक खोल दिये जावेंगे ? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में पाली जिले की पंचायत समिति सोजत एवं रायपुर में क्रमशः 21 व 23 पंचायत शिक्षा केन्द्र खोलने के आदेश जारी किये गये थे। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इस वर्ष पाली जिले की पंचायत समिति सोजत एवं रायपुर में शिक्षा केन्द्र न खोले जाकर क्रमशः 6 व 14 प्राथमिक

(पंचायत राज राज्य मंत्री)

शालायें खोली गई हैं। जो ग्राम स्कूल खोलने के मापदण्ड में नहीं आते, उनमें स्कूल नहीं खोले गये। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति गंगापुरसिटी के पूर्व सरपंचों के विरुद्ध अनियमितता एवं गबन की शिकायतें

1293. **श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी पंचायत समिति के पूर्व सरपंचों के विरुद्ध अनियमितताओं एवं गबन की शिकायतें जनता द्वारा की गई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में नये प्राथमिक विद्यालय

1294. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या वर्ष 1991–92 में विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

ग्राम पंचायत लावा–सरदारगढ़ (राजसमंद) में भवन निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन हेतु विचाराधीन प्रार्थना–पत्र

1295. **श्री दयाराम परमार** (खैर–वाड़ा) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत लावा–सरदारगढ़, जिला राजसमन्द में भवन निर्माण परिवर्तन एवं परिवर्धन के किस-किसके प्रार्थना-पत्र कब-कब से विचाराधीन हैं ? व्यक्ति का नाम, आवेदन का विषय, आवेदन की तारीख एवं उस पर अब तक हुई कार्यवाही के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रार्थना पत्रों पर अब तक अन्तिम निर्णय नहीं होने के क्या-क्या कारण रहे तथा अब कब तक सरकार द्वारा इस पर निर्णय ले लिया जायेगा ?

(3) वर्ष 1988 से अब तक उक्त ग्राम पंचायत में अनधिकृत भवन निर्माण, परि–वर्तन एवं परिवर्धन के किस-किस को कब-कब नोटिस दिये गये ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न के भाग (1) की सूची में अंकित हैं।

(3) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पूर्व विकास अधिकारी, सादुलशहर के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

1296. **श्री हेमराज** (किशनगंज) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तत्कालीन विकास अधिकारी, सादुलशहर के विरूद्ध समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के आरोप प्रकाशित हुए थे ? क्या यह भी सही है कि विकास अधिकारी ने विश्वविद्यालय के फर्जी बी एड. डिग्री धारकों को नौकरी दी थी ? क्या यह भी सही है कि जिवाजी विश्वविद्यालय ने पत्र क्रमांक 3417 दिनांक 6-5-1989 के द्वारा 4 विद्यार्थियों को अपना विद्यार्थी नहीं मानते हुए विकास अधिकारी, सादुलशहर को पत्र लिखा था और उनकी अंक तालिकाएं जांच हेतु मांगी गई थीं ? यदि हां, तो क्या विकास अधिकारी ने अंक तालिकाएं विश्वविद्यालय ने जाली बताई थीं ? यदि हां, तो विकास अधिकारी ने फर्जी अंकतालिका धारकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

(2) क्या सरकार दोषी विकास अधिकारी के विरूद्ध जांच कर कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर के विरुद्ध समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के आरोप प्रकाशित होने की राज्य सरकार को कोई सूचना नहीं है। जिवाजी विश्वविद्यालय की डिग्रियों के आधार पर नियुक्त अध्यापकों के बारे में जैसे ही विकास अधिकारी को संदेह हुआ तो विकास अधिकारी स्वयं ने पूछताछ की, न कि जिवाजी विश्वविद्यालय ने अंकतालिका मंगाई और उनको देखने के बाद उन्हें फर्जी बताया। सम्बन्धित अध्यापकों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं एवं इन्हें दण्डस्वरूप सेवाकाल का कोई-वेतन भी नहीं दिया गया है।

(2) जी नहीं। क्योंकि इस आधार पर विकास अधिकारी दोषी नहीं है।

भीलवाड़ा की पंचायतों द्वारा भू–खण्डों का आवंटन

1297. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में किन पंचायतों ने पिछले 3 वर्षों में कहां-कहां और किन-किन मजरों तथा गांवों में भूखण्ड आवंटित किये ?

(2) क्या ये भूखण्ड आबादी क्षेत्र में दिये गये ? यदि बिलानाम भूखण्ड में दिये गये हैं तो क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री बंशीलाल पटवा)

(3) दिये गये भूखण्डों का अनुमोदन हुआ है ? यदि नहीं, तो ऐसे प्रकरण कितने हैं ? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले की पंचायतों द्वारा पिछले 3 वर्षों में कुल 5959 भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। पंचायत समितिवार सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त आवंटित भूखण्डों में से पंचायत समिति हुरडा क्षेत्र की पंचायतों द्वारा 59 भूखण्ड बिलानाम दिये गये हैं। इन बिलानाम दिये गये भूखण्डों को आबादी भूमि में परिवर्तित करने की कार्यवाही जिला स्तर पर विचाराधीन है।

(3) कुल दिये गये 5959 भूखण्डों में से 3601 भूखण्डों का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से कराया गया है तथा शेष 2359 भूखण्डों के अनुमोदन की कार्यवाही जारी है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट सं. 14 देखें)

पंचायत समिति अटरू (कोटा) की जीप

1298. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अटरू पंचायत समिति की जीप अभी तक कितने किलोमीटर चल चुकी है ?

(2) क्या अभी भी यह जीप नहीं अपने कार्य से ठीक अन्जाम दे रही है ? यदि नहीं, तो क्या इससे अटरू पंचायत समिति के विकास कार्यों की ठीक प्रकार से देख रेख करने में बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है ? यदि हां, तो अटरू पंचायत समिति को नई जीप अब तक आवंटित क्यों नहीं की गई तथा अब कब तक आवंटित कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, पंचायत समिति अटरू की जीप अब तक 1,49,979 कि.मी. चल चुकी है।

(2) जी हां।

अवैध खनन के मामलों पर कार्यवाही

1299. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पिछले 2 वर्ष में राज्य के विभिन्न जिलों में किस-किस किस्म के अवैध खनन के मामले विभाग ने कब-कब पकड़े और पकड़े गये मामलों में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

राज्य के विभिन्न जिलों में विभाग के विभिन्न कार्यालय स्तर से अवैध खनन के पकड़े गये मामले व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

डीडवाना (नागौर) झील के भू-भाग में नमक उत्पादन

1300. श्री मोहनलाल (जायल) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले के उपखण्ड डीडवाना में झील के कितने भू-भाग में नमक का उत्पादन सरकार द्वारा किया जा रहा है ?

(2) क्या झील के नमक उत्पादन योग्य एक बड़े भू-भाग में सरकार द्वारा उत्पादन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उत्पादन विभागीय स्तर पर न कराकर खतौनी के आधार पर या अनुबन्ध के आधार पर कराती है ? यदि हां, तो कितना उत्पादन शुल्क प्रति वर्ष लिया जाता है ?

(4) क्या सरकार उत्पादकों का देय शुल्क प्रति वर्ष बढ़ाती है ? यदि हां, तो कितना ?

(5) क्या यह सही है कि वर्तमान में डीडवाना में उपादकों से जो उत्पादन शुल्क लिया जाता है वह अन्य नमक उद्योगों से अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) सरकार के पास वर्तमान में डीडवाना में कितने नमक भण्डार हैं और इसमें सरकार की कितनी पूंजी लगी हुई है ?

(7) क्या भण्डार में उपलब्ध नमक निम्न स्तर का है एवं बिक्री के योग्य नहीं है ? यदि हां, तो घटिया नमक का उत्पादन सरकार द्वारा निरन्तर क्यों करवाया जा रहा है ?

(8) क्या सरकार द्वारा डीडवाना नमक की बिक्री दरें काफी ऊंची रखी जाती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नागौर जिले के उपखण्ड डीडवाना नमक झील के 600 एकड़ भू-भाग में नमक का उत्पादन राज्य सरकार की देख-रेख में नमक उत्पादकों द्वारा किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। झील के पूर्ण उत्पादन योग्य क्षेत्र को प्रयोग में लिया जा रहा है।

(3) उत्पादन राज्य सरकार की देख रेख में अनुबंधों के अन्तर्गत किया जाता है। यह अनुबन्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में सम्पन्न हुए एक फैसले के अन्तर्गत हुए हैं। कोई उत्पादन शुल्क नहीं लिया जाता।

(4) जी नहीं। नमक के प्रति क्विंटल उत्पादन व्यय एवं राज्य सरकार को मिलने वाले सम्भावित मूल्य को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर मजदूरी की दरों में वृद्धि की जाती है।

(5) जी नहीं।

(6) सरकार के पास दिनांक 1.3.92 तक 45.28 लाख क्विंटल का भंडार है। जिसमें राज्य सरकार की पूंजी लगभग 3 करोड़ रुपये की लगी हुई है।

(7) भंडार में उपलब्ध नमक खाद्य एवं अखाद्य दोनों ही प्रकार का है। अखाद्य नमक का उपयोग, चमड़ा, बर्फखाने आदि उद्योगों में होता है तथा खाद्य नमक

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

का उपयोग खाने के कार्यों में होता है, दोनों ही नमक विक्रय होते हैं।

(8) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

राजसमन्द क्षेत्र में मार्बल खनन प्लाट

1301. **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : एवं **श्री चुन्नीलाल** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खनिज विभाग ने जिला-राजसमन्द में स्थित निजाना क्षेत्र में मार्बल के कुल कितने प्लाट बनाकर डेलीनेशन स्कीम बनाई थी तथा यह स्कीम कब बनी थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त डेलीनेटेड प्लान के तहत आर. एस. एम. डी. सी. कुल कितने प्लाट आवंटित किये गये तथा उससे सरकार को उक्त आवंटन से गत 5 वर्षों में कितनी आय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आर. एस. एम. डी. सी. ने उक्त क्षेत्र में कभी स्वयं कोई खनन कार्य नहीं किया तथा बड़े-बड़े उद्योगपतियों को उक्त प्लॉट सबलेट कर दिये ? यदि हां, तो 5 वर्षों में यह खनन कार्य किस-किस को दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि आर. एस. एम. डी सी. को अन्य व्यक्तियों का प्लाट सबलेट करने का कोई प्रावधान माईनिंग लॉज में नहीं है तथा जिसके कारण राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा माइनिंग विभाग द्वारा किया गया आवंटन निरस्त कर दिया ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि आर.एस. एम. डी. सी. का आवण्टन निरस्त हो जाने के पश्चात् सन् 1989-90 में तत्कालीन खनिज राज्य मंत्री द्वारा उद्योगपतियों को भारी संख्या में बिना किसी प्रकार के लीज ग्रान्ट की गई तथा वर्किंग परमीशन के आधार पर खनन कार्य करने की परमीशन दे दी, जो अब भी जारी है ? यदि हां, तो क्यों व किन-किन को ?

उत्तर

(1) खनिज अभियन्ता कार्यालय-राजसमन्द के क्षेत्र में स्थित निजरना क्षेत्र में मार्बल के कुल 61 प्लॉट बनाकर राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 19.11.81 से डेलीनेशन स्कीम बनाई गई।

(2) उक्त डेलीनेटेड प्लान के तहत आर.एस.एम.डी.सी. को कुल 55 प्लॉट कार्यानुमति प्रदान कर दिये थे। उक्त कार्यानुमति शासन के आदेश दिनांक 25.3.89 से वापिस ले ली गई। आर.एस.एम.डी सी. को दी गई इस कार्यानुमति से सरकार को 37,76,832/– रुपये की आय हुई।

(3) जी नहीं। आर.एस.एम.डी.सी. ने उक्त क्षेत्र बड़े उद्योगपतियों को सबलेट नहीं किया। बल्कि उसने निम्न फर्मों को को-प्रमोटर्स बनाकर आपसी संविदा निष्पादन कर अलग-अलग क्षेत्र में खनन कार्य किया :—

(खनिज राज्य मंत्री)

1. मैसर्स सेक्सरिया मार्बल लि.	क्षेत्र निजरना प्लाट नं. 10,13,14,15,16
2. मैसर्स मेवाड़ मार्बल लिमिटेड	क्षेत्र निजरना प्लाट नं. 43,44,37,38,29, 30,21,22,31 एवं 23
3. मैसर्स इन्टरनेशनल मार्बल लि.	क्षेत्र निजरना प्लाट नं. 11,12,17,18,19, 25,26,33,34 व 5 तथा 6-आघ-आघ
4. मैसर्स निर्मल मार्बल लि.	क्षेत्र निजरना प्लाट नं. 29,27,28,35,36

(4) जी नहीं । आर.एस.एम.डी.सी. को खनिज मार्बल के खनन हेतु राज्य सरकार को एजेन्ट नियुक्त किया गया था। माइनिंग लीज स्वीकृत नहीं की गई थी। अतः माइनिंग लीज में किसी प्रावधान का संदर्भ सही नहीं है। उक्त क्षेत्र के सबलेट किये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से कोई फैसला इस विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

(5) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.3.89 के द्वारा आर.एस.एम.डी.सी. को दी गई कार्यानुमति वापिस ली गई एवं आर.एस.एम.डी.सी. के संयुक्त/सहायक क्षेत्र में जिनके पास प्लाट्स थे, उन्हें निम्न शर्तों पर खनन पट्टा स्वीकृत करने के आदेश दिये :

1. वैज्ञानिक एवं मैकेनाइज्ड तरीके से खनन कार्य किया जायेगा एवं मार्बल प्रोसेसिंग इकाईयाँ स्थापित की जायेगी।
2. सर्विस चार्जेज सीधे राज्य सरकार को देय होंगे एवं 5 संयुक्त क्षेत्र कम्पनियों से प्राप्त सर्विस चार्जेज/डवलपमेन्ट चार्जेज का आधा हिस्सा आर.एस.एम.डी.सी. को दिया जायेगा।

रणधीसर पहाड़ी (चूरू) पर अवैध खनन

1302. **श्री निर्भय लाल (रूपवास)** : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में चूरू जिले की रणधीसर पहाड़ी पर कई अवैध लोगों द्वारा खनन कार्य चलाया जाकर सरकार को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यदि हां, तो क्या सरकार इन अवैध खनन कार्यों को बन्द करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि रणधीसर पहाड़ी पर अवैध रूप से संचालित खनन कार्य की जानकारी सम्बन्धित अधिकारियों को नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

(श्री निर्भयलाल)

(3) क्या सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इन अवैध खनन कर्त्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही अमल में लायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) क्या सरकार रणधीसर पहाड़ी एवं ग्राम गोपालपुरा पहाड़ी विरमसर की पहाड़ी पर अवैध खनन कार्यों को बन्द करने का इरादा रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। रणधीसर पहाड़ी पर वर्तमान में अवैध खनन नहीं हो रहा है।

(2) जी हां। पूर्व में रणधीसर पहाड़ी पर हुए अवैध खनन कार्य करने वालों के विरुद्ध विभागीय अधिकारियों ने पंचनामा बनाकर नियमानुसार कार्यवाही कर इसे बंद करा दिया। ऐसी परिस्थिति में उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का कोई मामला नहीं बनता।

(3) जी हां। क्षेत्र में पूर्व में हुए अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध पंचनामे बनाये गये जिसमे खनिज की कीमत वसूल करने की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है और खनन कार्य बंद कराया गया।

(4) जी हां। सरकार क्षेत्र में यदा-कदा हुए अवैध खनन कार्य को रोकने में सदैव तत्पर रही हैं और भविष्य में भी अवैध खनन कार्य होने की जानकारी प्राप्त होने पर अवैध खनन कार्य करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये प्रतिबद्ध है। वर्तमान में क्षेत्र में अवैध खनन कार्य नहीं हो रहा है।

तेंदू पत्ता संग्रहण हेतु सहकारी समितियों का पंजीयन

1303. **श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तेन्दू पत्ता संग्रहण के लिए जन जाति सदस्यों की सहकारी समिति लि. का रजिस्ट्रेशन किया गया हैं ? यदि हां, तो अब तक किस किस नाम से कितनी सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन समितियों के रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया एवं नियम हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में तीन आदिवासी तेन्दू पत्ता संग्रहण सहकारी समितियों का गठन सम्बन्धित क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा किया गया है। जो निम्नानुसार हैं।

1. प्रतापगढ़ आदिवासी तेन्दू पत्ता संग्रहण सहकारी समिति लि. देवगढ़। रजिस्ट्रेशन नम्बर 1117 एच दि. 13 नवम्बर, 91
2. कोटडा आदिवासी तेन्दू पत्ता संग्रहण सहकारी समिति लि. कोटडा। रजिस्ट्रेशन नम्बर 1936 वाई दि. 17 दिस., 90
3. पिपलखुट आदिवासी तेन्दू पत्ता

(जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री)

संग्रहण सहकारी समिति लि. पिपलखुट जिला–बांसवाडा। रजिस्ट्रेशन नम्बर 746 बी दिनांक 26 दिसम्बर, 1991

(2) जिन आदिवासियों का जीविका उपार्जन का मुख्य व्यवसाय तेन्दू पत्ता संग्रहण है। ऐसे व्यक्ति राजस्थान सहकारी अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत आवेदन पत्र राजस संघ के क्षेत्रीय प्रबन्धक के सहयोग से तैयार करते है। और ये पत्रादि प्रस्तावित उप-नियमों सहित सम्बन्धित सहायक रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों को भेज दिये जाते हैं। ये अधिकारी आवश्यक सर्वे करने के उपरान्त सहकारी अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत उचित समझने पर पंजीकरण करते हैं।

जालौर जिले की अनुसुचित जनजाति की आबादी

1304. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले में अनुसूचित जनजाति की कितनी आबादी (1991 की जनगणना के अनुसार) है ?

(2) इन लोगों के कल्याण के लिये सरकार क्या-क्या योजनाएं चला रही है ?

(3) किसी क्षेत्र विशेष को टाडा अथवा माडा जैसी योजनाओं के अन्तर्गत लेने के लिए क्या-क्या मानदण्ड हैं ?

(4) क्या जालौर जिले का कोई क्षेत्र उक्त मानदण्डों को पूरा करता है ? यदि हां, तो क्या उसे इन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है ?

(5) क्या सरकार जालौर जिले में अनुसूचित जनजाति के लिये कोई छात्रावास खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इस कार्यालय में जनगणना 1991 के जनसंख्या समक अभी तक उपलब्ध नहीं हुए है। जनसंख्या समंक उपलब्ध होने पर ही जालौर जिले की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या बताया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जालौर जिले के जनजाति व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए बिखरी जनजाति योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत मक्का बीज पैकेट वितरण, पशु चिकित्सा शिविर, अंश पूंजी अनुदान, ग्रामीण आवास निर्माण एवं दुकान हेतु अनुदान कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

(3) किसी क्षेत्र विशेष को टाडा योजना में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार उस क्षेत्र (तहसील/ब्लाक) में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 50% से अधिक होना आवश्यक है। किसी क्षेत्र विशेष को माडा योजना में सम्मिलित करने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये है :—

1. प्रत्येक लघुखण्ड में 10,000 से कम आबादी नहीं होनी चाहिये।
2. लघुखण्ड में सम्मिलित ग्रामों की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत

(जन जाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री)

जनसंख्या जनजाति का होना आवश्यक है।

3. लघुखण्ड की सीमाएँ एक ही जिले में होना आवश्यक है।

4. ग्रामों की सीमाओं में निरन्तरता होना आवश्यक है।

5. लघुखण्ड के ग्रामों की जनसंख्या एवं सीमाएँ 1981 की जनसंख्या के अनुसार होना आवश्यक है।

6. लघुखण्ड के ग्रामों के बीच के सभी ग्रामों को सम्मिलित करना आवश्यक है।

7. लघुखण्ड के ग्रामों में निरन्तरता बनाये रखने के लिए एक या दो ग्राम जिनमें 50% से कम जनजाति जनसंख्या है तो सम्मिलित किये जा सकते हैं परन्तु उससे अधिक नहीं।

8. लघुखण्ड की सीमा पर स्थित प्रत्येक ग्राम की जनजाति जनसंख्या उस ग्राम की कुल जनसंख्या का 50% होना आवश्यक है।

(4) जालौर जिले का कोई भी क्षेत्र उक्त माप दण्डों को पूरा नहीं करता है।

(5) जी नहीं।

सोडाला (जयपुर) क्षेत्र में राजकीय डिस्पेन्सरी/मातृ शिशु कल्याण केन्द्र

1305. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोडाला से जमुना डेयरी, श्यामनगर, सुशीलपुरा, विद्युत् नगर, अजमेर रोड जयपुर के आसपास राजकीय डिस्पेन्सरी/मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र कार्यरत नहीं हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र की निरन्तर बढ़ती आबादी को दृष्टिगत रखते हुये सरकार उक्त क्षेत्र में राजकीय डिस्पेन्सरी/मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अजमेर रोड पर सोडाला के पास राजभवन डिस्पेन्सरी तथा इसके पास सरदार पटेल डिस्पेन्सरी कार्यरत है तथा सोडाला से आगे 10–12 किलोमीटर की दूरी पर भांकरोटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है। इस क्षेत्र में पृथक से मातृ शिशु कल्याण केन्द्र कार्यरत नहीं है।

(2) योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान होने पर विचार करना सम्भव होगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं :—

(1) श्री रामकरण चौधरी, श्री यदुनाथसिंह और डा. चन्द्रभान, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम गोटन तहसील मेड़ता,

(श्री अध्यक्ष)

नागौर में श्रीमती सुप्यारी की नसबंदी आपरेशन के दौरान हुई मृत्यु के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जैसलमेर जिले के ग्राम बासड़ा के निवासी श्रीमती रहन्ति पत्नी श्री बहादुर खान के साथ पूर्व डकैत मूलसिंह एवं सम के पुलिस थानेदार द्वारा धोखा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले के पुलिस थाना गंगापुर सिटी में दर्ज मुकदमा नम्बर 484/91 पर पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री परसराम मोरदिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया खनन क्षेत्र में खनिज उप सचिव 1 व 2 व विशेषाधिकारी, खनिज विभाग द्वारा कथित अनियमित प्लाट आवंटन से लाखों रुपये के हुए घपले के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं एवं सामान्य प्रकृति के हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री प्रकाशचन्द बैरवा और श्री हरिसिंह महुवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पचायत समिति फागी में पीपला लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत बांध की स्वीकृति होने के उपरान्त भी उसका कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि पीपला सिंचाई परियोजना, जयपुर जिले की तहसील फागी में निर्माणाधीन है। यह परियोजना राज्य सरकार के परिपत्र क्र. एफ 3/58/ए. एस./1/87/24 दिनांक 12-1-89 धन राशि 126.35 लाख के लिए स्वीकृति की गई है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर 240 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस कार्य के लिए 90-91 में प्रारम्भ में 12 लाख रुपये आवंटित किये गये थे। पूर्व एजेन्सी, जिसने समय पर कार्य नहीं किया; उसके विरुद्ध वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही में वर्ष 90-91 के लिए बजट 7 लाख रुपये कर दिया गया जिसके विरुद्ध विभाग ने 7.12 लाख रुपये का उपयोग किया। वर्ष 91-92 के लिए आवंटित बजट 10.50 लाख रुपये का था जिसका भी पूर्णरूपेण उपयोग किया गया है। बांध का कार्य 93-94 में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(2) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला परिषद सवाई माधोपुर द्वारा शिक्षकों के चयन के लिए तीन बार विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र मांगने के उपरान्त भी रिक्त पदों को न भरने से बेरोजगार शिक्षकों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि 116 रिक्त पद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा

(श्री अध्यक्ष)

अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदों पर नियुक्तियों पर स्थगन आदेश पारित कर दिये जाने के कारण नहीं भरे जा सके हैं। सभी पदों को भरने हेतु सूचियां तैयार हो चुकी हैं तथा स्थगन आदेश के हटते ही उक्त रिक्त पद भर दिये जायेंगे। जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश निरस्त हो जाएगा जिला सवाई माधोपुर में भी चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया तुरन्त प्रारम्भ कर दी जाएगी। यदि विभाग द्वारा 26-2-91 का प्रसारित दिशा-निर्देश के अनुसार जिला सवाई माधोपुर में प्रत्याशी मैरिट के आधार पर चयन सूची में आते हैं तो उन्हें नियमानुसार नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की लालसोट तहसील के ग्राम दौलतपुरा को तीन वर्ष पूर्व बस सेवा से जोड़े जाने के बाद अचानक एक वर्ष पूर्व बस सेवा बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में बस मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के अन्तर्गत उन्हें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस दिये गये। नोटिसों की सुनवाई के अन्तर्गत यह पाया गया कि वाहनों को दौलतपुरा ग्राम से मोड़ने में चालकों को परेशानी आती है किन्तु इस समस्या का निराकरण कर दिया गया। अभी मौके की जांच करने पर यह पाया गया कि बसें दौलतपुरा होकर नहीं जा रही हैं अतः मोटर मालिकों के विरुद्ध धारा 86 के अन्तर्गत विचाराधीन मामले को पुनः सदस्य प्राधिकार के समक्ष आगामी बैठक में सुनवाई हेतु रखा जाएगा।

उपरोक्त कार्यवाही के अलावा दौलतपुरा गांव को बस सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से अन्य मार्ग की बस सेवा से जोड़े जाने अथवा नया मार्ग खोलकर बस सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही भी पृथक से की जा रही है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अवलिम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री अमृतलाल परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से देसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नाडोल के पास महारानी गुडा गांव में दिनांक 5-8-1991 की रात्रि तुलसी नाम की महिला के साथ कथित बलात्कार के प्रयास तथा उसके पति खिमाराम का अपहरण कर लेने की घटना की जांच सी. बी. आई. से करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरीश कुमावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से सस्ती एवं सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक्यूप्रेशर एवं चुम्बकीय चिकित्सा पद्धति को राज्य में प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री बृजराज मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की तहसील दीगोद में पुनः सेटलमेण्ट का

(श्री अध्यक्ष)

कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री भरोसीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाईमाधोपुर जिले की करौली, सपोटरा तपसीलों में अवैध खनन से सरकार को हो रही हानि के सम्बन्ध में।

(5) श्री राजेन्द्र गहलोत सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर के रातानाड़ा में 7 जनवरी को गजेन्द्र सिंह नाम के व्यक्ति की निर्मम हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण के सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता कार्यालय द्वारा अधूरे पड़े एनीकट व खडीनों के कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील नोखा के ग्राम पांचू के आस-पास के गांवों में एक रहस्यमयी जानलेवा बीमारी के फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अलवर के साथ हुई कथित मारपीट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री प्रेमसिंह दहिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में सायला 33 के. वी. ए. सब ग्रिड स्टेशन पर 1.6 के. वी. ए. का ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री गोपाल सिंह खण्डेला, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमकाथाना उप खण्ड अधिकारी कार्यालय के कनिष्ठ लिपिक श्री विष्णु दत्त शर्मा के विरुद्ध कथित अनियमितताओं की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री फूलचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा कथित रूप से कतिपय लोगों को करोड़ों रुपयों का अनुचित लाभ पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 में संशोधन कर किसानों को राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री रामस्वरूप मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सेवारत शिक्षकों के लिए बी. एड. में प्रवेश हेतु पी. टी. ई. टी की अनिवार्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री रामनारायण वर्मा। आप क्या बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

सदन में मंत्रियों की अनुपस्थिति पर खेद प्रकट

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्नोत्तर काल में मंत्री के अनुपस्थित होने पर आपने उसको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बहुत ही अप्रसन्नता से लिया है और यह स्वाभाविक भी है। प्रश्न के समय या किसी भी प्रकार का विधायी कार्य हो उस समय मंत्री को उपस्थित रहना चाहिए, इसमें कोई सन्देह नहीं है और जो भी मंत्री समय पर नहीं आता, मैं समझता हूं, उसको समय पर आना चाहिए। इसमें भी कोई दूसरी बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में मंत्रियों की हालत बिल्कुल क्रिकेट के गेम के जैसी है। किस समय किसका विकेट फाल हो जाए और दूसरा यदि बैट्समैन तैयार नहीं होगा और पैड बांधने में समय लगायेगा तो खेल में वह नहीं खेल सकेगा। इसी प्रकार की स्थिति रहती है कि विधान सभा में प्रश्न किस समय खत्म हो जाए, किस समय कौन-सा टापिक खत्म हो जाए। कई बार गलत अनुमान होता है कि डिबेट 2 बजे खतम होगी, तो 2 बजे के अन्दाज से कोई बैठा हो तो 12 बजे नहीं पहुंच सकता। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि कोई जानबूझकर इस प्रकार की अनुपस्थिति का कारण बना हो कि हमें देर से ही चलना है, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। मैंने अभी पुष्पा जैन से भी पूछा था कि उन्हें विलम्ब क्यों हुआ? उन्होंने कारण यह बताया कि जब मैं घर से बाहर निकली तो एक एक्सीडेण्ट हो गया था। उस एक्सीडेण्ट में एक महिला रिक्शे से गिर गयी। उस महिला के खून-वून आ गया और मैं उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर हास्पिटल छोड़ कर आयी, इसमें मुझे देरी हो गयी। इस प्रकार के कई कारण हो सकते हैं लेकिन सदन की अवमानना करने का या जानबूझकर के समय पर नहीं पहुंचने का, यह कारण नहीं है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको जो खेद हुआ है, मैं उसके लिए स्वयं खेद प्रकट करता हूं और मंत्रियों से यह आशा करता हूं कि वे हर हालत में अपने बिजनस के सम्बन्ध में सतर्क रहें और समय पर पहुंचे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।
....(व्यवधान)....

पहले इन्हें बोलने दीजिए। मैं एक-एक मिनट सबको दे रहा हूं। इनका पहले नोटिस आया हुआ है।

स्थगन प्रस्तावों आदि पर चर्चा

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, साधारण-सी 3 बात बताना चाहता हूं। कल हम लक्ष्मी विलास में मिले थे, उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वहां हमने टेली फिल्म देखी थी। टेली फिल्म में मुझे और कुछ सदस्यों को इस बात का खेद हुआ कि पूर्व मुख्य मंत्रियों में, जैसे जगन्नाथजी पहाड़िया का नाम नहीं है। किसी से कोई वार्ता नहीं है उसमें। एक तो इसको दुरुस्त किया जाय क्योंकि जो मौजूद हैं, जिनकी यहां फोटो लगी हुई है वे तो कम से कम उसमें आयें। एक मेरा निवेदन यह है, माननीय अध्यक्षजी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह साधारण-सी बात नहीं है। आज किसी का दिखा दें और एक का नहीं हो क्योंकि हम उसमें

(श्री रामनारायण वर्मा)

विधान सभा इतिहास दे रहे हैं। जयनारायणजी व्यास को उस ढंग से देना चाहिए था, हीरालालजी शास्त्री वाली बात है, तो माननीय अध्यक्षजी, मैं इस सम्बन्ध में तो इतना ही कहूंगा, यह होना चाहिए। यह कमेण्ट की बात नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्षजी, यहां सदन में सब आते हैं, राजस्थान की जनता आती है, अपने दुख-दर्द की बात करते हैं। हम लोग भी आकर आपसे बात करते हैं, जो भी बात होती है कितना सोल्यूशन सरकार कर सकती है लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यशाली घटना हुई। लाठीचार्ज हुआ, उसके बारे में सरकार को कम से कम विधान सभा में आयें, विधान सभा परिसर में नहीं आयें, कम से कम आसन की तरफ से यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जो आये, शान्तिपूर्ण आन्दोलन यदि कोई कर रहे हैं तो मैं इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करूंगा। श्रीमान्, कुछ लोगों के चोटें आयीं। जीवराज सिंह, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के....

श्री अध्यक्ष : आपने बता दिया, इन चोटों का पता लगा लूंगा, बैठिये। वह ठीक है, आपने उसका उल्लेख कर दिया। श्री माहिर आजाद।

श्री रामनारायण वर्मा : राजस्थान प्रदेश युवक कांग्रेस के जो यहां के शहर के कार्यकर्ता थे....

श्री अध्यक्ष : हो गया। आपने उल्लेख कर दिया।

श्री रामनारायण वर्मा : एक लाइन में निवेदन करना चाहता हूं। आज भी अनुसूचित जाति-जनजाति के संगठन के कार्यकर्तागण यहां आ रहे हैं और वे छात्र लोग हैं। इस तरह की घटना, आज भी उनको अंदेशा है कि हमारे को पुलिस खदेड़ नहीं दे। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि चार-पांच अक्टूबर की बातों में कोई पालना नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके बैक लाग नहीं भर रहे हैं। एक महीने का समय सरकार ने दिया। सरकार को वे यही तो बताने आ रहे हैं कि इस तरह का बैक लाग है। आदिवासी हरिजनों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको वह बता रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी जाकर उनसे ज्ञापन लें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। श्री माहिर आजाद। पहले ये बोल रहे हैं, आप बैठिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाले मुद्दे की तरफ, आपके माध्यम से, माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 1980 से 3 यूनानी मेडिकल कालेज स्थापित किये गये, राजस्थान यूनानी मेडिकल कालेज, जयपुर, राजपूताना यूनानी मेडिकल कालेज, जयपुर और जुबेरिया यूनानी मेडिकल कालेज, जोधपुर। इन तीनों कालेजों से 1980 से लेकर आज तक, 90

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

में तो उसका एफीलियेशन राजस्थान विश्वविद्यालय से कर दिया। विगत 10 वर्षों में जितने भी लोगों ने बी.यू.एम.एस. के चिकित्सक की परीक्षा देकर डिग्री प्राप्त की उनको आज तक राजस्थान बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के रजिस्ट्रार के यहां से डिग्रियां नहीं मिली। अथक प्रयत्न कर चुके। कहीं भी रजिस्ट्रेशन करायें अपना प्राइवेट चिकित्सालय खोलने के लिये तो उसके लिये उनको डिग्री चाहिये। कहीं भी नौकरी के लिये आवेदन करें तो मार्क शीट से काम नहीं चलता, उनको डिग्री चाहिये। आप ताज्जुब करेंगे, रजिस्ट्रार, बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन ने जो जवाब दिया है। लिखते हैं कि हमने कई बार डिग्री छपवाने का प्रयास किया, एक बार गलत छप कर आ गयी, अब छपने दी हुई है, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से छपकर आ जाए ताकि आपको डिग्री मिले। अध्यक्ष महोदय, दस साल में जिन लोगों ने 6–6 साल पढ़ कर चिकित्सक का कोर्स कम्प्लीट किया उनको आज तक डिग्री नहीं मिल रही है। कहीं आवेदन नहीं कर सकते नौकरी के लिये। दस साल बरबाद हो गये। मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा इस सम्बन्ध में मंत्रीजी यह कह दें कि भाई, यह तो कोई काम ही नहीं है, उनको डिग्री तो कम से कम मिल जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आप बैठिये ना। कुछ कह रही हैं वे इस सम्बन्ध में।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, यह सचमुच गम्भीर है। सिर्फ डिग्री के फार्म का नहीं छपना, यह कोई डिग्री नहीं दिये जाने का कारण नहीं होना चाहिये। माननीय सदस्य अगर वह कागज दे देंगे तो मैं इसकी जांच करवा कर ऐसे गैर जिम्मेदाराना....

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरण। पहले जिन्होंने हाथ उठाये हैं। आपको भी बुला लूंगा। मैं बुला लूंगा आपको। एक-एक जो पहले हाथ उठा चुके हैं उनको बोलने दीजिये। मैं बुला लूंगा सबको।

श्री रामकरण (मेड़ता) : × × ×

श्री अध्यक्ष : इसमें बोलने की इजाजत नहीं दी मैंने। मैंने इसमें बोलने की इजाजत नहीं देने की व्यवस्था दे दी। आप मुझे क्षमा करेंगे। इसमें नहीं बोलने दूंगा। दर्ज नहीं हो।

श्री रामकरण : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैने जो व्यवस्था दे दी है उसमें आपकी एक लाइन दर्ज नहीं होगी, जो कुछ भी इन्होंने कहा है, दर्ज नहीं हो। हां, आप बोलिये।

श्री रामप्रसाद (वैर) : अध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से, पहले भी मैंने पाइन्ट आफ आर्डर पर एक बात उठायी थी विधान सभा में, हमारे पूर्व राज्यपाल सुखदेव प्रसाद, उस पर पर मैंने पाइन्ट आफ आर्डर से उठाया था, अध्यक्ष महोदय, उस समय भी इस तरह का भेदभाव बरता गया था। कल जैसे चित्र विधान सभा की कार्यवाही के दिखाये गये,

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामप्रसाद)

चार मुख्य मंत्रियों के चित्र नहीं दिखाये गये। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : अब वे हाउस में रहते नहीं हैं तो चित्र कहां से आयेंगे। हाउस में जो बैठे थे, सबके चित्र आ गये। आप उनको कहिये, हाउस में बैठे यहां आ करके तो चित्र भी आ जायेंगे, नाम भी आ जायेंगे। मैं समझ गया। बैठिये, हो गया। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री रामप्रसाद : मेरा निवेदन तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : हो गया, यह सवाल विधान सभा के सदन का नहीं है यह बाहर बात करिये। बैठिये, आप बैठिये। हरेक बात में यह जातिवाद मत फैलाइये।

श्री रामप्रसाद : यह जातिवाद नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप, आप बैठिये। मैंने सुन ली बात। वर्माजी ने बता दिया। यह कोई इश्यू नहीं है। बैठिये। बैठ जाइये आप, कोई इश्यू नहीं है यह। मैं जातिवाद आपको भी नहीं फैलाने दूंगा। बैठ जाइये आप। कोई जातिवाद नहीं फैलायेंगे। आप बोलिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक 295 दिया था। जयपुर नगर में 1981 की बाढ़ में सात नालों के माध्यम से जयपुर बरबाद हुआ था। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, यह पैसा देने वाली 11 संस्थाएं थीं।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आप क्या कहना चाहती हैं? इस बहाने से भाषण देना चाहती हैं? फिर जल्दी से बोलिये ना आप, और भी लोग बोलने वाले हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि वह पैसा उन्हें दे दिया जाए तो सिंचाई विभाग काम कर रहा है, जिन–जिन से पैसा बाकी देना था, देर से....

श्री अध्यक्ष : उसका भुगतान जल्दी हो जाना चाहिये। बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मिनट। मैं बात पूरी कर लूं।

श्री अध्यक्ष : अब हो गया। और लोग बोलने हैं आगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप सुनिये, एक मिनट, मेरी बात नहीं हुई। मेरे दो नाले इसमें से निकाल दिये गये और पांच पर ही काम हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ब्रह्मपुरी और मालवीय नगर नाले को पूरा करवाया जाए और पैसा दिलवाया जाए।

श्री अध्यक्ष : हां दिलायेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने मुझे बात कहने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देती हूं लेकिन आप उसको किसी दिन लगा दें तब काम चले।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन

(श्री रामस्वरूप मीणा)

करना चाहूंगा कि पिछली 28 तारीख को जो हमारे यहां हत्याकांड हुआ था महन्त का, उस बारे में कुछ निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ा गया था। एक रामेश्वरजी शास्त्री हैं हमारे यहां, भागवती पंडित हैं जो उस स्थान के धूणी के सेवक भी हैं, उनको पकड़ा गया था। उनके साथ साथ, माननीय गृह मंत्रीजी, पांच आदमी और पकड़े गये थे। एक महात्मा है जो धूणी पर ही रहता था, जो कुजेला गांव का है उसको भी पकड़ा गया था। इन लोगों को बड़ी बड़ी यातनाएं दी गयी हैं, इनको पीटा गया है और इनको जब छोड़ा गया है जब इनके तीन-तीन हजार, दो-दो हजार, पांच-पांच सौ रुपये ले लिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही दुख की बात है उन शास्त्रीजी से, उन सबसे पैसे लिये गये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हो गया। बैठिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : उनके एफिडेविट भी मेरे पास मौजूद हैं। माननीय गृह मंत्री जी, इसकी जांच सी.आई.डी. से करवा दी जाए और पैसे वापस लौटवायें साहब।

श्री अध्यक्ष : हो गया। श्री मोहनलाल चौहान।

श्री मोहनलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि केन्द्र सरकार ने डाक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती पर अवकाश घोषित कर दिया है। राजस्थान में भी आपकी मार्फत राजस्थान की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि डाक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती, जो 14 अप्रैल को आ रही है उस पर अवकाश घोषित कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने काफी दिनों पूर्व आपको एक कॉल अटेन्शन नोटिस दिया था 127 में....

श्री अध्यक्ष : क्या था वह ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : झुंझुनूं जिला हैडक्वार्टर है वहां पर भारतीय खाद्य निगम का एक डिपो है, उसे बंद किया जा रहा है। उसे या तो नीलाम करेंगे या किराये से देंगे। जून, 91 के बाद वहां किसी तरह का कोई खाद्यान्न नहीं पहुंचा है। झुंझुनूं के अन्दर 463 गांव अभावग्रस्त हैं। यह पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम जो है, यदि जिला हैडक्वार्टर पर भारतीय खाद्य निगम का डिपो नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा ? यह साजिश चल रही है कि या तो उसे नीलाम कर दिया जाए या उसे किराये पर किसी व्यक्तिगत पार्टी को उठा दिया जाए। तो वह भी उस गोदाम में अन्न भरेंगे, उसे चलायेंगे तो सही। इसलिये मैं चाहती हूं कि अभावग्रस्त समय के अन्दर जिला हैडक्वार्टर का यह गोदाम बंद नहीं होना चाहिये, इसके लिये आप भारतीय खाद्य निगम को कहिये।

श्री अध्यक्ष : वैसे यह केन्द्र का विषय है लेकिन मैं खाद्य मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं, वे आपकी मदद करेंगे इसमें। (व्यवधान) आप मेरी सुनो। मैं खाद्य मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे इसमें

(श्री अध्यक्ष)

आपकी मदद करें ताकि वहां पर वह गोदाम बना रहे। विषय केन्द्र का है लेकिन ये भी इसके लिये प्रयास करेंगे कि वहां पर गोडाउन रहे। चलिये, श्री अमृत लाल। आप एक मिनट जरा....

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत गंभीर स्थिति के बारे में ध्यान दिलाना चाहूंगा। गंगानगर जिले में पिछली 20 तारीख को तीन नौजवानों को पंजाब पुलिस पकड़ कर ले गयी थी।

श्री अध्यक्ष : आप वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : वक्तव्य दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : हां, दे रहे हैं, अभी दे देंगे। आप बोलिये, क्या है। एक मिनट, पहले वे बोल लें।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्षजी, 3 मार्च, 91 को उदयपुर जिले के सलूम्बर तहसील के हरमतियां गांव में आदिवासियों के घरों को जला दिया गया था, लूटपाट मची थी और हमलावरों ने काफी नुकसान पहुंचाया था। मैंने पिछले बजट सत्र में यह सवाल उठाया था। माननीय मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि कोई नहीं बचेगा और सबके खिलाफ कार्यवाही होगी। यह बात सही है कि छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एक साल बीत जाने के बावजूद उन लोगों के खिलाफ चालान पेंडिंग है। कोर्ट में चालान पेश नहीं कर रही है उदयपुर की पुलिस।

श्री अध्यक्ष : अब कर देंगे।

डा. चन्द्रभान : मेरा आग्रह यह है कि उनका चालान पेश किया जाए।

श्री अध्यक्ष : आप वक्तव्य दे रहे हैं ? आप वक्तव्य दें। माननीय गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं आपका।

शासकीय वक्तव्य

पंजाब पुलिस द्वारा व्यापारियों का अपहरण

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 28 फरवरी, 1992 को थाना फाजिल्का सदर, पंजाब क्षेत्र के व्यापारी श्री टेकचन्द के अपहरण विषय में पंजीबद्ध अभियोग संख्या 65/92 धारा 364,365, 368,342 व 34 भारतीय दंड संहिता, थाना फाजिल्का सदर, जिला फिरोजपुर, पंजाब के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक जिला फिरोजपुर द्वारा भेजा गया फाजिल्का सदर का पुलिस दल दिनांक 19/20 मार्च, 1992 को मध्य रात्रि लगभग दो बजे गंगानगर आया। उन्होंने एक कथित आतंकवादी श्री जगरूप सिंह पुत्र माल सिंह, जट सिख, उम्र 25 साल, निवासी भुटियावाली, श्री करणपुर, गंगानगर को पंजाब में पकड़कर पूछताछ कर पता लगाया था कि उसने व श्री हरपाल सिंह पुत्र जागीर सिंह जट सिख, उम्र 40 वर्ष निवासी जोडकियां अढ़ेरी, पुलिस थाना सदर फाजिल्का, श्री जगजीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह उम्र 25 साल, निवासी भुटियावाली, श्री बलविन्दर सिंह पुत्र नेता सिंह जट सिख, उम्र 25 साल, निवासी रूपनगर थाना करणपुर ने श्री टेकचन्द का अपहरण किया था। पुलिस

(श्री दिग्विजय सिंह)

अधीक्षक जिला फिरोजपुर चाहते थे कि स्थानीय पुलिस गंगानगर जिले में इस दल के शेष तीन मुल्जिमों की गिरफ्तारी में मदद करे। तदनुसार पुलिस अधीक्षक, जिला गंगानगर ने करणपुर क्षेत्र की जानकारी रखने वाले श्री सादिक अली सहायक उप निरीक्षक को पंजाब पुलिस की मदद में उनके साथ भेजा। पंजाब पुलिस ने उसी रात्रि को लगभग 3 बजे उपरोक्त स्थानों से तीनों वांछित कथित आतंकवादियों को पकड़ लिया।

दिनांक 20 मार्च, 1991 को पुलिस अधीक्षक, गंगानगर अन्यत्र व्यस्त थे। पंजाब पुलिस पार्टी राजस्थान पुलिस को पूछताछ करने का अवसर दिये बगैर ही वापस पंजाब चली गई। दिनांक 21 मार्च, 1991 को अखबारों में सूचना मिली कि हरपालसिंह को दिनांक 20 मार्च, 92 को पंजाब पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मरना बता दिया। शेष तीनों मुल्जिमों को भी 21 मार्च, 92 को पंजाब पुलिस के साथ मुठभेड़ में मार दिया है। उक्त सूचना सुनकर पुलिस अधीक्षक, गंगानगर ने उक्त घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक, फिरोजपुर से सम्पर्क स्थापित कर वार्ता करनी चाही, परन्तु उनके टेलीफोन पर उपलब्ध नहीं होने के कारण वार्ता नहीं हो सकी। जिस पर पुलिस अधीक्षक, गंगानगर ने एक पुलिस अधिकारी को पंजाब भेजकर सही हालत ज्ञात कर उनसे राज्य विशेष शाखा मुख्यालय को भी अवगत कराया।

उक्त कथित मुठभेड़ के संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों ने घटना की खबर छापकर पंजाब पुलिस के कृत्य की भर्त्सना की। उसे पढ़कर जनता पर विपरीत प्रभाव पड़ा। दिनांक 25 मार्च, 92 को करणपुर की अदालत में बार कक्ष में मीटिंग अकाली दल (मान) पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री श्रवणसिंह की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने मीटिंग में निन्दा प्रस्ताव पारित कर पंजाब पुलिस द्वारा असत्य एनकाउन्टर बताने की कार्यवाही की निन्दा कर उन्हें रोके जाने तथा उक्त घटना की जांच का आह्वान किया व पुलिस अधीक्षक, गंगानगर को एक ज्ञापन भी दिया।

उपरोक्त विषय में दिनांक 28 मार्च, 1992 को महानिदेशक पुलिस ने माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा दिये निर्देशों की अनुपालना में एक पत्र महानिदेशक, पुलिस, पंजाब को सारे हालात बताते हुए लिखा। उसमें गंगानगर के लोगों के रोष व कथित बनावटी मुठभेड़ से उत्पन्न भावना का भी उल्लेख किया गया। उक्त पत्र विशेष वाहक द्वारा उसी दिन चंडीगढ़ पहुंचा दिया गया।

(12.30 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी दिनांक 28 मार्च, 1991 को सरहिन्द फीडर के क्लोजर व गंग कैनाल की मरम्मत के विषय में विचार विमर्श हेतु उनके दिल्ली प्रवास के दौरान माननीय मुख्य मंत्री, पंजाब श्री बेअंत सिंह को उक्त कथित मुठभेड़ की घटना के हालातों से भी अवगत कराया तथा दिनांक 30 मार्च, 1992 को और बातचीत की एवं उनका ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें एक पत्र लिखा। उक्त पत्र

(श्री दिग्विजय सिंह)

में कथित मुठभेड़ की घटना की जांच कराने तथा जांच के नतीजे से अवगत कराने एवं भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के आदेश प्रसारित करने का उल्लेख किया । उक्त पत्र भी उसी दिन चंडीगढ़ भिजवा दिया गया ।

पुलिस अधीक्षक, गंगानगर भी उनके समकक्ष पंजाब पुलिस के अधिकारियों से सही हालात ज्ञात करने हेतु सम्पर्क साधे हुए हैं । महानिदेशक पुलिस राजस्थान, महानिदेशक, पंजाब पुलिस से टेलीफोन द्वारा वार्ता कर जांच जल्दी पूरी कराने का प्रयास कर रहे हैं ।

दिनांक 1 अप्रैल, 1992 को चंडीगढ़ में होने वाली आतंकवादी विरोधी कार्यवाही पर पंजाब पुलिस व अन्य बलों की समन्वय गोष्ठी में भाग लेने हेतु जाने वाले पुलिस अधीक्षक, राज्य विशेष शाखा को पंजाब पुलिस महानिदेशक से मिल कर जांच की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर हालात बताने के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : सारे तथ्य तो आ गये हैं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ तथ्य नहीं आये । असल में सच्चाई यह है कि हरपालसिंह उग्रवादी, जो आतंकवादी पंजाब से आया, उसको पंजाब की पुलिस गिरफ्तार करने आयी । तो करणपुर के लिए भुट्टेवाले गांव का जिक्र किया गिरफ्तार करने का, उस भुट्टेवाले गांव में उसने वहीं कैप्सूल खा लिया साइनाइट का । साइनाइट का कैप्सूल खाने की पुष्टि राजस्थान पुलिस ने की है । वहां जब माननीय एस.पी. साहब के पास उसको लेकर गये तो वह जीप के अन्दर बंद था । जिंदा नहीं था मरा हुआ था । क्या माननीय गृह मंत्रीजी बतायेंगे ? वह मरा हुआ था एक व्यक्ति, उसके साथ तीन व्यक्तियों को जो राजस्थान के थे, वे ले गये । दूसरी बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, 364 और 365 का केस है । केस फिरौती का नहीं है । इसमें फिरौती का जिक्र माननीय गृह मंत्रीजी ने भी नहीं किया पर कोई भी केस सिर्फ सिम्पल 302 का हो, उसमें किन्हीं तीन आदमियों को ले जाएं । निहत्थे उनको राजस्थान से ले गये । 20 तारीख को उनको ले जाते हैं । पंजाब पुलिस एस. पी. के दफ्तर के सामने उनको खड़ा रखती है और वहां से ले जाकर फाजिल्का में रास्ते में जाते हुए, वहां के जो अखबारों में खबर छपी है कि ये तीन लोग थे इनको छुड़ाने के लिए आये । वहां से हमला किया पुलिस पार्टी पर और हमला करने से गोलियां चलीं । उसके बाद पुलिस ने नाकाबन्दी करके देखा, तो ये तीन जो व्यक्ति थे राजस्थान वाले, इनके छलनी किये हुए शव पड़े थे । उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के उनके जो परिवार जन हैं, वे फाल्जिका गये हैं पंजाब पुलिस के पास । पंजाब पुलिस ने उनको इनकी बाडी नहीं दी उन तीन व्यक्तियों की जो राजस्थान से गये थे । वे 26 तारीख को वहां से वापस आये और वहां से वापस आने के बाद फिर यहां जयपुर आये । क्या वजह है कि उनको बाडी भी नहीं दी ? राजस्थान पुलिस उनकी बाडी भी नहीं दिला सकी ?

(श्री हेतराम बेनीवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आतंकवादी गतिविधियां निश्चित तौर से गंगानगर जिले में है। अभी भी एक व्यक्ति पकड़ा गया है। पर आतंकवादी गतिविधियों के पीछे अगर हम इस तरह का प्रीकाशन नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर से हमारे पूरे जिले में भी उन आतंकवादी लोगों को शरण मिल जायेगी, लोगों में इस तरह की भावना बनने से। वहां सिर्फ बार रूम की मीटिंग नहीं हुई। बार मैजारिटी नान सिक्ख की है, हिन्दू मैजोरिटी है। उन लोगों ने भी निन्दा प्रस्ताव पास किया है। वहां की पंचायत समितियों के जो पुराने सरपंच हैं उन्होंने भी प्रस्ताव पास किया है। वहां बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने इकट्ठे होकर निन्दा की है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक हमारी पुलिस है राजस्थान की पुलिस, उसका भी जो व्यवहार है वह नेगलेक्ट करने वाला है। हमारे यहां अभी सांगरियां में हुई है, लड़ाई हुई है। आर.ए.सी. का कमांडर था उसकी और हमारी लोकल पुलिस की, एक तस्कर को पार करवाने के सबंध में। उपाध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र में जो यह चिन्ता व्याप्त है लोगों में, पंजाब का भी कारण यही है। पंजाब में जनता को इस तरह से भ्रम में डाला हुआ है उसका कारण यह फर्जी मुठभेड़ है तो निश्चित तौर से राजस्थान सरकार को चाहिए कि आइन्दा से उस इलाके को आश्वस्त करे कि इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कोई भी मुल्जिम ले जाए पंजाब की पुलिस, तो उस कोण तक मुल्जिमों को राजस्थान की पुलिस छोड़कर आये। अन्यथा हमको विश्वास नहीं है वे आर्डर क्रास करते ही मार देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। प्रोफेसर साहब बोलना चाह रहे हैं। प्रो. केदार।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : मान्यवर, गृहमंत्रीजी का स्टेटमैंट है इसमें यह पोर्शन साइलेंट है। जो मिलिटेंट आउटफिट था हरपालसिंह, उसने तो उसी समय जब भुट्टेवाले गांव में उनको रात को पकड़ा, गोली खाकर आत्महत्या कर ली। वे तीन व्यक्ति साथ ले गये हैं। इनके पास आर्मनिग्स थे और अगर इनको एनकाउन्टर करना था तो उसी गांव में करते। 20 आदमी पंजाब पुलिस के, तीन आदमी थे, किस बात का एनकाउन्टर हो गया, साहब? हथियार उनके पास नहीं है, रात को ले गये। फिर दूसरी बात इसमें यह है कि हमारी राजस्थान सरकार इसे एनकाउन्टर नहीं मानती, फ्रीक्वेंट एनकाउन्टर नहीं मानती। प्रोटेस्ट किया तो हम आपकी तारीफ करते हैं। आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए और मुख्य मंत्री जी ने प्राइम मिनिस्टर, जब हम बैठे थे, के सामने भी इस बात को बतौर एतराज पेश किया कि हमें बिना विश्वास में लिये, हमारी पुलिस को विश्वास में लिये बिना यहां से लोग ले जाते है। उनको वहां पर मार देते हैं, इस पर एतराज किया। चीफ मिनिस्टर से बात की। इसमें मेन मुद्दा, हमारा प्रश्न पूछने का मतलब यह था, एक तो जो मौजूदा वहां का प्रशासन, सरकार, वहां की सिख कौम में

(श्री केदारनाथ शर्मा)

जो विश्वास है वह इण्टेन्सिफाई हो, नम्बर एक। दूसरा यह है कि हमारे यहां जो ट्रेडिशनल कम्युनल हारमनी है, उसमें कोई कानफिस्केट पैदा न हो। तीसरा, पंजाब की पुलिस की जो अट्रोसिटीज हैं, अनब्रिडल्ड जो पावर्स हैं, बिना हमारे पूछे जो काम आपरेट करते हैं इस पर चैक एण्ड बैलेंस का काम हो। चौथा, जो वहां पर वेव और एस्केलेशन चल गया, आम लोगों में असन्तोष और आक्रोश है उसमें भी ठहराव आयेगा आपके इस बयान के बाद अगर आपने उसमें जाप्ता नहीं किया तो। यह सब फेक एनकाउण्टर के अन्तर्गत तीन लोगों को मार दिया। मान्यवर, मैं निवेदन कर दूं कि इससे पहले, दो-तीन माह पहले, पंजाब की पुलिस आती थी, लोगों को ले जाती थी और उनकी पिटाई करके स्टार्ट करती। अब, मान्यवर, ये तीनों आदमी हैं, जगरूपसिंह, जगजीतसिंह और बलविन्दर सिंह—ये तीनों हमारे इलाके के लोग हैं। एक तो रूपनगर का है और दो हैं भुटियांवाली के। इनके खिलाफ आज तक वहां पर कोई केस नहीं, नम्बर-एक। इनकी नेशनलिटी पर कोई शक नहीं है आज तक, नम्बर-दो। सारे लोग इनको जानते हैं और इसलिये केवल पंजाब में रिश्तेदारों में रिलेवेंटेट हैं। जो आदमी मिलिटेंट आउटफिट है, जिस गांव का है उस गांव में हमारे यहां के भुटियांवाली की एक लड़की ब्याही हुई है। ये वहां गये मिलने। अब इतना ही दोष है। कोई किसी प्रकार का एक्सटार्शन नहीं, किसी प्रकार के केस में नहीं है। वारंट होता, गिरफ्तारी होती, केस तफ्तीश करते तो यह साबित हो जाता। इसलिये आइन्दा भी, माननीय मुख्य मंत्रीजी, जाप्ता कीजिये कि जब भी पंजाब की फोर्स लेकर आयें बिना हमारे एस. पी. के विश्वास के किसी आदमी को ले न जावें। वह किसी फेक एण्ड वर्क में मार न दिया जाएं, किसी का एक्सटार्शन न किया जाए और वहां जाकर पिटाई करके पैसा नहीं दिया जाएं। इसलिये हमने यह किया है ताकि मौजूदा सरकार में विश्वास इन्टेन्सिफाई हो उस कौम का और जो वहां पर आम असंतोष है उसमें ठहराव आ जाएं। पंजाब की पुलिस की जो आट्रोसिटीज हैं, पंजाब की समस्या में जो बिगाड़ ज्यादा पैदा हुआ है उसमें, मान्यवर, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पंजाब की पुलिस का जो एक्सेसिव है, अट्रोसिटीज हैं यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चैक एण्ड बेलेंस का काम करें जिससे इलाके में शांति बढ़ेगी। हमारे इस बयान के बाद जो कमी है वह पूरी माननीय मुख्य मंत्रीजी कर देंगे। आप प्रधान मंत्रीजी से मिलें, लैटर लिखें, चीफ मिनिस्टर से बात की, यह ठीक किया आपने और आइन्दा भी इसकी सेफ्टी करनी पड़ेगी, यही शब्द कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय गृह मंत्रीजी ने इस सम्बन्ध में विस्तृत वक्तव्य दिया ही है लेकिन गंगानगर से और सांगरिया से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि प्रधान मन्त्रीजी से भी हम सबने मिल कर इस मामले के सम्बन्ध में उनको पूरी जानकारी दी थी। उसके बाद मैं स्वयं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पंजाब के मुख्य मंत्री से मिला और पंजाब के मुख्य मंत्रीजी को भी इस सारे घटनाक्रम के सम्बन्ध में जानकारी दी। उन्होंने मुझे कहा कि इस सम्बन्ध में अगर लिखित में मेरे पास भेज दिया जाए तो मैं निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, लिखित में भी उनको भेज दिया गया और, आज समाचार पत्रों में पढ़ा, माननीय सदस्य भी कल मुझे बता रहे थे, आपने मुझे कल बताया था कि कांग्रेस पार्टी का भी एक डेप्युटेशन पंजाब के मुख्य मंत्री से मिल चुका है और उसने इस घटना के सम्बन्ध में उनका ध्यान आकर्षित किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही दुख-दायी विषय है। गंगानगर जिले के सिख, आम सिख, अभी तक टेररिस्ट की गति-विधियों के साथ नहीं हुए हैं और इसी कारण, मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान की आठ तहसीलों में सिखों की घनी आबादी होने के उपरांत भी आज तक वे न तो मैन स्ट्रीम से अलग हुये हैं न मैनस्ट्रीम से अलग होने की उनकी इच्छा है और न किसी भी प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने की उनकी कोई कार्यवाही मोटे रूप से सरकार के सामने आयी है। लेकिन प्रश्न यह है कि कई रिश्तेदारियां आपस में जरूर हैं। गंगानगर जिले के सिखों की रिश्तेदारियां पंजाब में हैं और पंजाब के लोगों की रिश्तेदारियां यहां हैं। कई बार यह समस्या जरूर खड़ी हो जाती है कि रिश्तेदारों को मालूम नहीं हो कि यह टेररिस्ट है या नहीं। कोई भी टेररिस्ट अगर वहां आकर ठहरता है और कोई पुलिस उसका पीछा करती हुई उसे गिर-फ्तार करती है या एनकाउण्टर होता है तो वह एनकाउण्टर होना स्वाभाविक है, गिरफ्तारी को रोका नहीं जा सकता। और इस प्रकार की घटनाएं नोटिस में भी आयी हैं। लेकिन जिस घटना का उल्लेख अभी गृह मंत्रीजी ने किया और माननीय सदस्यों ने किया यह वास्तव में बहुत ही दुखदायी घटना है। जितना इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कर सकती है उतना राज्य सरकार ने किया है। इस मामले को देखने के बाद मैं स्वयं भी यह महसूस करता हूं कि पंजाब की समस्या में फेक एनकाउण्टर का कितना योगदान है और इसके कारण से आज जनता में किस प्रकार का भय व्याप्त है। इसी दृष्टि से मैंने प्रधान मंत्रीजी को भी कहा था, इसी दृष्टि से पंजाब के मुख्य मंत्रीजी को कहा। मुझे खेद है। मैंने सारी पत्रावली देखी है, मुझे प्रारम्भ में ही इस बात की जानकारी मिली थी कि हरपाल सिंह नाम का टेररिस्ट, उसने वहीं साइ-नाइड की गोली खा ली। गोली खाने के बाद उसकी डैड बाडी को गंगानगर लाये और डैड बाडी को ही वे पंजाब ले गये। जो एनकाउण्टर हुआ उस एनकाउण्टर में, यह भी बताया गया है कि वह मरा हुआ हरपालसिंह भी शामिल था। अब बातें विश्वसनीय नहीं हैं लेकिन घटना घटित हो चुकी। मैं इस सदन की भावनाओं को फिर लिख कर प्रधान मंत्रीजी के पास भी भेजूंगा और पंजाब के मुख्य मंत्रीजी को भी लिख कर भेजूंगा। मेरा विश्वास है, पंजाब के मुख्य मंत्री ने जिस प्रकार का विश्वास दिया है हमें विश्वास करना चाहिये। वे स्वयं भी महसूस कर रहे थे कि फेक एनकाउण्टर्स के कारण पुलिस की रेपुटेशन पंजाब में गिरती जा रही है,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लोगों में विश्वसनीयता कम हो रही है और आम जनता में एक प्रकार का भय व्याप्त हो रहा है। इस भय को किस प्रकार से निकाला जाय ? एक तो पंजाब की सरकार उस सम्बन्ध में कार्यवाही करे और दूसरा, कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार की ओर से निरन्तर प्रयास किया जाता रहे। मैं दोनों ही बातों पर आपको विश्वास कराता हूं, पंजाब के मुख्य मंत्री पर अविश्वास करने का मेरे सामने कोई कारण नहीं है। जब मैंने उनसे कहा तो उससे वे बड़े चिन्तित हुए और चिन्तित होकर कहने लगें, मुझे सारी डिटेल्स भेज दो। वे डिटेल्स भेज दी हैं और उन्होंने जांच के आदेश भी दे दिये। जांच का परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा और मैं भी निरन्तर इस बात को देखता रहूंगा कि फेक एकाउण्टर में इन निरपराध लोगों को मारने की जो कार्यवाही हुई है उसमें दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। गंगानगर के सिख समुदाय को मैं इस आधार के ऊपर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की ओर से, राजस्थान पुलिस की ओर से इस प्रकार के फेक एनकाउन्टर को को न तो कभी एनकरेज किया जायेगा न फेक एनकाउण्टर करने वाले को किसी प्रकार से छोड़ा जाएगा। राजस्थान में जिस प्रकार की शांति और अमन बना हुआ है उसी प्रकार की शांति और अमन बनाये रखें। जो दुर्घटना हुई है उसके लिये राज्य सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करेगी कि उसके लिये दोषी व्यक्तियों को सजा मिले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमृतलाल परमार।

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

तुलसी नाम की महिला के साथ बलात्कार एवं उसके पति का अपहरण।

श्री अमृतलाल परमार (बाली): माननीय उपाध्यक्षजी, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं मंत्रीजी का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे बाली विधान सभा क्षेत्र से लगते देसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नाडोल के पास माहरानी गुड़ा गांव में दिनांक 5-8-1991 को रात्रि के करीब 10.00 बजे सरपंच का भाई अर्जुन सिंह एवं मोडाराम रायका, सरगरा रमिया व भैरा मीणा, चारों एक चौधरी जाति की महिला नाम तुलसी के वहां गये तथा वहां कहा कि खेमाराम बाहर आओ। खेमाराम ने दरवाजा नहीं खोला। चारों शराब में धुत थे और उन्होंने खेमाराम को, बाहर नहीं आओगे तो मार दिया जायेगा, यह धमकी दी। उस पर भी खेमाराम ने दरवाजा नहीं खोला। खेमाराम तुलसी का पति है।

दरवाजा नहीं खोलने पर मोडाराम रायका साथ में अर्जुनसिंह बाजू की खिड़की की दीवार तोड़ कर अन्दर घुस गये तथा उसकी औरत के साथ जबरदस्ती करने लगे। औरत के छोटे बच्चे रोने लगे तब औरत का पति खेमाराम खुद खड़ा हुआ तथा विरोध करने लगा तथा औरत को बचाने के लिये उनसे उलझ पड़ा। तब चारों मिलकर जबर्दस्ती खेमाराम को उठा

(श्री अमृतलाल परमार)

कर ले गये। अर्जुनसिंह ने उसकी औरत से दरवाजा बन्द करवाया। वे खेमाराम को एक स्कूल में ले गये और उसको खूब शराब पिलाई। फिर खेमाराम को मारते–मारते खुद के बेरे पर ले गये। फिर बेरे से पीटते–पीटते वापस खेमाराम के घर पर लाये और खेमाराम को बाहर ही पटक दिया। अर्जुनसिंह ने फिर मेरे से दरवाजा खुलवाया। औरत की दरवाजा खोलने की इच्छा नहीं थी परन्तु अर्जुनसिंह ने उसके आदमी को मारने की धमकी दी और कहा कि अगर दरवाजा नहीं खोला गया तो मैं खिड़की से अन्दर आकर तुम को भी मार दूंगा।

तब मैंने रोते–रोते दरवाजा खोला। उसके छोटे बच्चे भी रोने लगे। अर्जुनसिंह ने जबर्दस्ती करके औरत के साथ बलात्कार किया। उस समय मीणा, रायका, सरगरा तीनों बाहर थे। अर्जुनसिंह के बाहर आने के बाद तीनों ने बारी–बारी से बलात्कार किया। बाद में सुबह रोती–रोती बाहर आयी। उसके श्वसुरजी के पास गयी और उसने श्वसुरजी को आप बीती सुनाई। तब मेरे श्वसुरजी व मेरे देवर मुझे व मेरे पति को छकड़े में रानी थाने में ले गये। पीछे–पीछे अर्जुनसिंह व उसके आदमी भी आ गये और गलत बयान के लिये कहा। गलत बयान न करने पर उन सबको भी जान से मारने की धमकी दी। और जबर्दस्ती दादागीरी से खाली पेपर पर हस्ताक्षर कराये। जो तुमने कहा इस पेपर में वही लिखा है, यह कह कर हस्ताक्षर कराये। उसके बाद औरत ने अपनी सारी आप बीती अपने पिता को बताई। तब उनके पिताजी ने लड़की व उनके पति खेमा राम को लेकर पाली एस. पी. साहब व एडीशनल एस.पी. के पास गये। दोनों बाहर गये हुए थे। तब बाली में मेरे घर पर आये। तब मेरे घर पर दस-पन्द्रह व्यक्ति बैठे हुए थे। उस औरत ने रोते–रोते आप बीती सबके सामने मुझे बताई, तब मैंने डी.एस.पी. श्री किशनसिंह को फोन किया तथा सारी बात बताई। तब डी.एस.पी. ने कहा कि औरत, उसके पति, देवर, पिताजी तथा ससुरजी को मेरे यहां भेज दो, मैं धारा 164 में बयान ले लूंगा। तब मैंने उन चारों को तथा साथ में पत्रकार श्री शंकरलाल परिहार को भेजा। परन्तु डी. एस. पी. ने तोड़ मरोड़कर बयान करवाये। इसके बाद मैंने एस. पी. पाली को फोन किया तथा एडीशनल एस. पी. श्री शिवकुमार को फोन किया। दोनों ने बड़ी फुर्ती दिखायी तथा बलात्कार करने वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया, परन्तु इसके पूर्व ही रानी थाना ने एवं डी.एस.पी. बाली ने केस को बिगाड़ दिया था। अभी भी यह केस खटाई में पड़ा हुआ है तथा केस में कुछ प्रगति नहीं हुई है। फलस्वरूप चारों के हौंसले बुलन्द हैं तथा वे तुलसी, उसके पति व देवर तथा पिताजी को मारने की धमकी दे रहे हैं। उन चारों का गांव में बड़ा ही आतंक है। गांव में उनके खिलाफ किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है। इसलिए चारों की जान माल का खतरा है। अर्जुन सिंह का उनके गांव में और उनके आस-पास के गांव में चारों तरफ आतंक है। अतः इस केस की सी.बी.आई. से अविलम्ब जांच करायी जाए तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी

(श्री अमृतलाल परमार)

से कड़ी कार्यवाही कराएं। वास्तव में जो दोषी है और जो ए.एस.पी. है जिसने इस केस को दबाया उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश कुमावत।

सस्ती एवं सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक्यूप्रेशर एवं चुम्बकीय चिकित्सा पद्धति को राजस्थान में प्रोत्साहित करने बाबत

श्री हरीश कुमावत (नावां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सस्ती एवं सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक्यूप्रेशर एवं चुम्बकीय चिकित्सा पद्धति को राजस्थान में प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, वृक्ष का आधार जड़ एवं मकान की सुरक्षा नींव उसी प्रकार जीवन के सफल संचालन में हमारी ग्रन्थियों की प्रमुख भूमिका है। जड़ एवं नींव बाहर से न दिखने के बावजूद वृक्ष के विकास एवं मकान की मजबूती हेतु आवश्यक हैं। इसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से न दिखने के बावजूद हमारे शारीरिक मानसिक एवं चारित्रिक विकास के लिए हमारी ग्रंथियां आवश्यक है, जिनके द्वारा उत्पन्न रस सीधे रक्त में मिल विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं जो हर तरह की वृद्धि, पोषण, यौन सन्तुलन, मांसपेशियों के संचालन तथा अन्य ग्रंथियों की क्रियाओं के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। ग्रंथियों के बराबर कार्य न करने से 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत रोगों के उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है। आज के चिकित्सक प्राय: इस तथ्य के प्रति उदासीन पाये जाते हैं और उनके पास उनके उपचार की कोई सरल पद्धति नहीं है। इसके अभाव में हम पूर्णतया रोगों से मुक्त नहीं हो सकते। बाह्य रूप से पूर्णतया स्वस्थ दिखने के बावजूद हम अनेकों शारीरिक एवं मानसिक रोगों से ग्रस्त रहते हैं।

जितनी ग्रंथियां बराबर कार्य करेंगी हम स्वस्थ रहेंगे, तथा जितनी वे उत्तेजित अथवा निष्क्रिय होंगी हम रोगी बनते जाएंगे। परन्तु एक्यूप्रेशर की प्रतिवेदन पद्धति एवं चुम्बकीय पद्धति से इसे सफलतापूर्वक नियंत्रित रखा जा सकता है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के द्वारा हथेली अथवा पगथली में विभिन्न ग्रंथियों के प्रतिवेदन बिन्दुओं की विधिपूर्वक दबाव देकर ग्रन्थियों का उपचार किया जा सकता है। इस चिकित्सा पद्धति में कोई दवाई का खर्चा नहीं है और न कोई रिएक्शन होता है। एलोपैथी चिकित्सा में भिन्न भिन्न प्रकार की ली जाने वाली दवाइयों के प्रदूषण से भिन्न भिन्न प्रकार की नयी नयी बीमारियां पैदा होने लगी है तथा यह काफी मंहगा इलाज है। इसकी तुलना में एक्यूप्रेशर एवं चुम्बकीय पद्धति काफी लाभप्रद है। चीन में इसका काफी विकास हुआ है। हमारे देश में भी कलकत्ता में यह चिकित्सा पद्धति काफी प्रचलित है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों की भांति साहित्य उपलब्ध कराना, सेमिनारों में इसके अनुभवी चिकित्सकों को आमंत्रित करना, इस चिकित्सालय पद्धति के शिक्षण की व्यवस्था कराना, प्रशिक्षण शिविरों का लगाना आदि कार्य की राजस्थान सरकार भी व्यवस्था करे तो गांव-

(श्री हरीश कुमावत)

गांव में इस पद्धति से लोग स्वयं चिकित्सा कर स्वस्थ रहेंगे तथा सरकारी कोष की भी इससे बचत होगी। शहरों के अस्पतालों में बढ़ रहे दबाव में कमी आयेगी व ग्राम लोगों को राहत पहुंचेगी। इस पद्धति से राजस्थान में भी स्वयंसेवी संस्थाएं, लायन्स क्लब, जोधपुर व स्वयंसेवी लोग इस पद्धति पर चिकित्सा केन्द्र संचालित कर लोगों का इलाज कर रहे है। इससे कई लोगों को राहत मिली है। राष्ट्र स्तरीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार भी ऐसे लोगों को मिले हैं। इस विशेष उल्लेख के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान दिलाकर अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्थान में इसे मान्यता दिलाकर दिये गये सुझावों के अनुसार इस पद्धति को प्रोत्साहित कराने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजराज मीणा।

कोटा जिले की तहसील दीगोद में री-सैटलमेण्ट शुरू करना

श्री बृजराज मीणा (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम 295 के अन्तर्गत कोटा जिले की तहसील दीगोद में रीसैटलमेण्ट का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के सन्दर्भ में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, कोटा जिले की तहसील दीगोद में चार-पांच वर्ष पूर्व सेटलमेण्ट हुआ था। सेटलमेण्ट आपरेशन के दौरान कई प्रकार की अनियमितताएं बरती गयी थीं। राज्य सरकार ने तहसील दीगोद सैटलमेण्ट आपरेशन की जांच करने के आदेश दिये और जांच करवायी। जांच के दौरान सैटलमेण्ट विभाग में काफी अनियमितताएं पायी गयीं। राज्य सरकार ने रीसेटलमेण्ट के आदेश दिये। रीसेटलमेण्ट के सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है गत जुलाई में, परन्तु बड़ी विडम्बना है कि नोटिफिकेशन जारी होने के एक वर्ष बाद भी रीसेटलमेण्ट कार्य प्रारम्भ नहीं हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा पुनः सैटलमेण्ट किये जाने की घोषणा से जनता में हर्ष की लहर दौड़ गयी थी कि हमें न्याय मिलेगा, परन्तु जो विलम्ब हो रहा है उससे जनता अब यह महसूस कर रही है कि कार्यवाही में लापरवाही बरती जा रही है।

सैटलमेण्ट के मौजूदा रिकार्ड के मुताबिक कई खातेदार काश्तकारों की भूमि उनके खाते से निकलकर सिवाय चक में दर्ज कर दी गयी थी। काश्तकारों की गलत रूप में दर्ज की गयी सिवाय चक भूमि भू-राजस्व अधिनियम के अधीन खातेदार को अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 की कार्यवाहियां की जा रही है और जुर्माने हो रहे हैं। काश्तकार को इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। जिन लोगों ने अवैधानिक रूप से अपने नाम भूमि दर्ज करवा ली वे रिकार्ड के मुताबिक भूमि बेचने के प्रयास कर रहे हैं। सैटलमेण्ट विभाग द्वारा सेटलमेण्ट कार्य प्रारम्भ करने में बरती जा रही शिथिलता के कारण ही काश्तकार परेशान हो रहे हैं। पुनः सैटलमेण्ट का कार्य तुरन्त प्रभाव से सम्पन्न करवाया जाए तथा दौराने-सैटलमेण्ट खाते की दर्ज सिवाय चक भूमि पर खातेदार के विरुद्ध की जा रही अतिक्रमण की कार्यवाही तुरन्त रोकी जाए। अवैधानिक रूप से जिन लोगों ने भूमि दर्ज करा ली है उसको किसी अन्य व्यक्ति को

(श्री बृजराज मीणा)

हस्तान्तरित न करने के सन्दर्भ में निर्देश प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरोसीलाल।

सवाईमाधोपुर तहसील की करौली, सपोटरा आदि तहसीलों में अवैध खनन होने से राज्य सरकार को हो रही हानि

श्री भरोसीलाल (सपोटरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया तथा नियम 295 के अन्तर्गत, विशेष उल्लेख है कि सवाई माधोपुर जिले की करौली एवं सपोटरा तहसील के खनिज एरिया बहादुरपुर, चौबे की ग्वारी, जांगरा बुगजार गाजकी, डूडंपुरा, गुर्दा, बेरदा, हनुमान का डाडा में अवैध खनन हो रहा है जिससे राज्य सरकार को लाखों रुपये रोज की हानि होती है। ठेकेदारों ने जो लीज ले रखी है उसके अलावा भी वे लोग वन विभाग के आरक्षित स्थान पर खनिज इंजीनियर की मिलीभगत से खनन करवाते हैं जिससे सरकार को बहुत नुकसान हो रहा है।

अतः उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अवैध खनन को तुरन्त रोका जाए तथा जो अवैध खनन करवाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्र गहलोत।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री चुन्नीलाल इंदलिया।

(1.00 म.प.)

पांचू ग्राम तहसील नोखा के आसपास के गांवों में एक रहस्यमयी जानलेवा बीमारी फैल जाने के संबंध में

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, तहसील नोखा के ग्राम पांचू के आसपास के गांवों में गला सूजने की एक भयंकर बीमारी फैल चुकी है। यह बीमारी तहसील नोखा के 20–25 गांव पश्चिमी भाग और फलोदी तहसील के करीब 20–25 गांवों में कंठ सूज करके....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह बीमारी आदमियों में है या जानवरों में ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैडम, मैं यह पढ़ रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : बता देंगे, इसमें सारा विवरण है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से छोटे बच्चों में, औरतों में और पुरुषों में गला सूज करके यह बीमारी फैली है। यह बीमारी धीरे-धीरे तीन महीनों में इतना जोर पकड़ चुकी है, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि इस बीमारी से बहुत सी मौतें हुई हैं। आज आपने अखबार भी पढ़ा है, उसमें तो केवल फलोदी गांव की 34 मौतें हैं लेकिन नोखा तहसील के बहुत से गांवों में भी यह बीमारी फैल चुकी है। गला सूज करके तीन रोज में आदमी मर जाता है। इससे हर गांव में बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे खत्म हो चुके हैं। इसलिए मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय का

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, इस बीमारी को समय रहते आप काबू करें।

साथ ही पांव की, तरह ही एक बीमारी है, खरड पांव की बीमारी फैल चुकी है और वह जाती भी नहीं है। डाक्टर उसको छूत की बीमारी कहते हैं और उसका लम्बा इलाज है। इस बीमारी से बुखार होकर के, जिसको आप दिमाग का बुखार कहते हैं, उसके लिए आज तक डाक्टर उस एरिया में नहीं पहुंचे है। पूरा जंगली एरिया है कोई रेल का साधन नहीं है। इसलिए, मंत्री महोदय, इस ओर आप देखकर के तुरन्त कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : स्वास्थ्य मंत्री जी, आप कुछ कहेंगे क्या ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जैसी सूचना दी है, एकदम उपचार कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने अखबार में इस बीमारी के बारे में नहीं पढ़ा ?

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ा होगा तो कार्यवाही कर ली होगी इन्होंने।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पढ़ लिया, आप चिन्ता क्यों कर रही हैं उस पर एक्शन भी शुरू हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सुरेन्द्र गोयल।

जैतारण के सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता कार्यालय द्वारा अधूरे पड़े एनीकट व खडीनों के कार्य को पूरा नहीं करने के संबंध में

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता कार्यालय द्वारा अधूरे पड़े एनीकट व खडीनों के कार्य को पूरा नहीं करने के संबंध में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय है। सिंचाई विभाग द्वारा पिछले 5–7 वर्षों में नई एनीकटों व खडीनों का निर्माण विभाग द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत करवाये गये जिसमें से सांगावास एनीकट, काणचा बाढ़ बचाव, गरणियां एनीकट, पाटवा एमीकट, देवरिया एनीकट, लाखासनी एनीकट, चटावतों की ढाणी एनीकट, सुमेल हाकानाडी एनीकट सबरिया, रेगरों वाला एनीकट काग व अन्य एनीकट जिस पर 60 से 80 प्रतिशत कार्य हो चुका है, लाखों रुपये राज्य सरकार के खर्च हो चुके हैं, थोड़ी सी राशि और खर्च होती है तो वह काम पूरे हो सकते हैं। उक्त एनीकटों व खडीनों पर जिलाधीश महोदय, पाली द्वारा जिला अभिकरण पाली की बैठक में जवाहर रोजगार योजना (सामान्य) के तहत एनीकट जैसे सांगावास एनीकट, काणचा बाढ़ बचाव देवरिया एनीकट, गरणिया एनीकट, लाखासनी एनीकट, चटावतों की ढाणी एनीकट पर राशि स्वीकृत की थी परन्तु बाद में उसको कैन्सिल कर दिया गया जिससे आम जनता में रोष है। इसलिए मेरा निवेदन है इस विशेष उल्लेख के जरिये कि सिंचाई विभाग के अधूरे पड़े एनीकट व खडीन जिस पर 60 प्रतिशत और 80 प्रतिशत राशि खर्च हो चुकी है, 20–30 पर्सेंट काम बाकी हैं उसको पूरा करने का कब तक राज्य सरकार विचार रखती है व कब तक पूरा करने हेतु।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति उक्त एनीकटों के लिए जारी कर दी जाएगी, बताने की कृपा करावें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अकाल की स्थिति है अगर जल्दी स्वीकृति जारी हो जाती है तो गरीब मजदूरों को मजदूरी मिलेगी और अधूरे पड़े एनीकट भी पूर्ण होने से काश्तकारों को फायदा मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जीतमल जी जैन।

अलवर, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के सहायक अभियन्ता के साथ हुई मारपीट के सम्बन्ध में

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं दिनांक 25-3-92 को जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग अलवर के सहायक अभियन्ता श्री दिनेश खण्डेलवाल के साथ हुई मारपीट के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दिनांक 25-3-92 को दिन में लगभग 1-30 बजे विभाग में ही दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी श्री किशन सैनी सहायक अभियन्ता के कार्यालय में आये एवं एक सौ रुपये की मांग की। सहायक अभियन्ता द्वारा रुपये देने को मना करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर चले गये। उसके पश्चात् सायंकाल 6 बजे पुनः अपने साथियों के साथ कार्यालय में आये। इस समय हाथों में हाकी व सरिये लिए हुए थे। कार्यालय में घुसते ही सहायक अभियन्ता की पिटाई प्रारम्भ कर दी। कार्यालय में उपस्थित अन्य कर्मचारियों ने बीच-बचाव किया। इसके पश्चात् किशन सैनी अपने साथियों के साथ कार्यालय से बाहर चले गये। दिनांक 26-3-92 को श्री किशन सैनी अपने साथियों के साथ पुनः सहायक अभियन्ता के कमरे में आये एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सहायक अभियन्ता की पिटाई प्रारम्भ कर दी। दोनों ही घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गई है लेकिन खेद का विषय है कि अभी तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

यहां एक तथ्य प्रकाश में लाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि श्री किशन सैनी आदतन अपराधी वृत्ति के व्यक्ति है। इनके विरुद्ध न्यायालय में 14 मुकदमें विचाराधीन हैं, मुकदमों की सूची संलग्न है। इस संबंध में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि विभाग श्री किशन सैनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में अपने को असमर्थ पाता है क्योंकि सभी अधिकारी इनके अभद्र व्यवहार से भयभीत हैं। विभाग के सहायक अभियन्ताओं एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं ने आज सांकेतिक हड़ताल रखी है अगर समय रहते आवश्यक कार्यवाही नहीं हुई तो हड़ताल आगे चल सकती है। ऐसी स्थिति में शहर में पानी के वितरण में कठिनाई उत्पन्न होने का भय है।

अतः श्री किशन सैनी के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही कर तकनीकी कर्मचारियों का नैतिक बल बढ़ाकर आने वाले संकट से शहर को बचावें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रेमसिंह जी दहिया।

भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में सायला पंचायत समिति के सात पंचायतों के गांवों को विद्युत सप्लाई के संबंध में

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं नियम 295 के अन्तर्गत भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में सायला पंचायत समिति के सात पंचायतों के गांवों को विद्युत सप्लाई हेतु जवाई नदी के उस पार विद्युत लाइन खींच कर और पुन: नदी के इस पार लाइन खींच कर विद्युत सप्लाई करने से बारिश में विद्युत पोल गिरने से व्यवधान होने को रोकने हेतु दासपा 33 के.वी.ए. विद्युत सब ग्रिड स्टेशन पर 1.6 एम.वी.ए. का ट्रान्सफार्मर लगाकर सीधी विद्युत सप्लाई करने और साथ ही इन गांवों को भीनमाल विद्युत खण्ड में जोड़ने के संबंध में मैं यह विशेष उल्लेख पढ़ रहा हूं।

मान्यवर, भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में सायला पंचायत समिति की बारह पंचायतों के ग्रामों को भीनमाल विद्युत ग्रिड स्टेशन से विद्युत सप्लाई होती है। उक्त विद्युत सप्लाई भीनमाल 132 के.वी.ए. ग्रिड स्टेशन से 33 के.वी.ए. दासपा सब ग्रिड स्टेशन को सप्लाई होती है। दासपा ग्रिड स्टेशन से 11 के.वी.ए. की एक लाइन पोषाणा 11 के.वी.ए. स्टेशन तक खींची गई है। यह लाइन दासपा से पोषाणा के बीच 2 किलोमीटर नदी को क्रास करके सीमेंट पोल खड़े करके डाली गई है। सायला पंचायत समिति के गांव देताकला, देताखुर्द, उनड़ी, रूध, नाथपुरा, विशाला, पुनराऊ, पाथेड़ी, कोमता आदि गांवों में विद्युत सप्लाई करने हेतु पोषाणा से देता तक 11 के.वी.ए. लाइन खींची गई है। उक्त लाइन भी जवाई नदी के दो किलोमीटर नदी में सीमेंट पोल खड़े कर खींची गई है। इस प्रकार इन गांवों में विद्युत पहुंचाने हेतु दो बार नदी को क्रॉस कर, नदी में पोल खड़े कर सप्लाई की जाती है जिससे जब भी नदी में अधिक पानी आता है तो विद्युत पोल गिर जाते हैं और सप्लाई 3–4 महीने तक बिल्कुल बन्द हो जाती है।

जबकि उपरोक्त गांव नदी के इस ओर भीनमाल उपखण्ड से लगते हुए हैं। जिन्हें सीधी विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के.वी.ए. सब ग्रिड स्टेशन दासपा पर एक ट्रांसफार्मर 1.6 के. वी. ए. का लगाकर की जा सकती है। जिससे इन गांवों को बारिश के मौसम में भी विद्युत सप्लाई करने में कोई व्यवधान नहीं होगा। वर्तमान में लम्बी दूरी तय कर जो लाइन खींचने से इन गांवों को वोल्टेज प्राब्लम हो रही है, यह समस्या भी नहीं रहेगी।

सायला पंचायत समिति के गांव देताकलां, देताखुर्द, ऊनड़ी, रुघनाथपुरा, विशाला, पुनराऊ, पाथेड़ी, कोमता आदि वर्तमान में जालौर विद्युत खण्ड में स्थित हैं जबकि नदी के इस पार होने से जालौर के सायला उप खण्ड से इन गांवों की मेण्टिनेंस एवं प्रशासनिक देखरेख में असुविधा एवं शिथिलता रहती है। अत: उपरोक्त गांवों की वर्तमान भौगोलिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए भीनमाल विद्युत खण्ड के अन्तर्गत जोड़ने के आदेश प्रसारित कराएं। उक्त गांव भीनमाल से सीधे सड़कों से जुड़े हैं और इन गांवों के उपभोक्ता सभी तरह की सुविधा हेतु भीनमाल विद्युत खण्ड और भीनमाल उप खण्ड से जुड़ना चाहते हैं।

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

उपरोक्त तथ्यों को सदन के पटल पर रखते हुए विद्युत मन्त्री जी से पुरजोर शब्दों में मेरा आग्रह है कि उक्त गांवों को 33 केवीए सायला सब ग्रिड स्टेशन की जगह दासपा पर 1.5 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा–कर विद्युत आपूर्ति कराएं एवं इन गांवों को जालौर विद्युत खण्ड के सायला उप खण्ड से हटा कर भीनमाल विद्युत खण्ड से जनहित में जोड़ दिया जाय। साथ ही सायला पंचायत समिति के तिलोड़ा में प्रस्तावित 33 केवीए सब ग्रिड स्टेशन पर शीघ्र कार्य कराया जाय और तिलोड़ा–सायला 34 किलोमीटर की 33 केवीए लाइन खींचकर जोड़ा जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गोपाल सिंह खण्डेला। (अनुपस्थित) श्री फूलचन्द गुर्जर।

आबकारी विभाग द्वारा कतिपय लोगों को अनुचित लाभ

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा सांठ-गांठ कर नियम कानूनों के विपरीत कार्यवाही कर कतिपय लोगों को करोड़ों रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाने की साजिश के क्रम में नियम 295 के तहत निवेदन है कि आबकारी विभाग में प्रशासन एवं ठेकेदारों का चोली–दामन का साथ होने के साथ–साथ इनमें इतना सुदृढ़ समन्वय स्थापित है कि आब–कारी विभाग के संचालन हेतु बनाये गये नियम एवं अधिनियमों का व्यावहारिक रूप में कहीं कोई स्थान नहीं है। इसका ज्वलन्त उदाहरण है जिला एवं अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी कार्यालय, जयपुर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी विभाग में मदिरा दुकानों को स्थापित करने हेतु नियम एवं शर्तें विभाग द्वारा लिखित में निर्मित एवं प्रकाशित हैं तथा कानूनन यह आवश्यक है कि विभाग के कार्य संचालन में उन निर्मित नियमों का कठोरता से पालन हो। यह इसलिए भी आवश्यक है कि आबकारी विभाग मदिरा के व्यवसाय को नियन्त्रित करता है। यह व्यवसाय समाज एवं बाजार में अन्य व्यवसायों के साथ स्थापित और संचालित होने के कारण मदिरा की दुकानें स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा नियम बनाये हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी शराब की दुकानों की स्थापना हेतु खुदरा लाइसेंस की शर्तों में कहीं भी अंग्रेजी शराब की दुकानों को लगाने हेतु नियमों में छूट देने का प्रावधान नहीं है; किन्तु जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर द्वारा जयपुर शहर में अंग्रेजी शराब की नियम विरुद्ध चल रही लगभग 10 दुकानों पर नियमों को ताक में रखकर ठेकेदारों के हित का ध्यान रखकर छूट आबकारी आयुक्त से प्राप्त कर ली गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह देखने और सुनने में आश्चर्यजनक तथ्य है कि नियमों में प्रावधान नहीं है और एक जिलाधिकारी नियम विरुद्ध संचालित दुकान को बन्द करने की जगह छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है तथा विभागाध्यक्ष आबकारी आयु-क्त बिना नियम देखे, अधिकृत नहीं होते हुए भी छूट प्रदान कर देता है। क्यों? किस कारण से? किस नियम एवं किसे

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

अधिकार से ? यह तथ्य देखने योग्य है, जाँच करने योग्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय कार्य में मैनिपुलेशन, उत्तरदायित्व निर्वहन में लापरवाही एवं मनचाहे तरीके से अधिकारियों द्वारा किये गये नियम विरुद्ध कार्य का उदाहरण देखिये कि स्वयं जिला आबकारी अधिकारी ने जयपुर में 10 दुकानें नियम विरुद्ध चल रही 30.7.1991 को पकड़ीं। इनमें से 6 दुकानों को तत्काल निरस्त कर दिया गया तथा 4 दुकानों पर नियमों में छूट प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भेज दिये गये। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि जब नियमों में अंग्रेजी शराब की दुकानों पर छूट का प्रावधान ही नहीं है तो प्रस्ताव किस प्रकार एवं किस नियम से भेजे गये ? स्वीकार किये गये ? यहां यह भी प्रश्न उठता है कि नियम विरुद्ध 10 दुकानों में से 6 दुकानें ही क्यों निरस्त की गयीं ? पूरी 10 दुकानों को ही क्यों नहीं निरस्त कर दिया गया ? यह रहस्य भी आगे उजागर होता है कि दो हफ्ते बाद ही निरस्त की गयी 6 दुकानों में से ठेकेदारों की चार दुकानों पर संभागीय आयुक्त ने बिना नियमानुकूलता की जांच किये स्टे दे दिया तथा राजकीय उपक्रम आर टी.डी.सी. की निरस्त की गयी दो दुकानें बन्द करा दी गयीं। सारांश यह है कि नियम विरुद्ध पाये जाने के बावजूद भी ठेकेदारों की एक भी दुकान बन्द नहीं हुई। चार दुकानें स्टे से, जिस पर छः माह से जानबूझकर सुनवाई नहीं करवायी गयी और चार दुकानें छूट प्रस्ताव भेजकर, जो नियमों में नहीं है तथा छूट आज दिन तक प्राप्त नहीं है, बेधड़क जयपुर में चलायी जा रही हैं। माननीय मंत्री महोदय तक को तथ्यों को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत कर अधिकारियों द्वारा गुमराह किया जा रहा है जब कि वस्तु स्थिति और ही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला अत्यन्त गम्भीर तथा अधिकारियों की ठेकेदारों से मिलकर नियम विरुद्ध पक्षपातपूर्ण कार्यवाही अंजाम दिये जाने का है। इस सम्बन्ध में देखने योग्य तथ्य यह भी है कि जयपुर शहर हेतु टेण्डर में अंग्रेजी शराब की दुकानों के स्थान टेण्डर में निर्धारित एवं प्रकाशित नहीं हैं। टेण्डर में स्पष्ट लिखा है कि अंग्रेजी शराब की एक से छियासठ तक दुकानें जयपुर शहर में ठेकेदार लगा सकता है। कहां लगा सकता है, यह ठेकेदार के आवेदन एवं स्थल की नियमानुकूलता पर निर्भर करता है। फिर सवाल यह है कि ठेकेदार को नियम विरुद्ध स्थल पर दुकान लगाने की इजाजत देना तथा उस पर भी नियमों में प्रावधान नहीं होने के बावजूद छूट नियमों में दिये जाने का क्या औचित्य है ? अधिकारियों की इसके पीछे मंशा क्या है ? क्या सरकार द्वारा नियम इस प्रकार की पालना करने के लिए ही बनाये गये हैं ? अधिकारी इसी तरह अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं ? क्या यह कार्य दुराचरण नहीं है ? यह देखने एवं जांचने योग्य तथ्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब आपके समक्ष एक ही प्रकृति के मामले में एक ही अधिकारी द्वारा दिये गये कार्य को रख रहा हूं। उपरोक्त तथ्य जयपुर शहर से सम्बन्धित है

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

जहां आबकारी के जिलाधिकारी नियमों में प्रावधान नहीं होने के बावजूद भी अंग्रेजी शराब की नियम विरुद्ध दुकानें चला रहे हैं। छूट प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भेज रहे हैं। दूसरी ओर जयपुर के पास के फुलेरा समूह के लिए देशी मदिरा शर्त संख्या 11(5) में प्रावधान होने के बावजूद भी ठेकेदार द्वारा आवेदित बिचून दुकान छूट प्रस्ताव को जानबूझकर निर्णीत नहीं किया गया है। बिचून ग्राम पंचायत के भौगोलिक एवं राजस्व क्षेत्र में स्वीकृति चाहता हूं। पूर्व वर्षों में विभाग द्वारा इस प्रकार की स्वीकृतियां भी दी गयी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : गुर्जर साहब, कितना लम्बा है?

एक माननीय सदस्य : जितने ये लम्बे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, आपकी लम्बाई के बराबर है।

श्री फूलचन्द गुर्जर : एक मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं।

नियमों में प्रावधान भी है किन्तु पड़ौस के ठेकेदार एवं जिला आबकारी अधिकारी/अतिरिक्त आयुक्त नहीं चाहते कि बिचून में दुकान लगे।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 500 शब्दों से ज्यादा हैं कि कम हैं?

श्री उपाध्यक्ष : 500 से अधिक तो अलाऊ नहीं करते हैं लेकिन बोलने का....

श्री सम्पत सिंह : बगावत तो कर रहे हैं शहरी ठेकेदारों की। उपाध्यक्ष महोदय, इस पर व्यवस्था दें आप।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में है कि 500 से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए।

श्री सम्पत सिंह : तो फिर बाकी के डिलीट कराओ।

श्री उपाध्यक्ष : यह स्वीकार कर लिया गया है।

श्री फूलचन्द गुर्जर : 500 से ज्यादा नहीं है। मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी पूरा करो।

श्री फूलचन्द गुर्जर : बस जल्दी समाप्त कर रहा हूं।

अतः स्वीकृति दिया जाना तो दूर आयुक्त को प्रस्ताव ही नहीं भेजे गये। क्यों? जब एक ओर नियमों में नहीं होने के बावजूद अंग्रेजी शराब की दुकानों के नियमों में छूट प्रस्ताव आनन–फानन में भेजे जा रहे हैं तो दूसरी ओर नियमों में प्रावधान होने के बावजूद भी देशी मदिरा दुकान बिचून हेतु छूट प्रस्ताव क्यों नहीं भेजे, स्वीकार किये गये? क्या यह पक्षपातपूर्ण कार्यवाही नहीं है? विभाग आज तक यह नियम नहीं बता सका है कि बिचून दुकान ग्राम पंचायत बिचून के भौगोलिक एवं राजस्व क्षेत्र में क्यों नहीं लग सकती है? जब दुकान बन्द करने हेतु पूरी ग्राम पंचायत के मतदाताओं के दो तिहाई भाग से निर्णय लिये जाने का आबकारी विभाग में नियम है तो दुकान लगाने हेतु सम्पूर्ण पंचायत

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

क्षेत्र को क्यों नहीं माना जा रहा है ? नियमों में कहीं अवरोध नहीं है। यदि कहीं अवरोध है भी तो नियमों में होते हुए भी इसे छूट क्यों नहीं दी गयी है जब अन्य को नियमों में नहीं होते हुए भी छूट दी गयी है। मैं आबकारी मन्त्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्वयं देख लें, उपरोक्त स्थिति अक्षरशः सही एवं आपके विभाग में अंजाम दी जा रही है। आप तथ्यों की जांच एवं पुनर्निरीक्षण करा लें कि ऐसा क्यों एवं किस नियम में हो रहा है ? इसके अतिरिक्त जब आबकारी दुकानें लगाने हेतु नियम बने हुए हैं, इसका सीधा जनता से सम्बन्ध है तो नियमों में छूट देने का क्या औचित्य है ? सरकार सीधी जनता के प्रति जवाबदेह है, फिर ठेकेदारों को नियमों में छूट क्यों ? कृपया इस प्रवृत्ति को अविलम्ब तरीके से रोकें तथा छूट का प्रावधान ही समाप्त कराएं।

यह बहुत गम्भीर मामला है, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जरूर स्पष्टीकरण दें। यह सीधा जनता से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप, हर मामला जनता से जुड़ा हुआ है। बोलिये, माननीय आबकारी मंत्रीजी।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस स्टेटमैण्ट में दो बातें.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, प्रावधान है। अगर मंत्री चाहे तो उत्तर दे सकता है।

श्री सम्पत सिंह : बलात्कार का केस था माननीय सुमित्रा सिंह जी का, जिसका जवाब नहीं दिया। यह मिली–जुली कुश्ती क्यों होती है ?

श्री उपाध्यक्ष : There is no compulsion of answering the question, आप सबको मालूम है। 295 में जरूरी नहीं कि उत्तर दिया ही जाय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सही बात है, मिलीभगत है। मिलीभगत है क्या यह ?

श्री उपाध्यक्ष : नो मिलीभगत एट आल।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फिर ?

श्री उपाध्यक्ष : उस दिन माननीय गृह मंत्रीजी नहीं थे हाउस में, इसलिए नहीं हुआ।

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा, जो कागज मुझे अभी बारह बजे करीब मिला उसमें दो बिन्दु देखने में आ रहे हैं। एक तो लोकेशन की अवैधता ध्यान में आने पर भी उन दुकानों को बन्द नहीं कराने के विषय में बताया है। हम इसकी जांच करवा लेंगे।

दूसरा प्रकरण बताया है जयपुर जिले की बिचून दुकान को नियमानुसार स्वीकृति नहीं देने के विषय में। वैसे तो विभाग ने मुझे यह बताया है कि यह मैटर सबज्यूडिस है, परन्तु इसके प्रशासनिक पक्ष में नियमों की अनदेखी कर यदि किसी को अनुचित लाभ या हानि पहुंचाने की कोशिश की गयी

(श्रीमती विद्या पाठक)

है तो उसकी समुचित जांच करवा ली जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह बताना भी जरूरी समझती हूं कि अब तक जो नियम विभाग में बने हुए हैं उनमें इतना वाइड लैटीट्यूड आफ डिस्क्रशन है कि जैसे चाहें इण्टरप्रेट कर लें। उसमें भ्रष्टाचार भी पनपता है, मनमानी भी पनपती है। उन लूपहोल्स को प्लग करके, जैसे-जैसे ध्यान में आता है, नियमों को और समुचित और प्रैक्टिकल बनाने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री जोगेश्वर गर्ग।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के संदर्भ में

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान किसानों की व्यावहारिक कठिनाई की ओर दिलाना चाहता हूं।

किसानों के खेतों तक पहुचने के लिए सामान्यतया मार्ग निर्धारित होते हैं। उन मार्गों पर कोई अवरोध पैदा हो जाने अथवा किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण करके अवरोध पैदा कर दिया जाने की स्थिति में इस मार्ग को खुलवाने के लिए तो उपरोक्त कानून में पर्याप्त प्रावधान है। किन्तु नया मार्ग निर्माण करने के अधिकार किसी कानून के अन्तर्गत नहीं हैं।

गांवों से खेतों तक पहुंचने के लिए राजस्थान अभिलेख में जो मार्ग दर्ज हैं वे सामान्यतया प्रथम भू-प्रबन्ध (फर्स्ट सैटलमेंट) के समय से ही दर्ज हैं। उसके बाद जब कभी भी प्रबन्ध कार्य हुआ उसमें मौके की स्थिति को देख कर अनुपयोगी हो गये, मार्गों को समाप्त तो कर लिया गया किन्तु आवश्यकता के अनुरूप नये मार्ग नहीं बनाये गये।

राजस्व भूमि में पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारा होता है। इसके अलावा किसी खसरे के आंशिक बेचान अथवा हस्तांतरण से भी बंटवारा होता है। इस बंटवारों के कारण कोई ऐसा खेत जो पहले किसी मार्ग से जुड़ा हुआ होते हुए भी बंटवारे के बाद उसका कोई हिस्सा मार्ग से इतना दूर पड़ जाता है कि वहां तक पहुंचाना कृषक के लिए एक समस्या बन जाता है। ऐसी स्थिति में कृषक चाहता है कि उसे भी अपने खेत तक पहुंचने के लिए मार्ग की सुविधा प्राप्त हो जाय। यह प्रार्थना लेकर जब कृषक राजस्व विभाग के द्वारा खटखटाता है तब उसकी मांग से और उसकी समस्या से पूर्णतया परिचित एवं सहमत होते हुए भी अधिकारी उसकी कुछ भी मदद कर पाने में स्वयं को विवश पाते हैं। कारण कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जिसके तहत अधिकारी नया मार्ग बना सकें। ऐसी स्थिति में अनेक काश्तकारों को एक स्थाई समस्या को झेलते रहना पड़ता है।

अत: सदन के माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 में आवश्यक संशोधन

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

कर ऐसा प्रावधान करें कि तहसीलदार एवं ग्राम पंचायतों को आवश्यकतानुसार नये मार्ग प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हो सके ।

मुझे विश्वास है कि यह संशोधन हजारों किसानों को राहत पहुंचाने वाला होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामस्वरूप जी मेघवाल । (अनुपस्थित) ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री ईश्वरलाल सैनीजी का था सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में, लेकिन वह अभी अनुपस्थित हैं, इसलिए वह नहीं लगेगा ।

दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री मदन दिलावर, सदस्य विधान सभा—मध्य-प्रदेश के गुना जिले में विजयपुर खाद कारखाने हेतु पार्वती नदी के पानी को रोकने के ऊपर सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

श्री दिग्विजय सिंह (गृहमंत्री) : श्री सैनीजी के प्रस्ताव पर आप व्यवस्था दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बारे में व्यवस्था अलग से दी जायेगी । आज अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री भंवरलाल शर्मा : नियम में यह है कि दुबारा नहीं लगेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ।

श्री दिग्विजय सिंह : जो सदन में उपस्थित नहीं होते हैं उनका लेप्स हो जाता है । इस पर आप निर्णय तो दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : निर्णय यही है कि जो यहां पर उपस्थित नहीं हैं वह लेप्स होते ही हैं ।

पार्वती नदी का पानी रोके जाने से सिंचाई में असुविधा

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान पार्वती नदी के पानी को मध्य प्रदेश के गुना जिले में विजयपुर खाद कारखाने हेतु पानी को रोक लेने से कृषकों को सिंचाई में हो रही असुविधा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंचाई मंत्रीजी ।

श्री कैलाश मेघवाल (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पार्वती पिकअप बीयर योजना राजस्थान बनने से पूर्व में 12000 एकड़ भूमि में सिंचाई हेतु निर्मित की गई थी । तत्पश्चात् इसके आधुनिकीकरण की योजना वर्ष 1978 में तैयार की गई । नगर के जीर्णोद्धार एवं आंशिक आधुनिकीकरण करने से पिछले 7 वर्षों में की गई सिंचाई का विवरण निम्न अनुसार है :—

(श्री कैलाश मेघवाल)

वर्ष	खरीफ (एकड़ में)	रबी (एकड़ में)	कुल (एकड़ में)
1985–86	8951	24625	33576
1986–87	11448	18869	30312
1987–88	9575	20308	29883
1988–89	6219	15376	21593
1989–90	1018	8146	10064
1990–91	1018	25378	27296
1991–92	5200	25000	30200 (प्रस्तावित)

उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार, पिछले 6 वर्षों में औसतन सिंचाई 28810 एकड़ क्षेत्र में हुई तथा मात्र 1 वर्ष में 10064 एकड़ में हुई, क्योंकि इस वर्ष नदी में प्रवाह अल्प मात्रा में उपलब्ध था।

पार्वती पिकअप वियर तक पार्वती नदी का 86.05 प्रतिशत जल ग्रहण क्षेत्र मध्य प्रदेश में है तथा शेष 14.5 प्रतिशत राजस्थान में है। आमतौर से किसी राज्य द्वारा अन्तर्राज्यीय नदियों से पूर्व में किये गये जल उपयोग को सुरक्षित उपयोग की श्रेणी में माना जाता है।

इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश राजस्थान अन्तर्राज्यीय (सिंचाई एवं विद्युत) नियन्त्रण मण्डल की 11 वीं बैठक (30 5-89) में जिसमें दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री भी उपस्थित थे, में लिये गये निर्णय के अनुसरण एक अध्ययन दल गठित किया गया है, जिसमें दोनों राज्यों के सिंचाई एवं विद्युत मण्डल के मुख्य अभियन्ता हैं तथा मध्य प्रदेश के इंजीनियर-इन-चीफ आयोजक हैं। अध्ययन दल कोटा बैराज के नीचे चम्बल घाटी के बहने वाले जल का आंकलन एवं अनुकूलतम उपयोग हेतु अध्ययन कर रहा है जिसका प्रतिवेदन नियंत्रण मण्डल को दिया जायेगा।

राज्य सरकार यह प्रयत्न करेगी कि अध्ययन दल इस प्रकरण पर भी विचार कर, राजस्थान में उपयोग में लिये जा रहे जल को सुरक्षित उपयोग माने ताकि पार्वती पिकअप बीयर पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अगर आवश्यक हुआ तो मध्यप्रदेश सरकार से भी इस विषय में वार्ता की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदन दिलावर जी आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री मदन दिलावर : थोड़ी भूमिका बनानी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं भूमिका की तो यहां जरूरत नहीं है। आपने जो खाद कारखाने का पूछा था।

श्री हेमराज मीणा : किसानों का मामला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्यों बोल रहे हैं ? आप नहीं बोलेंगे क्या ?

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसनपुर गांव के पास पिकअप गियर बनाया गया 12000 एकड़ के लिए मध्य-प्रदेश का जो कैचमैंट एरिया है इसमें वह 3490 वर्ग मील और राजस्थान का कैचमेण्ट एरिया 542 वर्ग मील है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बताया कि उस समय जो तय किया हुआ था कि 542 वर्ग मील में ही पानी दिया जा सकता है। वह दिया जा रहा है। माननीय मंत्रीजी जो कह रहे हैं इनको गलत आंकड़े उपलब्ध करवाये गये हैं। क्योंकि पानी किसनपुर और पिकअप बीयर है उसके ऊपर 50 प्रतिशत भूमि में में ही केवल पिलाई होती है और उसको ही इन्होंने पूरा सिंचित होना मान लिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब 1941 में इसकी लागत 1278 लाख रुपये आई थी, आज उसकी कितनी कास्ट हो गई होगी। आज विजयपुर खाद कारखाना है उसके पास 10 फीट ऊंचा डेम स्टाक बनाने से हमारा सारा पानी रुक गया और उससे पानी का बहाव रुक गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी देना चाहता हूं कि 1986 में डेम स्टाक बनाया उसके पहले की स्थिति और आज की स्थिति की थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। 1985 में 1-11-85 से 3400 क्यूसेक्स पानी पिकअप गियर के ऊपर होकर बहकर नीचे आता था उसका पानी हमको मिलता था। 30-11-85 को 700 क्यूसेक पानी 1986 में निल, 1987 में 900 क्यूसेक्स, 16-11-87 से फिर निल, 1988 में 4 सौ क्यूसेक, 1989 में निल....

श्री उपाध्यक्ष : निल क्या बता रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि स्टाक डेम बनाने के बाद पानी का बहाव जो पिकअप बीयर पर होता था वह निल हो गया और निल होने से हमारी फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है। नहरें सूखी पड़ी हैं। माननीय मंत्री महोदय बता रहे हैं कि जितनी भूमि हमारी समझौते के आधार पर सिंचित होनी चाहिए थी वह हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत हैं। इसलिए गलत है कि पहले तो एक परिवार को एक पलेवा पानी मिलता था पूरी जमीन को उससे फसल होती थी, परन्तु पचास प्रतिशत जमीन को भी केवल एक पलेवा मिल पाता है। जमीन सिंचित नहीं हो पा रही है। इन्होंने केवल उस पलेवे को सिंचित होना मानकर के मुझे उत्तर दिया है, यह उत्तर ठीक नहीं है। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से मेरा एक निवेदन है कि जो डेम स्टाक बनाया दस फीट ऊंचा उसको हटवाया जाए। मध्य प्रदेश सरकार से बात करें, मध्य प्रदेश सरकार से जब समझौता वह था कि 542 वर्ग मील जमीन को राजस्थान की को सिंचित किया जायेगा तो उस समझौते का उल्लंघन किया और बिना राजस्थान से अनुमति लिए वहां एक डेम स्टाक बना लिया है। तो मेरा निवेदन यह है कि उसको

(श्री मदन दिलावर)

तुड़वाया जाए। पिकअप गियर में काफी मिट्टी भर गई है और वहां का पिकअप गियर की जो दीवार होती है उसको डेम कहा जा सकता है उस तक भी मिट्टी आ गई है। तो मेरा आपसे यह भी निवेदन है है कि उसकी डी सिल्टिंग करवाई जाए, उसको निकलवाया जाए, उसकी सफाई करवाई जाए। एक गेट है इस पिकअप गियर में जो जब डेम बना होगा, पिकअप गियर बना होगा तो उसके साथ ही वह गेट बना है। काफी वर्ष हो गये, पिछले साल उस गेट को खोला गया और खोले जाने से भी वह गेट टूट गया और निकला नहीं। इन कारण से जब पानी का बहाव आता है तो वह मिट्टी नहीं निकल पाती। माननीय मन्त्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि या तो उस गेट को ठीक करवाया जाए ताकि जब पानी का बहाव हो गेट खुल जाए, खुलने पर जितनी भी डी–सिल्टिंग होती है वहकर के चली जाए और यदि वह नहीं करा पाएं तो डी-सिल्टिंग किया जाए। नहरों की मरम्मत कराई जाए ताकि पानी मिल सके। अब की बार मैं उस नहर पर गया था तो रजवाया और एक और माइनर है, दो माइनर हैं। मेरे क्षेत्र में आती हैं, उनको पानी नहीं दिया गया। काश्तकारों के काफी लड़ने झगड़ने के बाद एक पलेवा उन लोगों का हो पाया। जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने एक जगह यह भी कहा कि पहले से ज्यादा फसल का उत्पादन हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : 25 हजार बीघा बताया है इन्होंने।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, फसल का उत्पादन पहले से ज्यादा नहीं हुआ। लोगों ने कम पानी मिलने से सरसों बोई है, उसका उत्पादन हुआ है। गेहूं जो होता था उसका उत्पादन हो ही नहीं पाया है। हमें गेहूं बाहर से किसी से मोल लेना पड़ेगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरी समस्या का समाधान करें और यह हजारों काश्तकारों के जीवन से जुड़ा हुआ मामला हैं इसलिए इस पर ध्यान दें और इसका समाधान करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से तीन-चार सवाल मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं। क्या मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से या सी.डब्ल्यू.सी. से स्टाक डेम बनाने की परमिशन ली है ? क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 540 वर्ग मील कैचमेंट एरिया राजस्थान का पड़ता है तो राजस्थान की और सी.डब्ल्यू.सी. की परमिशन के बिना मध्यप्रदेश सरकार किसी भी प्रकार का कोई स्टाक डेम नहीं बना सकती।

दूसरा, मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि बिना परमिशन के चार लिफ्टों का निर्माण उस नदी पर मध्यप्रदेश की सीमा में किया गया है। चारों लिफ्टों से 1200–1200 एकड भूमि उस मध्यप्रदेश एरिया में सिंचित होती है। उपाध्यक्ष महोदय उसके कारण ही हमारा जो कैचमेंट एरिया था, हमारा जो जो सिंचाई का एरिया था उसके अन्दर

(श्री हेमराज मीणा)

अन्तर आया है, उसकी भी परमिशन सरकार ने हमारी राज्य सरकार से नहीं ली।

तीसरा, 2,158 हैक्टेयर भूमि जिसकी सिंचाई सुविधा इस डेम के द्वारा अटरू, मांगरोल और बारां क्षेत्र को सुविधा प्राप्त थी, स्टाक डेम बनाने से इस सिंचाई सुविधा में कमी आई है। क्या मन्त्री महोदय इस सिंचाई सुविधा को बढ़ाने के लिए इस डेम के अलावा, अन्य कोई इन्तजाम करेंगे ? मन्त्री महोदय बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दकिशोर शर्मा।

श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि विजयपुर फर्टिलाइजर पानी जो पिकअप वियर उन्होंने बनाया दस फीट ऊंचा उससे लेते हैं हमारी सरकार को चाहिए कि उन्होंने बिना पूछे बनाया है इसलिए उस पानी को उससे लेना बंद कराएं व उसकी व्यवस्था विजयपुर फर्टिलाइजर दूसरी कोई करे। तो सरकार क्या यह करेगी ?

दूसरी बात यह है कि चार लिफ्टें केवल बनाई गई हैं, चार लिफ्टें तो सरकार ने लगा रखी हैं। बाकी 60 मोटरें, कम से कम जो छबड़ा क्षेत्र से अड़ा हुआ इलाका पड़ता है उसमें उन्होंने हमसे बिना पूछे 60 मोटर करीब दस-दस बीस-बीस हार्स पावर की लगी हुई हैं जो सारा पानी ले जाती हैं और बारां को और किसी को पानी नहीं मिलता।

श्री उपाध्यक्ष : 60 मोटरें किसने लगा रखी है, किसानों ने लगाई हैं क्या ?

श्री नन्द किशोर शर्मा : इजाजत तो मध्यप्रदेश ने दी है उधर से। चार लिफ्टें सरकार ने बनाई हैं और कम से कम 60 मोटरें किसानों ने लगा रखी हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी हैं। उधर बिजली का कनेक्शन कम से कम एक महीने में मिल जाता है इसलिए वह ज्यादा मोटर लगाते हैं। हमारे जो लोग है उनके मोटर का कनेक्शन केवल चार है, 90 किलोमीटर लाइन में केवल चार हैं, मिल नहीं पाता और उनके 64 हैं, तो हमारी सारी सिंचाई सूख जायेगी।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, तीनों माननीय विधायकों की चिन्ता वाजिब है और इसीलिए सरकार भी उसको उसी गम्भीरता से लेगी। राजस्थान में यह जो पार्वती नहर प्रणाली है, एक डाइवर्शन योजना है। और इस डाइवर्शन योजना का जो पानी आता है वह नदी के बहाव के साथ जुड़ा हुआ है। नदी के बहाव में पानी ज्यादा होता है तो हमको भी मिल जाता है। अब यह जितने कार्य मध्यप्रदेश सरकार ने कराए हैं यह उनके अपने क्षेत्र में है, उनका अपना भूखण्ड है वहां उन्होंने करवाये हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : करा नहीं सकते।

श्री कैलाश मेघवाल : अब वह तो आपको मालूम है यह मामला चल रहा है, अपन ने पहले भी उठा रखा है। मध्य प्रदेश सरकार के साथ इसके बारे में पहले से वाद-विवाद चल रहा है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, तीनों सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार हर स्तर पर, जैसा मैंने पहले निवेदन किया; नियंत्रक मण्डल के स्तर पर, मन्त्री स्तर पर, हमारा जो कमिटेड

(श्री कैलाश मेघवाल)

यूज है, मध्यप्रदेश से आने वाली पार्वती नदी पर हमारा जो कमिटेड वाटर हमको मिलना चाहिए यह कमिटेड वाटर सुरक्षित होकर हमें मिलता रहे और हमारी जो सिंचाई प्रणाली है इस पिकअप गियर से वह सिंचाई के बिना नहीं रहे यह राज्य सरकार की हमेशा कोशिश रहेगी। मैं यही आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री मदन दिलावर : एक बात और पूछना चाहता हूं परन्तु जितना पानी अभी अपने को मिल पा रहा है उसका सही ढंग से उपयोग करने के लिए डी–सिल्टिंग करवा लिया जाए उस पिकअप गियर का और जो नहर है वह भी ठीक हो, वह सीपेज नहीं हो पानी, उसका उपाय किया जाए।

श्री कैलाश मेघवाल : यह राजस्थान सरकार के अपने अधिकार की बात है। डी–सिल्टिंग और फाटक ठीक करने का, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सिंचाई विभाग अपने स्तर पर यह कार्यवाही करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रिछपाल सिंह जी, श्री हबीबुर रहमान, श्री रामकरण, श्री मोहनलाल (परबतसर), श्री मोतीलाल, सदस्य विधान सभा जिला नागौर के ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में पिछले लम्बे समय से अध्यापकों की कमी होने के कारण ठप्प हो रहे अध्यापन कार्य से उत्पन्न स्थिति की ओर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

नागौर जिले में ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला नागौर के ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लम्बे समय से अध्यापकों की कमी के कारण ठप्प हो रहे अध्यापन कार्य से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय पंचायती राज मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जिला कलक्टर नागौर से जो उत्तर प्राप्त हुआ है वह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

जिला कलक्टर नागौर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तथ्य यह है कि नागौर जिले में ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शाला हेतु जिला परिषद नागौर द्वारा 1043 रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 5/91, 6/91 जारी किये गये थे जो क्रमशः 478 अध्यापकों एवं 565 महिला अध्यापिकाओं हेतु थे क्योंकि श्यामपट्ट योजना के अन्तर्गत 565 पद महिला अध्यापिकाओं के रिक्त चले आ रहे हैं। उक्त विज्ञापनों के माध्यम से चयन की प्रक्रिया शुरू करने पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट संख्या 6401–91 एवं 6490–91 दायर कर अस्थाई अध्यापकों द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये गये जिससे चयन प्रक्रिया रुक गई। उक्त दोनों याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय में जबाव प्रस्तुत कर दिया गया है। इसी प्रकार नागौर जिले की 11 पंचायत समितियों में 366 अस्थाई नियुक्त अध्यापकों ने भी माननीय उच्च

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखे हैं। जिसकी वजह से मात्र 677 पद ही रिक्त रह जाते हैं तथा उनमें भी 565 पद श्यामपट्ट योजना जो केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है, के अन्तर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। माननीय सदस्यों के सुझावों के अनुसार उक्त रिक्त पदों की भर्ती हेतु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र दिला कर अस्थाई भर्ती पंचायत समिति द्वारा किये जाने के लिये कहा है। मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता। चूंकि जिला परिषद द्वारा आवेदन आवंटित किये जा चुके हैं व माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को निरस्त करवाने की कार्यवाही चल रही है इस तरह के आदेश सी-ओज को व्यक्तिगत जिम्मेदारी देकर आदेश दिये गये हैं कि जो भी माननीय उच्च न्यायालय में इस तरह के स्टे हैं वह उनमें स्वयं पैरवी करें चाहे विभाग को दूसरा वकील करना पड़े और आने वाली पेशी में ही उनको हटाने की कार्यवाही करावें। स्थगन आदेश के हटते ही रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही पुनः शुरू की जायेगी। अस्थाई नियुक्तियों के सम्बन्ध में नागौर जिले में पिछले वर्षों में 99 प्रशिक्षित एवं 267 अप्रशिक्षित अध्यापकों को भी पंचायत द्वारा सेवा में लिया गया था जिनको हटाने की कार्यवाही अभी तो सम्भव नहीं है क्योंकि उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखे हैं। यदि पुनः अस्थाई तौर पर अध्यापक पंचायत समितियों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं तो उक्त अस्थाई पदों पर नियुक्त अध्यापक येन-केन प्रकारेण गांव में बने रहना चाहते हैं। इससे नियमित चयन की प्रक्रिया में बहुत सी बाधा उत्पन्न होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनियमित नियुक्ति के कारण माननीय उच्च न्यायालय के दस जिलों में स्टे चल रहे हैं। हमने डेढ़ महीने के प्रयास में कोशिश की है कि वहां से स्टे हटे और नियमित चयन प्रक्रिया द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति हो। अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिये भी सुप्रीम कोर्ट, से यह फैसला हो गया कि प्रशिक्षित या चयनित अध्यापक मिलते ही अप्रशिक्षित अध्यापकों को हटा दिया जाए और उनकी एवज में उनको लगाया जाय तो इस तरह से काफी घपला चला हुआ था वह अब सुलझने में आ रहा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 15-20 दिनों के अन्दर-अन्दर ज्यादातर स्टे के जो मामले हैं उनका सुलटारा होने की सम्भावना है। मेरा यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रिछपाल।

श्री रिछपाल सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से दो-तीन सवाल पूछना चाहूंगा। एक तो यह कि यह स्वीकृत पद कब से खाली हैं, इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? दूसरा प्रश्न है, अनियमित नियुक्तियां जिन्होंने की है उनके विरुद्ध सरकार क्यों कार्यवाही करने जा रही है?

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरधारामजी।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यापकों के रिक्त पदों का जो मामला है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे नागौर जिले में कई सालों से और महीनों से अध्यापकों के पद रिक्त हैं।

(श्री बिरधाराम चौधरी)

मैंने भी इस सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न उठाया था। उसमें यही जवाब आया है कि माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश है इसलिये उनको नहीं भरा जा सकता है। मेरा निवेदन है कि, मैं दो-तीन स्पेसिफिक प्रश्न ही पूछना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि, आपने जो दो मुकदमें बतायें हैं 1991 के तो यह उनके नोटिस विभाग को कब, किस-किस तारीख को मिले ? नोटिस मिलने के स्थगन आदेश से एक्स पार्टी दिये गये या नोटिस मिलने के बाद में आपके विभाग को सुन कर दिये गये ? तीसरी बात यह है कि आपने नोटिस मिलने के कितने दिन बाद में वकील किया ?

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, लगातार दो वर्षों से नागौर जिले के अध्यापकों के, जो ग्रामीण अंचल के हैं, रिक्त पदों के बारे में कई बार इस सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और आपकी तरफ से हमेशा यही जवाब दिया जा रहा है कि उनको शीघ्र ही भर दिया जायेगा। आज हालत यह है कि कई स्कूलों में सौ से भी ज्यादा बच्चे हैं और केवल एक अध्यापक लगा हुआ है। वह भी किसी कारण से छुट्टी पर चला जाता है तो कई दिनों तक स्कूलें बन्द रहती हैं। इस प्रकार बच्चों के जीवन के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। न तो पढ़ सकते हैं न अपने परिवार का कार्य ही कर सकते हैं तो माननीय पंचायत राज्य मंत्रीजी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि हमने विज्ञप्ति जारी कर दी इन्टरव्यू के लिये और मैं मानता हूं कि दो साल से, इससे भी ज्यादा समय से एडवट्राइजमेंट जारी किये अभी तक यह तीन सौ कुछ मामलों के लिये स्टे बताते हैं। अव्वल तो यह अनियमित नियुक्तियां की और इतने लम्बे समय के बाद भी नियुक्ति देने वाले के खिलाफ आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और साल भर से ज्यादा हाई कोर्ट में रिट्स चल रही है उनमें सही ढंग से पैरवी नहीं हो रही है और स्कूलों के अन्दर बाकी के करीब सात सौ रिक्त पद हैं और कहते हैं कि लेडीज के हैं। क्या यह महिला शिक्षक इनको उपलब्ध नहीं हैं ? हजारों की तादाद में बी.एड. पढ़े हुए शिक्षक/अध्यापक बेकार घूम रहे हैं। इप्लाई कर रखा है उसके बावजूद भी उनको आज तक चयनित क्यों नहीं किया गया, इसके लिये स्पष्ट जवाब तत्काल दें और नये साल में उसकी व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल चौहान।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नागौर जिले का गम्भीर मामला है। हाई कोर्ट में दो साल से स्टे चल रहे हैं। एक स्टे तो एक साल से चल रहा है और एक, एक साल के पहले से चल रहा है। हाई कोर्ट कई सालों तक निर्णय नहीं करेंगे। क्या यह रिक्त पद आप नहीं भरेंगे ? क्या स्कूलें खाली रखेंगे आप ? स्कूलों के खाली पदों के लिये आप व्यवस्था करें, दूसरे जिलों से एन.ओ.सी. ले लें अपाइन्टमेंट देने की। कण्डीशनल तीन महीने का आदेश दे सकते हैं, छः महीने का दे सकते हैं इसमें आपको कौनसी अड़चन आ रही है ? इस तरह आप स्कूलों को कितने

(श्री मोहनलाल चौहान)

दिनों तक खाली रखेंगे ? मैं तो आश्वासन चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी घोषणा करें कि नागौर जिले में कण्डीशनल चाहे तीन महीने के लिये रखें, या छः महीने के लिये रखे मास्टरों की भर्ती होनी चाहिये और स्थाई तौर पर नियुक्ति होनी चाहिये। यह कब तक कर दी जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : उपाध्यक्ष जी, नोटिस कब मिला, वकील कब किया, यह तो मैं सही जवाब नहीं दे सकता, मेरे पास है नहीं। यह बात सच है कि नागौर जिले में पहले हाई कोर्ट का स्टे हुआ 1991 में, क्लियर हुआ और हमने जो मेरिट का फार्मूला बनाया और उसमें नोटिफिकेशन होने के बाद लिस्ट बनने लगी तो फिर 11वें महीने में हाई कोर्ट में पेश हो गये। अब दो तीन महीने से हम प्रयास में हैं कि यह मामला सलटे। रेगुलर नियुक्तियां डी.ई.सी. के द्वारा ही हो। पंचायत समितियों को पावर है, यह बात सही है लेकिन वह 30 दिन या 29 दिन कितने भी दिन, अगर अस्थाई तौर से लगाते हैं तो फिर क्लीयर होने के बाद मामला फिर हाई कोर्ट में जाता है। मैं कहता हूं कि सारे राजस्थान में एक बार माननीय उच्च न्यायालय से मामले सलट कर नियमित प्रक्रिया के अनुसार अध्यापकों के पदस्थापित हो जायें, नियुक्ति हो जाय, मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा। इन दोनों केसों में 6–3–92 की तारीख को हमने कोशिश की, सी.ओज. को लिखा है, 6–3 के बाद आज की तारीख है और 6–3 को इन्होंने जवाब दिया। 3–4–92 की तारीख पेशी है, मैं समझता हूं या तो आज या 10–15 दिन के बाद, कल भी मैंने बात करवाई थी कलक्टर से कि वह इसमें व्यक्तिगत रुचि लें, वकील और कोई अच्छा करना पड़े तो विभाग दूसरा कर लें लेकिन मामला जल्दी से जल्दी सलटे। तो हम प्रयासरत हैं और जैसा कि तीन महीने, दो महीने वाली बात मैं निवेदन कर दूं, वह तो फिर कानून की पेचीदगी में पड़ जायेंगे। सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया अप्रशिक्षित अध्यापकों का लेकिन हाई कोर्ट ने फिर स्टे दे दिया, लम्बा तो होता ही है जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जायेगा तब वह खारिज होंगे फिर मामला उलझ जाता है तो उस व्यवस्था को राज्य सरकार नहीं चाहती है मैं तो यही विश्वास दिला सकता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेकर मैं 15–20 दिन में आने वाली अगली तारीख, अगर मामला सुलटने वाला है उसमें कोई अप्रशिक्षित अध्यापकों का है या प्रशिक्षित अध्यापकों का है हम उनके लिये जगह खाली रखने के लिये भी तैयार हैं और फिर बाकी लोगों की पोस्टिंग कर दें, यह सरकार चाहती है तो 15–20 दिन के अन्दर-अन्दर... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आपको आश्वासन मिल गया और क्या चाहते हैं आप।

श्री मोहनलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, यह आप कर सकते हैं, हाई कोर्ट से स्टे टूटे तो उनको हटा सकते हैं आप। जो टेम्परेरी अपाइंटमेंट करेंगे, उनको क्यों नहीं हटा सकते। हाई कोर्ट से ज्यों ही क्लियर हो जायेगा तो आप हटा दें लेकिन... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक तो बोलो ।

श्री मोहनलाल चौहान : टेम्परेरी अपाइंटमेंट तो दे ही सकते हैं ।

श्री रिछपाल सिंह : नियमित नहीं कर सकते तो जिन पदों के लिए स्टे नहीं है उनको तो आप कर सकते हैं ।

श्री मोहनलाल चौहान : लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, हमारे जिले के साथ अन्याय हो रहा है, हमारी स्कूलें खाली पड़ी हैं, बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है, यह चलने वाली बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : जिन पदों के खिलाफ स्टे नहीं है, उनको भर रहे हैं ये । नहीं, उनको रोककर नहीं रखेंगे ।

श्री मोहनलाल चौहान : स्टे है, जिसके लिए विलयर है । (व्यवधान) जो 677 पोस्टें खाली पड़ी हैं और 377 पर स्टे है, तो मास्टर्स की 677 पोस्टें खाली पड़ी हैं और इनको आप नहीं भरने की कह रहे हैं । यह आश्वासन थोड़े ही चलेगा । हाई कोर्ट में स्टे है तो कंडीशनल स्टे कर सकते हैं; भर तो सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : तीन-तीन बार कोर्टों में चली गई है, सरकार और इसके लिए क्या कर सकती है ।

श्री मोहनलाल चौहान : लेकिन नियमित एक साल साल में एक बार जिला परिषद करती है, जिला परिषद तो एक साल में एक बार चयन करती है । बीच—में टेम्परेरी अपाइंटमेंट होते रहते हैं । पूरे राजस्थान में हो रहे हैं । दूसरे जिलों पंचायत समितियों में हो रहे हैं । यह इस तरह का हमारे जिले के साथ अन्याय हो रहा है, नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन की मार्फत सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि हमारे जिले में स्कूलें खाली नहीं रहनी चाहिये, टेम्परेरी अपाइंटमेंट देकर के, जब भी हाई कोर्ट से स्टे टूटे, उनको भले ही हटा सकते हैं लेकिन टेम्परेरी अपाइंटमेंट देने का आश्वासन मंत्रीजी दें ।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं ?

श्री बिरधाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि जो दो रिटें इसमें बताई हैं, दो ही नहीं हैं, इसके अलावा भी रिटें नागौर में शिक्षकों की चल रही है और जो वहां पर सी.ओ. है उसको हमेशा नागौर और हाई कोर्ट के बीच में चक्कर काटने पड़ रहे हैं और रिटों पर रिटें लग रही हैं । मेरा तो यह निवेदन है कि जब तक स्थगन आदेश हो तब तक, हालांकि यह अपाइंटमेंट नहीं हो सकते हैं लेकिन जो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, आप उनके भरोसे नहीं रहकर आप विशेष रूप से ही आपके विभाग में अलग से नागौर में जो अध्यापकों की रिटें हैं, उनके लिए अलग से एक वकील नियुक्त करें और स्पीडिली, जितना जल्दी हो सके पेशियां लेकर उसको निपटाने की कार्यवाही करें ।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी कहा है इसमें, और कुछ कहना चाह रहे हैं आप ।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा, उससे मैं सहमत हूं । मैं यहां पर डिप्टी कमिश्नर को इस काम के लिए सोमवार से कल, आज की तारीख में क्या हुआ....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये बैरवा साहब । बिराजिये ।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : मेरा एक निवेदन था ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका निवेदन नागौर का नहीं आ रहा है ।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : आगे इन्होंने राजस्थान की बात कही है । नागौर की बात नहीं है । राजस्थान की बात कही है ।

श्री उपाध्यक्ष : हां तो कर रहे हैं । बैठिये आप । काल अटेंशन मोशन तो उसी जगह का आएगा । (व्यवधान)

श्री हरलाल सिंह खर्रा : सोमवार या मंगलवार को भेजकर निगरानी के लिए, में उसको जिम्मेदारी दे दूंगा कि निगरानी रखेगा डिप्टी कमिश्नर, सी.ओ. कोई गफ–लत नहीं कर सकेगा । यही मेरा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप इसको जल्दी से जल्दी कराओ ।

श्री मोहनलाल चौहान : मंत्री महो–दय, मैं बहुत विनम्र निवेदन करता हूं, आपको टेम्परेरी अपाइंटमेंट के कंडीशनल आदेश देने में कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये । आप क्या बोल रहे हैं ।

श्री मोहनलाल चौहान : मैं आश्वासन चाहता हूं ।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : टेम्परेरी अपार्टमेंट से तो यहां एक साल से मामला उलझा हुआ है । यदि क्लियर अपार्टमेंट होता (व्यवधान)....

श्री मोहनलाल चौहान : आपको कोई दिक्कत नहीं है । खाली है आप भर दीजिये । हाई कोर्ट का स्टे आएगा इसका तब हटा दीजिये उनको । (व्यवधान) हाई कोर्ट से देर हो जायेगी ।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : अपाइंटमेंट होता तो यह मामला हाई कोर्ट में उलझता ही नहीं ।

श्री मोहनलाल चौहान : माननीय मंत्री महोदय, एन.ओ.सी. देकर के अपाइंटमेंट कर दीजिए...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहन लाल जी, बिराजिये ।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : तो पहले अट-काने की बात नहीं, डिप्टी कमिश्नर इसमें वहां पैरवी करेगा । (व्यवधान)

श्री मोहनलाल चौहान : अनट्रेन्ड हैं, पूरे राजस्थान में हो रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ये यों चाह रहे हैं कि क्या हाई कोर्ट के स्टे के अलावा भी आप अदरवाइज व्यवस्था कर सकते हैं ।

श्री मोहनलाल चौहान : हां कर सकते हैं, कर सकते हैं । राजस्थान में हो रहा है । यह गलत नहीं है । हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : हाईकोर्ट की अवमानना का क्या सवाल होगा तो उसके बारे में भी....

श्री मोहनलाल चौहान : एन.ओ.सी. दी जा सकती है, टेम्परेरी अपाइंटमेंट कर सकते हैं। विज्ञापन से चयन होने के बाद उनको हटा सकते हैं।

श्री भंवरलाल मेघवाल : हाई कोर्ट की अवमानना का सवाल ही नहीं उठता। टेम्परेरी अपाइंटमेंट एक महीने का दिया जा सकता है। एक दिन ब्रेक लेकर दूसरे दिन हटाया जा सकता है। वापस लिया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। मोहन लाल जी, बिराजिये ना। आप सुनना नहीं चाह रहे हैं क्या ?

श्री मोहनलाल चौहान : हम स्पष्ट जवाब चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : तो क्या आप बोलना ही चाह रहे हैं। पहले आप बैठिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि भर्ती नहीं करे लेकिन इसकी जो कानूनी पोजीशन है न्यायालयों में वह नागौर में उसके सलटने के बाद ही होगा। मैंने निवेदन कर दिया है। मैं स्पेशल डिप्टी कमिश्नर को इसकी निगरानी के लिए, जल्दी सलटाने के लिए हाईकोर्ट में लगाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। श्री फूलचंद गुर्जर एवं अन्य 4 सदस्यगण खनिज राज्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

कोटपूतली की लाइम स्टोन खान में अनियमितता

श्री फूलचन्द गुर्जर : मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत 'कोटपूतली की लाइम स्टोन की खानों में व्याप्त घोटालों में राज्य सरकार को हो रही राजस्व हानि तथा श्रमिकों की जीविका पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव की ओर खनिज राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री कालूलाल गुर्जर : (खनिज राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटपूतली में लाइम स्टोन की खानों के विषय में माननीय सदस्य फूलचन्द गुर्जर तथा 4 अन्य माननीय सदस्यों की ओर से प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहा हूं।

कोटपूतली तहसील के ग्राम मोहनपुरा; जोधपुरा के निकट 4 वर्गमील क्षेत्र का खनिज लाइमस्टोन हेतु खनन पट्टा सर्व श्री रामेश्वर बजाज के पक्ष में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 3(1)(77) (इण्ड) (बी)/61 दिनांक 8.8.61 द्वारा रुपये 45,000 प्रतिवर्ष स्थिर भाटक की दर पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था। इस आदेश को आदेश दिनांक 5.10.61 द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाकर खनन पट्टा श्री रामेश्वर बजाज के स्थान पर श्री रामेश्वर बजाज एवं श्री ग्यारसी लाल अग्रवाल के पक्ष में स्वीकृत किया गया। खनन पट्टा 8.9.61 से 10 वर्ष के लिए प्रभावशील था। उक्त खनन पट्टे में राज्य सरकार

(श्री कालूलाल गुर्जर)

के आदेश दिनांक 2.11.62 द्वारा खनिज मार्बल का समावेश किया गया।

श्री रामेश्वर बजाज एवं श्री ग्यारसी लाल अग्रवाल के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे का हस्तान्तरण राज्य सरकार के आदेश दिनांक 3.8.65 से सर्वश्री नेशनल लाइमस्टोन कम्पनी, गोरधनपुरा के नाम किया गया। हस्तान्तरण के समय सर्वश्री नेशनल लाइमस्टोन कम्पनी में निम्नलिखित तीन भागीदार थे :—

(1) श्री रामेश्वर बजाज
(2) श्री अजय कुमार अग्रवाल
(3) श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल

इसके पश्चात् दिनांक 8.7.70 को सर्वश्री नेशनल लाइमस्टोन कम्पनी से श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल अलग हो गये व उनके स्थान पर अन्य दो भागीदार :

(1) श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल
(2) श्री रूपचन्द केडिया

शामिल किये गये।

खनन पट्टे का प्रथम नवीनीकरण राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.2.72 के द्वारा दिनांक 8.9.71 से 10 वर्ष की अवधि के लिए रुपये 90,000/- वार्षिक स्थिर भाटक पर स्वीकृत किया गया। नवीनीकरण के समय उक्तानुसार पांच भागीदार थे एवं उसके पश्चात भागीदारों में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा। वर्ष 1981 में जब खनन पट्टे के द्वितीय नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उस समय फर्म में निम्नलिखित भागीदार थे :

(1) श्री रामेश्वर बजाज
(2) श्री रूपचंद केडिया
(3) श्री अजय कुमार अग्रवाल

इन भागीदारों में परस्पर विवाद था जो इस बात से स्पष्ट था कि इन तीनों ही भागीदारों ने खनन पट्टे के द्वितीय नवीनीकरण हेतु मैसर्स नेशनल लाइमस्टोन कम्पनी फर्म के नाम पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये। यहां यह उल्लेखनीय है कि एक भागीदार सर्वश्री रामेश्वर बजाज ने अपने आवेदन पत्र में कहीं भी सीमेंट उद्योग या अन्य उद्योग लगाने की बात नहीं कहीं तथापि अन्य दो भागीदारों ने मिनी सीमेंट प्लांट लगाने हेतु उल्लेख किया।

यह सही है कि इस क्षेत्र में सीमेंट ग्रेड क्वालिटी का लाइमस्टोन उपलब्ध है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए एवं सर्वश्री नेशनल लाइमस्टोन कम्पनी के भागीदारों में आपस में विवाद होने से राज्य सरकार द्वारा द्वितीय नवीनीकरण मैसर्स नेशनल लाइमस्टोन कम्पनी के पक्ष में नहीं किया गया एवं क्षेत्र का कब्जा दिनांक 8.9.81 को ले लिया गया। कब्जा लेने की तिथि से पूर्व एवं उसके पश्चात् इस क्षेत्र के लिए प्रधान खनिज रियायत नियमावली के अन्तर्गत 6 तथा अप्रधान रियायत नियमावली के अन्तर्गत 7 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। प्रधान खनिज रियायत नियमावली के अन्तर्गत प्राप्त 6 आवेदन पत्रों में से दो आवेदन पत्र सर्वश्री "रीको" के थे जो क्रमशः दिनांक 18.5.81 एवं 8.9.81 को प्रस्तुत किये गये थे। आवेदकों में सर्वश्री रीको ही राजकीय उपक्रम

(श्री कालूलाल गुर्जर)

है, इसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 554 हैक्टेयर क्षेत्र इसे स्वीकृत किया गया। यह उल्लेखनीय है कि प्रथमतया सर्वश्री रीको ने मैसर्स नेशनल लाइमस्टोन कम्पनी के सम्पूर्ण क्षेत्र 1036 हैक्टेयर्स के लिए आवेदन किया तथापि बाद में सर्वश्री रीको ने इसमें से 554 हैक्टेयर क्षेत्र लेने की इच्छा जाहिर की एवं तदानुसार विवरण सूची एवं मानचित्र प्रस्तुत किये। अतः राज्य सरकार ने सर्वश्री रीको के पक्ष में प्रधान रियायत नियमावली के अन्तर्गत 554 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए खनन पट्टा आदेश क्रमांक पं. 4(302) खान/ग्रुप–2/81 दिनांक 29.6.84 से स्वीकृत किया गया। जिसमें निम्न विशेष शर्तें सम्मिलित की गई :

(1) Ms. RIICO would establish a cement plant within 5 years of grant and use the lime stone for cement manufacture only.

(2) The State Government would cancel their mining lease if Ms. RIICO fail to set up a mini cement plant within 5 years from the date of registration of the lease deed

(2.00 म.प.)

शेष 415.03 हेक्टेयर्स क्षेत्र प्राथमिकता के आधार पर श्री रामेश्वर बजाज के पक्ष में अप्रधान खनिज रियायत नियमावली के अन्तर्गत खनिज लाइम-स्टोन एवं मार्बल हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 7-4(303) खान/ग्रुप–2/81 दिनांक 14–9–81 से दस वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया। इस खनन पट्टे में निम्नलिखित शर्तें सम्मिलित की गयी :—

(1) अगर रीको के पक्ष में सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु स्वीकृत खनन पट्टे में लाइम स्टोन की मात्रा अपर्याप्त पाई गई तो पट्टाधारी चूना पत्थर रीको को ही प्राथमिकता देते हुए उस दर पर बेचेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जावेगी।

(2) अगर रीको के मोहनपुरा तहसील कोटपूतली के स्वीकृत क्षेत्र में लाइमस्टोन समाप्त हो जाता है तो पट्टाधारी का खनन सीमेन्ट संयंत्र के हितों को दृष्टिगत रखते हुए खण्डित किया जा सकेगा, जिसके लिए पट्टाधारी किसी प्रकार के मुआवजे का अधिकारी नहीं होगा।

(3) मार्बल व लाइमस्टोन खनिजों के लिये निर्धारित स्थिर भाटक अधिशुल्क निर्धारण के समय एक दूसरे खनिज के लिए एडजस्टेबल नहीं होंगे यानि प्रत्येक खनिज का अधिशुल्क निर्धारण उसी अनुरूप किया जावेगा जैसे दोनों खनिज के खनन पट्टे अलग-अलग स्वीकार किये गये हों।

(4) पट्टाधारी इस पट्टे की संविदा पंजीयन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि में कोटपूतली तहसील में पोजलाना बनाने का संयंत्र स्थापित करेगा जिसकी लागत 10 लाख से कम नहीं होगी।

(5) यदि रीको खनन पट्टा स्वीकृति से पांच वर्ष में सीमेंट प्लांट लगाने में असफल रहता है तो क्षेत्र जिसके लिये रीको को सीमेंट प्लांट लगाने के लिये स्वीकृत किया गया है, को भी श्री रामेश्वर प्रसाद

(श्री कालूलाल गुर्जर)

बजाज को स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जा सकेगा ।

श्री रामेश्वर बजाज के पक्ष में स्वीकृति आदेशों एवं सर्वश्री रीको के पक्ष में स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के विरूद्ध श्री प्यारीलाल अग्रवाल एवं श्रीमती प्रतिभा चटर्जी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी व न्यायालय द्वारा दिये गये अंतिम आदेश में दोनों स्वीकृतियों को उचित ठहराया गया व प्रस्तुत याचिकाएं निरस्त की गई ।

जहां तक मैसर्स नेशनल लाइमस्टोन कम्पनी को नवीनीकरण नहीं किये जाने पर मुआवजा दिये जाने का प्रश्न है, नियमों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है । द्वितीय नवीनीकरण पट्टाधारी का अधिकार नहीं माना जा सकता । चूंकि खनन पट्टे का नियमानुसार नवीनीकरण नहीं किया गया । अतः मुआवजे का प्रश्न ही नहीं है ।

जहां तक क्षेत्र में मार्बल पाये जाने का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में उपलब्ध खनिज कैल्सियम कार्बोनेट (लाइमस्टोन) ही है जो कहीं-कहीं इस योग्य हो गया है कि उसे ब्लॉक के रूप में निकाला जा सके व मार्बल के रूप में उपयोग किया जा सके । मैसर्स नेशनल लाइमस्टोन कम्पनी को स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में मार्बल व लाइमस्टोन हेतु पृथक-पृथक क्षेत्र न तो आइडेन्टीफाई किये गये थे व न ही यह संभव था । अतः मैसर्स नेशनल लाइमस्टोन कम्पनी को केवल मार्बल का पट्टा ही पृथक से स्वीकृत नहीं किया जा सकता था ।

यह सही है कि सर्वश्री रीको व श्री रामेश्वर बजाज के खनन पट्टा क्षेत्र को गजट में बिना अधिसूचित किये स्वीकार किया गया । जहां तक सर्वश्री रीको को खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने का प्रश्न है प्रधान खनिज रियायत नियमावली में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार नियमों के इस प्रावधान में शिथिलता प्रदान कर सकती है । केन्द्र सरकार ने अपने आदेश दिनांक 8-3-84 द्वारा इस संबंध में शिथिलता प्रदान की है एवं सर्वश्री रीको को खनन पट्टा स्वीकृत करने की अनुमति दी है । अतः सर्वश्री रीको के पक्ष में स्वीकृत किया गया खनन पट्टा नियमों के अनुकूल है ।

जहां तक श्री रामेश्वर बजाज को खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने का प्रश्न है, राज्य सरकार अधिसूचना प्रकाशित कराने के प्रावधान में छूट प्रदान कर सकती है एवं जो स्वीकृति जारी की गई है वह इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है एवं आदेशों में भी इसका उल्लेख किया गया है ।

दोनों ही पार्टियों से लाखों रुपये रिश्वत लेने की बात कही गई है वह निराधार है । यह भी उल्लेखनीय है कि स्वीकृत किये गये दोनों ही खनन पट्टों में से एक प्रधान खनिज रियायत नियमों के अन्तर्गत सीमेन्ट उद्योग की स्थापना के प्रयोजनार्थ ही स्वीकृत किया गया था एवं दूसरा अप्रधान खनिज रियायत नियमावली के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था । अप्रधान खनिज रियायत नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टे से उत्पादित लाइमस्टोन का उपयोग

(श्री कालूलाल गुर्जर)

चूना बनाने हेतु नियमानुसार किया जा सकता है। अतः इस पट्टे से यदि चूना पत्थर चूना बनाने हेतु विक्रय किया गया है तो वह नियमों के विपरीत नहीं है। इस संबंध में न ही कोई शर्त खनन पट्टे में सम्मिलित की गयी थी। श्री रामेश्वर बजाज के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे में जो विशेष शर्त प्लांट लगाने हेतु सम्मिलित की गयी है उसके संबंध में पट्टाधारी को लिखा गया व उनसे उत्तर प्राप्त हो गया है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

सर्वश्री रीको ने स्वदेशी सीमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर सीमेंट प्लांट लगाया है वह कतिपय कारणों से बीच–बीच में बंद हुआ है किन्तु लाइफ स्टोन की अनुपलब्धता के कारण नहीं हुआ। राज्य सरकार ने मैसर्स रीको को जो राजकीय उपक्रम है, उचित पात्र मानते हुए खनन पट्टा स्वीकृत किया था किन्तु एक वर्ष से अधिक समय तक लगातार किन्हीं कारणों से खनन कार्य नहीं हो सका। इस कारण राज्य सरकार ने खनन पट्टे को नियमानुसार लैप्स घोषित किया है। खनन पट्टे का कब्जा दिनांक 15–11–90 को लिया जाकर सर्वश्री राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (आर. एस. एम. डी. सी.) को राज्य सरकार की ओर से खनन कार्य करने हेतु एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है।

यह सही नहीं है कि सर्वश्री रीको व श्री रामेश्वर बजाज को खनन पट्टा स्वीकृत करने से राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई हो अथवा क्षेत्र के लोगों के रोजगार अथवा विकास पर विपरीत असर पड़ा हो। ऊपर दिये गये तथ्यों से स्पष्ट है कि मैसर्स नेशनल लाईमस्टोन कम्पनी के पक्ष में द्वितीय नवीनीकरण करना न तो नियमानुकूल था न ही वांछित था एवं सर्वश्री रीको व श्री रामेश्वर लाल बजाज को पट्टे नियमानुसार स्वीकृत किये गये हैं। न्यायालय ने भी स्वीकृति को उचित माना है। अतः प्रस्तावित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय फूलचन्द जी।

श्री फूलचन्द गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दो–तीन बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह मामला बहुत गंभीर है। इस मामले के सारे तथ्यों से मालूम पड़ा है कि इसमें कितना भयंकर घोटाला हुआ है। बिना कोई गजट नोटिफिकेशन किये उसको लीज पर देना और एक लाइन जोड़कर कि नियमों में शिथिलता बरतते हुए उसको लीज दी गई है और इससे भी बड़ा गंभीर मामला, जो देखने में आया है कि रामेश्वर बजाज के लीज के साथ शर्त लगाने के बावजूद भी उसने सीमेंट प्लांट नहीं लगाया लेकिन रीको के साथ यह शर्त लगा दी गई कि अगर वह 5 साल में सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगायेगा तो वह लीज भी रामेश्वर बजाज को दे दी जायेगी। यह बहुत ही गंभीर है क्योंकि एक सरकारी उपक्रम पर अविश्वास किया गया है और रामेश्वर बजाज को वह लीज क्यों दी जाय यह इस मामले में देखना है।

मैं दो–तीन बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि इसे न्यायालय ने न्यायोचित

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

माना है । मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा कि यह जवाब उनके पास गलत आया है और वे नोट कर लें कि हाईकोर्ट की जो 971/84 रिट है वह पेण्डिग है । अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ है उस फैसले में हाईकोर्ट ने यह दर्शाया है कि यह जो फैसला हो रहा है इसका इस कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वह मैं पेश कर दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : घोटाला क्या हुआ है यह बताइये । सारी कार्यवाही तो बता दी है ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : मेरा दूसरा सवाल यह है कि उन्होंने माना है कि इससे राजस्व की हानि या वहां के मजदूरों पर कोई असर नहीं पड़ा है जबकि मंत्री महोदय यह बताते हैं कि स्वदेशी सीमेंट का कार्य नहीं चल जाय, जो रिको का था, और उसे स्वदेशी सीमेंट से एरिया लेकर आर.एस.एम.डी.सी. को दिया गया परन्तु वह भी सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाई तो फिर यह किस आधार पर कहते हैं सरकार की कोई रायल्टी या राजस्व की हानि नहीं हुई है । मजदूरों को कोई रोजगार का नुकसान नहीं हुआ है और क्षेत्र का विकास भी रुका हुआ है । सबसे गंभीर मामला यह है कि जब रामेश्वर बजाज ने 8 साल तक वहां सीमेंट प्लांट नहीं लगाया जबकि उसके साथ यह शर्त लगा दी गई थी, तो फिर उस पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की और आज तक उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए । श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित आप कुछ कहेंगे । बहुत दूर का मामला है । आप तो बिराजें । (व्यवधान) आपको अलाउ कर देंगे । माननीय श्री मदनलाल सैनी ।

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से दो-तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, पूछ लीजिए ।

श्री मदनलाल सैनी : आर.एस.एम.डी.सी. के पास ब्लास्टिंग का लाइसेंस है क्या ? ब्लास्टिंग का लाइसेंस नहीं होने से कोई एफ.आई.आर. दर्ज हुई ?

एक माननीय सदस्य : यह तो विषय ही नहीं है ।

श्री मदनलाल सैनी : आर.एस.एम.डी.सी. को आपने दिया है । आर.एस.एम.डी.सी. इसमें पक्षकार है ना । उसका विषय आया है ।

श्री उपाध्यक्ष : ब्लास्टिंग लाइसेंस, हां-दिया है, दिया है ।

श्री मदनलाल सैनी : दूसरा, जो न्यायालय में आपने वाद का लम्बित होना और उसके कारण से यह नेशनल लाइम स्टोन कम्पनी है, इसमें न्यायालय ने लिखा है कि इसके ऊपर इस निर्णय का कोई असर नहीं पड़ेगा, यह जजमेंट है । मैं जजमेंट आपको....

श्री उपाध्यक्ष : आपरेटिव पैरेग्राफ पढ़िये, पूरा नहीं ।

श्री मदनलाल सैनी : मंत्री महोदय देख लें। दूसरा मेरा सवाल है मान्यवर, लाइम स्टोन क्षेत्र का यह कह रहे हैं कि अलग-अलग करना मुश्किल था—लाइम को और मार्बल को। तो उनके पास में स्वीकृति पट्टा पहले अलग-अलग सालों में, एक बार लाइम का उनको पट्टा दिया गया, उसके बाद उनको मार्बल का दिया गया तो यह पहले से ही अलग-अलग थे तो फिर अलग-अलग करने की कौन सी ऐसी बात हुई कि आप पहले तो अलग-अलग मानते हुए अलग-अलग पट्टे इश्यू, लाइम का अलग कर दिया और मार्बल का अलग कर दिया, और उसके बाद फिर कह रहे हैं कि हम इसको अलग-अलग नहीं कर सकते थे, ऐसा कोई टेक्नीकल क्या कारण हो गया ?

श्री फूलचन्द गुर्जर : और दस साल तक रायल्टी दी है श्रीमन्।

श्री मदनलाल सैनी : मान्यवर, एक बात मैं मंत्री महोदय से और पूछना चाहता हूं। क्या रामेश्वर बजाज का ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र आपके पास है जिस प्रार्थना-पत्र में उन्होंने मिनी सीमेंट प्लांट लगाने के लिए इच्छा जाहिर की हो ? क्या सरकार के पास ऐसा कोई पैरामीटर है कि उनके मन की बात बिना प्रार्थना-पत्र दिये ही पता चल जाती हो कि यह व्यक्ति सीमेंट प्लांट लगाना चाहता है ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो–एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि रामेश्वर बजाज ने सीमेंट प्लांट लगाने के लिए आवेदन नहीं किया इसके बाद भी उसको लीज दी गई। दूसरा, सीमेंट प्लांट के लिए किन-किन लोगों ने लीज के लिए आवेदन-पत्र दिये, कृपया उनकी सूचना दें और उनको लीज क्यों नहीं दी गई, क्या कारण थे ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। लक्ष्मीनारायणजी, पूछेंगे कुछ ? माननीय मंत्रीजी। ...(व्यवधान) रहने दें। नहीं–नहीं, बिना सब्जेक्ट की मास्टरी हुए यों नहीं पूछा जा सकता, इसलिए क्यों पूछेंगे वह। नहीं पूछ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह चौटीला का पूछेंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, यहां जो सवाल उठाये गये हैं उसमें एक तो यह था कि बिना गजट नोटिफिकेशन किये यह दोनों पट्टे दिये गये। मैंने जवाब में यह कहा कि दो पट्टे जो दिये गये हैं वह 81 में दिये गये और वह दोनों एक मेजर और एक माइनर में दिये गये। मेजर में शिथिलता बरत कर देने का अधिकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट को था, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने ही रूल्स रिलेक्स करके दिये हैं और माइनर मिनरल का यहां से दिया गया है उसमें भी शिथिलता रूल 65 में देते हुए दिया गया है। इसलिए यह कहना कि गजट नोटिफिकेशन के बिना क्यों दिये गये, इसका पूरा सरकार को अधिकार है और सरकार ने शिथिलता बरत कर दिये हैं। दूसरा यह कि रामेश्वर बजाज ने सीमेंट प्लांट नहीं लगाया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता चाहता हूं, आश्वस्त कर देना चाहता हूं माननीय

(श्री कालूलाल गुर्जर)

सदस्यों को, कि रामेश्वर बजाज ने सीमेंट प्लांट नहीं लगाया, शर्त का उल्लंघन किया, इसलिए हमने उसको नोटिस दिया और जैसे ही उसको नोटिस मिला, उसने न्यायालय में दावा करके स्टे ले रखा है। जैसे ही स्टे हट जायेगा, नियमानुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, उसकी लीज को कैंसिल करेंगे।

श्री फूलचन्द गुर्जर : आठ साल तक क्यों नहीं किया ?

श्री कालूलाल गुर्जर : उसमें पांच साल की जो शर्त है, उसमें शर्त की है कि लगायेगा पांच साल बाद में।....(व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, अगले ने मांगा ही नहीं, अगला सीमेंट प्लांट लगाना ही नहीं चाहता, उसकी कोई दरख्वास्त नहीं है, उसका कोई प्रपोजल नहीं है; उसके बाद में उसको जबरदस्ती उस पर थोपना उचित है क्या ? यह प्रश्न है हमारा।

श्री फूलचन्द गुर्जर : और आठ साल हो गये, 84 का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : अब जवाब तो सुनिये। जवाब सुनिये।

श्री कालूलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहां कह रहा हूं कि उमने ऐसा कहा कि थोपा जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि जैसे ही सरकार के नोटिस में आया कि उसने शर्त की पालना नहीं की, देन एण्ड देयर हमने नोटिस इश्यू कर दिया। जैसे ही नोटिस गया उसने स्टे ले लिया। अब इसमें कहां फंसे हुए हैं, मैं यह कह रहा हूं कि वह जबरदस्ती दी जा रही है या उसको हम कयास लगा रहे हैं कि वह लगा रहा है, उसको टाइम दिया जा रहा है। ऐसी बात ही नहीं है।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय मंत्री महोदय, यह बता सकेंगे कि हमने नोटिस कब दिया ?

श्री कालूलाल गुर्जर : नोटिस की तारीख अभी बता देता हूं।

श्री मदनलाल सैनी : तारीख बता सकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : नोटिस तो दिया ही है, जब सब कुछ हुआ है....

श्री मदनलाल सैनी : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, सवाल खड़ा होने के बाद में दिया हो।

श्री उपाध्यक्ष : नोटिस तो सारे दिये ही हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, तारीख मैं एक मिनट में बताता हूं। बाकी आपने एक और यह पूछा कि राजस्थान हाई कोर्ट में रिट पेण्डिंग है जबकि मैंने यह निवेदन किया है कि इन दोनों आवंटनों के विरुद्ध जो रिटें पेश की गई थीं वह दोनों रिटें 9 जुलाई, 1985 को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई हैं और उसमें यह माना है कि यह जो दोनों स्वीकृतियां हैं यह उचित है। अब आपने और कोई तीसरी रिट और कर रखी हो, और अगर वह पेण्डिंग है तो उसमें जो भी न्यायालय निर्णय देगा उसकी हम पालना

(श्री कालूलाल गुर्जर)

कर लेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक उपाध्यक्ष महोदय, यह पूछा गया है कि ब्लास्टिंग का लाइसेंस है या नहीं, यह बात सही है कि आर.एस.एम.डी.सी. के पास पहले ब्लास्टिंग का लाइसेंस नहीं था और शुरू में जो उन्होंने काम वहां पर करवायें, उसमें कुछ बाधा आई लाइसेंस न होने की वजह से, अब उन्होंने लाइसेंस ले लिया है, माननीय सदस्य की सूचना के लिए मैं अर्ज कर देता हूं....

श्री मदनलाल सैनी : नहीं, एफ. आई. आर.....

श्री उपाध्यक्ष : अब एफ. आई. आर. से क्या लेना-देना, ब्लास्टिंग का था आपका तो।

श्री कालूलाल गुर्जर : दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक और कहा कि लाइम स्टोन....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन के नेता मुख्य मंत्रीजी इस तरीके से अपने सदस्यों को प्रश्न पूछने से रोकते हैं। मैं समझती हूं कि यह उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, किस को रोका? किसी को नहीं रोक रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इशारे से, हाथ से ऐसे कर दिया है उन्होंने, नेता को ऐसे नहीं करना चाहिए।

श्री मदनलाल सैनी : नहीं, हमको तो किसी ने रोका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अब ऐसा है, कौन सा सवाल वास्तव में बनता है या नहीं बनता है और वेग टर्म्स में पूछते हैं उस समय तो....

श्री टीकमचन्द कांत : सदन के नेता को सारे अधिकार हैं, इसमें क्या हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर एक आपत्ति है कि जब मैं बैठता हूं तो सुमित्राजी मेरी ही एक्टीविटीज को क्यों वाच करती हैं, दूसरों की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन के नेता पर सब की निगाहें रहती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी ठीक है।

श्री कालूलाल गुर्जर : यह तारीख मेरे पास है। रामेश्वर लाल बजाज को नोटिस दिनांक 22-12-90 को माइनिंग इंजीनियर ने दिया और उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा भी अभी 4-3-91 को और नोटिस दिया गया। इसको अब हमने नोटिस दे दिये, अब उसने यह पालना नहीं की लेकिन बीच में स्टे हो गया, बाकी इसका वह कैंसिल हो जाता। उपाध्यक्ष महोदय, एक और कहा गया कि लाइम स्टोन और मार्बल दो के पट्टे अलग-अलग थे तो क्यों नहीं दिये गये। माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न पूछा है मैं उनको संतुष्ट करना चाहता हूं कि सबसे पहले लाइम स्टोन का ही एकमात्र पट्टा दिया गया था। लाइम स्टोन के

(श्री कालूलाल गुर्जर)

बाद में उसमें जब मार्बल निकलने लग गया तो मार्बल का उसी पट्टे के अन्दर एड कर दिया गया और अलग-अलग पट्टे नहीं दिये गये। दुबारा भी दिया जब भी इसी में यही बात रही क्योंकि उसमें जो लाइम स्टोन है, वह लाइम इस क्वालिटी का निकलता है कभी-कभी बड़े ब्लाक्स में जिसका मार्बल के यूज में हो सकता है। इसीलिए एक ही पट्टा वहां पर दिया गया। दो पट्टे अलग-अलग नहीं दिये गये।

श्री उपाध्यक्ष : अब हो गया। क्या फूलचन्दजी और पूछेंगे? एक सवाल पूछ लीजिए। क्या? माननीय मंत्रीजी। फूलचन्दजी, पूछिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्री जी, क्या लाइम का और मार्बल का डेड रेंट और रायल्टी दोनों समान है, दोनों की। तो फिर दोनों का एक ही कैसे दे दिया आपने?

श्री कालूलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों की रायल्टी अलग-अलग है, डेड रेंट भी अलग-अलग है लेकिन उसमें ऐसा नियम है कि जिन्होंने मेजर मिनरल में कोई एरिया ले रखा है और अगर उसमें कोई माइनर मिनरल निकल जाती है तो वह उसके साथ एड करवाया जा सकता है। जितना माल निकलेगा, उसकी रवन्ना अलग इश्यू होगी और उसका हिसाब अलग पेश होगा और उसके अनुसार ही डेड रेंट और रायल्टी वसूल हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है। क्या पूछ रहे हैं फूलचन्दजी?

श्री फूलचन्द गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, जो एक महत्वपूर्ण बिन्दु पूछा गया था उसको मंत्री महोदय ने नहीं बताया कि जो एरिया आर.एस एम.डी.सी. को अभी दिया है वह भी सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगा कर नहीं चला रहे हैं, रीको ने भी नहीं चलाई, इससे इतने बड़े राजस्व की हानि हो रही है, रोजगार के लिए कोई साधन नहीं हो रहे हैं। उसके लिए मंत्री महोदय क्या करने जा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री फूलचन्द गुर्जर : एक सवाल और है मेरा। यह बहुत गम्भीर मामला है। क्या मंत्री महोदय इस सारे मामले की गम्भीरता को समझते हुए इसकी जांच अपनी विधान सभा की किसी समिति से करवाने का विचार रखते हैं जिससे यह सारा मामला खुल जाय कि कहां-कहां इसमें गड़बड़ हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : मामला तो खुला खुलाया है सरकार के सामने। माननीय मंत्रीजी।

श्री कालूलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि आर.एस. एम. डी.सी. को देने के बाद सीमेंट प्लांट नहीं लगा। आर.एस.एम.डी.सी. को तो गवर्नमेंट की ओर से एजेन्ट नियुक्त किया गया है। मैंने जवाब में भी कहा है और माननीय सदस्य को अभी भी मैंने और निवेदन किया है। उसमें सीमेंट प्लांट लगाने का सवाल ही नहीं है। आर.एस.एम.डी.सी. को तो हमने

(श्री कालूलाल गुर्जर)

गवर्नमेंट बिहाफ पर एजेंट नियुक्त किया है जो खनन कार्य करके माल को बेच रहे हैं और सरकार को पैसा जमा करा रहे हैं इसलिए वह तो....

श्री फूलचन्द गुर्जर : वह बन्द पड़ा हुआ है।

श्री कालूलाल गुर्जर : अब रहा सवाल, आप जांच की कहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जांच काबिल इसमें कोई ऐसे तथ्य तो हैं नहीं, अगर कोई स्पेसिफिक तथ्य यह बतायें तो न्यायालय का जब आदेश हो गया और न्यायालय ने दोनों पट्टों को वेलिड मान लिया तो उसके बाद किसी जांच की आवश्यकता रहती ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय फूलचन्दजी चर्चा समाप्त हुई।

एम. बी. एम. इन्जीनियरिंग कालेज, जोधपुर एवं राज्य के अन्य इन्जीनियरिंग कालेज के नियमों में असमानता

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री रामनारायण वर्मा, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्री प्रभूलाल, डा. हरिसिंह, श्री हीरालाल मीणा, श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) सदस्य विधान एम.बी.एम. इन्जीनियरिंग कालेज, जोधपुर एवं राज्य के अन्य इन्जीनियरिंग कालेज के नियमों में असमानता होने से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के साथ हो रहे अन्याय से उत्पन्न स्थिति की ओर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत एम.बी.एम, इन्जीनियरिंग कालेज, जोधपुर एवं राज्य के अन्य इन्जीनियरिंग कालेज के नियमों में असमानता होने से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के साथ हो रहे अन्याय से उत्पन्न स्थिति की ओर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री का ध्यान आर्षित करता हूं।

श्री रतनलाल जाट (महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय श्री रामनारायण वर्मा और 5 अन्य माननीय सदस्यों ने जो ध्यान आकर्षित किया है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

एम.बी.एम. इन्जीनियरिंग कालेज जोधपुर, जोधपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत है एवं इस विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी नियम बनाने के लिए एकेडेमिक कौंसिल ही सक्षम है। इस विश्वविद्यालय में वही नियम लागू होते हैं जो एकेडेमिक कौंसिल द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

एम.आर.ई.सी. जयपुर एवं इन्जीनियरिंग कालेज कोटा राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध है एवं इनके द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी वही नियम लागू हैं जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित हैं

(श्री रतनलाल जाट)

तथा इस विश्वविद्यालय की एकेडेमिक कौंसिल द्वारा बनाये गये जाते हैं एवं सिन्डीकेट की स्वीकृति के पश्चात् लागू किये जाते हैं।

विश्वविद्यालय स्वायतशाषी संस्थायें हैं एवं राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक मामलों में दखल उचित नहीं माना जाता है। यह सही है कि जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा एवं राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी नियमों में भिन्नता है परन्तु राज्य सरकार का रोल इस क्षेत्र में केवल परामर्शदात्री के रूप में ही हो सकता है।

(समय 2.24 म. प)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

विश्वविद्यालयों के विभिन्न आपस के संबंधित मुद्दों पर उपकुलपतियों की कोआर्डीनेशन कमेटी में विचार किया जाता है। राज्य सरकार निकट भविष्य में होने वाली मीटिंग में इस बिन्दु पर विचार करने हेतु निवेदन करेगी।

एम.बी.एम. इन्जीनियरिंग कालेज के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों ने उनके विरुद्ध भेदभाव का मामला दिसम्बर, 1991 में उठाया था, जिस पर विश्वविद्यालय ने प्रो. जगदीश चन्द्र की अध्यक्षता में निम्न सदस्यों की कमेटी का गठन किया था :

1. प्रो. जगदीश चन्द्र	अध्यक्ष
2. प्रो. रामचन्द्र	सदस्य
3. डा. डी.डी. बाण	,,
4. श्री एच.एस. महले	सदस्य
5. प्रो. (कु.) इन्दिरा जोशी	,,
6. श्री एल. हुसेन उपकुल सचिव	सदस्य-सचिव

इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं में किसी प्रकार का भेदभाव बरतना नहीं पाया गया।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के प्रतिनिधियों ने जांच कमेटी की रिपोर्ट के प्रति लिखित में अपना स्वयं का सन्तोष प्रकट किया।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा जगत में जिस तरह का वातावरण बनता जा रहा है और जिस तरह से गरीब छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है क्या माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में कोई जांच जोधपुर एम.बी.एम. इन्जीनियरिंग कालेज की करवाई है। अगर कार्यवाही होती तो इन्जीनियरिंग कालेज में ऐसा नहीं होता। क्या माननीय मंत्री जी आप की नालेज में यह आया है कि मार्क्स सीट में डबल जीरो भी नम्बर दिये गये हैं और क्या इस तरह से अगर किसी के नम्बर नहीं आये तो एक जीरो की जगह उसी मार्क्स को दो नम्बर दिये जा सकते हैं और यदि ऐसा किया गया है तो क्या आप लेक्चरार के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही करेंगे ?

दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या यह सही है कि प्रायोगिक परीक्षा के अलावा लिखित परीक्षा में जिन छात्रों को जो बड़े घराने के

(श्री रामनारायण वर्मा)

हैं जैसा कि यहां के एम.ग्रार.ई.सी. कालेज में भी हुआ कि बड़े घरानों के जो छात्र हैं उनके लिखित परीक्षा में परसेन्टेज कम आये हैं, 25 पर्सेण्ट आये हैं लेकिन प्रायोगिक परीक्षा में उनको 70 पर्सेण्ट दिये गये हैं और उन क्लासेज के छात्रों को जो गांव से आते हैं और ट्यूशन पढ़ने नहीं जाते हैं और आदिवासी समुदाय के जो हैं उनके नम्बर लिखित परीक्षा में 70 पर्सेण्ट और 80 पर्सेण्ट हैं और उसके बावजूद उनको प्रेक्टिकल परीक्षा में 20 पर्सेण्ट दिये गये हैं। तो क्या इससे स्पष्ट नहीं होता कि ब्रिलियेन्ट स्टूडेन्ट्स होते हुए भी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है ?

एक मेरा इस संबंध में माननीय अध्यक्ष जी निवेदन यह है कि आपने यह कहा कि यह विश्वविद्यालय के कुलपतियों की को-आर्डीनेशन कमेटी में रूल्स का होता है। कोटा और जयपुर में रूल साफ हैं कि जो विद्यार्थी फेल हो जायेगा अगली साल उसको दाखिला दे दिया जायेगा ताकि उससे लेक्चरार लोग ट्यूशन पढ़ाने में इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते और जोधपुर में रूल दूसरा है। वहां रूल यह है कि जो छात्र फेल हो जाता है उसको फेल मान लिया जाता है और उसी क्लास में रखना पड़ता है और इसलिए चार-पांच साल छात्र उस क्लास में रहता है और इसलिए उनको ट्यूशन पढ़ानी पड़ती है। ट्यूशन की परिपाटी है। तो आप क्या निश्चित तारीख बता सकेंगे कि सरकार क्यों विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों को निर्देश देगी कि इतने दिनों में इस संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा। एक सब्मिशन तो मेरा यह है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि प्रदेश में नियमों में समानता होनी चाहिए। जो असमानतायें विश्वविद्यालयों के नियमों में हैं क्या उस असमानता को आप दूर करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए कोई तिथि निश्चित करके आदेश देने की बात करेंगे। तीसरा मेरा निवेदन यह है कि आप कहते हैं कि यह नहीं हुआ लिखित में दे दीजिए। क्या छात्र जहां प्रायोगिक परीक्षा होती हैं, मैं माननीय अध्यक्ष जी, बहुत विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप तो प्रोफेसर भी रहे हैं और इस संबंध में सारी बातें जानते हैं क्या छात्र प्रायोगिक परीक्षा में इस तरह से लड़ाई लड़ सकते हैं,? क्या इस संबंध में 91 में आन्दोलन नहीं हुआ और इस तरह के भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं कालेज और इन्सटीट्यूशन्स में उसके संबंध में आन्दोलन एम.बी.एम. जोधपुर के छात्रों ने नहीं किया और उस आन्दोलन की परिणति में जो कमेटी बैठाई गई है क्या उसमें इस वर्ग के कितने आदमी थे और थे तो क्या वह इन्डीपेन्डेन्ट विचार रखने वाले व्यक्ति थे ताकि सही निर्णय हो सकते थे कमेटी में और क्या यह भी सही है कि जो कमेटी में निर्णय हुए हैं उसकी आज की तारीख तक भी छात्रों में इसकी भावना गलत है कि हमको डिफिट किया गया और जो प्रोफेसर थे और उपकुलपति थे उनको दबाकर उनसे गलत डिसीजन लिवाया गया।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह जी आप पूछ रही हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं पहले इनका जवाब आ जाये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं वह एक साथ देंगे । काल अटेन्शन है ।

श्री भंवरलाल जी आपको पूछना है ? फिर माननीय मंत्री जी ।

श्री रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षण में दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं । पहला जोधपुर यूनीवर्सिटी के अण्डर में जो एम.बी.एम. इन्जीनियरिंग कालेज है उसके बारे में....

श्री अध्यक्ष : इसमें मेरा एक निवेदन है । यह प्रश्न उठाया उनका जवाब तो आप निश्चित दे दोगे । सवाल यह है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है तो आप किसी न किसी को डेप्यूट करके छात्रों के साथ में जो इस तरह से हुआ है क्योंकि वह सही कह रहे हैं कि छात्र आन्दोलन करते हैं और उसमें भी अपनी बात नहीं कह पाते है, हुल्लड़बाजी में चले जाते हैं और झगड़े में चले जाते हैं और असली बात आती नहीं । आपके विभाग की तरफ से मानीटरिंग हो कि इस प्रकार की जो अव्यवस्था होती है वह नहीं हों और उसमें भी अगर रूल्स बाधक हैं तो बदले जा सकते हैं रूल्स । इसको आप अपनी तरफ से भी देख लें ।

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, छात्रों के नाम सहित में बता सकता हूं कि इस छात्र के साथ यह हो गया और इस छात्र के साथ यह हो गया ।

श्री अध्यक्ष : यह आप मंत्रीजी को बता देना, वह स्पेशली देख लेंगे ।

श्री रामनारायण वर्मा : ठीक है ।

श्री रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कह रहा था कि माननीय सदस्य ने दो महत्वपूर्ण मुद्दे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाये हैं । पहला मुद्दा जोधपुर यूनीवर्सिटी के एम.बी.एम. कालेज में अध्ययनरत छात्रों के एग्जामिनेशन और प्रमोशन के बारे में है और दूसरा राजस्थान यूनीवर्सिटी के अण्डर में जो इन्जीनियरिंग कालेजेज हैं कोटा और एम.आर.ई.सी. जयपुर और भीलवाड़ा कालेज उसमें अध्ययनरत छात्रों के एग्जामिनेशन और उनके प्रमोशन के नियमों के बारे में । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अगर हम राजस्थान और जोधपुर यूनीवर्सिटीज के इन स्टूडेन्ट्स के एग्जामिनेशन के बाद प्रमोशन के सिस्टम को देखें तो वास्तव में जो राजस्थान यूनीवर्सिटी के जो नियम हैं मैं संक्षिप्त में उनको पढ़कर बताना चाहूंगा :

"A student in order to be eligible for A.T.K.T.····" A.T.K.T. here means Allowed to Keep the Term., "····should not fail in more than 4 units and should get in aggregate 45 per cent marks. Secondly, in Jodhpur, the unit of humanitics is counted towards the maximum number of units as 4 to enable the students to get A.T.K.T.".

यह दोनों नियम मैंने जोधपुर युनिवर्सिटी के बारे में बताये हैं अगर हम राजस्थान युनिवर्सिटी के नियमों को देखें तो उसमें, यह दोनों नियम जोधपुर युनिवर्सिटी

(श्री रतनलाल जाट)

के बारे में है, राजस्थान युनिवर्सिटी के बारे में जो नियम हैं उसमें रूल 15 का जो नियम है।

"Any student who has not passed in all the heads of First B. E. will not be permitted to join Third B.E. class as a regular student."

उसी का दूसरा क्लाज है

"Any student who has not passed in all the heads of Second B.E. will not be permitted to join the Final B.E. class as a regular student."

इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह आदेश अंग्रेजी में बने हुए हैं ?

श्री रतनलाल जाट : यह नियम अंग्रेजी में बने हुए हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह अंग्रेजी में है और यह राजस्थान के नियम हैं ?

श्री रतनलाल जाट : यह राजस्थान के नियम हैं। यह बड़ा स्पष्ट है कि जयपुर युनिवर्सिटी में जितने विषयों में लड़का फेल हो जाता है उसको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है लेकिन जहां तक जोधपुर का सवाल है वहां पर शर्त यह है कि लगभग 4 विषयों से कम में वह फेल हो, 4 विषयों से ज्यादा में वह फेल नहीं हो और 45 प्रतिशत मार्क उसके एग्रीगेट हों। इस दृष्टिकोण से दोनों युनिवर्सिटी के रूल में काफी भिन्नता है लेकिन राजस्थान युनिवर्सिटी में....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : राजस्थान में सब सब्जेक्ट में फेल होगा तो भी चला देंगे। वहां तो 4 सब्जेक्ट का ही है। यहां आप क्या फेल होने के बाद चला देंगे ?

श्री रतनलाल जाट : मैं वही निवेदन करना चाह रहा हूं। इसके बारे में 10 अगस्त, 1990 से पहले राजस्थान के नियम अलग थे। 10 अगस्त, 1990 के बाद वाइस चांसलर ने राजस्थान युनिवर्सिटी के बारे में एक आदेश जारी कर इन नियमों को, जिनमें पहले चेक सिस्टम था उसको और लिबरल करते हुए उन्होंने यह आदेश जारी कर दिया कि वह जो पहले के नियम हैं उनको एवेयेंस कर दिया। वर्तमान स्थिति यह है कि फर्स्ट ईयर बी.ई. में जो पास होने वाला लड़का है उसके सब्जेक्ट अगर ड्यू रह जाता है तो वह सैकिण्ड में क्लियर नहीं हुए तो उसको थर्ड में प्रमोट कर दिया जाता है और थर्ड में क्लियर नहीं होता तो उसको फोर्थ में प्रमोट कर दिया जाता है। अल्टीमेटली जब पास होगा, पेपर क्लियर होंगे सभी तब उसको डिग्री दी जाती है लेकिन प्रमोशन के बारे में यह बात नहीं है। यह वर्तमान में राजस्थान युनिवर्सिटी के तीनों कालेजेज हैं उनके तहत यह नियम है। मैंने जैसा निवेदन किया कि जोधपुर युनिवर्सिटी में इनके बारे में नियमों में फर्क है, और वह फर्क मैंने आपको निवेदन किया था कि वहां पर 4 सब्जेक्ट से कम में फेल हो और 45 प्रतिशत उनके एग्रीगेट हो तभी जाकर के उनको; यह दोनों नियमों का फर्क है।

(श्री रतनलाल जाट)

इस दृष्टिकोण से जोधपुर में लड़कों ने अपना एक रिप्रजेंटेशन माननीय कुलपति महोदय को, दिसम्बर में दिया था और दिसम्बर में ही माननीय कुलपति महोदय ने एक कमेटी, जैसा मैंने अभी निवेदन किया था, प्रो. जगदीशचन्द्र की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की एक कमेटी बना दी गयी थी और उस कमेटी ने दिसम्बर के पहले ही सप्ताह में अपनी एक रिपोर्ट पेश कर दी थी और उसमें उन्होंने एस सी, एस. टी. के बारे में जो दूसरे मुद्दे उन्होंने उठाये थे कि उनके साथ किसी प्रकार से मार्क्स देने के बारे में, खास तौर से प्रेक्टिकल में उनके साथ जो अन्याय करने वाली बात उन्होंने बताई थी, यह रिपोर्ट आने के बाद, उस कमेटी की रिपोर्ट 9.12 को आ गयी थी और इसके तुरन्त बाद एस. सी, एस टी. के स्टूडेण्ट्स ने स्वयं ने, जिन्होंने यह दोनों मुद्दे उठाये थे, नियमों में फर्क वाली बात और दूसरा उनके साथ ज्यादती वाली बात, जो उनको प्रेक्टिकल में प्रोफेसर द्वारा जो कम नम्बर दिये जाते हैं, मैं संक्षिप्त में दो लाइनें, जो स्टूडेण्ट्स ने लिख के दी हैं वहां के वाइस चांसलर को, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। एक तरफ जिनके बारे में कहा जा रहा है कि एस. सी. एस. टी. होने के नाते उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, मार्क्स कम देने वाली बात हैं और उधर वे एस. सी, एस.टी. के स्टूडेण्ट्स किस तरह वाइस चांसलर को लिख कर दे रहे हैं।

"We have received a copy of the recommendations of the Inquiry committee and we are satisfied by their findings and recommendations. Our intention was not to blame the teachers of the faculty in general and if this impression is to be formed, we are very sorry for it.""

कमेटी ने जो सिफारिशें की थीं, जिस तरह से उन्होंने उस युनिवर्सिटी में जो नियमों का फर्क है, उसको दूर करने के दृष्टिकोण से जो रिकमण्डेशन दी थी, अध्यक्षजी, जो मैंने निवेदन किया था कि दोनों युनिवर्सिटीज, इन्जीनियरिंग कालेज के स्टूडेण्ट्स में व उसमें जो फर्क हैं, उस फर्क को देखते हुए इस कमेटी की रिकमण्डेशन 9.12 के आने के बाद ऐकेडेमिक कौंसिल में यह मामला तय हुआ है और 12.1.92 को उन्होंने अपने फैसले के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण निर्णय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जोधपुर युनिवर्सिटी इसके बारे में ले चुकी है। पहला निर्णय उन्होंने यह लिखा है, पूर्व में ए.टी. के.टी. में छात्र तभी बैठ सकता था जबकि वह 4 विषयों से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण नहीं हो और कुल प्राप्तांक उसका 45 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो। अब इस 45 प्रतिशत प्राप्तांक की अनिवार्य शर्त को हटा दी गयी है। अब केवल एक शर्त रही है कि 4 से कम में फेल है तो उसको प्रमोट कर दिया जाय। दूसरा, जो 45 प्रतिशत की दूसरी एक कंडीशन लगा रखी थी उसको इस एकेडेमिक कौंसिल ने समाप्त कर दिया अपने 21.1.92 के आदेश के तहत। दूसरा था, यदि कोई छात्र प्रथम वर्ष बी.ई. में लगातार 3 बार अनुत्तीर्ण हो जाता तो उस छात्र का एनरोलमेण्ट ही समाप्त कर

(श्री रतनलाल जाट)

दिया जाता था लेकिन अब इस शर्त को भी युनिवर्सिटी में, इस एकेडेमिक कौंसिल द्वारा हटा दिया गया है। तीसरी, पूर्व में यदि 4 विषयों, ह्यूमेनिटीज के किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो ए. टी. के. टी. में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती थी। अब ह्यूमेनिटीज को इन 4 विषयों की सूची से निकाल दिया गया है अर्थात् यदि कोई छात्र 4 विषयों के अलावा ह्यूमेनिटीज में भी अनुत्तीर्ण हो तो उसे ए.टी.के.टी. में बैठा दिया जायेगा। यह परिवर्तन, जैसा मैंने अध्यक्ष महोदय, निवेदन किया कि एकेडेमिक कौंसिल की बैठक 21.1.92 के माध्यम से किया गया है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक माननीय सदस्य ने एस.सी., एस.टी. के छात्रों को थ्योरी और प्रेक्टिकल में जो नम्बर देने वाली बात बताई कि इंटेंशनली वहां के प्रोफेसर ने, वहां एक एस.सी., एस. टी. के स्टूडेण्ट को फेल करने के दृष्टिकोण से, जिनके थ्योरी में नम्बर ज्यादा आ गये लेकिन प्रेक्टिकल में कम नम्बर देने वाली जो बात बताई है, मैं माननीय सदस्य को, मेरे पास एक पूरी सूची है, क्योंकि जहां तक एग्जामिनेशन सिस्टम का सवाल है, कोई स्टूडेण्ट थ्योरी में या प्रेक्टिकल में कम नम्बर लाये तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके थ्योरी में भी कम नम्बर आये। उसकी परीक्षा की तैयारी के हिसाब से थ्योरी और प्रेक्टिकल में....यह साधारण-सा क्वेश्चन है जिसके माध्यम से एग्जामिनेशन में कम या ज्यादा नम्बर उसके एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट के बेसिस पर आ सकते हैं, लेकिन वह जो चार्ज वाली बात है, उन्होंने इंटेंशनली केवल एस.सी., एस.टी. के स्टूडेण्ट्स को, जिनके थ्योरी में तो ज्यादा नम्बर आये हैं लेकिन प्रेक्टिकल में कम नम्बर आये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पास एस.सी., एस. टी. स्टूडेण्ट्स के कई नाम हैं जिनके थ्योरी में बड़े पूअर मार्क्स आये हैं लेकिन प्रेक्टिकल में उन लड़कों के काफी अच्छे नम्बर आये हैं। मैं कुछ नाम माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा।

डा. चन्द्रभान : वह तो आपको ज्यादा नम्बर वाले ही नाम दिये होंगे।

श्री रतनलाल जाट : तो माननीय सदस्य का यह कहना कि वास्तव में एस. सी., एस.टी. के स्टूडेण्ट्स के साथ इंटेंशनली उन्होंने कोई ज्यादती की हो, मैं नहीं समझता कि उनके साथ इस प्रकार की कोई ज्यादती की गयी थी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक मुझे पूछना है।

श्री अध्यक्ष : पहले यह पूछ लें फिर आप पूछ लेना।

श्री रामनारायण वर्मा : मैंने एक निवेदन किया था आपसे। मेरे पास एक, जैसे राजेश कुमार थावल के लिए मैंने कहा था आपसे, रोल नम्बर 281, 1990 में आया है और उसके डबल जीरो दिया है मैकेनिकल ड्राइंग में। ऐसा राजस्थान के इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि वह आदिवासी छात्र था इसलिए दिया गया। यह मैंने एक दुर्भावना की बात आपको बताई थी। आप नम्बर नोट कर लें, माननीय मंत्रीजी, मैं अध्यक्षजी के

(श्री रामनारायण वर्मा)

माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। ऐसा कोई केस हुआ है यह कोई चावल पकने वाली बात, कितने उदाहरण हैं मेरे पास। एक मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको, जैसे मोहनलाल स्वामी हैं, जनरल क्लास का है, कितने ही मेरे पास भी हैं आपकी तरह लेकिन मैं एक का बताऊंगा, वह 25 प्रतिशत, बुरी तरह फेल हुआ है और उसको प्रक्टिकल में दिये हैं 65 प्रतिशत। किसी भी छात्र को इस तरह से नहीं दिये, इस तरह से दिये हैं और उधर कास्ट/ट्राइब में हम देखें तो जिनके 60–65% हैं उसको 15–20 प्रतिशत। जो नम्बर हैं, गये साल भी हैं, इस साल के उदाहरण हैं, तो मेरा निवेदन यह करना है कि माननीय, जब अध्यक्षजी ने एक बात कर दी कि, मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा दूसरे सदस्य लें, मैं नहीं कह सकता। मैं तो कहता हूं राजेश कुमार थावल को डबल जीरो दिया गया है बाकी का मैं आपको दूंगा। सदन का समय नहीं लेकर आपका जब मेरे को आश्वासन मिल गया तो यह राजेश कुमार थावल को डबल जीरो देने वाले लेक्चरार के बारे में जांच करोगे क्या और जांच करके उसको क्या सजा दोगे ? यह आश्वस्त कर दीजिए आप। बाकी की बात तो आप पर विश्वास करता हूं। आप जरूर दिखाओगे, जब माननीय अध्यक्षजी का निर्देश हो गया तो, इसके बारे में आपको क्या कहना है। डबल जीरो देने वाले लैक्चरार के खिलाफ, मार्क सीट में ही माननीय अध्यक्षजी, मार्क सीट में डबल जीरो है और कहीं नहीं होगा हिन्दुस्तान में यह। एक उदाहरण मैंने बताया। राजस्थान के छात्रों के केसेज है। यह बड़ी दुर्भाग्यशाली बात है कि ऐसी दुर्भावना बताने वाले, जिस ढंग से वहां आते हैं, केवल मात्र वह छात्र उसके यहां ट्यूशन पढ़ने नहीं गया तो छात्र जरूरी नहीं है कि ट्यूशन पढ़ने जाय। ट्यूशन की प्रवृत्ति को रोकें। ऐसे लेक्चरार पर अंकुश लगे, यह हमारी सदन के माध्यम से, अध्यक्षजी के माध्यम से, आपसे निवेदन करने का मतलब है। इतना–सा ही।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी, क्या वह यह महसूस नहीं करते हैं, यह जबर्दस्त एनामोली है कि बाकी सारे इंजीनियरिंग कालेज तो आते हैं टेक्नीकल एजूकेशन के अण्डर में और यह एक जोधपुर का कालेज आता है हायर एजूकेशन के अण्डर में ? इसकी वजह से सारी गड़बड़ी नम्बरिंग में और सब में होती है। तो क्या इस एनामोली को दूर करने के बारे में वह सोचते हैं ? इसकी वजह से जो परेशानियां हो रही हैं वह भी खत्म हो जायेंगी। इसलिये यह जवाब दिलवाइये आप।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, वैसे सुमित्रासिंहजी ने इस सवाल को उठा दिया, मैं केवल इतना निवेदन मंत्रीजी से करना चाहता हूं कि राज्य के पांच मेडिकल कालेज हैं और पांचों अलग अलग स्थान पर हैं, अब छह हो गये हैं, उनकी एक यूनिवर्सिटी है। राज्य के जितने इंजीनियरिंग कालेज हैं यदि उनको एक यूनिवर्सिटी में कर दिया जाय तो यह एनामोली समाप्त हो सकती है। एक सुझाव यह देना चाहूंगा कि जितने भी बड़े राज्य हैं, जिनमें एक नयी व्यवस्था बनी

(डा. चन्द्रभान)

है, राजस्थान सरकार को भी यह सोचना चाहिये कि इंजीनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेज और पोलिटेक्नीक कालेज को मिला कर सारों की एक यूनिवर्सिटी, जिसको टेक्नीकल यूनिवर्सिटी कह दिया जाय, हो। इसकी स्थापना के बारे में सरकार को सोचना चाहिये। जब तक टेक्नीकल यूनिवर्सिटी नहीं बनती तब तक मेडिकल कालेज की तरह इंजीनियरिंग कालेज को एक ही यूनिवर्सिटी से एफीलियेट करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रतनलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने काफी महत्वपूर्ण सुझाव इस बारे में दिये हैं लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन दिया था, यूनिवर्सिटी आटोनामस होने के नाते उनकी एकेडेमिक एक्टीविटीज में हम इंटरफियरेंस नहीं करते हैं। यह जो सुझाव माननीय सदस्यों के आये हैं निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी की जो को-आर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह एकेडेमिक की है।

श्री रतनलाल जाट : मैं वही निवेदन कर रहा हूं। आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव आये हैं, वाइस चांसलर की जो कोआर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, जिसकी शीघ्र ही इसी अप्रैल माह में सम्भावित बैठक होने वाली है, इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को, सुझावों को राज्य सरकार के माध्यम से उन तक पहुंचा दिया जायेगा और हम विश्वास करते हैं कि उन पर कोई शीघ्र कार्यवाही होगी। माननीय सदस्य जो एक महत्वपूर्ण कह रहे हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा, आपने कहा कि डबल जीरो एक को कैसे दे दिया। आपने अगर देखा हो, नम्बरिंग का जो तरीका है 01,02,03 इस तरह से मार्क किया जाता है क्योंकि जीरो के आगे पीछे किसी प्रकार से लगाने से जैसे अगर जीरो के आगे एक लगा दिया तो दस हो जायगा। तो इस तरह से सही नम्बरिंग के हिसाब से इसको किया गया है, किसी मैलाफाइड इन्टेंशन से ऐसा नहीं किया गया है। धन्यवाद।

श्री रामनारायण वर्मा : आप इसकी जांच करा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : अब आप इसकी जांच करा लीजिये, यहां तो निर्णय होगा नहीं।

श्री रतनलाल जाट : मैं जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : समितियों के प्रतिवेदन। श्री जीतमल जैन।

समिति का प्रतिवेदन
प्राक्कलन "ख" समिति का
प्रथम एवं चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री जीतमल जैन (सभापति, प्राक्कलन समिति "ख") : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति, प्राक्कलन समिति "ख", 1991-92 समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं —

(क) सहकारिता विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "ख" 1986-87 के बारहवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का प्रथम प्रतिवेदन, एवं

(श्री जीतमल जैन)

(ख) नियोजन विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "ख" 1985–86 के चतुर्थ प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनाएं। श्री कृष्ण कुमार गोयल।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री कृष्णकुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग (ग्रुप-2) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : हो गया पहले ही, अब क्या बाकी रह गया ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तो गैर सरकारी दिवस है, आज सूचनाएं रखने का क्या अर्थ हो सकता था ? यह तो सोमवार को भी सूचनाएं रखी जा सकती थीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक सैकिण्ड में हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : यह तो सदन की मेज पर रख रहे हैं, उसमें कोई वह थोडे ही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आज इनको रखने की आवश्यकता क्या है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : कल आपसे कमिट किया था इसलिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हम यह चाहते हैं कि न रखें, आप सोमवार को रखिये। आप माननीय सदस्यों से अनुमति और लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। बोलिये आप।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अधिसूचना संख्या आर.एफ.सी./पी.ए–23 (7), दिनांक 24 अप्रैल, 1986,

(2) अधिसूचना संख्या आर.एफ.सी./पी. ए.–23 (11), दिनांक 24 अप्रैल, 1986,

(3) अधिसूचना संख्या आर.एफ.सी/पी. ए–23 (14), दिनांक 5 अगस्त, 1986,

(4) अधिसूचना संख्या आर.एफ.सी/पी. ए–23 (11), दिनांक 5 अगस्त, 1986,

(5) अधिसूचना संख्या आर.एफ.सी/एफ.पी.ए–7 (3), दिनांक 5 अगस्त, 1986,

(6) अधिसूचना संख्या निल, दिनांक 28 अप्रैल, 1988

(7) अधिसूचना संख्या निल, दिनांक 3 मई, 1988,

(8) अधिसूचना संख्या निल, दिनांक 3 मई, 1988,

(9) अधिसूचना संख्या निल, दिनांक 3 मई, 1988 एवं 8 मार्च, 1990 जिसके

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

द्वारा राजस्थान वित्त निगम (स्टाफ) रेगूलेशन, 1958 में संशोधन किये गये हैं,

(10) अधिसूचना संख्या निल, दिनांक 30 मई, 1989 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम एम्पलाइज प्रोविडेंट फण्ड रेगूलेशन, 1958 में संशोधन किये गये हैं,

(11) अधिसूचना संख्या निल, दिनांक 3 मई, 1988 एवं 30 जून, 1988 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम (पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी रेगूलेशन) 1975 में संशोधन किये गये हैं, तथा

(12) अधिसूचना संख्या निल, दिनांक 23 अप्रैल, 1990 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम (हाउस बिल्डिंग एडवांस टू एम्पलाइज रेगूलेशन), 1978 में संशोधन किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री रामनारायण विश्नोई।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगी। आपने कहा था, मैं सारे संशोधन कल सदन में प्रस्तुत कर दूंगा। अभी आपने देखा कि कुल दस एक के करीब आपने प्रस्तुत किये हैं। जब कि संशोधनों की संख्या करीब 300 है। उसमें आप देखेंगे कि संख्या भी नहीं लिखी हुई है। मेरा यह आशय था कि जितने भी संशोधन लाये हैं उद्योग विभाग के, रीको के, इस सम्बन्ध में जो भी ऋणियों को ऋण देने के सम्बन्ध में थे, उनसे वापस लेने के सम्बन्ध में थे, बन्द करने के सम्बन्ध में थे, जो भी थे वह सारे यहां प्रस्तुत करते और उनको आबद्ध करके लाते कि कब-कब लाये हैं। वह सम्पूर्ण एक्ट के साथ यहां उसको लाते तब तो कोई व्यवस्था ठीक थी। आपने केवल दस यहां रखें और बाकी को जेब में रख लिया, यह व्यवस्था ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के खिलाफ यह अपूर्ण सूचना यहां दे रहे हैं; मेरी इसमें आपत्ति है, आप व्यवस्था दीजिये। यह गलत है।

श्री रामकिशन : मंत्रीजी, इनका एतराज यह है कि वित्त निगम से तो सूचनाएं ले आये हैं, यह जेब में रखली हैं, जो सूचनाएं यहां नहीं रख रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, वहां से दी नहीं गयी हैं; प्राप्त नहीं की हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कल ही इसके बारे में मैं निश्चित रूप से कह चुका। अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया भी है कि पी. यू. सी. इसका पूरा काग्नीजेंस लेगी, कौन किस जगह तक आ सकता है। मुझे लगता है, सक्यूलर जो निकले हैं, आप उसको भी रेगूलेशन के अन्दर ले रही हैं। सक्यूलर वगैरह 300-400 निकले हैं लेकिन रेगूलेशन जो अभी तक मुझे सूचना दी गयी है और इतना ही नहीं है बल्कि उद्योग विभाग द्वारा वित्त निगम को लिखित के अन्दर कहा गया है कि अगर कोई भी आपके पास रेगूलेशन बचा हुआ है किसी भी प्रकार का तो उसको अविलम्ब हमको दिया जाये। तो जो भी हमें सूचना आयी है उसका एक-एक पत्र यहां पर दे दिया गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने कल दावा किया था....

श्री अध्यक्ष : अब वह कर देंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बड़ी प्रमाणिकता से यह बात कही थी कि मैं कल सारे उपस्थापित कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब आपका संकल्प ही डिले हो रहा है। मंत्रीजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो आप अपने विभाग को संभालिये, उनसे जल्दी प्राप्त करके यहां लाइये।

श्री अध्यक्ष : वही सम्भाल रहे हैं, आपको कौन सम्भालने देगा?

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान विद्युत मण्डल का आय व्ययक अनुमान 1992-93

श्री रामनारायण विश्नोई (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 103 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय व्ययक अनुमान वर्ष 1992-93 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : गैर सरकारी कार्य। गैर सरकारी संकल्प। श्रीमती उजला अरोड़ा।

अशासकीय संकल्प, प्रदेश के सभी विभागों, न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य किया जाय

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और सदन को स्मरण दिलाना चाहूंगी कि दिनांक 13 सितम्बर, को मेरा संकल्प था हिन्दी के सम्बन्ध में, चूंकि अब काफी दिन बीत गये हैं तो मैं वह संकल्प पढ़कर दोहराना चाहूंगी। यह सदन संकल्प करता है कि राजस्थान राज्य के सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी विभागों, निगमों तथा न्यायालयों में अन्य कारोबार, व्यवहार में अनिवार्यतः राजभाषा हिन्दी में कार्य किया जाय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : विधान सभा को तो छोड़ दिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने अन्य में समस्त को शामिल किया है शायद आप यह भूल रही हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह एक आवश्यकता है अपने प्रदेश की, अपने मान सम्मान की। जब अपनी भाषा में हम नहीं बोल पायें, अपनी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा का हम प्रयोग करें, वह भी वह भाषा जो हमारे देश की नहीं है और जिस भाषा भाषियों ने हमको वर्षों वर्ष तक गुलाम रखा, न केवल गुलाम रखा, हमारे देश की आजादी समस्त बोलने की और चलने की, जाने आने की, उन्होंने हर प्रकार से हमको परेशान किया, हमारे देश के मनीषियों का अपमान किया, हमारे देश के नागरिकों का अपमान किया, पढ़े लिखे लोगों का अपमान किया, उनको बूटों से ठोका और अपनी भाषा हम पर थोपी, वह भाषा जो हमें गुलाम बनाने वाली थी, जो भाषा हमारे देश के सम्मान को खरीदने वाली थी। इसी वर्ष अंग्रेजी भाषा के विरोध में यह बात कहते हुए कि उस भाषा को अभी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हम पर 45 वर्षों के बाद भी थोपा जा रहा है, जबकि अपने देश की भाषा हिन्दी के समानार्थ ही पिछले दिनों नये बने राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने, उन दोनों ने घोषित नीति के अनुसार संकल्प के अनुसार यह लागू किया है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दोनों में कारोबार, व्यवहार, राजकीय, प्रशासनिक जितने भी आदेश निर्देश, संतुति, अनुदेश, अभिशंसा और जो कुछ भी इस प्रकार के निकलेंगे, वह सारा व्यवहार हिन्दी में किया जायेगा। मुझे खेद है कि हमारे यहां यह स्वीकार करते हुए भी कि हम जो भाषायी फार्मूले से चलेंगे, प्रांतीय भाषाओं की उन्नति चाहेंगे, साथ ही हमारे यहां अनिवार्यतः हिन्दी का प्रयोग करेंगे। यह बात स्वीकार करते हुए भी हमारे प्रदेश में संकल्प को लागू नहीं किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगी सन् 1952 में विधान सभा में संकल्प प्रस्तुत किया गया था कि प्रदेश की.....

श्री अध्यक्ष : आपका अभी कन्टीन्यू रखना....थोड़ा संक्षेप में कर दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं संक्षेप में कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष : दो, चार लाइन बोल लीजिए पहले आपका अमेंडमैंट मैं मूव करा देता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ईस इश्यु पर पहले भी बोल चुकी हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपसे गाइडेड नहीं हूं। मैं मेरी बात पूरी कहूंगी। आप मुझे कैसे टोक रही हैं, मैं यह समझ नहीं पा रही हूं आप एक....

श्री अध्यक्ष : इनका भाषण अधूरा था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां मैंने शुरू किया था। माननीय अध्यक्ष ने यह आग्रह किया था कि....

श्री अध्यक्ष : आप अभी जारी रहेंगी, आप चिन्ता क्यों कर रही हैं। अभी मैं मूव करा देता हूं पहले संकल्प का जो अमेंडमैंट है, वह मूव हो जाये। आप बैठिये एक मिनट। आपका चालू रहेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं इसके बाद स्वयं बोलूंगी।

श्री अध्यक्ष : नहीं आपका चालू रहेगा। आपको ही बोलना है और कोई नहीं बोलेंगे। विवाद में जो बोलेंगे सो बोलेंगे।....(व्यवधान)। श्री मदान, आप अमेंडमैंट मूव कर रहे हैं ? केवल अमेंडमैंट मूव कर दीजिए।

संकल्प पर संशोधनों की प्रस्तुति

श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसमें मेरा सुझाव और मेरा अमेंडमैंट है। इसमें शब्द आया है "हिन्दी"। हिन्दी के उपरान्त इसमें लिखा है कि राज्य के सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी विभागों, निगमों तथा न्यायालयों में अन्य कारोबार व्यवहार में अनिवार्यतः राजभाषा हिन्दी में कार्य किया जाये। इसमें मेरा सुझाव और है। मेरा अमेंडमैंट,

(श्री अर्जुनदास मदान)

मेरा परिवर्तन है कि "हिन्दी में कार्य किया जाय" के स्थान पर शब्द हिन्दी में ही समस्त निदेश, अनुशंसा एवं अभिशंषायें प्रसारित की जाये एवं हिन्दी में ही पत्राचार को अनिवार्य भी किया जाये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प में प्रयुक्त शब्द "कारोबार" तथा शब्द "व्यवहार" के मध्य शब्द "तथा" अन्तर्विष्ट किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर (अनुपस्थित) श्री चम्पालाल बांठिया (अनुपस्थित)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुझे पता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पता नहीं है। आप इतना ही कह दीजिए मैं बिदड़ा करता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं बिदड़ा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिदड़ा कर रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे ? हां बोलिये। पहले आप बोलिये।

नियम 26 का निलम्बन

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया के नियम 306 के अंतर्गत प्रक्रिया के नियम 26 के प्रावधानों को लागू किया जाना निलम्बित किया जाकर शलाका में क्रमशः आये सभी चार गैर सरकारी संकल्पों को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाये तथा प्रक्रिया के नियम 27 के अंतर्गत संकल्प पर वाद विवाद उसी या अगले सत्र में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत किये गये अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि नियम को निलम्बित करने की स्वीकृति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

नियम के निलम्बन की स्वीकृति प्रदान की गई। मूव करिये आप।

अशासकीय संकल्प

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का निपटारा

"इस सदन की आम राय है कि राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु उनको समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जावे।"

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

मंत्रीगण द्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति की घोषणा

"यह सदन संकल्प करता है कि राजनैतिक जीवन में उच्च मानदंड स्थापित करने के लिए मुख्य मंत्री सहित सभी मंत्री अपनी व अपने परिवार की चल अचल सम्पत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें।"

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

रासायनिक खाद को कर मुक्त किया जाना

"सदन की सम्मति है कि प्रदेश में बिकने वाले रासायनिक खाद को पूर्णतया कर-मुक्त किया जावे।"

श्री अध्यक्ष : श्री केदार नाथ शर्मा।

श्री केदार नाथ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं नीचे लिखे हुए संकल्प पेश करता हूं :—

खेल व खिलाड़ियों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन नहीं

सदन की राय है कि राज्य सरकार खेल व खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए समुचित व्यवस्था नहीं कर सकी।"

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, हर 14 सितम्बर के दिन हिन्दी दिवस मनाने के संबंध में हमारे यहां भी ऐसी सभाओं का आयोजन होता है। हमारे भाषा मंत्री और शिक्षा-मंत्री इस बार भी, गत वर्ष तो 14 सितम्बर था, राजस्थान विश्वविद्यालय गये और उन्होंने वहां पर अध्यक्षता कर रहे रामेश्वर प्रसाद शर्मा, जो वहां के उप कुलपति हैं। शिक्षा मंत्री जी भी उस समय थे और ईश्वर दत्त जो वहां के सचिव थे, जो भाषा सचिव हैं और हिन्दी भाषा के भी सचिव हैं, आपने वहां अपने भाषणों में यह आग्रह किया कि हिन्दी को अपनाने के लिए सभी प्रयत्न किये जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने बैंक के संबंध में, यहां पर आयोजित सम्मेलन के समय शुभ संदेश भेजा है; उसमें उन्होंने यही अपेक्षा की है कि बैंकों में हिन्दी में जो काम आज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है और इसका अन्य विभागों में भी सम्मेलन करके और अन्य तरह से इसको किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगी कि हमारी कथनी और करनी में क्यों अंतर रहता है। हमने 52 में इस संकल्प को स्वीकार किया। 56 में इसके लिए हमने नियम बनाये, राजभाषा निर्देशिका पुस्तिका, वह सारे नियम यहां सामने हैं। सन् 1978 में जब हम जनता सरकार के माध्यम से सत्ता में आये, तो आते ही मुख्यमंत्री महोदय ने उस समय जब भनोत साहब चीफ सेक्रेटरी थे, मुख्य-सचिव थे, उन्होंने निर्देश प्रसारित किये कि....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप अंग्रेजी में बोलती हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सुरेन्द्र जी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं और आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनें। मैं निवेदन करना चाहूंगी, यह सारे निर्देश प्रसारित किये कि नियुक्तियों में, पदोन्नतियों में, पदस्थापन, वेतन-वृद्धि, अवकाश में, सेवा निवृत्ति, जितने भी संबंधित पत्र निकलें, जितने भी आदेश निकलें; वह अनिवार्यतः हिन्दी में ही लिखे जायें। अब यह सारा होने के बावजूद भी मुझे खेद है भाषा निर्देशिका के रूप में इन्होंने सारे दिशा निर्देश प्राप्त किये। हिन्दी में प्रयोग एवं उन सब बातों को देखते हुए आज भी, अभी थोड़ी देर पहले यहां शिक्षा मंत्रीजी अंग्रेजी में आदेश पढ़कर सुना रहे थे और आये दिन आई.ए.एस. आफिसर्स के दबाव में आने के कारण....

(2.50 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

डॉ. चन्द्रभान : यह स्वयं अंग्रेजी में बोलती हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कहना चाहूंगी कि हिन्दी में प्रयोग न करके दवाब में आकर स्वयं ने अपनी मानसिकता को गुलाब बना रखा है, इस गुलाम मन से कि स्वतंत्रता निश्चित रूप से आवश्यक है, हमें अपनी भाषा पर स्वाभिमान होना चाहिए। उसी के अनुसार जो हमने नियम बनाये हैं। हमने यहां पर शपथ खायी है कि इस संविधान के····जिसको हम स्वीकार करते हैं उसके अनुसार अपना आचरण करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक यह स्पष्ट निर्देश है कि हम राज भाषा हिन्दी का प्रयोग करेंगे। तो उसमें यह नहीं कहा कि शनैः-शनैः करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि स्पष्ट निर्देश है इसके बावजूद भी हमारी सरकार पता नहीं किस मानसिकता से बंधी हुयी है, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस मानसिकता से छुटकारा, बदलाव बहुत जरूरी है। राज्य सरकार संकल्प करें कि वह अनिवार्यतः हिन्दी भाषा का प्रयोग सभी विषयों में करेगी। मैं यह कहना चाहूंगी कि यहां यह भी कहा है कि जो हमें निर्देश प्राप्त हुये हैं जो हमारे यहां पर सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों की, मंत्रियों की, गैर सरकारी, सरकारी, अर्द्ध सरकारी जो भी हो मैं कहना चाहूंगी कि वहां तख्तियां लगा रखी है जिसमें लिखा है कि राज–भाषा हिन्दी का प्रयोग राज्य सरकार की घोषित नीति का अभिन्न अंग है। भाषा निदेशालय, राजस्थान। यह मैं आपको दिखा कर बताना चाहती हूं कि जब आखों में अंगुली डाल कर भी दिखाया जाय उसके होते हुए भी राज्य सरकार और सरकार के अधि–कारीगण इस का प्रयोग नहीं करें तो यह वास्तव में खेद की बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह चित्र भी····

श्री उपाध्यक्ष : आप यह क्या लायी हैं ?

(3.00 म.प.)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपकी अनुमति से लायी हूं, अभी कोई बोलेगा नहीं। मैंने आपसे अनुमति मांगी थी कि तीन चित्र विधान सभा के अन्दर यहां अपनी जो बात कह रही हूं उसको सम्पा–दित करने के लिये मुझे आवश्यक है। तो यह सारे चित्र हमारी नीति हिन्दी के संबंध में अपने आपने कमरों में लगा रखे हैं। यह केवल तस्वीरें नहीं है। इन पर चलना अनिवार्य है। यह हमारे दिशा निर्देश है। मान्यवर मैं कहना चाहूंगी····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, मेरा निवेदन है कि चित्रों का व्यर्थ प्रदर्शन न करें। क्या भाव अंकित करते हैं यह थोड़ा बहुत (व्यवधान)····

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं जरा सा कह कर रख रही हूं। इनको यहां पर प्रदर्शन के लिये नहीं लायी हूं,

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह हाउस की प्रोपर्टी हो गयी ? माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, हो सकती हैं। यह मैंने रखा।

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री) : हमें चित्र तो दिखायें, क्या है।

डा. चन्द्रभान : आप लोग हिन्दी के खिलाफ हो क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : कोई खिलाफ नहीं है। यह मंत्रीजी दूसरी बात कह रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी राजस्थान राज्य में इन कार्यों में हिन्दी प्रयोग आवश्यक है। मैं यह बताना चाहती हूं कि राजस्थान विधान मण्डल एवं उसकी समितियों को प्रस्तुत किये जाने वाले सभी मामले हिन्दी में प्रस्तुत किए जायेंगे। राज्यादेश संख्या-7 (क)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक आपत्ति है। यह जो बोर्ड यहां पर दिखा रही हैं उसमें जो अक्षर (फिगर) लिखे हुये हैं वह इंगलिश में लिखे हुये हैं जो हिन्दी में होनी चाहिये थे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अंकों को हमने स्वीकार किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय अंक हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अंक स्वीकार कर लिये गये हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह कहना चाहती हूं कि राज्यादेश संख्या 7(क),8 (ख), 6, दिनांक 23.1.1965 मैं बिन्दुवार बताना चाहती हूं। बिन्दु दूसरा, हिन्दी पत्रों में राजकीय विभागों द्वारा दिये जाने वाले विज्ञापन और विज्ञप्तियां हिन्दी में होगी। आदेश संख्या 1.12 है, ई.बी.-165 है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, बिन्दु नम्बर-3,....(व्यवधान)....सुनिये आप जरा हर चीज को आप मजाक में लेते हो।....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप अपना ध्यान आसन की तरफ रखें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : राजकीय समस्त कागजों पर हिन्दी में ही हस्ताक्षर मान्य होंगे। इसको केवल हस्ताक्षर ही मान्य कर लिया और उसमें सारी लिपी को अंग्रेजी में स्वीकार करके आगे चलते हैं यह नितान्त खेद की बात है। यह आदेश संख्या, राज भाषा विभाग, 166/51/66 दिनांक 31.8.1966 है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, बिन्दु संख्या-4, समस्त प्रशासनिक आदेश जो जो नियुक्तियां, स्थानान्तरण, वेतन वृद्धि, अवकाश कार्य, सेवा निवृत्ति से संबंधित हो वह हिन्दी में प्रसारित होने पर ही प्रमाणित माने जावें। अब आप देख लीजिये कि स्थानान्तरणों, नियुक्तियों में जब कि यह प्रमाणित माने जावें केवल हिन्दी में हो तो और यह अंग्रेजी में लिखे जा रहे हैं, आये दिन वितरित हो रहे हैं, उनको मान्य करने की प्रक्रिया चालू है। यह खेद का विषय है। मान्यवर यह दिनांक 1.9.1967 का आदेश है।

बिन्दु संख्या-5, राज पत्र में छपने वाली समस्त सामग्री हिन्दी में हो। अपवाद-स्वरूप द्विभाषी में हो सकती है। यह द्विभाषी में जहां जरा सा अपवाद कह दें तो यह समस्त अंग्रेजी में मान लेते हैं। मान्यवर, मैं सरकार के कई मंत्री यहां बैठे हैं और सरकार से कहना चाहूंगी कि इसको अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही हो ऐसा स्वीकार किया जाय। यह दिनांक 24.5.1972 का राज्यादेश है।

मान्यवर, बिन्दु संख्या-6, समस्त सरकारी कार्यों में प्रयुक्त रबड़ की मोहरें हिन्दी में ही मान्य होगी और अंग्रेजी की मोहरें अमान्य होगी। आप देख लीजिये कि आपने भी कई विभागों में देखा होगा, आज भी अंग्रेजी की मोहरें अपने यहां चल रही

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

है। यह नितांत खेद की बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह आदेश प्रसारित और प्रभावी दिनांक 6.3.1976 को हुआ।

मान्यवर, बिन्दु संख्या–7, जिला एवं सैशन न्यायालयों में हिन्दी का ही प्रयोग किया जायेगा, मान्यवर, राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश क्रमांक–सामान्य, 29.3.1976 का है।

मान्यवर, बिन्दु संख्या–8, समस्त रजिस्टर, परिपत्र आदि में हाथ से की जाने वाली समस्त प्रविष्ठियां हिन्दी में ही मान्य होगी और यह आदेश है, मान्यवर, जनता पार्टी में भैरोंसिंहजी की सरकार के समय का दिनांक 2.9.1978 है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, बिन्दु संख्या-9, समस्त वित्तीय स्वीकृतियां, सरकारी बैठकों तथा याचिकाओं के कार्य वृत्तान्त और प्रशासनिक एवं वार्षिक रिपोर्टें हिन्दी में ही मान्य होगी। अब आप देख लीजिये कि कल ही यहां पर लेखा अनुदान मांग के संबंध में जो यहां पर प्रस्तुत की गयी है वह दो रिपोर्टें हिन्दी में थी, एक अंग्रेजी में। मैं समझती हूं कि अभी सरकार को अपने आपको सुधारना चाहिये जिससे राजस्थान अग्रणीय नहीं तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद तीसरा प्रदेश माना जावे कि यहां हिन्दी में ही सभी कार्य करते हैं।

मान्यवर, आदेश संख्या, दिनांक 28.9.1978 है जबकि माननीय श्री भैरोंसिंहजी मुख्यमंत्री हुये थे पहली बार। मान्यवर, बिन्दु संख्या संख्या-10, समस्त आदेश परिपत्र आदि की जो भी राजकीय प्रशासनिक सामग्री मुद्रित या साइक्लोस्टाइल होकर जारी हो वह हिन्दी में होगी। मान्यवर, राज्य सरकार के समस्त कार्यों में आने वाले अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय प्रारूप ही स्वीकृत होगा। यह राजस्थान राज भाषा अधिनियम 1956 क्रमांक 47 है। मान्यवर, मैंने आपको भाषा विभाग ने जो 78 वर्ष के अवसर पर भाषा विभाग से जो प्रसारित किया गया वह मैंने आपके आदेश के क्रम में सुनाया है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार को चाहिए कि वह अनिवार्य रूप से केवल मानने के लिए नहीं कि हमने अपनी निर्देशिका में छाप लिया, राजभाषा निर्देशक पुस्तिका। इसमें हमने छाप लिया और हम इससे खुश हो जावें कि हम अनिवार्यतः हिन्दी का प्रयोग करेंगे। आये दिन अंग्रेजी हमारे मन में चुभती है। हम को याद दिलाती हैं कि भगतसिंह को फांसी पर चढ़ाने वालों की यह भाषा है। मान्यवर, हमें याद आती हैं वीर सांवरकर को देश निकाला देकर काले पानी भेजने वालों की यह भाषा है। मान्यवर जलियावाले बाग में गोलियों से भून दिये गये निहत्थे लोगों को जो बैसाखी के अवसर पर आये थे, यह उन लोगों की भाषा है जिन्होंने भयंकर रूप से तोप दागी और लोगों को अंधे कुवें में मरने के लिए मजबूर किया गया और जो लोग गये थे उनको गोलियों से भून दिया गया। उसका चित्र देखना हो तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आप देखकर आयें जिसको देखकर ही आत्मा तड़फ उठती है।

मान्यवर, यह उन लोगों की भाषा है

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जिन्होंने वीर सुभाष को दूसरे देश में जाकर कोहिमा तक पर आक्रमण के लिए मजबूर किया। यह उन लोगों की भाषा है अंग्रेजी जिसका प्रयोग आप कर रहे हैं। खेद की बात है। मैं कहना चाहूंगी कि जिन लोगों के द्वारा लालाजी को लाहौर में लाठियों से मारा था। पाल को बेहद परेशान किया था। मैं कहना चाहूंगी कि इस देश की बलिवेदी पर चढ़ने वालों ने प्रान्तीयता को भुला दिया, जातीयता को भुला दिया। दादा भाई नौरोजी को परेशान किया, देश के टुकड़े किये गये और तो और मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों की जो भाषा, जिसने हमें गुलाम बनाया उससे हमें क्यों मोह है।

आप इसको जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में जर्मन भाषा पढ़ाते हैं, जिस तरह से अन्य भाषाएं पढ़ाते हैं उसी तरह अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने की बात करें तो मुझे आपत्ति नहीं होगी लेकिन मेरी भाषा, मेरे राज्य की भाषा यह नहीं हो सकती है। कभी नहीं हो सकती है।

मान्यवर, हमारी भारत की हिन्दी की जो आंचलिक यात्रा है, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उसमें हिन्दी भाषी राज्य मैंने "क" क्षेत्र दर्शाया है हाथ से बनाकर। निवेदन करना चाहूंगी कि इसमें राजस्थान प्रदेश है, मध्यप्रदेश है, उत्तरप्रदेश है, हरियाणा प्रदेश है, बिहार प्रदेश है, और दिल्ली का केन्द्र शासित प्रदेश है। अण्डमान निकोबार इसमें आता है। मान्यवर यह करार शुदा क्षेत्र रखा गया है। वह पंजाब है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, चण्डीगढ़ है, केन्द्र शासित प्रदेश है जो। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राज भाषा के रूप में जो लोग हिन्दी को स्वीकार कर चुके हैं। यह उनके बारे में उल्लेख किया। यह पूरे भारत का नक्शा इस प्रकार से हिन्दी भाषी प्रान्तों में हो सकता है। यह प्रान्त जो शीर्ष स्थान के बराबर में है। यह राजस्थान है। यह बहुत बड़ा प्रान्त है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप थोड़ा मानसिकता से उभरिये और आप यहां पर अंग्रेजी के प्रयोग को छोड़कर हिन्दी की प्रामाणिकता पर आइये। हिन्दी की अनिवार्यता बढ़ायें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि प्रान्तीय भाषाओं के संबंध में हमारी आठवीं अनुसूची में अच्छा होता कि आप राजस्थानी को जोड़े जाने की बात करते। वहां आप कमजोर पड़ गये। बंगाली भाषा अपना प्रमाण रखती है, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलगु यह दक्षिणी भाषा अपनी स्थिति रखती है। मुझे खेद है कि यहां अपनी हिन्दी को स्वीकार करने में हिचकिचाहट कर रखी है वहीं आप राजस्थानी को बढ़ाने में भी अकर्मण्य नजर आते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे गुरुजनों ने कहा है। हिन्दी के सम्बन्ध में महात्मा गांधी कहते है राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है कि हिन्दी को आज काम में लिया जाये।

माननीय राजेन्द्र बाबू जो देश के राष्ट्रपति रहे हैं। वह कहते हैं— पूना से चटगांव तक निरक्षर भारतीय जनता जिस आम बोली को समझती और समझ जाती है

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

और जरूरत पड़ने पर बोल लेती है वह भारत की राष्ट्रभाषा बनने वाली हिन्दी है। हिन्दी के लिए उन्होंने लिखा है....(व्यवधान) मैं चेलेंज करती हूं उन्होंने हिन्दुस्तानी के लिए लिखा हो तो आप बता दीजिए। ला दीजिए कोई प्रमाण।

मान्यवर, हिन्दी उत्तर से दक्षिण तक व्यापक है, पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। हिन्दी प्रदेशों की गिनती, दक्षिण के सन्तों ने भी अपनी भावनायें प्रकट की हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह किस ने कहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय आचार्य नरेन्द्र देव कह रहे हैं। मान्यवर, सुमित्रा नन्दन पंत ने जो कहा है....

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने तो कविता बोली होगी।....(व्यवधान)।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनके नंदन तो राजीव हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इतनी समझदारी की बात करते-करते +++ की बात कह दी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह एक्सपंज कीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्यार से कहा गया मेरे प्रति जो शब्द है मैं उसको उसी रूप में स्वीकार कर सकती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सुमित्राजी आपसे बड़ी हैं इसलिए हर बात को स्वीकार कर लेती हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह प्रेम से जो भी कहेंगी मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने तो स्वीकार कर लिया लेकिन हम एक्सपंज करते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हम अपने बच्चों को कहते हैं कैसा पागल है, कैसा उल्लू है तो वह पागल थोड़े ही हो जाता है, उल्लू थोड़ ही हो जाता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जब उनको आपत्ति नहीं है तो आसन को क्या आपत्ति हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन के लिए तो यह माननीय सदस्या हैं। इसलिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मर्जी आपकी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यदुनाथ की दादी हूं और आपकी बच्ची हूं।

डॉ. चन्द्रभान : यह कह रही है कि मैं आपकी बच्ची हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो क्या दादी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में स्वीकार किया जा सकता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है—हिन्दी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्त्रोत है। मान्यवर,

---

+++ शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

और मैं बताना चाहूंगी महात्मा गांधी ने कहा राष्ट्रभाषा के लिए कि राष्ट्रभाषा के बिना, हिन्दी के बिना राष्ट्र गूंगा है। कितनी हृदय से निकली हुई बात है। मान्यवर, कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी जो गुजरात से आते थे उन्होंने लिखा है—हिन्दी ही हमारी राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे शक्तिशाली और प्रधान माध्यम है। मान्यवर मैं निवेदन करना चाहूंगी विनोबा भावे जो हमारे राष्ट्रीय नेता हुए है उन्होंने लिखा है कि मैं हिन्दी की शक्ति को हिन्दी के महत्व को जानता हूं उससे भू–दान का सन्देश देश भर में फैला....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अटल बिहारी जी क्या बोले ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : वे हिन्दी के प्रबल समर्थक हैं, हिन्दी में ही बोलते हैं, हिन्दी में ही लिखते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी मैथली शरण गुप्ता ने लिखा 'जैसा लिखो वैसा पढ़ो, कुछ भूल हो सकती नहीं, हो अर्थ का न अनर्थ, इसमें एक बात हुआ कहीं', इस भांति होकर यह शुद्ध यह अति सरल और सुबोध है क्या उचित फिर इसका कभी अवरोध और विरोध है ? मान्यवर, राष्ट्र कवि मैथली शरण गुप्त ने ही कहा है "समझें अयोग्य न क्यों इसे....मैं इसे बोलूं नहीं तो अच्छा है—समझें अयोग्य न क्यों इसे कुछ हठी और दुराग्रही, लिपियां यहां हैं और कितनी....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पहले पढ़कर आतीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं देख लेती हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा चश्मा ले लो।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपको चश्मा दे रही है।

डॉ. चन्द्रभान : वापस नहीं मिलेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं में दे दूंगी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अच्छा बोल रही हैं, अच्छी तैयारी से बोल रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : चश्मा ठीक है। समझे अयोग्य न क्यों इसे, कुछ हठी और दुराग्रही लिपियां यहां और भी हैं, कितनी सब में स्पष्ट है यही....

इसका प्रचार विचार के कल्याण कर
सब ठौर है
सुन्दर सरल सुस्पष्ट ऐसी लिपि न कोई
और है ॥

मान्यवर श्री मैथलीशरण गुप्त की ही चार पंक्तियां मैं और दोहराना चाहूंगी।

सम्पूर्ण प्रांतीय बोलियां सर्वत्र ज्यों की
त्यों रहें
सम्प्रान्तवासी प्रेम से उनके प्रवाहों में
बहें
पर एक ऐसी मान्य भाषा चाहिये यह
होनी यहां
सब देशवासी जल्दी से समझें समान
यहां वहां ॥

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार से हमारे मनीषियों ने इस हिन्दी भाषा को लागू करने के बारे में कहा....

श्री उपाध्यक्ष : आपके इस प्रस्ताव के समर्थन में और भी बहुत विद्वान वक्ता हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, पहले मुझे बोलने दें, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, सभी बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : और भी कई विद्वान हैं जो आपके इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो आज प्रसन्न होना चाहिये कि जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या स्वामी विवेकानन्द के 8 घंटे बोलने का रिकार्ड तोड़ने वाली हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इनकी तैयारी बहुत अच्छी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : इनके पास बोलने का बहुत मैटीरियल है, इसमें कोई मना नहीं करते हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, यह वह चित्र है, मैं फिर बताना चाहती हूं कि यह हमारे सचिवालय में और अन्य मुख्यालयों में लगे हुए हैं। इनको होने के बावजूद अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह कहां से उठाकर लाये हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कैसी बात करती हैं यह हमारी भावनाओं की चीज है, हमारा संकलन है, वह ऐसी चीज नहीं है कि सड़क पर पड़ी हुई मिल जाए, कहां से ले आये। आप कहेंगी तो मैं आपको ही भेंट कर दूंगी।....

श्री उपाध्यक्ष : यह ठीक कहा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : संसार में किसी भी समुदाय की शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं हो सकती। जिस देश की जो भाषा है उसी भाषा में उस देश के न्याय, कानून आदि का कार्य होना चाहिये— महर्षि महामना मालवीय। मैं निवेदन करना चाहूंगी....(व्यवधान) महामना नहीं कहते हैं क्या उनको। यह टोकने की आदत बहुत खराब है....

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलती जाइये, उधर ध्यान ही क्यों देती हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर महात्मा गांधी कहते हैं कोई देश तब तक सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं है जब तक वह अपनी भाषा में नहीं बोलता, नहीं लिखता। मान्यवर मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो मैं बात कह रही हूं मैं उन्हीं की छाया में अपने भारत की छवि देखना चाहती हूं जिनके यह सपने हैं उनको हमें साकार करना है। मेरी सरकार करे तो इससे अच्छी और कौन सी बात होगी। मैं सलाह देना चाहती हूं। मान्यवर राजकीय टण्डन ने कहा—हिन्दी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और दृढ़ करती है। मान्यवर यह हिन्दी के संबंध में दिशा निर्देश देने वाले

187

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

राजऋषि टण्डन द्वारा कही हुई बात मैंने आपको बताई है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जब मैं देखती हूं कि भाषा विभाग ने भाषा परिचय निकाले है एक, दो, तीन और भी है मैंने औरों को दे दिये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : निकाले होंगे वह तो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, यह दिशा निर्देश निकाले है। इसमें इन्होंने जो भी हमारे राज्य की अभिशंसा, आदेश, निर्देश होंगे इनके प्रारूप इसमें तैयार किये है। हमें कहीं कुछ सीखने जाने की जरूरत नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सब उनमें लिखा हुआ रखा है, आप क्यों हिचकिचाते है। आपको इतनी सरलता से सब कुछ तैयार मिलता है तो मैं आपसे कहना चाहूंगी आप औपचारिकता में न पढ़िये अनिवार्यता की स्थिपि में आइये। आपने कार्य कर दिया और आप इसे अनौपचारिक रूप में रखना चाहते है। मेरी इसमें आपत्ति है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप मन बनाइये, अगर आप मन बना लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे इस प्रदेश का सम्मान बढ़ेगा और जब हम यह बात कहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मेरी समझ में अरोड़ा जी आपने कुछ छोड़ा नहीं है, सब कह दिया हैं। अन्य वक्ता को भी मैं पुकारु....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अभी बहुत है।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन तथ्य क्या है, काफी समय हो गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मेरा अवसर है, मुझे बोलने दीजिये। मैं थोड़ी बात और कह लेती हूं....

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन बोलते बोलते भी थोड़ा सदन का भी आकर्षण बना रहना चाहिये....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोई और तो आया नहीं है, इनकी तैयारी का लाभ हमें उठाने दीजिये....

डा. चन्द्रभान : यह हिन्दी के ऊपर बोल रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : लगभग 8 वक्ता और हैं वह भी अपनी अपनी बात कहेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, यह सारी विधाएं और सारे आयाम हिन्दी में हैं। तथात्मक्ता चित्रात्मक्ता कहानियां नाटक काव्य, छंद, रस जितने भी सशक्त इस भाषा में है वह अन्तर्तम में उतरने वाले हैं और हमारे यहां के लेखकों ने....(व्यवधान) मान्यवर, जिस प्रकार से हिन्दी का खजाना भरा है जिस तरह की उसकी अभिव्यक्ति दिल में असर करती है और छवि छोड़ती है और प्रेरित करती हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी ऐसी सशक्त भाषा मैंने नहीं देखी। ऐसी इसकी वर्णमाला है जो कहते हैं वही लिखने में आता है वही समझने में आता है। कोई शब्द यहां निःशब्द नहीं है। अंग्रेजी में बहुत से शब्द अपनी ध्वनी नहीं रखते, बोले जाते हैं, यह भाषा ऐसी नहीं है। इसकी लिपि देवनागरी में बड़ी समर्थतता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार थोड़ा मोह छोड़ दे, जो मोह मैंने बताया रखने योग्य नहीं है। इस लिपि पर

(श्रीमती उज्जला अरोड़ा)

और भी अध्ययन होना चाहिये और भी विस्तार हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यहां की बोलियां पनपे मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगी कि विद्वतजनों के द्वारा कही गई और यहां के मनीषियों के द्वारा चिन्तन की हुई और यहां के कवियों के द्वारा अनुप्रेरित की हुई इस हिन्दी का प्रयोग सर्वथा करें। कुछ और बन्धु अपनी यहां बात रखेंगे और जवाब के समय में मैं आपसे फिर बात करूंगी इसलिए मेरी बात को अभी मैं बिल्कुल समाप्त नहीं कर रही हूं, कुछ देर के लिए समाप्त कर रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अरोड़ा जी, आप बड़ी ही सौभाग्यशाली हैं, चारों ही आपकी बैंच पर बैठने वाले आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। माननीय अर्जुन दास जी मदान।

श्री अर्जुन दास मदान (लाडपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्या ने जो संकल्प प्रस्तुत किया था उसमें मैंने थोड़ा सा सुझाव जोड़ा है....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप उनको बुला रहे हैं मैं तो छोटा हूं मुझे पहले बुलाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में ही मिलेगा, बिराजो।

श्री अर्जुन दास मदान : यह सदन संकल्प करता है कि राज्य के सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी विभागों, निगमों तथा न्यायालयों में अन्य कारोबार व्यवहार में अनिवार्यतः राजभाषा हिन्दी में कार्य किया जाये....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है कि जो वक्ता भाषण दे रहा है उसमें व्यवधान पैदा करना, बार बार बोलना, मेरी समझ में यह ठीक भी नहीं रहता। बहुत सारे वरिष्ठ सदस्य हैं जो कभी नहीं बोला करते बड़ी गम्भीरता से लेते हैं हर बार हर बात को कहना ही जरूरी है क्या ?

श्री अर्जुनदास मदान : कोई बात नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मिलिट्री लड़ती है, मार्च पास्ट तो रोज करती रहती है, नहीं करेगी तो लड़ेगी कैसे। तो मेरा आपसे एक आग्रह है कोई अगर मार्च पास्ट करता है तो कर लेने दीजिये। जो संकल्प आया है उसमें मैंने मेरा एक थोड़ा सा सुझाव दिया है कि उपर्युक्त शब्द "हिन्दी में कार्य किया जाय" के स्थान पर शब्द "हिन्दी में ही समस्त निदेश, अनुशंसा एवं अभिशंसा एवं अभिशंषाएं प्रसारित की जाये एवं हिन्दी में ही पत्राचार को अनिवार्य भी किया जाये। मेरा केवल मात्र इतना ही आग्रह है कि हिन्दी को ही अनिवार्य किया जाय, हिन्दी भाषा के ऊपर ही हम सारे कारोबार को निर्भर करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इससे पहले कि अपने विचार कुछ और आगे बढ़ाऊं, आजादी की लड़ाई की तरफ थोड़ा-सा आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। जब पूरा देश, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, किसी प्रकार की प्रान्तीयता की कोई भावना नहीं थी लोगों के हृदय में, न कोई भाषा का झगड़ा था न कोई धर्म का झगड़ा था।

(श्री अर्जुनदास मदान)

बंगाल ने यदि आवाज दी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा तो लाहौर की सड़कों से किसी ने नारा बुलन्द किया, साइमन कमीशन, तुम वापस जाओ। गुजरात से किसी ने कहा कि अंग्रेजों, भारत छोड़ो तो महाराष्ट्र से दुंदुभी बजी कि स्वतन्त्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और हम आजाद हुए। कल्पना संजोयी थी हम सारे लोगों ने कि करोड़ों हाथ मिलकर देश के लिए काम करेंगे, देश का एक नया इतिहास बनाएंगे। उस इतिहास में प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक दिन दशहरा और दीपावली की तरह स्वागत करेगा, अभिनन्दन करेगा। किन्तु देश की आजादी के इतने वर्षों के उपरान्त यदि हम अपने आप को झकझोरें, आत्ममंथन करें, आत्मचिन्तन करें तो हम ऐसे चौराहे पर खड़े हो गये हैं, मैं तो यह मानता हूं कि हम दिशा भ्रमित है। देश की आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम यह तय नहीं कर पाये कि हमको हिन्दी करनी है। हमने संविधान बनाया। संविधान के साथ निदेश तत्व का एक परिच्छेद और जोड़ा, जो हमें मार्ग-दिशा देता है कि देश किस तरह आगे बढ़ेगा। यह निर्णय लिया गया कि देश की आजादी के बाद 1965 का वर्ष ऐसा आएगा जब हिन्दी को सारे देश पर लागू कर दिया जाएगा। किन्तु 1965 के बाद आज इतने वर्ष बीत गये, उसकी गिनती आप भी कर सकते हैं और हर माननीय सदस्य कर सकता। हम यह मानते हैं कि हम हिन्दी के प्रारूप को अभी तक लागू नहीं कर सके।

(समय 3.30 म.प.)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

देश की आजादी तो आयी, किन्तु यदि जनता का शासन जनता की भाषा में नहीं रहा तो हम उस राज को लेकर करेंगे क्या? आप कल्पना कर लीजिए, जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, यदि गांव में जाकर गांव के लोगों से गांव की भाषा में बातचीत करते हैं तो उसमें कितनी आत्मीयता का सृजन होता है। यदि हम हिन्दी भाषा में बात करते हैं तो उसमें थोड़ा-सा दुराव आता है। और यदि हम किसी विदेशी भाषा में बात करते है तो उसमें कितना अन्तर आता है।

देश की आजादी के बाद एक प्रतिशत ऐसे लोग थे जो अंग्रेजी बोला करते थे, लिखा करते थे। मैं मानता हूं कि पढ़ाई-लिखाई बढ़ी है। उसके उपरान्त भी तीन प्रतिशत ऐसे लोग हो गये आज जो अंग्रेजी बोलते हैं, लिखते हैं। यानी प्रतिशत बढ़ा है, आज अंग्रेजी जानने वालों का। देश की आजादी के बाद, मैंने जैसा आपसे निवेदन किया, हमारे सारे के सारे स्वप्न धराशायी होकर रह गये, मानो वे दिवास्वप्न थे, जो कभी भी वास्तविकता के रूप में हमारे जीवन में उतरेंगे नहीं। ऐसी परिकल्पना मैं कई बार उठती है। मैं केवल मात्र इतना आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आजादी के बाद पण्डित नेहरू, देश के तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने, मेरी दृष्टि में एक छोटी-सी भूल की। लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव और न जाने कितने मनीषियों-विद्वानों ने इस बात को कहा था कि इस देश की भाषा हिन्दी

(श्री अर्जुनदास मदान)

होनी चाहिए अगर उस समय कर जाते तो कर जाते, मैं यह मानता हूं। कोई आवाज भी नहीं उठाता, क्योंकि सारे लोगों के मन में देश के प्रति कुछ करने की, मर मिटने की तमन्ना थी। उसी के लिए वे काम कर रहे थे। आज उसमें निश्चित रूप से दुराव आया है, निश्चित रूप से गिरावट आयी है, निश्चित रूप से छीजन आयी है। यदि पण्डित नेहरू ने उस समय भूल नहीं की होती तो शायद आज यह स्थिति देश के सामने नहीं होती। उन्होंने तो यहां तक किया कि भाषायी प्रान्तों का निर्माण कर डाला। भाषायी प्रान्तों का निर्माण करने से, सभापति जी, हुआ क्या? आप देखते हैं कि बम्बई के नाम पर महाराष्ट्रियन और गुजराती आपस में लड़े। कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोग लड़े। पानी के बंटवारे के नाम पर भाई-भाई आपस में टकराया और खून की नदियां बहीं। आप देखेंगे कि कितना दुराव भाई-भाई के बीच में आया है, कितनी दूरी बढ़ी। उसको यदि बांटा नहीं गया, समाप्त नहीं किया गया तो देश के बिखराव का भी प्रश्न उपस्थित हो सकता है। उसको संजोने का एक सूत्र मैं मानता हूं केवल हिन्दी भाषा है, जिसको हमें अपनाना चाहिए, निश्चित रूप से अपनाना चाहिए।

इसके उपरान्त मैं आपसे निवेदन करता हूं कि देश की आजादी के बाद देश के जितने प्रान्त हैं उनमें आधे से ज्यादा आबादी ऐसी है जो हिन्दी भाषी है। आप हमारे राजस्थान प्रान्त को देख लें, मध्य प्रदेश को देख लें, उत्तर प्रदेश को देख लें, हिमाचल प्रदेश को देख लें, केन्द्र शासित दिल्ली को देख लें, बिहार को देख लें, हरियाणा को देख लें। इन सारे प्रान्तों में आज क्या है? बाकी 2-3 प्रान्त भी ऐसे बचे जिनमें पंजाबी-गुरुमुखी है, गुजराती है। उसके बाद महाराष्ट्र ले लें। मराठी की लिपि हिन्दी है, हिन्दी में लिखी जाती है। ठीक है, अपनी भाषा में अपने रूप में उसे बोल लेते हैं। थोड़ा बहुत परिवर्तन है। आज हिन्दी के आदमी को गुरुमुखी या गुजराती का समाचार-पत्र दे दें तो विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दो-तीन दिन के अभ्यास के बाद वह उसको पढ़-लिख सकता है। गुजरात से आप चलिये, महाराष्ट्र से चलिये और हरियाणा तक चले आइये, सारे के सारे प्रान्त हिन्दी भाषी हैं। उसके बावजूद हम हिन्दी का प्रतिपादन नहीं कर सकते। लोगों ने अपनी-अपनी भाषा का प्रचार-प्रसार किया। आज मलयालम आगे बढ़ी, तेलुगु आगे बढ़ी, तमिल आगे बढ़ी, कन्नड़ आगे बढ़ी, बंगाली आगे बढ़ी। किन्तु हिन्दी के ऊपर काम करने वाले लोगों ने इतनी निष्ठा के साथ उसे व्यवहार में लाने का प्रयास नहीं किया चाहे औपचारिकता के रूप में कोई कार्यक्रम आयोजित किये होंगे। नहीं तो आज यह स्थिति, मैं मानता हूं, कि नहीं होती।

मान्यवर, इसका जीता-जागता उदाहरण मैं आपको देता हूं। माननीय सदस्या ने यह प्रारूप आपके सामने रखा है। यहां राजस्थान के राज के उन कार्यों को लिखा गया है जिनमें हिन्दी भाषा का प्रयोग होता है। इसके छठे अनुभाग में लिखा गया है, समस्त सरकारी कार्यों मे प्रयुक्त रबड़ की मोहरें हिन्दी में मान्य होंगी। यह आदेश है

(श्री अर्जुनदास मदान)

6.3.1976 का । 6.3.1976 के बाद यह 14 सितम्बर, 1991 का एक नया लीफलैट मेरे पास है । इसमें आठवें क्रमांक में यह लिखा गया है राज पत्र में अंग्रेजी साहित्य के प्रकाश, अंग्रेजी की मोहरें, अंग्रेजी की वित्तीय स्वीकृतियों, अंग्रेजी के आदेशों और विज्ञापनों पर रोक । एक तरफ 1976 का यह है कि रबड़ की मोहरें अंग्रेजी में नहीं होंगी और दूसरी तरफ यह आदेश छप रहा है 1991 में । यानी 1976 में लगने वाले आदेश को हमारी सहेकार तक लागू नहीं कर सकी । अगर लागू कर दिया होता तो 1976 के आदेशों को 1991 के संस्करण में छापने की कोई आवश्यकता नहीं थी । यह अपनी मूक भाषा में स्पष्ट रूप से बोलता है, इंगित करता है, इस बात की ओर प्रेरित करता है कि 1976 के आदेशों-की पालना यह सरकार 1991 तक भी नहीं करा सकी । हमारी गति क्या है ? यदि हम यह सोचते हैं कि हम अपनी भाषा का विकास कर रहे हैं ? 1976 की चीजों को हम 1991 तक लागू नहीं करा सके, प्रान्त में हिन्दी का विकास हम किस गति से कर रहे हैं, किस कछुआ गति से चल रहे हैं तो इसका प्रमाण आप स्वयं ले सकते हैं ।

इतना निवेदन कर दूं, आज हम सौभाग्यशाली हैं कि देश के अधिकांश हिन्दी प्रान्तों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है । राजस्थान को ले लें, उत्तर प्रदेश को ले लें, मध्य प्रदेश को लें और हिमाचल प्रदेश को ले लें । दिल्ली में भी मैं ऐसा मानता हूं कि जब कभी चुनाव यदि हुए तो निश्चित तौर से बीजेपी वहां हावी हो जाएगी । इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं । मेरी परिकल्पना है, मेरा अन्दाजा है । मैं इसे विश्वास से नहीं कह सकता । भविष्यवाणी समझ लीजिए या मेरे मन का भाव समझ लीजिए । मान्यवर, भावों को शब्दों में नहीं संजोया जाता । भावनाओं का अन्दाज भावनाओं में ही होता है ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आपकी ऐसी इच्छा है ।

श्री अर्जुनदास मदान : मेरी ऐसी इच्छा जरूर है । मेरी इच्छा है, मैं मानता हूं । लेकिन मैं भावनाओं को शब्दों की परिधि में बांधने में असमर्थ हूं । मेरी ऐसी भावना है जिसकी अभिव्यक्ति मैं कर रहा हूं ।

मैं केवल इतना जानता हूं कि आज हम चारों पांचों प्रान्त, सभी मिलकर यह तय कर लें, निर्धारण कर लें, कि हम सारा का सारा पत्राचार, सारे के सारे क्रियाकलाप हिन्दी में ही करेंगे तो मैं मानता हूं कि हम बहुत योगदान हिन्दी के प्रोत्साहन में दे सकेंगे ।

मान्यवर, कभी कभी लोग यह कहते हैं कि हिन्दी बोलने वाले लोग बहुत कम हैं । सभापति जी, मैं आपका ध्यान यहूदियों के इतिहास की तरफ एक मिनट के लिए ले जाना चाहूंगा । यहूदी एक ऐसी कौमी थी, भगवान की कृपा से जिसके पास तन था, मन था, पैसा था बुद्धि थी । सब था पर भू-भाग नहीं था अपना कोई । उनकी अपनी कोई भाषा उस समय नहीं थी । वे जहां जाते थे मारे जाते थे । लोगों ने उनका जितना उपहास किया, जितना उपेक्षा की दृष्टि से देखा, जितना तिरस्कार उस समाज का हुआ दो

(श्री अर्जुनदास मदान)

शताब्दी तक, उतना शायद किसी ने देखा नहीं। अगर पोलैण्ड में गये तो वहां मारे गये, यदि जर्मनी में गये तो वहां हिटलर ने उनको मारा-कूटा। यहां तक कि उनको मारने के बाद हिटलर ने पोलैण्ड में एक मीनार-सी बनवा दी थी यह बनाये रखने के लिए कि मैंने इन लोगों पर इतने इतने अत्याचार किये। दो सौ साल तक निरन्तर पिटने के बाद 5-7 आदमी बचे थे पूरे समाज में जो हिब्रू भाषा को जानते थे। 1948 में लोगों की दया, लोगों की अनुकम्पा के कारण उन हिब्रू भाषा जानने वाले यहूदियों को छोटा-सा भू-भाग मिला। उससे हिब्रू भाषा का प्रयोग करके आज अपने पूरे साहित्य, अपने विज्ञान, अपने पत्राचार में अपनी भाषा का प्रयोग कर लिया। देश की 84 करोड़ की जनता में से कम से कम, मेरी ऐसी मान्यता है कि 50 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो हिन्दी भाषा समझते हैं, बोलते हैं और थोड़ा-सा जिसके प्रति लगाव रखते हैं। क्या हम उसका प्रचार-प्रसार नहीं कर सकते? मेरा आपसे निवेदन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उसके उपरान्त, माननीय सभापति जी, यदि चीन का भी एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। मेरी ऐसी मान्यता है कि चीन भी सम्भवतः आज इतनी तरक्की नहीं करता यदि उसने एक भाषा को नहीं अपनाया होता। उसकी प्रगति उसके उत्थान के साथ-साथ यदि हम अपनी भाषा के अवसान की ओर भी थोड़ा-सा ध्यान दें तो कई बार मेरे मन में टीस उठती है, मन में वेदना होती है, पीड़ा होती है कि यह समाज आखिर किस दिशा में आगे जा रहा है। मैं अधिक शब्द नहीं कहता क्योंकि आपने घण्टी दे दी है, चेतावनी दे दी है, पर मैं यह कहना अपना कर्तव्य समझता हूं कि आज हमारा यह उत्तरदायित्व है, यदि देश को एकजुट रखना है, यदि देश की आजादी को बरकरार रखना है यदि हम यह चाहते हैं कि सारे भाई-भाई मिल कर अपनी भाषा लेकर, अपनी भाषा में अपने लोगों से बात करें और सब लोग मिल कर इस देश की भाषा बनायें जहां पर लोग अपनी उन्नति और प्रगति का सही अर्थों में अहसास कर सकें। तो मेरी केवल मात्र इस सदन से याचना है, प्रार्थना है और अभ्यर्थना है, मान्यवर, हमें हिन्दी का उपयोग करना पड़ेगा इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

श्री सभापति : माननीय श्री रामकिशनजी।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय सभापतिजी, आज इस सदन में जो प्रस्ताव आया है और जिसको नहीं आना चाहिए था। वह इस 20-25 साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। आखिर हमारा हिन्दी भाषी राज्य है, संविधान में भी यह व्यवस्था थी कि हम हिन्दी का प्रयोग करेंगे मगर हिन्दी भाषी राज्य भी अपने राज्य में हिन्दी का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर आप राष्ट्र भाषा का विकास कैसे कर पायेंगे? मैं इस सम्बन्ध में विस्तार से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि श्रीमती उजलाजी ने अपनी बात रख दी है लेकिन हिन्दी और अंग्रेजी का विवाद कुछ लोगों ने इस प्रकार का बना रखा है जिसका निराकरण होना बहुत जरूरी है। अक्सर यह कहा जाता है कि हिन्दी कैसी होनी

(श्री रामकिशन)

चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दी का मतलब यह कभी नहीं है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाय जिनका मतलब आम लोग समझ नहीं सके। संसार में नदी, भाषा और जातियां यह विशुद्ध रूप से कहीं भी शुद्ध नहीं हैं। सब भाषाओं में कहीं न कहीं दूसरी भाषाओं के शब्द हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या बताया?

श्री रामकिशन : नदी, भाषा और राष्ट्रों का मिश्रण यह करीब करीब सारे संसार में होता रहता है। मेरा इस सम्बन्ध में कहना यह है कि आज जिन शब्दों को आम जनता ने अपना लिया है, उन शब्दों को हिन्दी में डालने से हिन्दी अशुद्ध नहीं होगी बल्कि हिन्दी प्रौढ़ होगी हिन्दी ताकतवर बनेगी। आज मान लें कि हम लालटेन का उपयोग करते हैं, आज रेल है उसकी हिन्दी बनाने की हमें जरूरत नहीं है, सीट की हिन्दी बनाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से हजारों शब्द ऐसे हैं जो हर भाषा में हर समय ग्रहण किये हैं। हिन्दी से पहले उर्दू है, आज हिन्दी में उर्दू के 50सों शब्द हैं, हिन्दी से पहले जब उर्दू का विकास हुआ उस समय उर्दू में फारसी और अरबी के बहुत से शब्द हैं, जब हिन्दी का विकास हुआ उसमें प्राकृत भाषा के बहुत से शब्द हिन्दी में है, संस्कृत का जब प्रभाव था, संस्कृत के प्रभाव के समय दूसरी भाषाओं में शब्द है, अन्य भाषाओं में आते रहे हैं। जो लोग हिन्दी की बात करते हैं वह तो इसलिए डरते हैं कि कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिससे आम लोग उससे कट जायें। आजकल भाषा का निर्माण न तो कोई आचार्य करता है, न कोई व्याकरण का पंडित करता है। भाषा का निर्माण तो करता है आम आदमी और व्याकरण का काम करता है कोई विद्वान, कोई पंडित। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन करना यह है कि हम निश्चित तौर से जो हमारी संवि- की मर्यादाएं थीं, हमारे संविधान की जो सीमायें बनाई गई थीं उसके भीतर हमें राष्ट्र भाषा का विकास कर लेना चाहिए था।

जैसा पहले माननीय श्री मदान साहब ने कहा कि अगर जवाहरलाल जी उस समय गलती नहीं कर जाते तो आज शायद हमारे देश में जो विघटन की भावना देख रहे हैं इसको हमें देखने का मौका नहीं मिलता। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमें हिन्दी के बारे में केवल इस दृष्टि से प्रचार नहीं करना चाहिए कि हम सारे देश पर हिन्दी लादना चाहते हैं। असल में दक्षिण के कुछ राज्य जो हिन्दी का विरोध करते रहते हैं। मैं उनकी भाषा ज्ञान के बारे में या उनकी भावना के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन उनका एक निहित स्वार्थ है और निहित स्वार्थ यह है कि हमारी कभी यह मान्यता नहीं है कि हिन्दुस्तान के हर राज्य में हिन्दी चले। जो हिन्दी भाषी राज्य हैं 6–7, यह अपना पत्र व्यवहार सब हिन्दी में करें, सचिवालय का काम हिन्दी में करवायें, पढ़ाई-लिखाई का काम हिन्दी में करवायें लेकिन अगर हमें कोई आन्ध्रा को चिट्ठी लिखनी है, या हमें कोई कर्नाटक से पत्राचार करना हो तो उसके अनुवाद की व्यवस्था की जा सकती है। करोड़ों लोगों का दिमाग इस बात के लिए खराब नहीं किया जा सकता। सारी दुनिया में यह व्यवस्था है। सारी दुनिया में

(श्री रामकिशन)

एक भाषा वाले 5-6 राष्ट्र हैं केवल जिनमें एक भाषा है। चीन में एक भाषा है, जापान में एक भाषा नहीं हैं, इंडोनेशिया में 300 से ज्यादा भाषाएं हैं लेकिन वहां सब जगह अनुवाद का प्रावधान कर रखा है। जो केन्द्र को चिट्ठी जाय उसका अनुवाद हो जाय। बाकी जो करोड़ों बच्चे हैं जिनका ज्ञान सब्जेक्ट पर होना चाहिए था वह बच्चे भाषा ज्ञान में अपनी सारी बुद्धि लगाते हैं और नतीजा यह है कि सब्जेक्ट के मामले में हिन्दुस्तान पढ़ाई-लिखाई के बारे में पिछड़ रहा है। जैसा श्री मदन साहब ने जिक्र किया, आज चीन में प्रगति क्यों हुई ? आज एक चीज को हम अपनी मातृ भाषा में पढ़ेंगे तो जल्दी समझ लेंगे, जल्दी हमारी समझ विकसित हो जायेगी लेकिन अगर हम किसी दूसरे की भाषा इस बात को करेंगे तो हमारा दिमाग भाषा ज्ञान पर ज्यादा जायेगा। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन करना यह है कि एक तो दक्षिण के राज्यों में यह भ्रान्ति फैलाई जाती है कि हम हिन्दी लादना चाहते हैं बिलकुल हिन्दी नहीं लादना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आंध्र के लोग अपना राजकाज तमिल में चलावें, हम चाहते हैं कि कर्नाटक के लोग अपना राज-काज कन्नड़ में चलावें, हम चाहते हैं कि बंगाल के लोग अपना राज-काज बंगला भाषा में चलावें लेकिन वह यह नहीं कह सकते हैं कि हिन्दी भाषी राज्य अपनी भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। अनुवाद की व्यवस्था की जा सकती है। इसमें निहित स्वार्थ है और निहित स्वार्थ यह है कि कुछ पढ़े लिखे अंग्रेजीदा लोग यह चाहते हैं कि राज सत्ता पर उनका अधिकार बना रहे। हम अगर जब पिछड़ों को राज का हिस्सा देना चाहते हैं तो वह अंग्रेजी की मार्फत कभी भी राज के हिस्सेदार नहीं बन सकेंगे। गरीब और पिछड़े तो तभी राज के हिस्सेदार बन पायेंगे जब उनकी पढ़ाई लिखाई मातृभाषा में होगी, लोक भाषा में होगी। लोक भाषा के मार्फत ही वह राजकाज पर कब्जा कर सकते हैं। तो यह निहित स्वार्थ था जिसकी वजह से अंग्रेजी का प्रचलन आज तक भी बना हुआ है।

आज जब राजस्थान जैसे राज्य पर बड़ी हंसी आती है। आखिर यहां अंग्रेजी की क्या जरूरत है, यहां अंग्रेजी जानने वाले कौन हैं और जो लोग अपने आपको अंग्रेजी जानने वाले कहते हैं उनकी संख्या भी इस देश में ज्यादा है नहीं। वास्तव में तो अंग्रेजी बहुत कम जानते हैं लेकिन जो टूटी-फूटी अंग्रेजी जानते हैं अगर हम उनकी संख्या भी बना लें तो वह भी इस देश की सख्या के मुकाबले कहीं नहीं है।

एक भ्रम यहां और फैलाया जाता है कि अगर हम अंग्रेजी में राज-काज नहीं चलायेंगे, अंग्रेजी से कट गए तो हम विश्व की राजनीति से कट जायेंगे, विश्व की टैक्नोलोजी से कट जायेंगे। क्या जापान कट गया विश्व की टैक्नोलोजी से, क्या रूस कट गया विश्व की टैक्नोलोजी से, क्या जर्मनी कट गया विश्व की टैक्नोलोजी से, चीन कट गया विश्व की टैक्नोलोजी से ? ऐसा कुछ है नहीं। इन सब चीजों की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में अपनी कमजोरियां हैं जिनसे हम बहुत से काम नहीं कर सके वैसे

(श्री रामकिशन)

ही इस मामले में भी, हिन्दी के सम्बन्ध में काम नहीं कर सके।

आज जो हिन्दी का विकास हुआ है, जितना भी विकास हुआ है वह सरकार के प्रयत्नों से नहीं हुआ। हिन्दुस्तान में संत और सिनेमा ने हिन्दी का प्रचार किया है। संत और सिनेमा ने। अब सिनेमा की कुछ खराबियां कह सकते हैं लेकिन यह तय बात है कि सिनेमा ने जितनी हिन्दी की सेवा की है शायद उतनी सेवा किसी ने नहीं की है। या तो संतों की वाणी है, क्योंकि संतों को आम लोगों से बात करनी पड़ती है इसलिए उनकी वाणी वही होगी जो आम जनता की वाणी होगी। या सिनेमा ने हमारे देश में जो प्रचार किया है उसका मैं चश्मदीद गवाह हूं। यहां पर आज जो उजलाजी बोल रही थी हमने जब अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन में इनका साइन बोर्ड हटवाया था और मुझे खुशी है कि कम से कम हमने जब अंग्रेजी हटाने का आन्दोलन शुरू किया उनमें से एक तो निष्ठावान महिला अभी तक बैठी हुई है। लेकिन उस समय हम जब अंग्रेजी हटाने का आन्दोलन चला रहे थे उस समय दक्षिण में बड़ा विरोध होता था लेकिन मैं आपको एक घटना की याद दिलाना चाहता हूं। हम लोगों का अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन था सेलम में, सेलम है तमिलनाडू में और तमिलनाडू में चिमनलाई जगह थी जहां हमारा सम्मेलन था। हम लोग हिन्दी भाषी थे और हिन्दी में वहां पर बोलना उन दिनों इतना कठिन था कि वहां मार-पिटाई की सम्भावना हो जाती थी। तो हमारा तो विरोध किया गया। लेकिन, सभापति महोदय, वहां सिनेमा में जो हिन्दी की गायिकायें थीं, मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं स्नेहलता रेड्डी को, उन्होंने जो गाना गाया था हिन्दी में गाया था और तमिल और दूसरे लोगों ने...(व्यवधान)...अब उस गाने को तो क्या सुनाऊं हिन्दी में गाना था....उस समय था गाना....आज तो उनकी शक्ल भी याद है और उनके शब्द भी याद हैं। जो उन्होंने गाया था खास तौर पर उस समय—

"ऐ जाने वाले ठहर जरा,
कुछ अपनी निशानी देता जा।
इतना भी मंजूर नहीं तो,
याद भी अपनी लेता जा।"

आप जरा अन्दाज लगाइए, यह स्नेहलता रेड्डी का गाना था। स्नेहलता हो या नरगिस हो या सुरैया हो या रेहाना हो—इन सबका जो योगदान हिन्दी में रहा है, यह कवियों का रहा है और संतों का रहा है....(व्यवधान) रेहाना आपने नहीं देखी? वही तो देखने लायक थी। अब क्या बताऊं आपको, शायद श्री रमाकान्तजी को याद हो रेहाना....(व्यवधान)....और भैरोंसिंहजी तो रेहाना के चक्कर में सिनेमा के सामने ही पड़े रहते होंगे। हमने देखा है रेहाना को।

सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि उनके गानों से हमारा साहित्य प्रौढ हुआ है उन चीजों को हम भूल नहीं सकते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि यहां जो हिन्दी के बारे में भ्रम पैदा किया जा रहा है इसको हम दूर करें। हम यह साफ कहना चाहते हैं कि दक्षिण के राज्य अपना राज-काज अपनी भाषा में चलायें हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन अपने देश की प्रगति

(श्री रामकिशन)

और अपने देश के आत्म सम्मान के लिए हमें हिन्दी को आगे लाना चाहिए, हिन्दी को मजबूत बनाना चाहिए।

एक दूसरा निवेदन मुझे हिन्दी के समर्थक मित्रों से करना है जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि जो चालू शब्द हैं, जिनका प्रचलन हो गया है, जिन शब्दों के का प्रयोग सब लोग करते हैं—जैसे रेल है उसकी हिन्दी की क्या जरूरत है, टेलीफोन की हिन्दी करेंगे, रेडियो की हिन्दी क्या करेंगे। कल सुमित्राजी कह रही थीं कि वीडियो की हिन्दी बतायें। मैं इनसे पूछता हूं कि ब्लाउज की हिन्दी बतायें, ब्लाउज की क्या हिन्दी है? यानी जो शब्द चालू हो गए हैं—(व्यवधान) चोली, अंगिया, नहीं, अलग चीज, ब्लाउज अलग चीज है।

मेरा निवेदन करना है कि जो शब्द चालू हो गए हैं जो उर्दू के शब्द, हिन्दी के शब्द, आज जैसे सिफारिश है। हिन्दी ने स्वीकार कर लिया इस शब्द को उसको बदलने की जरूरत नहीं है, उर्दू ने हिन्दी की भाषा को जितना प्रौढ किया है, जिन शब्दों को इस्तेमाल किया है उनको हमें हटाने की आज क्या आवश्यकता है?

श्रीमती उजला अरोड़ा : कोलका भरतपुर में बोलते हैं तो आपको मालूम है फिर काहे को पूछ रहे हो....(व्यवधान)

श्री रामकिशन : कोलका ब्लाउज का नहीं है। आप जरा समझ लें मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इन चीजों को समझने की कोशिश करें, जो शब्द हिन्दी के हों, उर्दू के हों, जैसे तमिल है। आप तमिलनाडू चले जाओ, आप चले जाओ आन्ध्रप्रदेश में आप कम से कम सैकड़ों संस्कृत के शब्द उनकी भाषाओं में देखोगे। वहां जल कहेंगे वहां जलम कहेंगे। इस तरह से हम शब्दों को जोड़ें तो इससे भ्रान्ति कहीं नहीं हो सकती। लेकिन जो हिन्दी के समर्थक लोग हैं वह सबसे बड़ा नुकसान करते हैं हिन्दी को क्लिष्ट बनाकर और हिन्दी को कठिन बनाकर। अंग्रेजी, उर्दू अरबी, संस्कृत जिनके शब्द हिन्दी ने समा लिए हैं, जिनको ग्रहण कर लिया और जनता जिनको बोलने लग गई है उन शब्दों का हमें इस्तेमाल करके हिन्दी को मजबूत करना चाहिए। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यह हो रही है कि कुछ लोग यह कहते हैं कि हिन्दी में शब्द कम हैं तो यहां कोई अंग्रेजी का समर्थक हो, या अंग्रेजी का जानकार हो तो जरा मुझे बताएं हिन्दी में कितने शब्द हैं, अंग्रेजी में कितने शब्द हैं, यह हमारे सुरेन्द्र जी बोलते रहते हैं। अंग्रेजी में केवल ढाई लाख शब्द हैं, हिन्दी में 6 लाख शब्द हैं और मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। आपने विष्णु सहस्त्र नाम, शायद संसार की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसमें ईश्वर के एक हजार नाम गिना दिए हों। मैं यह नहीं कहता कि और नाम कुछ नहीं होंगे। तो हिन्दी में शब्द हैं, हिन्दी में लिपी है, हिन्दी में एक प्रवाह है, हिन्दी की धारा है, हिन्दी में मिठास है। कौनसी चीज ऐसी नहीं है जो हिन्दी में नहीं है।

इन सब कारणों के बाद भी अगर हम हिन्दी को लागू नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है हम निश्चित तौर से राष्ट्र के साथ द्रोह कर रहे हैं, राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं।

(श्री रामकिशन)

सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में एक भ्रम और पैदा किया जाता है कि अंग्रेजी के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। अब दुनियां के कितने देशों में अंग्रेजी है.... (व्यवधान)....यानि डेढ़ लाख के करीब शब्द ऐसे हैं जिनको गांव वाले भी अंग्रेजी के शब्दों को हिन्दी में इस्तेमाल करते हैं। उर्दू के शब्द ऐसे हैं जो हिन्दी में समा लिए हैं, अरबी के शब्द ऐसे है जो उर्दू ने ग्रहण कर लिए हैं तो उनको कभी अलग करते नहीं और भाषाओं का जो विकास हुआ है। अगर आपने डाइनरी का इतिहास पढ़ा हो संस्कृत और भाषाओं के साथ तो आपको पता लगेगा कि दुनियां की कोई भाषा, कोई नदी और कोई जाति कभी पवित्र नहीं होती। उसमें सम्मिश्रण होता रहता है, आते रहते हैं जाते रहते हैं। जिसमें जितना ज्यादा सम्मिश्रण होगा वह भाषा उतना ज्यादा प्रौढ़ होगी, उतनी ज्यादा सशक्त होगी। अब अंग्रेजी कितने देशों में चलती है, सभापति महोदय, आप तो जानते हैं कि दुनियां के केवल 6 देशों में अंग्रेजी चलती हैं, 167 जो मुल्क हैं दुनियां के वह सब अपना राजकाज अपनी भाषाओं में चलाते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसमें अंग्रेजी के जानकार सबसे कम हैं लेकिन यहां के राजनेता, यहां के सामन्त, यहां के पूंजीपति, यहां के धनाढ्य लोग और उच्च वर्ग के लोगों को अंग्रेजी इसलिए पसन्द है जिससे दूसरे लोगों को राज काज से अलग रखा जा सके।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोलोनियल रूल का परिणाम है।

श्री रामकिशन : वह तो अलग बात है। कोलोनियल रूल तो अफ्रीका में सब जगह था। राज भाषा नहीं है। दुनियां के 63 देशों में कोलोनियल था, स्पेन की थी, पुर्तगाल की थी, ब्रिटेन की थी, 6 देशों में फ्रेंच भाषा चलती है लेकिन सब देशों में नहीं चलती है और फिर अफ्रीका के टोंगा से आप हमारा मुकाबला करते हैं उनकी संस्कृति, उनका इतिहास और इनका विकास इतने कम समय में हुआ है कि उनका हम मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास प्रौढ़ संस्कृति है, हमारे पास प्रौढ़ साहित्य है, हमारे पास व्याकरण का सबसे पहला पण्डित जो संसार में हुआ है जिसने व्याकरण की रचना की है वह सबसे पहले हमारे देश में हुआ है। तो हम यह मुकाबला किसी अफ्रीका के छोटे देश से या लेटिन अमेरिका के छोटे देश से नहीं कर सकते। हमारे पास तो सारी चीजें हैं और इसके बाद अगर हमारी भाषा में कहीं कमी थी तो उर्दू, अरबी, फारसी, प्राकृतिक और पाली ने उसको पूरी तरह से सम्पन्न बना दिया है इसलिए आज इस तरह की हीन भावना हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए।

मैं इस सम्बन्ध में एक और निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय आन्दोलन के समय हमारे देश के जितने नेता थे, आप जानते हैं वह सब गैर हिन्दी भाषी थे। महात्मा गांधी, राजगोपालाचार्य, सुभाषचन्द्र बोस, सरदार पटेल, और दोनों पटेल बन्धु जितने भी हमारे बड़े नेता थे यह सभी लोग गैर हिन्दी भाषी नेता हमारे थे। इसके अलावा हमारी जो कुछ भाषाएं हैं यह हिन्दी की कोई विरोधी नहीं है। जैसे

(श्री रामकिशन)

मराठी है, गुजराती है, बंगला है यह तो छोटी बड़ी बहनें हैं हिन्दी की। यह थोड़ी इठला सकती हैं, थोड़ी झगड़ा कर सकती हैं लेकिन यह है हिन्दी की बहनें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राज-स्थान जैसे राज्य में हिन्दी लागू क्यों नहीं हो रही। मुलायम सिंह यादव आया किसान का बेटा आया, सामान्य आदमी आया तो उत्तर प्रदेश में हिन्दी शुरू कर दी। अब भैरोंसिंह जी कौनसे अंग्रेजी के जानकार हैं। मैं और वह शायद बराबर सी जानते हैं दोनों ही। मैं शायद थोड़ी कम जानता होऊंगा, वह थोड़ी ज्यादा जानते होंगे। उनको क्या दिक्कत हो रही है हिन्दी को लागू करने में। मेरा इस सम्बन्ध में इस सरकार से यह निवेदन है कि इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करें। इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करके जो सामान्य लोग हैं उनको आगे बढ़ने का मौका दें।

सभापति महोदय, अंग्रेजी का एक आतंक बहुत है। आपने देखा होगा लोकसभा में जो सदस्य, शायद कृष्ण कुमार जी गोयल रहे हैं जब तक वहां अंग्रेजी चलती थी सामान्य लोग वहां बहस में हिस्सा नहीं लेते थे और वह यह समझते थे कि पता नहीं यह कितने विद्वान लोग हैं जबकि इतना आतंक था कि लोग बोलते नहीं थे लेकिन जब डा. राम मनोहर लोहिया ने प्रवेश किया लोकसभा में और यह सवाल उठाया सब लोकसभा में लोकभाषा में बोलेंगे उसका अनुवाद होगा तो सामान्य से सामान्य लोग बड़े-बड़े पार्लियामेन्टेरियन बन गए व उच्च-कोटि के संसद के जानकार लोग बन गए। तो अंग्रेजी एक आतंक का काम भी करती है। मैं इसको अंग्रेजों के हिसाब से नहीं कह रहा हूं अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जुल्म किए, असल में अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजियत हमारे देश में इतनी बढ़ी है कि भोजन के मामले में. भवन के मामले में, भाषा के मामले में हम जितने पाश्चात्य और पश्चिम के प्रशंसक बन गए हैं उसका मुझे बहुत बड़ा अफसोस है।

उजला जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर बहुत विस्तार से बात कह सकता था लेकिन यह सदन सब हिन्दी भाषियों का है, इनको समझाने की जरूरत नहीं है केवल इनका तो भय निकालने की जरूरत है। असल में अंग्रेजी का एक आतंक और भी है जैसे कोई राजनेता यह कोशिश करेगा समझाने की जैसे मुझे अंग्रेजी आती है। जब अंग्रेजी आती है तो वह ज्ञानवान है, अंग्रेजी नहीं आती है तो वह अपने आप में एक हीन भावना महसूस करता है कि मैं मूर्ख हूं जबकि असलियत यह नहीं। तुलसी-दास जी अंग्रेजी जानते थे क्या, लेकिन संसार में उनसे ज्यादा कोई ज्ञानवान है, माओत्से अंग्रेजी जानते थे क्या, तो कोई भी अंग्रेजी नहीं जानता था। अंग्रेजी जानना जरूरी नहीं है। जरूरत है अपनी भाषाओं में ज्ञान की लेकिन हमारे राज-नेताओं के अन्दर एक हीन भावना बनी हुई है और वह समझते है, सेक्रेट्री को एक नोट लिखेंगे, एक चिट्ठी लिखेंगे तो अंग्रेजी में में दो लाइन जरूर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे ? हम यह क्यों नहीं कहें कि सचिव महोदय रिपोर्ट करें, रिपोर्ट की मैं हिन्दी नहीं कह रहा हूं, जो शब्द चालू हो गए उनको स्वीकार करो लेकिन हम क्यों नहीं मान सकते टिप्पणी हिन्दी में, लेकिन डर की वजह से एक लाइन जरूरी अंग्रेजी में

(श्री रामकिशन)

लिखेंगे और उन्हीं मन्त्री जी से अगर हम यह कहें कि एक पूरा पैरा लिख दो अंग्रेजी में तो मैं राजस्थान विधान सभा के सभी मन्त्रियों को जानता हूं, एक पैरा भी नहीं लिख पायेंगे, नाहीं लिख सकते तो इस तरह का दोहरा जीवन जीने से क्या फायदा है। हम तो स्वीकार करते हैं कि अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती है तो यह हमारी हीनता का प्रतीक नहीं है क्योंकि हमारे मां और बाप में से कोई अंग्रेज नहीं था इसलिए हमें दिक्कत पड़ रही है। मेरे मां बाप में से कोई अंग्रेज होता तो निश्चित तौर पर अंग्रेजी मेरी राजभाषा हो सकती थी, मेरी राष्ट्रभाषा हो सकती थी, मेरे परिवार की भाषा हो सकती थी लेकिन अगर अंग्रेजी नहीं है तो इसमें हीनता की क्या जरूरत है।

इस सारे मामले पर हमें एकदम से बहुत ताकत से कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से मेरा एक निवेदन और है खास तौर पर इस संबंध में कि राज्य सरकारें जितनी भी अधिसूचनाएं निकालती हैं या जिस तरह की विज्ञप्तियां निकालती हैं उनकी भाषाएं निश्चित तौर पर सरल होनी चाहिए, सरल हिन्दी में, जिन भाषाओं को जैसा कई बार कहा, जिनको हम समझ सकते हैं तब आप जैसे बोल रही थी चीफ सेक्रेट्री, आई. ए. एस. तो लोग यहां विरोध कर रहे हैं। आई. ए. एस. को हिन्दुस्तान के सामान्य लोग भी समझने लग गए हैं, ठीक है उसका नाम भारतीय सेवा, लेकिन नहीं भी हो तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। असल में अभिव्यक्ति सरल हो जाए, सीधी हो जाए, हमारा आशय लोगों तक पहुंच जाए। भाषा का माध्यम इतना सा ही होता है तो लेकिन हम तो आज किसी आह्वान की वजह से और निहित स्वार्थ की वजह से जो हमारा सबसे पवित्र काम था आजादी प्राप्त करने के बाद दो नम्बर का काम था भाषा का निर्माण, संसार में बिना भाषा के निर्माण के किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ है और इसीलिए हमारे देश में जो झटके लग रहे हैं बार-बार आजादी के बाद जो हममें जोश होना चाहिए था, जो हमें आजादी के शिखर की तरफ बढ़ना चाहिए था आज हमारे बीच में जो झटके लगते हैं, राष्ट्रीयता के सवाल पर उसमें भाषा का अभाव सबसे बड़ा कारण है। मैं इस सदन में माननीय उजलाजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं और मैं राज्य सरकार से भी निवेदन करता हूं कि फैसला तो आपने कर ही रखा है हिन्दी में काम चलाने का, अब मानों आपको कोई एक साथ सेक्रेट्री हो, मैं मानता हूं कन्वेंशन देने को हम तैयार है। एक साथ सचिव आपका हिन्दी नहीं जानता तो सामान्य तौर पर लिख कर काम चला सकता है। वैसे मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। भरतपुर में राज कार्य की भाषा उर्दू थी हालांकि उस समय ज्यादा काम नहीं होता था लेकिन महाराजा किशन सिंह का राज हुआ और उन्होंने सरकारी आफीसर्स को आदेश दे दिये थे कि तीन महीने के भीतर सभी लोगों को हिन्दी सीखनी पड़ेगी अन्यथा राज्य सेवा से अलग कर दिया जायेगा। तीन महीने के बाद हिन्दी में राजकार्य चलाना शुरू कर दिया अगर हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा शक्ति हो तो यह सब काम हो सकता है लेकिन हमारे तो मंत्रीजी ऐसे

(श्री रामकिशन)

हैं जो हीन भावना से ग्रसित हैं चाहे कांग्रेस के मंत्री हो चाहे हीरालालजी जैसे पहले रहे हुये मंत्री हो, यह भी अकड से कहते हैं कि मैं अंग्रेजी जानता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आप अपनी पत्नी से कौनसी भाषा में बात करते हैं, पत्नी से जिस भाषा में बात करें, अपने बच्चों से जिस भाषा में बात करो, वोट लेने जिस भाषा में जाओ वही लोक भाषा कहलाती है।

(4.00 म.प.)

श्री रमाकान्त शर्मा : पत्नी से बात ही नहीं करते। ज़रूरत ही नहीं है।

श्री रामकिशन : इनकी पत्नी दूसरे ढंग की है, बात करने की जरूरत पड़ती है। इतना मैं बता सकता हूं।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हीन भावना है दिलों में इन सारी चीजों को छोड़े...

श्री हेतराम बेनीवाल : आप कैसे पता लगा लेते हैं।

श्री रामकिशन : हमारे मित्र है, हम सब मिलते जुलते जुलते रहते हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि हीन भावना के व्यक्ति हो, और राजस्थान में तो अंग्रेजी जानने वाला, मैं किसी के ज्ञान को चुनौती नहीं दे रहा हूं कहीं उसे अपमान भी मत समझ लेना पर मेरे हिसाब से एक भी नहीं है। कैसे हो सकता है कोई अंग्रेजी जानने वाला।

आज अगर रशियन यह कहे कि जो हिन्दी राजस्थान के गांवों के आदमी जानते हैं उसे मैं जानता हूं वह असम्भव है। वह सम्भव ही नहीं है। हमेशा मां के दूध के साथ और जमीन के साथ जो बातचीत होती है, जो संवाद होता है, वही लोक भाषा बनती है। तो मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर ढंग से समर्थन करता हूं। इसमें कोमा फुलस्टाप लगाने की अलग बात है। आज से लागू करें, अनिवार्य हो गैर अनिवार्य हो लेकिन इस संकल्प को अगर हम पारित करेंगे तो देश के जो 6-7 हिन्दी भाषी राज्य नहीं है उनमें भी हवा चलेगी और अब दक्षिण में भी आपने देखा होगा विरोध वैसा नहीं है जैसे-जैसे हिन्दी सिनेमा जा रहे हैं। आप जहां देखिये सिनेमा, कोई बढ़िया फिल्म लें, मैंने जिक्र किया है मैं तो खुद देखता रहता हूं कोई बढ़िया फिल्म और उसकी कोई अच्छी गायिका हो तो आप भी देखिये। तमिलनाडू में एक माधुरी दीक्षित की फिल्म थी.... (व्यवधान) मैं तो नहीं देखने गया था। माधुरी दीक्षित पता नहीं क्या है लेकिन मैं कुछ दिन पहले गया था मद्रास की तरफ। दो मेरे अपने साथी थे, मैं नहीं देखता हूं और देखने में मेरे को कोई परहेज भी नहीं है।

डा. चन्द्रभान : माधुरी का नाम कैसे जानते हैं आप।

श्री रामकिशन : जो बढ़िया चीज है, बाजार में जो चीज खरीदते हैं उसे ही जानते हैं क्या। लोगों की चर्चा से भी जान जाते हैं। मैं देख रहा था कि हमारे साथ के लोग, उसकी कोई फिल्म आई थी और हमारी मीटिंग थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के कल्याण के सम्बन्ध में

(श्री रामकिशन)

लेकिन मैंने देखा मेरे दोनों मित्र तमिल भाषी थे उन्होंने कहा हमें उसकी फिल्म को देखना है । अगर हम सिनेमा का ठीक इस्तेमाल करते रहते तो आज यह विवाद नहीं खड़ा होता । मैं दुबारा इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित करेंगे, यह तो है ही लेकिन इसके इस्तेमाल की भी प्रतिज्ञा करेंगे, राज्य सरकार निश्चित तौर पर अमली प्रतिज्ञा करेगी इन शब्दों के साथ पुरजोर ढंग से समर्थन करता हूं ।

श्री सभापति : श्री बंशीलाल पटवा ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, उजलाजी ने हिन्दी के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया, मैं उसका समर्थन करता हूं । राजस्थान प्रदेश उत्तरी भारत से जुड़ा हुआ है और हिन्दी से हमारा लगाव है । आजादी मिलने के पहले हमारे पुरखों ने नारा दिया था कि इस देश की राज भाषा, जब हम आजाद होंगे हिन्दी होगी और बाकी भाषाओं से कोई क्लेश नहीं है । अंग्रेजी हम सीखें कोई एतराज नहीं । सम्पर्क भाषा के रूप में उसका प्रयोग करें लेकिन आजादी के बाद हिन्दी को जिस तरह से पनपाया जाना चाहिये, या विकसित किया जाना चाहिये वह हम नहीं कर पाये और आज हिन्दी की ऐसी दयनीय स्थिति हो गई, जहां हम हिन्दी भाषी, हिन्दी भाषा प्रदेश है । जब सन् 1980 में विधायक चुन कर आया था तो मैंने एक रिक्शे वाले को कहा कि मुझे सचिवालय ले चल उसने कहा सचिवालय कहां फिर मैंने कहा सेक्रेटेरियेट ले चल फिर उनसे कहा कि हां अब बोले हिन्दी में । इस तरह की स्थिति प्रदेश में, हिन्दी भाषा भाषी प्रदेश में हमारी हिन्दी की हो रही है और अंग्रेजी फिरंगियों की भाषा थी और फिरंगियों से झांसी की रानी ने युद्ध किया । मुझे एक पंक्ति याद आ रही है । खूब लड़ी मर्दानी पर वह झांसी वाली रानी थी । उसी तरह से उजलाजी सन् 1980 से लेकर आज तक, हिन्दी भाषा में काम किया जाये, पर जोर देती रहती है, संकल्प कई विधान सभा के सेशन में इन्होंने प्रस्तुत किये लेकिन आज स्थिति जो बन रही है राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टण्डन, महात्मा गांधी और हमारे हिन्दुस्तान के संविधान में है कि हिन्दी भाषा के रूप में हमने स्वीकार की है । आज हमारे देश में ग्रन्थ जितने भी हैं वह हिन्दी भाषा के हैं या संस्कृत में है । हिन्दी भाषा देवों की दी हुई भाषा है लेकिन आज हिन्दी भाषा को भी हम लागू करने की बात करते हैं लेकिन व्यवहार में हम कहीं खरे नहीं उतरते और इतना उस हिन्दी को क्लिष्ट कर दिया गया है कि आम आदमी उसका उपयोग समझ पाने भी कठिनाई महसूस करने लगा है । मैं जब बीच में भीलवाड़ा काउन्सिल में अध्यक्ष था उस समय जब मैं इमरजेन्सी में जेल में था और मेरे सामने कुछ सी.आर. भरने के लिये अधिकारियों की फाइलें आई उसमें लिखा था श्रेष्ठ, अतिश्रेष्ठ, उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट, मतलब इतना क्लिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है । सरल भाषा के रूप में जैसा पण्डितजी ने कहा है कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको हिन्दी भाषा के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिये । यदि वास्तव में हम देश की एकता चाहते हैं तो हमको कुछ विचार करना पड़ेगा गम्भीरता से और इच्छा शक्ति

(श्री बंशीलाल पटवा)

को जगाना पड़ेगा और ऐसा लगता है कि 1947 में हमारे पुरखों ने जिस संघर्ष के बाद आजादी प्राप्त की, ऐसा लगता है कि हम उस छाया में पल रहे हैं ऐसी स्थिति हिन्दी की हमने दयनीय कर दी और यदि हम इससे उभरना चाहते हैं तो जो हमारे पुरखों, राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टण्डन, राजेन्द्र बाबू, महात्मा गांधी ने जो हिन्दी के लिये संघर्ष किया, स्वदेशी के लिये संघर्ष किया, आजादी के लिये संघर्ष किया यदि हम इस देश का उत्थान चाहते हैं, इस देश को जोड़े रखना चाहते हैं तो हमको हिन्दी की वकालत ही नहीं करनी पड़ेगी बल्कि हमको जीवन के साथ अंगीकार करना पड़ेगा। राज काज की भाषा, एक जनवादी भाषा के रूप में है उसका उपयोग करना पड़ेगा। आज इस देश में बाइस सौ प्रकार की तो बोलियां बोली जाती हैं, भाषायें साढ़े सात सौ प्रकार की जातियां, वर्ग और कबीले हैं। साढ़े पांच सौ के करीब व्यंजन बनते हैं जो दुनिया में है, यहां है वह कहीं नहीं है। ऐसा हमारा देश जिसके लिये पुरखों ने लड़ाई लड़ी और विरासत में जो चीजें हमको अनादि काल से मिली हुई थी उनको हम भूलते जा रहे हैं और इसके साथ साथ जैसे राजस्थान में राजस्थानी भाषा के साथ साथ जैसे हाड़ोती में चले जायें, हाड़ौती चालू हो जाती है तो हम मेवाड़ में चले जाते हैं तो मेवाड़ी बोलते हैं घर में। हिन्दी का उपयोग करते हैं और बाहर जाते हैं तो हम अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं यह हमारे दुर्भाग्य की बात है और यदि हम इस देश की एकता को बनाये रखना चाहते हैं तो संस्कृत और हिन्दी और इसके साथ साथ बाकी की जो भाषायें हैं चाहे उड़िया भाषा हो, चाहे तेलगू भाषा हो या दूसरी भाषायें हैं तो यह जितनी भाषायें हैं हमारी हैं हमारी बहनें हैं, यह भी विकसित होनी चाहिये। लेकिन राजस्थान में हिन्दी की बात करते हैं और परिपत्र भी निकालते हैं कि हिन्दी में कामकाज होना चाहिये और यहां पर अंग्रेजी में परिपत्र निकालते है और नीचे साइन है, दस्तखत है वह हिन्दी में करते हैं। ऐसी स्थिति होने जा रही है कि गुड़ तो खायेंगे लेकिन गुलगुले से परहेज करेंगे। तो मेरा यह....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

निवेदन है कि यथार्थता को अंगीकार करना चाहिये और इसके साथ-साथ राजस्थान में यदि हम हिन्दी को विकसित करना चाहते हैं और हिन्दी को विकसित करना चाहते हैं और कुछ दूसरी भाषाओं की यहां अकादमी बनी हुई है, वह अकादमी जितनी भी बनी हुयी है। अकादमी या उन संस्थाओं को हम भरपूर पैसा नहीं दे पाते हैं और स्थिति यह है कि उनको सीमित पैसा देते हैं। आज हिन्दुस्तान में जो अकादमी बनी हुई है लेकिन उनको सीमित पैसा मिलता है। संस्कृत की बनी हुई है, ब्रज भाषा की बनी हुई है, सिंधी की बनी हुई है इनको....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मान्यवर, मैं कम्पलीट कर रहा हूं। मेरा यह निवेदन है कि इनको भरपूर पैसा दें ताकि वे भाषाएं विकसित हो और हिन्दी को यदि विकसित करना चाहते हैं तो हिन्दी भाषा अकादमी जो राजस्थान में बनी हुई है उनको भरपूर प्रचार प्रसार करने में

(श्री बंसीलाल पटवा)

सहयोग आपका मिले और धन की मात्रा बढ़ावें और जैसे राजस्थान में कोई उर्दू भाषी है, उर्दू पढ़ना चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं, संस्कृत पढ़ना चाहता है तो कोई एतराज नहीं, अंग्रेजी पढ़ना चाहता है तो कोई एतराज नहीं। तो इस तरह से राजस्थानी भाषा और राजस्थानी भाषा में भी जो हमारी जिलों में अलग-अलग बोलियां हैं, उन सबको प्राथमिकता दें। लेकिन ये सारी बातें हिन्दी से जुड़ी हुई हैं और आम तौर पर हिन्दी में कामकाज सचिवालय में हो और दूसरे अधिनियम बने तो हिन्दी में बने और राजस्थान प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा आबादी गांवों में है और गांवों के लोग हिन्दी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और हिन्दी को अच्छी तरह से समझेंगे तो उनको न्याय भी सुलभ होगा, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो मेरा निवेदन है कि सम्पर्क भाषा के रूप में अन्य भाषाएं हम सीखें लेकिन हिन्दी भाषा भी विकसित हो, इस दृष्टि से अधिकाधिक इसके लिए प्रयत्न करते हुए अपने राजकाज की भाषा में जनवादी भाषा के रूप में हम हिन्दी का प्रयोग करें और जो उजला जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हुआ सरकार से और इस सदन से आशा करता हूं कि सर्व सम्मत रूप से इस संकल्प को पारित करेंगे और मैं सरकार से ऐसी उपेक्षा करता हूं कि हिन्दी में कामकाज की दृष्टि से अधिकाधिक हिन्दी का प्रयोग करेंगे और इसको अनिवार्य रूप से यदि लागू किया और यह देश एकता के सूत्र के रूप में बंधा रहेगा। इतना ही कहते हुए मेरा फिर से यह निवेदन है कि हिन्दी को हम अधिकाधिक पनपायें और विकसित करें, इस पर जोर दें और इसके लिए यथार्थता का पालन करें और अपनी इच्छा शक्ति को जगायें और उससे जुड़े, यदि हमने इतना किया तो निश्चित रूप से हिन्दी विकसित होगी। जय भारत।

श्री सभापति : माननीय वक्ता से निवेदन है.... आप बैठिये। एक मिनट समय का ध्यान रखें और जो कुछ बोला जा चुका है, उसकी पुनरावृत्ति न हो, यह ध्यान रखें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : महावीर जी, विराजो आप। आप दिन भर ही बोलते रहते हो। मतलब की बात तो कोई बोलते नहीं हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, मतलब की बात केवल इतनी है....

श्री सभापति : नहीं, आप कृपया बिराज जाइये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, ये बीच में व्यवधान डाल रहे हैं....(व्यवधान)

श्री सभापति : आपके मतलब की बात इतनी है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : कि हमारे इतने प्रगाढ़ सम्बन्ध है और जिनके कारण से हैं वो अभी यहां नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : यहां राष्ट्रभाषा की चर्चा हो रही है और आप मिजाज की बात कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें और पुनरावृति न हो, इसका भी ध्यान रखें।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, आज देश में राष्ट्रभाषा के बारे में चर्चा हो रही है। देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गये लेकिन वास्तव में जब हिन्दी की बात आती है या जब देश में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में मानने के बावजूद भी सारे देश के अन्दर आज हिन्दी नहीं है तो यह सोचा जाता है कि हमारा देश वास्तव में आजाद नहीं हुआ है। जो आजादी देने वालों के सपने थे, आज वे सपने साकार नहीं हुए। आज भी सारे देश के अन्दर ज्यादातर भाषा में अंग्रेजी बोलने वाले तैयार हो रहे हैं और देश के अन्दर जितने भी कानून या जो सारी बातें करते हैं वे सब अंग्रेजी के अन्दर होती है। अंग्रेज तो चले गये लेकिन अंग्रेजी की बातें अभी खत्म नहीं हुई है। राम को तो सब कोई मानता है लेकिन राम की बातों को कोई नहीं मानता है। इसी प्रकार अंग्रेज तो चले गये लेकिन अंग्रेजी के पुतले आज भी बैठे हुए हैं इसलिए मैं माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि आज सारे हिन्दुस्तान के अन्दर अगर हमारी एक भाषा होगी तो देश की एकता बढ़ेगी। अनेकों भाषाओं की वजह से सारे देश के टुकड़े होने की संभावना हो रही है। सारे देश में जातिवाद, धर्मवाद या भाषावाद का जहर विशेष रूप से फैल रहा है। इसी का परिणाम है कि हमारा देश हिन्दुस्तान जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, हिन्दुस्तान की ओर सारे देश निहारते थे, चारों वेद और शास्त्र सारे हिन्दी और संस्कृत में थे और सारे विश्व में आज उनका स्तर क्यों गिरा, इसका एक ही कारण है कि हमें हमारे हिन्दुस्तान की जो मूल भाषा है हिन्दी, उसका ह्रास हो रहा है। अगर हमको इस भाषा की ओर ध्यान देना है तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे बड़ी अगर कोई कमजोरी है हिन्दी को कम करने में आई है, वह है हमारे देश में बढ़ते हुए इंगलिश स्कूल। अंग्रेजी स्कूल जो सारे देश में खोले जा रहे हैं, सारे देश में आज आप देखेंगे इंगलिश मीडियम स्कूल, गली-गली में कहीं भी चले जाओ, अंग्रेजी मीडियम स्कूल। चाहे सरकार कोई भी हो लेकिन सभापति महोदय, निवेदन है कि अगर हमको इस प्रकार की नींव तैयार करनी चाहिये, इस प्रकार बच्चे जो कोरा कागज की तरह है, इमें इस प्रकार के संस्कार डालने चाहिये ताकि उन लोगों में अपने देश हिन्दुस्तान के प्रति, हिन्दी के प्रति उनकी आस्था बढ़े। इसके लिए सबसे पहला कदम हमको अगर बढ़ाना है सरकार को तो हिन्दुस्तान में ये इंगलिश मीडियम के जितने भी स्कूल खोले जो रहे हैं आज आप इस पर रोक लगाइये। और इसके अलावा यह प्रचार करें कि हिन्दुस्तान के अन्दर इंगलिश मीडियम में जो व्यक्ति पढ़ेगा वह देशद्रोही माना जायेगा। इस प्रकार की बातें पैदा करने की आस्था पैदा करें, हिन्दुस्तान में हिन्दी के प्रति जब तक आस्था पैदा नहीं करोगे लोगों में आस्था पैदा करके अंग्रेजी बोलने वालों का कि उनका स्टेन्डर्ड अच्छा

(155)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

होगा, यह आस्था हो, इस प्रकार की बातें पैदा कर दी है। कहीं भी हम बैठते हैं, अंग्रेजी की बातें करना शुरू कर देते है। यह इस प्रकार की बातें पैदा हो गई हैं, इन बातों को हमको खत्म करना पड़ेगा। उसका एक ही रास्ता है आप दूसरों को चाहे कितनी ही शिक्षा दें, आप स्वयं सही नहीं है तो उससे फायदा क्या। आज जितने भी यहां माननीय सदस्य विराजमान हैं, मंत्री महोदय बिराजमान है, मैं तो कहना चाहूंगा कि आपसे पूछा जाय, आपके कितने बच्चे आज अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं। बातें करते हैं हिन्दुस्तान में हिन्दी की और अपने बच्चों को भेज रहे हैं इंगलिश मीडियम स्कूलों में और कहते हैं हिन्दुस्तान में हिन्दी होनी चाहिये। बहुत दुःख की बात है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं ना।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, मैं निवेदन कर रहा था, चाहे किसी के बच्चे हो, चाहे कांग्रेसी के बच्चे हो। मैंने सब बच्चों को, जो पढ़ रहे हैं, वे हिन्दी में पढ़ रहे हैं....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इनके बच्चे इंगलिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये सदन में गलत बयानी कर रहे हैं टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : शिक्षा मंत्रीजी के और मेरे दोनों के ही बच्चे तो अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं। कैसे लोग कह रहें हैं कि इनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं।

(4.20 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं, इनके बच्चे ही नहीं हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामस्वरूप मीणा : राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो राजस्थान में है, आपके तो सारे बच्चे ही आपके हैं सारे राजस्थान के। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कांत : यह संकल्प है इस पर कोसने की आवश्यकता नहीं है। जरा बराबर ढंग से बोलिये। आरोप-प्रत्यारोप से बोलने की जरूरत नहीं। हमको जरूरत क्या है, इस बात पर बोलें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कांत साहब बिराजिये।

श्री टीकम चन्द कांत : हर बात कोई एक ही स्टाइल काम थोड़े ही आती है।

श्री उपाध्यक्ष : अब इनकी जैसी स्टाइल है वैसी ही रहेगी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने संकल्प रखा हैं तो धैर्य भी रखना चाहिये। हम बोलने लगे, आपको पता लगा इस बात का, आपने ठेका ले रखा है हिन्दी का (व्यवधान) हिन्दी का कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया था। कांग्रेस हमेशा हिन्दी की समर्थक

(श्री रामस्वरूप मीणा)

रही है कि हिन्दुस्तान में हिन्दी काम में ली जाय और इस बात के लिए कांग्रेस ने प्रयास किया है । कांग्रेस ने हर जगह हिन्दुस्तान में देख लो, कहीं भी आप आफिसों में देख लो, कहीं पर देख लो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि हिन्दुस्तान में हिन्दी में काम लिया जाय । चाहे रेल्वे के आफिस में चले जाओ, चाहे आप और कहीं चले जाओ । आप बातें करते हैं बीजेपी की, कि हम बीजेपी वाले हिन्दी की बातें कर सकते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : अब आपको अलग कर रहे हैं क्या ?

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीया उजला जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके लिए मेरा एक और सुझाव है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : और वह तो पीढ़ी दर पीढ़ी होता जायेगा, तब ही तो यह संसार चलेगा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस तो खुद अंग्रेजी शब्द है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इतना गम्भीर मामला है....राष्ट्रभाषा की बात है, बार–बार मजाक कर रहे हैं महावीर जी ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग करें ।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप इस बात को गम्भीरता से लें उजला जी ने जो प्रस्ताव रखा है, बहुत ही अच्छा है आप इसको मजाक कर रहे हैं । बोलने क्यों नहीं देते हो ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बात कहिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : कहूंगा तो तब ही ना जब आप शांत रहोगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आप डांट-फटकार मत किया करिये । आप अपनी बात कहें ।

श्री रामस्वरूप मीणा : फिर व्यवधान मंत्री शुरू हो गये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कह रहा था, जैसी अंग्रेजी की बात करते है, संविधान में यह व्यवस्था थी कि 15 साल तक तो आप अंग्रेजी चला सकते हो, 15 साल के बाद निश्चित रूप से हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी लेकिन कांग्रेस ने यह अपराध किया है । उन्होंने उसके बाद से हिन्दी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया है । यह है मेरा मतलब ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कांग्रेस ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा नहीं बनाया, राज आपका भी आ रहा था केन्द्र में, पता लग गया आपने क्या किया वहां पर ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य, मैं बहुत सम्मान कर रही हूं इनका । बोलने दीजिये । डिस्टर्ब नहीं करें ।

श्री रामस्वरूप मीणा : क्यों नहीं आपने इस प्रकार की घोषणा की कि हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनायेंगे ? क्यों नहीं किया ?

(श्री रामस्वरूप मीणा)

आपका समय निकल गया। इसलिए तो आपको दोबारा बैठना पड़ेगा। जनता ने आपको तभी नकार दिया।

श्री महावीर प्रसाद जैन ; इसलिए संकल्प लाये हैं माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : राजस्थान में उप चुनावों में क्या हालत हुई हैं आपकी। आने वाले समय में एक भी नहीं आओगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप चुनावों में कहां चले गये।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : हिन्दी से चुनाव आ गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कभी इधर आते हो, कभी उधर चले जाते हो। (व्यवधान) मैं तो कहता हूं कल को तो इनकी....

श्री उपाध्यक्ष : महावीर जी। प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो बीजेपी से टिकट लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरा कीजिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : व्यवस्था मुझे दी है आप बीच में क्यों बोलते हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि (व्यवधान) मेरा दूसरा सुझाव है कि हिन्दी जो हमारी राजभाषा है उसके जितने भी शब्द है वे बड़े अच्छे हैं। अगर उन शब्दों को हम काम में लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आजकल घर घर में लोग कहने लगे डैडी। यह डैडी क्या होता है, मेरी समझ में नहीं आता। ये सब डैडी कहते हैं। इनके बच्चे कहते हैं मम्मी। यह मम्मी क्या है ? इनका कोई किसी प्रकार का अर्थ नहीं निकलता है। पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, पूज्य भाई साहब, पूज्य बहनजी, इस प्रकार के शब्द हमने बोलने ही बन्द कर दिए। मेरा यह निवेदन है कि अगर आप हिन्दी भाषा का प्रयोग सारे देश में करना चाहते हैं तो आप कम से कम हिन्दी में ऐसे शब्दों का प्रयोग तो करें। घर-घर में आपने देखा होगा सारे लोग अपने बच्चों को इस प्रकार की बातें कहते हैं कि बेटा इंगलिश में क्या कहते हैं, चिड़िया को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। बेटा मम्मी को इंगलिश में क्या कहते हैं वे उससे यही पूछते हैं। तो इस प्रकार के संस्कार हम बच्चों में खुद डाल रहे हैं। इसलिए हम खुद हिन्दी के दुश्मन हैं जो हिन्दी की बात करते हैं। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको इसकी शुरूआत करनी पड़ेगी। उसमें मैं कहता हूं कि हमको बच्चों से शुरूआत करनी पड़ेगी। बच्चों में संस्कार डालने पड़ेंगे कि बेटा हम हिन्दुस्तानी हैं, हिन्दुस्तान में रह रहे हैं इसके लिए हमको हिन्दी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नमस्कार करें तो हिन्दी में करो। गुड नाइट, गुड मार्निंग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आप सब लोग कहते हैं। टेलीफोन पर आप हैलो-हैलो कहते हैं। क्या होता है हैलो ? कहां तक हिलेगा सुनने वाला ? इस हैलो-हैलो का क्या मतलब होता है ? आप और भी कुछ कह सकते हैं टेलीफोन पर। सुबह-सुबह उठते ही कहेंगे हैलो। इसलिए

(श्री रामस्वरूप मीणा)

उपाध्यक्ष महोदय, जो शब्द इंग्लिश के हम लोगों ने पकड़ लिए इनको छोड़ें, इनकी जगह दूसरे शब्द हम काम में लें और बच्चों में इस प्रकार के संस्कार डालें ताकि उनमें इस प्रकार की प्रवृत्ति पैदा हो कि वे ज्यादातर हिन्दी में ही बोलें।

मेरा आखिर में एक सुझाव है कि जो कम्पीटीशंस हैं, आई.ए.एस., आई.पी.एस. या और जितने भी हैं इनमें ज्यादातर वो ही लोग पास होते हैं, आज वो ही आई.ए.एस., आई.पी.एस. बने हुए हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हैं। ऐसा देश का दुर्भाग्य मान लें या कुछ भी मान लें क्योंकि हमारी जो भी पढ़ाई है या जो भी किताबें हैं या जिस प्रकार के प्रश्न–पत्र हैं वे सारे इंग्लिश में ही आते हैं। उनको चैक करने वाले आपको ज्यादातर हिन्दी मीडियम के मिलेंगे इसलिए मेरा निवेदन है कि देश के अन्दर अगर हमको हिन्दी का विकास करना है, हिन्दी को बढ़ाना है....

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं आर. ए. एस. और इनमें सारे हिन्दी के ही पेपर आवें और हिन्दी के ही उत्तर हों।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, सारे पेपर हिन्दी के नहीं आने चाहिए। ज्यादातर इस प्रकार की भावना बन चुकी है कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा ही कम्पटीशन पास कर सकता है, गांव में बैठने वाले बच्चा जो गांव में पढ़ता है, स्कूल में, यहां से विश्वविद्यालय से या और कहीं से गांव का लड़का परीक्षा पास करता है उसका सोच है कि वह कम्पटीशन पास नहीं कर सकता। लेकिन बड़ी–बड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो बच्चे.... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो खुद अंग्रेजी बोल रहे हो, आप हमको क्या उपदेश दे रहे हो ?

श्री रामस्वरूप मीणा : प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बच्चे होते हैं, जो बैठते हैं उनके बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं कि उन पर सरकार को इस प्रकार की नीति बनानी चाहिए। राजस्थान सरकार जो हिन्दी की बातें कर रही है उससे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दी को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी की जो प्रवृत्ति बन चुकी है उसे दूर करें। (व्यवधान) इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हिन्दुस्तान में राष्ट्र भाषा हिन्दी है और उसमें हिन्दुस्तान की संस्कृत व और अन्य भाषायें हैं उन सबको मिलाकर हिन्दुस्तान में हिन्दी को ही विशेष महत्व दिया जाय ताकि हमारे देश की मूल संस्कृति, मूल भाषा या मूल जड़ है वह कभी खत्म नहीं हो सके क्योंकि सारे विश्व में सारे विश्व के लोग हिन्दुस्तान की ओर दौड़ रहे हैं हिन्दुस्तान की भाषा को अपना रहे हैं, हिन्दुस्तान के धर्म को अपना रहे हैं। आप वृन्दावन में जाकर देख लीजिए, जितने गोरे लोग हैं उनके मंदिर बने हुए हैं, वे कृष्ण और राम पर झूम उठते हैं हमारे संस्कार उन लोगों में हैं। आज चोटी रखना, पीत वस्त्र धारण करना, सेवा–पूजा, भगवान के द्वार नृत्य करते हैं वे लोग। सारा विश्व तो हमारी ओर निहार रहा है, सारा विश्व इधर की ओर दौड़ रहा है और आप हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तान

(श्री रामस्वरूप मीणा)

की भाषा को खत्म करके और अंग्रेजी भाषा को अपना रहे हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं आपके इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह मानता हूं कि देश में राष्ट्रभाषा हिन्दी और हिन्दी का प्रयोग होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदनलाल सैनी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मेरा भी नाम है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि अपनी सारगर्भित बात को ज्यादा लम्बा-चौड़ा नहीं करके इस विषय की गंभीरता को देखते हुए 5-5, 10-10 मिनट में अपना कथन समाप्त करें। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर पूछा जा सकता है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि यह जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो संकल्प रखा है और हिन्दी प्रेमी लोग यहां पर बैठे हैं, बाकी तो उपस्थित हैं नहीं। जिनको सुझाव देने हैं वे दे दें और यह 5 बजे पहले पारित हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप।

श्री मदनलाल सैनी (गुढा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो हिन्दी के समर्थन में संकल्प प्रस्तुत किया है उस सकल्प का मैं समर्थन करता हूं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का हैं कि आज जो हिन्दी के बारे में हमारी मानसिकता बन गई है और उस मानसिकता के कारण से देश का अहित हो रहा है। हिन्दी की स्थिति बहुत पहले ठीक हो जानी चाहिए थी। जब देश आजाद हुआ उस समय संविधान में जो व्यवस्था की गई कि 15 वर्षों बाद हिन्दी को समान रूप से राष्ट्र की भाषा के रूप में लायेंगे और 15 वर्ष के दौरान अंग्रेजी का, क्योंकि अंग्रेजी अभी-अभी गई है, अभी मानसिक गुलामी भी है, हमारे लोग तैयार भी नहीं हो पाये। यह 15 वर्ष की अवधि हिन्दी के वातावरण को तैयार करने के लिए दी गई थी और उसके बाद भी हिन्दी की वो ही स्थिति बन रही है।

मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहूंगा टर्की का वो इतिहास जब कमाल पाशा वहां पर आया, उसने सारे नागरिकों को लाकर कह दिया कि यदि यहां पर टर्की में काम करना है तो 6 महीने के अन्दर सारे लोगों को टर्की सीखनी होगी और जो टर्की नहीं सीख सकेगा वह राज-काज में और नौकरी नहीं कर सकेगा। उसकी कोई दरख्वास्त अरबी या फारसी में नहीं ली जायेगी। 6 महीने के अन्दर सारे लोगों ने भाषा सीखने का प्रयास किया और उनकी स्वयं की भाषा टर्की वहां पर आरूढ़ हो सकी। यदि उस समय हमने भी कठोरतापूर्वक हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, हमारी बाकी प्रान्तीय सरकारों ने यदि इस प्रकार का फैसला लिया होता कि हिन्दुस्तान में राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी सीखनी होगी प्रान्तीय भाषाओं के रूप में हमारी जो दूसरी भाषाएं हैं उनको लागू करना होगा और उसके सीखने का

(श्री मदनलाल सैनी)

एक समयबद्ध कार्यक्रम तय कर दिया जाता तो देश के लोग जो अंग्रेजी यहां पर ही नहीं दूसरे देशों में भी जाकर योग्यता हासिल कर सकते हैं वे अपनी भाषा में, अपनी स्थानीय भाषाओं में न केवल योग्यता हासिल करते और जो एक आरोप लगाया जाता है कि तकनीकी शब्दों का प्रयोग हिन्दी में नहीं है, मेडिकल के शब्दों का प्रयोग हिन्दी में नहीं है, इंजीनियरिंग के शब्दों का प्रयोग हिन्दी में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा आयुर्वेद इतना समृद्ध चिकित्सा शास्त्र है उसमें तो अंग्रेजी के शब्द नहीं है जब आयुर्वेद के माध्यम से हम उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं तो नये शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। और ऐसे शब्द जो कालबाह्य हो गये उन शब्दों को छोड़ा जा सकता है और जो कालबाह्य शब्द हो गए उनको ग्रहण भी किया जा सकता है। जब दूसरी भाषाओं ने भी शब्दों को ग्रहण किया है तो हिन्दी में क्यों नहीं किया जा सकता। हिन्दी एक समृद्ध भाषा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा शब्दकोष में शब्द कहीं है तो वह हिन्दी में है जिसके बराबर किसी भी भाषा के शब्दकोष में नहीं है। इतनी सम्पन्न, धनाढ्य भाषा है और तकनीकी शब्दों का अकाल हो ऐसा नहीं है। कुछ शब्द होते हैं जो हमारे दैनिक प्रयोग में नहीं आते। आज कोई यह कहे कि ताले का शब्द क्या है। हिन्दी में, संस्कृत में ताले का शब्द नहीं है। संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा में ताला नहीं है। यह उस समय की संस्कृति है उस समय इसका प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि हिन्दू धर्म मे घरों में ताले नहीं लगाये जाते थे इसलिए ताले की हमको जरूरत नहीं पड़ती थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि एक सवाल खड़ा होता है कि हिन्दी में यह शब्द आना चाहिए या यह शब्द नहीं आना चाहिए। हिन्दी तीन प्रकार से प्रयोग में ली जायेगी। एक हिन्दी होगी साहित्य की। वह साहित्य की हिन्दी होगी और वह विद्वानों के लिए होगी। साहित्य पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए अलग हिन्दी होगी। एक हिन्दी होगी राज-काज के लिए। जो सरकारी कामों की भाषा होगी। उनके लिए अलग शब्द भी होंगे। एक हमारे गांवों की भाषा होगी वो भी हमारी हिन्दी होगी और हिन्दी में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। जब अंग्रेजी नारंगी को ऑरेंज ले सकती है, अंग्रेजी चिमनी को ले सकती है तो फिर अंग्रेजी के शब्द क्यों नहीं ले सकते ? हम टिकट को क्यों नहीं ले सकते, हम भी उन शब्दों को ग्रहण कर हमारे अन्दर पचा लेंगे और स्टेशन का हमने स्टेशन कर दिया, टेशन कर दिया, अपने-अपने रूप में उसका परिमार्जन करके शुद्ध रूप में उसको स्वीकार कर लिया। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई, जब अंग्रेजी का नाम आता है तो हमारे सामने वह अंग्रेजों का इतिहास खड़ा हो जाता है कि हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई चल रही है, रानी झांसी की लड़ाई चल रही है, तात्या टोपे की लड़ाई चल रही है। अंग्रेजी का जब सामने मामला आता है तो अंग्रेज हमारे शोषक के रूप में

(श्री मदनलाल सैनी)

खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति बनती है और उसके कारण अंग्रेजी का नाम आते ही लोगों में मानसिक गुलामी, एक हीनता की भावना खड़ी हो जाती है और जब हिन्दी का भाव खड़ा होता है तो हिन्दी को संस्कृत क्योंकि हिन्दी की मां है और उसके बाद में संस्कृत, उसके बाद में प्राकृति फिलासाफी और बाह्य लिपि, इसका जब ध्यान में आता है तो एक इतिहास बनता है जो इस देश की भाषाएं थी उनसे जाकर हिन्दी का विकास होता है। यह जब हमारे ध्यान में आता है तो हमारे ध्यान में वह लार्ड माउन्ट बैटन नहीं आता, वह दूसरे नहीं आते, हमारे सामने राम और कृष्ण का स्वरूप खड़ा हो जाता है, उनका चरित्र खड़ा हो जाता है, इस प्रकार की स्थिति आज हमारे सामने खड़ी होती है....

एक माननीय सदस्य : पास कराओ श्रीमान्। पास कराओ।

श्री उपाध्यक्ष : हां–हां, कर लेंगे। विराजिए।

श्री मदनलाल सैनी : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि इस देश में इस देश की संस्कृति हमारे सामने एक चित्र के रूप में हो जाती है, हिन्दी का नाम आते ही।

श्री हेतराम बेनीवाल : पास कराओ इसे।

श्री मदनलाल सैनी : लेकिन अंग्रेजी इस देश को एक रखने वाले चित्र को प्रस्तुत नहीं कर सकती। इस प्रकार से हिन्दी इस प्रकार की भाषा है जो इस देश को जोड़ती है, न केवल भाषा के रूप में अपितु संस्कृति के रूप में जोड़ती है। एक इतिहास के रूप में हमारे सामने नया एक इतिहास रखती है। इस प्रकार की जो स्थिति है, मान्यवर मैं यह कहना चाहूंगा....

श्री यदुनाथ सिंह : पास कराइये आप।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, थोड़ा खत्म होने दें।

श्री मदनलाल सैनी : कि हिन्दी से यदि परहेज करना पड़ेगा, आज हमारे जो सरकारी आदेश निकलते है उनमें भी देखना पड़ेगा कि रेडियो की भाषा क्या है, टेलीविजन की भाषा क्या है, समाचार-पत्रों की भाषा क्या है, उसकी हिन्दी में कहीं संशोधन करना है, कहीं सुझाव देने हैं, यह भी हमको करना पड़ेगा। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज जो यह सारी स्थिति बनी है....

श्री यदुनाथ सिंह : पास कर दो।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह हमने मान लिया न, और से क्या फर्क पड़ता है।

श्री मदनलाल सैनी : अभी हमारे बन्धु कह रहे थे, आज नोटिस बोर्ड लगा दिया लेकिन वास्तव में नोटिस बोर्ड नहीं टांगा गया, हिन्दी में काम करिये, यह कह कर वास्तव में हिन्दी को टांग दिया गया...

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सूचना पट्ट बोलिये, सूचना पट्ट।

श्री मदनलाल सैनी : हिन्दी के विकास को अवरुद्ध कर दिया गया....(व्यवधान) मान्यवर, मैं टोकना चालू करूंगा तो मुश्किल होगी आपके लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, सब हिन्दी के पक्ष में है....

श्री उपाध्यक्ष : आपने प्रस्ताव किया है, अरोड़ाजी, बैठिये ना।

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हिन्दी की जो स्थिति बना दी....

श्री उपाध्यक्ष : हाउस का कोई प्रोसीजर होता है, यों थोड़े ही होता है।

श्री यदुनाथ सिंह : पास करवा दो श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष : ना, देयर इज सम प्रोसीजर, है जैसा ही है।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय सदस्या को यह संकल्प लाना क्यों पड़ा....

श्री उपाध्यक्ष : आपकी भावनाओं का आदर किया जा रहा है। इसे मना कौन कर रहा है।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय सदस्या को यह संकल्प इसलिए लाना पड़ा कि हिन्दी का प्रयोग नाम के लिए और नोटिस बोर्ड टांग दिया गया कि हिन्दी में काम करो, उसी बोर्ड के नीचे अंग्रेजी में डिक्टेशन दी जाती है, स्टेनो डिक्टेशन लेता है और अफसर केवल नीचे दस्तखत करता है, ऊपर की पूरी नोटशीट अंग्रेजी में तैयार होती है, यह वास्तव में हिन्दी का नोटिस बोर्ड नहीं टांगा, वास्तव में हिन्दी के विकास को टांग दिया गया, दीवार पर खड़ा करके, इसलिए संकल्प यह प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थिति को आज बदलना पड़ेगा। आज आवश्यकता इस बात की है, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो सारी स्थिति है, आज सरकार को इस प्रकार के निर्देश देने पड़ेंगे, सरकार को यह बात तय करनी पड़ेगी कि आखिर हमको जाना कहां है, हमारी दिशा क्या है, आज सरकार अपनी दिशा तय नहीं कर सकी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं अभी कहना मैंने प्रारम्भ किया है और हाउस का समय काफी देर तक चल सकता है, माननीय मुख्य सचेतकजी बैठे हैं, जितना समय चाहिए, समय बढ़ाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : पूरा करिये, पूरा करिये। यह तो वार्निंग बैल है। बंद करने की बैल हुआ करती है क्या।

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज जिस व्यक्ति में....

श्री परसादीलाल मीणा : आप दूसरों का नाम पुकारें, नहीं, पास करायें।

श्री उपाध्यक्ष : पुकार रहा हूं, पुकार रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : जिस व्यक्ति में अपनी भाषा का स्वाभिमान नहीं होगा, जिस व्यक्ति में देश का स्वाभिमान नहीं होगा, जिस व्यक्ति में संस्कृति का स्वाभिमान नहीं होगा वह व्यक्ति वास्तव में इस दुनियां में घूमता-फिरता तो है, वह जिंदा

(श्री मदनलाल सैनी)

तो दिखाई देता है लेकिन वह जिंदा होते हुए भी आदमी मृत व्यक्ति है जिसमें अपने देश का, अपनी संस्कृति का, अपनी भाषा का स्वाभिमान नहीं होता।

श्री हेतराम बेनीवाल : वह कौन सा आदमी है, सब साथ है यहां तो, सारे ही।

श्री मदनलाल सैनी : अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि आज हमारे बच्चे अंग्रेजी के शब्द प्रयोग करते हैं, मुंह से निकालते हैं, इस बात को देखकर हम प्रसन्न होते हैं, यह प्रसन्न होने की बात नहीं है, यह दुखी होने की बात है। हम हमारे बच्चों से डैडी और मम्मी की बात सुनते हैं। ममी तो मरे हुए ताबूत को कहते हैं, जो मरा हुआ ताबूत है उसको ममी कहा जाता है और हम घरों में जिंदा हमारी मातृ शक्ति को....

श्री यदुनाथ सिंह : पोइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया है।

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट ऑफ ऑर्डर तो सुनेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : एक मिनट बिराजो। उपाध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों की जो बोले हैं और जो नहीं बोल पा रहे हैं, सबकी भावना यह है कि इस संकल्प को पारित किया जाय। कोई इसका विरोध करने वाला है क्या, इस हाउस में कोई विरोध करने वाला है क्या, कोई है जो इसको पारित नहीं कर रहा....

श्री राजेन्द्रसिंह राठोड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प को पारित किया जाय, इसके पक्ष में तो हैं लेकिन वक्ता बोलने वाले और है।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस में अभी इस पर काफी वक्ता हैं, काफी बोलने वाले हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : इसको पारित करवाया जाय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : अभी इसमें काफी वक्ता हैं यदुनाथ सिंहजी, काफी बोलने वाले हैं। आपकी भावनाओं का आदर किया जा रहा है लेकिन जो प्रोसीजर है वह अपनाया जायेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : हां, तो यही तो बोलने वाले हैं कि राज भाषा हिन्दी हो और राज-काज की भाषा हिन्दी हो, यही तो बोलने वाले हैं, इसको पारित करवाया जाय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मैं संशोधन पेश करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राइट।

श्री राजेन्द्रसिंह राठोड़ : नहीं, इसमें संशोधन पेश करना चाहते हैं उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्य, बोलने का पूरा मौका दिया जाय और बड़े मौलिक विचार आ रहे है।

श्री उपाध्यक्ष : हां-हां करना चाह रहे हैं (व्यवधान) क्या है आपका ?

डा चन्द्रभान : आप तो उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना पूछ लीजिए कि इसके खिलाफ कौन है, यदि कोई खिलाफ नहीं है तो इसको सर्वसम्मति से पारित करवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी सबकी भावनाओं का बहुत–बहुत आदर किया जा रहा है लेकिन और भी विचार आ रहे हैं, उन विचारों से....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : वह अपने-अपने विचार अखबार वालों को लिख कर दे देंगे, ठीक है, छाप देंगे बात को।

श्री उपाध्यक्ष : हां, क्या कह रहे हैं आप।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कई माननीय सदस्य चर्चा करना चाहते हैं....

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, टाइम नहीं बढ़ाया जाय।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है....(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : जैसे कल अकाल के लिए सदन का समय बढ़ाया गया था....

श्री यदुनाथ सिंह : यह चाहते हैं कि संकल्प पारित न हो। यह संकल्प पारित आज होना बहुत आवश्यक है कि हमारी राज भाषा हिन्दी हो, काम-काज की भाषा हिन्दी हो। इसको पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजिए।

श्री यदुनाथ सिंह : अब कोई दो राय ही नहीं है इसलिए इसको पारित किया जाय सर्वसम्मति से।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : हम बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं। सारे ही सदन की ऐसी भावनाएं हैं तो सदन की भावनाएं रखी जाती है यहां तो।

श्री हेतराम बेनीवाल : तो वोट करवा लीजिए....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, सारे सदन की भावना है कि इसको पास करायें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सबको सुनना पड़ेगा।

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पुकारा है और मैं बोल रहा हूं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस संकल्प को पारित किया जाय....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं हाउस को एडजोर्न कर दूं....

श्री हेतराम बेनीवाल : हां, तो कर दीजिए। हम यह कह रहे हैं कि कौन इसके खिलाफ है....

एक माननीय सदस्य : यह संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया जाय....(व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : मेरा कथन पूरा होने के बाद....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तो आप विराजिए पहले।

श्री मदनलाल सैनी : जो भी आसन व्यवस्था देगा, मैं उस व्यवस्था को स्वीकार करूंगा। मेरा कथन पूरा होने के बाद.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका कथन कितना है। आपका कथन इतना लम्बा नहीं हो सकता। आपकी बात को दो मिनट में पूरा कीजिए आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प पारित नहीं होगा तो इस सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगेगा कि इन्होंने जान-बूझकर इसको पारित नहीं कराया। जब हम सब पारित करने के लिए तैयार हैं, आप दूसरा संकल्प लीजिए। यह हमारे अधिकारों का प्रश्न है....

डा. चन्द्रभान : यह हिन्दी विरोधी लोग हैं जो संकल्प को पारित नहीं होने देना चाहते।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट मेम्बर्स को कोई एक संकल्प में हीं, हम सारे लोग पारित करने के लिए तैयार है....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : जो खिलाफ हैं वह बोलें।

श्री रामस्वरूप मीणा : सर्व सम्मति से पारित करने को तैयार हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप दूसरा संकल्प नहीं ले रहे हैं। आप इसको सर्व–सम्मति से पारित करवाइये....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, मैं व्यवस्था देता हूं। आप बैठिये ना, व्यवस्था देता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं प्रस्ताव करती हूं कि सदन ने अपनी सम्मति व्यक्त.... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह सत्ता पक्ष जान-बूझ कर हिन्दी के प्रस्ताव को पास नहीं होने देना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ ही नहीं रहे हैं, आप सुनेंगे नहीं क्या। (व्यवधान) अरोड़ा जी, प्लीज सिट डाउन। कृपया बैठिये। माहिर आजाद जी। आप बैठिये, मैं व्य–वस्था दे रहा हूं....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : इस प्रस्ताव को पारित नहीं होने दे रहे हैं, आप इसका विरोध कर रहे हैं, पारित नहीं होने दे रहे हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको कहना चाहूंगा कि यह जो संकल्प प्रस्तुत किया है....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह हिन्दी विरोधी है....

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, नोट मत कीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

डा. चन्द्रभान : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : ....(व्यवधान)....नोट नहीं करें ।(व्यवधान)

माननीय मदनलाल जी सैनी नोट नहीं हो रहा है....(व्यवधान)....माननीय सैनी जी आप पहले बैठिये....उजला जी आप क्या कह रही हैं....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभी पक्ष में हैं। आप मत ले लीजिए ।....(व्यवधान).... जब सारा सदन यह कह रहा है तो फिर क्यों विलम्ब करते हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या बैठिये....(व्यवधान)....आसन पैरों पर है.... (व्यवधान)

मेरा आपसे निवेदन है....(व्यवधान).... व्यवस्था सुनिये आप....

मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आज की कार्यसूची में केवल मात्र यह विषय रखा गया है। इस पर चर्चा आज समाप्त नहीं हो रही है कल तक भी जारी रहेगी.... (व्यवधान)

आप बैठिये पहले....(व्यवधान)....

नोट नहीं हो रहा है ।....(व्यवधान)

चर्चा समाप्त नहीं कर रहे हैं....(व्यवधान)....

सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 6 अप्रैल, 1992 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 4.42 बजे सोमवार दिनांक 6 अप्रैल, 1992 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 437 का विवरण

राजस्थान में क्रियान्वित की जा रही वन विकास योजनाओं का विस्तृत विवरण — परिशिष्ट 'क'

क. सं.	नाम योजना	जिले जिनमें क्रियान्वित की जा रही है	बजट स्रोत
	राज्य योजनाएं		
1.	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी, परियोजना	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बांरा, भरतपुर भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमन्द सवाई माधोपुर, टौंक, उदयपुर	विश्व बैंक से प्राप्त सहायता से क्रियान्वित की जा रही है।
2.	परिभाषित वनों का पुनरारोपण	समस्त राजस्थान	राज्य सरकार
3.	अरावली वृक्षारोपण योजना	बांसवाड़ा, अलवर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, सीकर, झुंझुनू, पाली, नागौर, जयपुर तथा उदयपुर	जापान की समुन्द्रपारीय (ओ. ई. सी. पी.) आर्थिक सहायता निधि के सहयोग से।
4.	पर्यावरण वृक्षारोपण	समस्त राजस्थान	राज्य सरकार

(168)

1	2	3	4
5.	आर्थिक वृक्षारोपण	चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर सिरोही	राज्य सरकार के बजट से
6.	विश्व खाद्य कार्यक्रम	उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर राजसमन्द, चित्तौड, भीलवाड़ा, कोटा, बांरा	खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ।
7.	घाटी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में भू-संरक्षण	समस्त राजस्थान	राज्य सरकार
केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं			
1.	लघु वन उपज का विकास	चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा उदयपुर, सिरोही	100 प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं केन्द्र की आर्थिक सहायता से।
2.	समेकित बंजड भूमि विकास परियोजना हर्ष इको डवलपमेन्ट	सीकर	उपरोक्तानुसार
3.	स.व.भू.वि.परि. गंगानगर एवं बीकानेर	गंगानगर एवं बीकानेर	उपरोक्तानुसार
4.	,, ,, ,, सिवानागुडा	झुंझुनू	उपरोक्तानुसार
5.	,, ,, ,,	बांरा	उपरोक्तानुसार
6.	,, ,, ,, जोरवटा	झालावाड	,,
7.	, ,, झाडोल कोटडा क्षेत्र	उदयपुर	,,

1	2	3	4
8.	,, ,, मेड़ता डेगावा	नागौर	उपरोक्तानुसार
9.	हवाई बीजारोपण योजना	सवाई माधोपुर धौलपुर	,,
10.	विकेन्द्रीकरण पौधशाला	समस्त राजस्थान	,,
11.	ईंधन व चारा योजना	अलवर, अजमेर, सवाई माधोपुर, जयपुर, राजसमन्द, उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर, टौंक, अजमेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ़, सिरोही, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, बून्दी, नागौर, सीकर, पाली, जालौर, बांसवाडा, दौसा, झुंझुनू बांरा।	50 प्रति. केन्द्र सरकार तथा 50 प्रति. राज्य सरकार
12.	वाघ परि. रणथम्भौर,	सवाई माधोपुर	केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के बजट से
13.	,, ,, सरिस्का	अलवर	उपरोक्तानुसार
14.	घना पक्षी अभ्यारण्य	भरतपुर	,,
15.	राष्ट्रीय मरू उद्यान जैसलमेर	जैसलमेर, बाड़मेर	उपरोक्तानुसार
16.	अभ्यारण्यों का संधारण	समस्त राजस्थान	,,
17.	नदी घाटी परियोजनाएं चम्बल, माही तथा दांतीवाडा	कोटा, बून्दी झालावाड, चित्तौडगढ़, बांसवाडा, डूंगरपुर, सिरोही।	100 प्रतिशत केन्द्र सरकार

1	2	3	4
18.	भू. सं. परि. साहिबी नदी	जयपुर, अलवर, सीकर, बाडमेर, बीकानेर चुरू, श्री गंगानगर	100 प्रति. केन्द्र सरकार
19.	मरू विकास कार्यक्रम	जालौर, जैसलमेर, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर	100 प्रति. केन्द्र सरकार
20.	सूखाग्रस्त सम्भाव्य क्षेत्र योजना	अजमेर, बांसवाडा, बांरा, डूंगरपुर, झालावाड, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर ।	50 प्रति. केन्द्र सरकार 50 प्रति. राज्य सरकार
21.	जवाहर रोजगार योजना	समस्त राजस्थान	
22.	बीहड सुधार कार्यक्रम	बांरा, भरतपुर, कोटा, सवाई माधोपुर धौलपुर	100 प्रति. केन्द्र सरकार
23.	इं. गां. न. पं. क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र विकास योजना	बीकानेर, श्री गंगानगर	राज्य योजना
	(अ) स्टेज–I	बीकानेर, श्री गंगानगर, जैसलमेर	
	(ब) स्टेज–II	बीकानेर, श्री गंगानगर, जैसलमेर	जापान की समुन्द्र पारीय आर्थिक सहायता निधि राज्य योजना की राशि से
	(स) ओ.ई.सी.एफ. स्टेज II	जैसलमेर	
1	(द) विश्व खाद्य कार्यक्रम		
24.	विश्व खाद्य कार्यक्रम 2773	उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौडगढ, भीलवाडा, कोटा, बांरा	वन विकास कार्यों पर विभिन्न योजनाओं का विवरण

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

टोंक पंचायत समिति क्षेत्र की ढाणियों में शिक्षण व्यवस्था

795. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक पंचायत समिति क्षेत्र में कौन-कौन से ग्राम और ढाणियों में शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक उक्त पंचायत समिति में प्राथमिक शालाओं को नहीं खोलने के क्या कारण रहे हैं? कारण सहित विवरण, सदन की मेज पर रखें।

(3) अब कब तक कहां-कहां पर सरकार प्राथमिक शाला खोलने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) टोंक पंचायत समिति के 62 ग्रामों तथा ढाणियों में प्राथमिक विद्यालय नहीं है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इस वर्ष उक्त पंचायत समिति में 4 विद्यालय खोले गये हैं सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) राज्य सरकार द्वारा मैदानी क्षेत्र में 250 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोलने के निर्णय के अनुसार सूची में क्रम संख्या 1,2,3,4,5 तथा 15 पर वर्णित स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय खोले जाने पर विचार किया जावेगा।

शालारहित गांवों व ढाणियों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	जनसंख्या	क्र. सं.	गांव का नाम	जनसंख्या
1.	खानपुरा	392	6.	बेगमपुरा	226
2.	महगांव	314	7.	इब्राहीमाबाद	219
3.	रामकिशनपुरा	259	8.	रामकिशनपुरा	226
4.	निमोला	288	9.	बलखाडिया	239
5.	रहमान दिया	279	10.	मसूदपुरा	246

क्र. सं.	गांव का नाम	जनसंख्या	क्र. सं.	गांव का नाम	जनसंख्या
11.	नसीरपुरा	217	37.	शफीपुरा	192
12.	बोरखण्डी खुर्द	247	38.	जबानपुरा	193
13.	रसूलपुरा	230	39.	वजीरनगर	144
14.	जानकी वल्लभपुरा	190	40.	हनीफगंज	125
15.	इमामनगर	281	41.	बालापुरा	129
16.	इशाक पुरा	175	42.	हयातपुरा	148
17.	इनायतगंज	170	43.	सवाई	129
18.	आकलपुरा	180	44.	गुलाबपुरा	189
19.	मो. नगर	196	45.	मीरनगर	131
20.	इस्लामपुरा	163	46.	अल्लापुरा चांडाला	137
21.	अनवरनगर	168	47.	हकीमपुरा	105
22.	खलीलपुरा	182	48.	अहमदगंज	107
23.	इसरदा	197	49.	जहूरपुरा	80
24.	वजीरपुरा		50.	अगापुरा	79
25.	सरदारपुरा	151	51.	बिलायतीपुरा	60
26.	मो. गंज	153	52.	रामरायपुरा	162
27.	अलीमपुरा	151	53.	श्रीनगर	69
28.	अहमदपुरा	195	54.	करीमपुरा	75
29.	मीरनगर	159	55.	उस्मानपुरा	90
30.	मिया रामपुरा	152	56.	खोडामीरसामान	169
31.	शफीगंज	113	57.	मुर्तजानगर	44
32.	बीजलपुर	143	58.	अब्बास नगर	161
33.	रहीमनगर	101	59.	मायारायपुरा	36
34.	अजीजपुरा	131	60.	चूरिया	175
35.	अलीनगर	137	61.	फारूखनगर	29
36.	रहीमपुरा	131	62.	अ. घाटी	44

ह.
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, टोंक

भाग 2 से संबंधित सूची

पंचायत समिति-टोंक

(1) कल्याणपुरा

(2) मोहनाबाज

(3) देवरी

(4) परासिया

राज्य में खोले गये विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र

796. **श्री मोतीलाल मीणा** (सवाई माधोपुर) एवं **श्री निर्भयलाल** (रूपवास) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में उप स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक चिकित्सालय प्रत्येक वर्ष नये खोले जाते हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1985 से फरवरी, 1992 तक राजस्थान प्रदेश में कितने-कितने स्वास्थ्य केन्द्र एवं अस्पताल खोले गये ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में भी इस प्रकार के उप केन्द्र एवं चिकित्सालय उक्त अवधि में खोले गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) रूपवास विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1985 से फरवरी, 1992 तक किस-किस स्थान पर किस-किस स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में स्वीकृत संख्या के अनुरूप चिकित्सक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो पूरे प्रदेश में कितने चिकित्सक कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या चिकित्सकों के पदों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति का आरक्षण कोटा पूरा कर लिया गया है ? यदि हां, तो प्रदेश में इन वर्गों के कुल कितने चिकित्सक कार्यरत हैं ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार इन आरक्षित पदों को पूरा करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(चिकित्सा मंत्री)

(4) वर्तमान में पूरे प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में निम्नानुसार पद स्वीकृत हैं, तथा रिक्त हैं :

पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
वरिष्ठ विशेषज्ञ	232	33
कनिष्ठ विशेषज्ञ	1076	218
वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी	947	111
चिकित्सा अधिकारी	2939	545

रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी नहीं, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सकों का चयन किया जाता है। चयनित अभ्यार्थियों में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के अभ्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं कराये गये अतः बैक लॉक पूरा करना संभव नहीं हुआ है। प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति के कार्यरत चिकित्सकों की संख्या की सूचना एकत्रित की जा रही है।

(6) राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सक उपलब्ध होने पर ही इन पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

खण्ड 1 की सूची "क"

(राजस्थान प्रदेश में 1985 से 1992 तक खोले गये)

वर्ष	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उपकेन्द्र
1984-85	150	700
1985-86	50	502
1986-87	100	500
1987-88	—	—
1988-89	300	1700
1989-90	150	1508
1990-91	275	—
1991-92	50	—

175

खण्ड 2 की सूची

भरतपुर जिले में प्रा. स्वा. केन्द्रों एवं उप केन्द्रों की सूची

वर्ष	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप केन्द्र
1984–85	2	24
1985–86	–	23
1986–87	2	2
1987–88	–	–
1988–89	15	17
1989–90	14	12
1990–91	1	—
1991–92	2	—

खण्ड 3 की सूची

रूपवास विधान सभा क्षेत्र में 85 से 92 तक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का विवरण :—

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूपवास

2. ग्रामीण डिस्पेन्सरियों का प्रा. स्वा. केन्द्रों में क्रमोन्नत

   1. सिघाड़ा
   2. बैन्दबेरठा
   3. बैन्सी पहाड़पुर
   4. रूदावल
   5. उच्चेन

3. उच्चीकृत उपकेन्द्र

   1. नया गाँव
   2. पिछुना
   3. दाहिना
   4. भैसा

4. उपकेन्द्र :

1. नया गांव
2. नहरपुरा
3. नहर तेहरिया
4. मडोली
5. सांभरी
6. बान्धोनी
7. बारह माफी
8. दौलतगढ़
9. खरका
10. खानवा
11. सूपा

बड़े उद्योगों की स्थापना

797. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार को 1991 व 1992 में पूरे प्रान्त में कितने बड़े उद्योग स्थापित करने की योजना की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त हो चुकी है ?

(2) कितनी योजनायें राज्य सरकार के व केन्द्र सरकार के विचाराधीन है और कितनों के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं ? जिलेवार स्थिति क्या है ?

(3) राज्य सरकार ने अपनी ओर से इसमें क्या प्रयास किये हैं ? इनमें से राजकीय क्षेत्र, निजि क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों के सहयोग से निर्मित कितने कितने उद्योग होंगे ?

(4) श्री गंगानगर जिले में राज्य सरकार ने किस उद्योग को स्थापित करवाने के प्रयत्न किये हैं और योजना किस स्तर पर है ?

(5) क्या कपास व सरसों के उत्पादन की खपत के लिए राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में वर्ष 1990–91 में कोई बड़े उद्योग स्थापित कराने के प्रयत्न किये हैं ? यदि हां, तो अब तक उन प्रयासों की क्या स्थिति है ? कौन-कौन से उद्योग इस जिले में लगाये जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 1991 व 1992 में भारत सरकार द्वारा बड़े उद्योगों की स्थापना हेतु स्वीकृत आशय पत्र, एस. आई. ए. रजिस्ट्रेशन डीलाइसेंसिग रजिस्ट्रेशन तथा औद्योगिक लाइसेंस के विवरण–की

(उद्योग मंत्री)

सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1991 व 1992 में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को अनुशंसा सहित प्रेषित मामलों में से 104 मामले भारत सरकार के विचाराधीन है। जिलेवार विवरण की सूची "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) राज्य सरकार द्वारा जिन मामलों में अनुशंसा प्रेषित की गई उन पर भारत सरकार द्वारा अपने स्तर पर विचार कर निर्णय लिया जाता है। भारत सरकार को अनुशंसा सहित प्रेषित मामलों में निजी क्षेत्र के 96 सार्वजनिक क्षेत्र का एक तथा संयुक्त/सहायक क्षेत्र के 7 मामले हैं।

(4) श्री गंगानगर जिले में बड़े मध्यम उद्योग की स्थापना हेतु किये गये प्रयासों के के विवरण की सूची "ग" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) जी हां। श्री गंगानगर जिले में वर्ष 1990-91 में बड़े उद्योग स्थापित कराने के प्रयासों के फलस्वरूप उत्पादन में आये उद्योगों तथा सम्भावित उद्योगों के विवरण की सूची "घ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बस्सी में गोदाम से सीमेन्ट की चोरी

798. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग जयपुर खण्ड प्रथम के उप-खण्ड, बस्सी के गोदाम से सीमेन्ट की चोरी हुई ? यदि हां, तो सीमेन्ट की मात्रा कितनी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा पुलिस थाना बस्सी में दर्ज करवाई गई ? यदि हां, तो रिपोर्ट दर्ज कराने की तिथि बतावें ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस मामले की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और उनके द्वारा जांच कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार ने अचानक जांच अधिकारी को बदला ? यदि हां तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार ने इस प्रकरण में सिचाई विभाग के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सिंचाई खण्ड द्वितीय के कानोता उप खण्ड में बस्सी तहसील के तुंगा स्थित गोदाम से 500 थैले सीमेन्ट की चोरी हुई थी।

(2) जी हां। चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट विभाग के मिस्त्री श्री रामराय द्वारा पुलिस थाना बस्सी में दिनांक 16.9.91 को दर्ज करवायी गई थी।

(3) जी हां।

(सिंचाई मंत्री)

(4) जी नहीं ।

(5) पुलिस विभाग द्वारा जांच पूर्ण किये जाने के पश्चात अभियुक्त श्री रामराय के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है । विभागीय जांच अधिकारी से प्राप्त अन्तरिम जांच प्रतिवेदन में दी गई सिफारिश के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

बारां वन मण्डल में भ्रष्टाचार की शिकायतें

799. **श्री हेमराज** (किशनगंज) : क्या वन मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बारां वन मंडल में भ्रस्टाचार की शिकयतें सर्तकता वन विभाग को की है ? यदि हां, तो शिकायतों पर जांच की गई या नहीं ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा ? परिणाम से किन के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भी बारां वन मंडल को शिकायतें की गई हैं ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि बारां वन मंडल की शिकायतों की जांच सी. एफ. कोटा ने भी की हैं ? यदि हां, तो जांच में क्या परिणाम रहा ? किस-किस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । जांच कार्यवाही जारी है । जांच रिपोर्ट आने पर दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों/अधिकारयों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

(2) जी हां । जांच कार्यवाही जारी है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी पाये जाने वाले कर्मचारी/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

(3) जी हां । जाच कार्यवाही जारी है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

सपोटरा पंचायत समिति के ग्राम चोडिया खाता में प्राथमिक शाला भवन

800 **श्री प्रभुलाल पटेल** (सपोटरा) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सपोटरा पंचायत समिति के ग्राम चोडिया खाता में प्राथमिक शाला भवन बना हुआ है ? यदि हां, तो किस योजना से ?

(2) उक्त शाला भवन में कितनी राशि लगाई जा चुकी है तथा कितनी शेष है ? क्या एम. बी. के अनुसार राशि व्यय की गई है ?

(3) क्या शाला भवन पूर्ण हो चुका हैं ? यदि नहीं, तो किस कारण से पूर्ण नहीं हुआ ?

(श्री प्रभुलाल पटेल)

(4) क्या सरकार शीघ्र शाला भवन को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । माडा योजना में बना हुआ है ।

(2) उक्त शाला भवन के निर्माण में 21077.09 रु. की राशि लगाई जा चुकी है । 28922.91 रु. की राशि शेष है । जी हां, राशि एम.बी. के अनुसार व्यय की गई है ।

(3) शाला भवन पूर्ण नहीं हुआ है । शाला भवन के निर्माण हेतु 50,000 रु. की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से 45,000 रु. की राशि भूतपूर्व सरपंच श्री सोन्धारास ग्राम पंचायत दौलतपुरा को अग्रिम दी गई थी । सरपंच द्वारा 21077.09 रु. की राशि ही व्यय की गई शेष राशि 24422.91 रु. सरपंच के पास बकाया निकलते हैं । इस प्रकार पूरी राशि का उपयोग नहीं होने के कारण भवन अधूरा है ।

(4) जी हां, सरपंच द्वारा बकाया राशि जमा कराने पर शाला भवन को पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

आर. एस. एम.एम., उदयपुर में फैक्स मशीनों की खरीद

801. श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मणी भाई आर. संस नामक फर्म आर. एस. एम. एम. उदयपुर से अनुबंधित रही ? यदि हां, तो क्या इस फर्म को 1988 में लैटर आफ इन्टैंड की शर्तों को तोड़ मरोड़ कर परिवर्तित की, जिसके फलस्वरूप आर. एस. एम. एम. को मजदूरी मद में अधिक भुगतान करना पड़ा ? यदि हां, तो कितना ?

(2) उक्त फर्म को आर.एस.एम.एम. में अनुबंध खत्म होने की अवधि के बाद भी कार्य दिया गया ? यदि हां, तो यह कितनी राशि का कार्य था और किस-किस अवधि में दिया गया ? वर्क आर्डर की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि आर. एस. एम. एम. में फैक्स मशीनें खरीदी गई ? यदि हां, तो क्या निविदाएं आमन्त्रित की गई थीं तथा किस फर्म की दरें न्यूनतम रही और कुल कितनी मशीनें कितनी राशि की क्रय की गई ?

(4) क्या यह सही है कि आर. एस. एम. एम. के मैनेजिंग डायरेक्टर का मुख्यालय उदयपुर की बजाय जयपुर स्थानान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) मणी भाई आर. संस नाम के कोई ठेकेदार आर.एस.एम.एम. में अनुबंधित नहीं रहा । परन्तु मणी भाई एण्ड ब्रदर्स को ओवर बर्डन (मलबा) हटाने का ठेका दिया गया था । यह सही नहीं है कि लैटर ऑफ इन्टेन्ड की शर्तों को तोड़-मरोड़ कर परि-

(खनिज राज्य मंत्री)

वर्तित किया गया जिसके फलस्वरूप आर. एस.एम.एम. को मजदूरी मद में अधिक भुगतान करना पड़ा।

(2) जी, हां। बढ़ी हुई अवधि में लगभग 86 लाख रुपये का कार्य दिया गया। यह कार्य 10-8-91 से 9-11-91 तक की अवधि के लिये दिया गया था। वर्क आर्डर की प्रतियां संलग्न हैं।

(3) जी हां। प्रथम दो मशीनें मैसर्स फैक्स (इण्डिया) लि. से खरीदी गई। जिसकी निविदा नहीं की गयी, क्योंकि इन मशीनों को उसी दर पर खरीदा गया जिस पर राज्य सरकार ने ऐसी मशीनें खरीदी थीं। अन्य 3 मशीनों के लिये निविदा आमंत्रित की गई तथा वांछित किस्म की मशीन के लिये मैसर्स फैक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड की दर न्यूनतम रही। इस प्रकार कुल पांच मशीनें खरीदी गई, जिसकी कुल राशि रुपये 3,83,148/- है।

(4) जी हां। मुख्यालय को प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित किया गया।

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LTD.
(A Govt. of Rajasthan Enterprise)
4, Meera Marg, Udaipur

Rsmm/Phos/KIC/MBB/91/1893
August 28, 1991.

M/s. Manibhai & Brothers,
28, New Brahmakshatriya Society,
Kilisbridge,
Ahmedabad-380006

Dear Sirs,

Sub:—Dumping of excavated material in project area and extension of the contract of 08-06-1988.

Subject to our verbal discussions with you, RSMML is pleased to award extension of present contract dated 8/6/88 for another period of three (3) months, i.e. upto 9/11/91 on the following terms and conditions :

1. Extension is subject to the conditions that :

   (a) you will also excavate and transport about 30,000 MT of HGO to our new crusher on the agreement rate of Rs. 47.40 (Rupees Forty Seven & Paise Forty) only and no extra payment will be made for this quantity.

   (b) You will be allowed the asoalation on HSD oil subject to the ceiling of 1.6 litres per BCM during the extended period. No escalation will be paid of quantities in excess of the above ceiling.

2. Some filling work is also required in the project areas and the quantity expected is as follows :

   (a) Stacker Roolaimer Area–72,003 M^3_3 – this quantity is inclusive of 20,000 M for which work has already been awarded to you vide our letter No. Rsmm/Phos/SMC/Gen/91/953 dated June 25,1991.

   (b) road parallel to LGO primary plant plarform to link road–20,000 cubic metre,

   (c) rofilling in link road–16,000 M^3;

   (d) road joining MSR and mine office–10,000 M^3 – this includes the quantity already filled vide our letter Rsmm/Phos/SMC/Gen/91/953 dated 25 June, 1991. In all the total quantity including the previous allotted quantity vide our above referred letter should not increase 1.10,000M^3.

3. The work will be done as per the priorities decided by EIL in consultation with the undersigned.

4. You will be paid an additional amount of Rs. 20/- (Rupees Twenty) only per cubic metre subject to verification of the quantity by EIL/Sr. Manager (civil) as per the joint measurement done by EIL and your authorised representative. The

survey details of the joint survey should be got verified from the above authorities before sending to us for payment.

5. You will be allotted work from section 42-36 in area HW-13 (35-47) and the final making will be done on field

You are requested to complete your work within the above time period. The supply of ore from 550-560 bench at the HGC the HGO Crusher will be done on priority to facilitate work of 540-550 bench. work of 530-540 bench will be followed only after the road of 540 bench is complete. you are requested to send your acceptance at the earliest.

Thanking you,

Yours faithfully,
Sd/-
(V. P. ARYA)
Engineer-in-Charge)

CC to M/s. E.I.L., Jhamarkotra.

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LTD.
(A Govt. of Rajasthan Enterprise)
JHAMARKOTRA MINES

RSMM/Phos/ELC/MBB/91/2501
November 2,1991.

M/s. Manibhai & Brothers,
Camp-Jhamarkotra, Mines,
Jhamarkotra.

Dear Sirs,

Ref :-Our agreement dated 08-06-1988 and your letter No. ABD/MB/91-92/265 dated Oct. 10,1991.

This is in reference to your above request letter requesting us

to provide further work under the said contract due to closure of project work. Your above request has been considered by the management and we are pleased to award you excavation and removal of further quantity of 30,000 BCM (Thirty Thousand BCM) from the date of closure of your work in Stacker Reclaimer Area on the terms and conditions given in the above referred agreement and on the rate of Rs. 47.40 per BCM (Rupees Forty Seven Point Forty per BCM). Your contract period will remain the same, i. e. you will be allowed to work upto 9-11-1991.

Kindly acknowledge and give us your acceptance immediately.

Thanking you.

Yours faithfully,
Sd/-
(V. P. ARYA)
Engineer-in-Charge

Copy to :—FA & CAO, Corporate Office.

Copy to :—General Manager (phos) Jhamarkotra.

Sd/-
Engineer-in-Charge

कृषि उपज मंडी समिति, सुमेरपुर के सड़क निर्माण कार्य

802. श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले दो वर्षों में कृषि उपज मंडी समिति सुमेरपुर तथा पाली के अन्तर्गत कितनी नई सड़कों का निर्माण आरम्भ करवाया गया एवं कितनी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कितनी अधूरी सड़कें पूर्ण की गई, कितनी पुरानी सड़कों की मरम्मत की गई और इन पर कितनी धनराशि व्यय हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) पिछले दो वर्षों में कृषि उपज मण्डी समिति, पाली के अन्तर्गत 7 नवीन सड़कों एवं मण्डी समिति, सुमेरपुर के अन्तर्गत 9 नवीन सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया जिनमें से सुमेरपुर मण्डी समिति की 2 सड़कों का निर्माण पूर्ण हो गया। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में सुमेरपुर मण्डी की एक अधूरी सं. सड़क मोरडू का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 9 पुरानी सड़कों की मरम्मत की गई। इन सड़कों की विशेष मरम्मत पर व्यय की गई धन-राशि का ब्यौरा परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1989–90 एवं 90–91 के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर तथा पाली में निर्माण कराई गई सड़कों का विवरण।

क्र. सं.	नाम पं. सड़क	स्वीकृत लम्बाई (कि. मी. में)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5
कृषि उपज मण्डी समिति, पाली				
1.	पं. सड़क मोरिया से मोनाई लाखा	5.00	10.00	अपूर्ण
2.	पं. सड़क बस्सी से पाली	4.00	8.00	अपूर्ण
3.	पं. सड़क लाल की (रोहिट)	4.00	8.00	अपूर्ण
4.	पं. सड़क खाती खेड़ा	4.00	8.00	अपूर्ण
5.	पं. सड़क बाडाई से ढाबरा	2.00	4.00	अपूर्ण
6.	पं. सड़क खैतावास	2.00	4.00	अपूर्ण
7.	पं. सड़क पुनायता	2.00	4.00	अपूर्ण
कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर				
1.	पं. सड़क मालनू	3.00	4.50	पूर्ण
2.	पं. सड़क मन्दर	2.00	3.00	पूर्ण
3.	पं. सड़क शैवतलाव	3.00	6.00	अपूर्ण

1	2	3	4	5
4.	पं. सड़क लाखा से पतावा	3.00	7.50	अपूर्ण
5.	पं. सड़क पैखा से बेडल	3.00	7.50	अपूर्ण
6.	पं. सड़क लालराई से बासी	3.00	7.50	अपूर्ण
7.	पं. सड़क दानवली से कोयलबास	11.00	14.00	अपूर्ण
8.	पं. सड़क मालनू से लुन्दाड़ा	4.00	5.20	अपूर्ण
9.	पं. सड़क चिमनपुरा	3.00	7.50	अपूर्ण

परिशिष्ट "ख"

वर्ष 1989–90 एवं 90–91 में सड़कों की विशेष मरम्मत पर व्यय की गई राशि का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	वर्ष 1989–90 में व्यय	वर्ष 1990–91 में व्यय	योग
	कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर			
1.	जालोर रोड़ से पामावा	20657	19197	39854
2.	कोलीवाड़ा रोड़	50617	9675	60292
3.	खीमेड़ा	51373	—	51373
4.	पाली सिरोही रोड़ से जाखेड़ा	68704	57921	126625
5.	कोसलेलाव से पावा	93767	—	93767
6.	कोशेलाव से बसन्त	35455	2,92,217	3,27672
7.	स्टेशन रोड़ से बालावना	119460	8818	128273
8.	रूनमारता	—	14428	14428
9.	सैणा	—	1,76930	176930
	योग:—	4,40,033	5,79,186	10,19,219

पंचायत समितियों में अध्यापकों के रिक्त पद

803. **श्री देवेन्द्र सिंह** (बनेड़ा) :
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समितियों में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? उन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

(2) जिला स्तर पर चयनित उम्मीदवार (अध्यापक) उपलब्ध हैं तो ऐसे कितने अध्यापक हैं ? उनकी नियुक्तियां कब तक कर दी जावेंगी ?

(3) चयनित अध्यापकों को प्रतीक्षा सूची में रखते हुये भी उनको नियुक्ति देने का क्या प्रावधान है ?

(4) चयनित अध्यापकों की सूची कब तक वेलिड रहती है ? जहां रिक्त स्थान है वहां नहीं भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

(5) श्यामपट् योजना के तहत कितनी महिला अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? उन रिक्त पदों की पूर्ति पंचायत समितियों में कब तक कर दी जावेगी, देरी होने के क्या कारण हैं ?

(6) अध्यापकों के चयन करने की क्या प्रक्रिया है ? क्या नियमों में ऐसा कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) पंचायत समितियों में अध्यापकों के रिक्त पदों की कुल संख्या 6757 हैं। जिलेवार सूची व कब तक भरेंगे की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिला स्तर पर चयनित कुल 2964 उम्मीदवार उपलब्ध हैं। जिलेवार सूची मय कब तक भरेंगे की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) यदि चयनित प्रत्याशी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है, या सेवा निवृत्ति अथवा स्थानान्तरण या नवपद सृजन होने से पद रिक्त होते हैं तो प्रतीक्षा सूची में से वरीयता के आधार पर नियुक्ति दी जाती है।

(4) चयनित अध्यापकों की सूची 6 माह या सत्रांत तक वैलिड रहती है। चयन जिले के लिए जिला स्तर पर होता है। अत: जिले की पंचायत समितियों में कहीं भी भेजा जा सकता है।

(5) श्यामपट्ट योजना के तहत महिला अध्यापकों के 3055 पद रिक्त हैं। पूर्ति कब तक करने व देरी के कारण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(6) अध्यापकों की चयन की प्रक्रिया विभागीय आदेश दिनांक 26.2.91 द्वारा जारी नीति के अनुसार निर्धारित है।

भाग (1) (2) व (5) से संबंधित सूची

क्र. सं.	नाम जिला	रिक्त पद	कब तक भरेंगे	चयनित उम्मीदवार	श्यामपट्ट योजनान्तर्गत महिला अ. के रिक्त पद	देरी का कारण
1.	अजमेर	90	4/92	—	21	मैरिट में न आना
2.	अलवर	139	शीघ्र	—	1	साक्षात्कार में अनुपस्थिति
3.	बांसवाड़ा	192	3/92	—	—	—
4.	बाड़मेर	609	उपलब्ध होने पर	414	657	अजा/अजजा. की उपलब्ध नहीं
5.	भरतपुर	161	प्रक्रिया जारी	—	97	" विज्ञापन जारी
6.	भीलवाड़ा	200	4/92	400	60	—
7.	बूंदी	—	—	—	—	—
8.	बारां	297	प्रगति पर	—	165	विचाराधीन
9.	बीकानेर	421	6/92	—	144	
10.	चित्तौडगढ	272	3/92	250	55	अजा/जजा की उपलब्ध नहीं.
11.	चूरु	359	प्रक्रिया जारी	—	11	—
12.	धौलपुर	52	स्थगन हटने पर	—	7	स्थगन
13.	डूंगरपुर	75	स्थगन हटने पर	—	—	स्थगन
14.	दौसा	107	3/92	107	10	महिला उपलब्ध नहीं
15.	श्रीगंगानगर	531	5/92	—	146	अजा/जजा की उपलब्ध नहीं
16.	जयपुर	189	शीघ्र	—	20	विज्ञप्ति जारी
17.	जैसलमेर	198	शीघ्र	217	92	अजा/जजा की उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5	6	7
18.	जालोर	290	सत्र से पूर्व	211	109	स्थगन मामला विचाराधीन
19.	झालावाड़	304	स्थगन हटने पर	416	137	स्थगन आदेश
20.	झुंझुनुं	106	शीघ्र	112	62	अजा/जजा की उपलब्ध नहीं
21.	जोधपुर	88	शीघ्र	30	160	कार्यग्रहण नहीं
22.	कोटा	36	सूची जारी	88	2	मूल प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है।
23.	नागौर	748	स्थगन हटने पर	—	505	स्थगन
24.	पाली	272	विचाराधीन	—	—	—
25.	राजसमंद	65	विज्ञप्ति जारी	—	—	—
26.	सवाई माधोपुर	116	स्थगन हटने पर	116	36	स्थगन हटने पर
27.	सीकर	200	4/92	400	60	—
28.	सिरोही	160	शीघ्र	—	25	—
29.	टोंक	306	3/92	—	318	—
30.	उदयपुर	174	3/92	203	155	—
	योग	6757		2964	3055	

राज्य के मेडिकल कालेजों में दैनिक शिक्षण कार्य

804. श्रीमती मदन कौर (गुढ़ा-मालानी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य के मेडिकल कालेजों में दैनिक शिक्षण कार्य दो पारी में कराने की व्यवस्था है ?

(2) क्या इस व्यवस्था को बदल कर शिक्षण कार्य एक पारी में कराने से समय, धन और पैट्रोलियम की बचत नहीं होगी ? यदि हां, तो क्या सरकार उस पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्तमान व्यवस्था को बदल कर

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

शिक्षण कार्य एक पारी में कराने से राज्य सरकार एवं विद्यार्थियों से सुचारू अध्ययन के दृष्टिकोण से समय एवं धन में किसी बचत की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। जहां तक पैट्रोलियम में बचत का प्रश्न है राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में उसमें भी कोई उल्लेखनीय बचत की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।

औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

805. श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार ने अब तक कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये तथा उन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विकसित कई औद्योगिक क्षेत्रों में काफी समय बाद भी कोई उद्योग नहीं लगे हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) राज्य में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि., (रीको) द्वारा अब तक 185 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा चुके हैं। रीको द्वारा इन औद्योगिक क्षेत्रों में अब तक कुल 85.51 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(2) कुछ औद्योगिक क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये गये थे, उनमें स्थानीय व अन्य उद्यमियों में उद्योग लगाने के प्रति उत्साह की कमी के कारण इन क्षेत्रों में उद्योग नहीं लगे हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए संबंधित विभागों से समन्वय कर रीको एवं राजस्थान वित्त निगम समय-समय पर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन करती है।

सरदारगढ़ बांध का निर्माण कार्य

806. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर के पास 100 एम.सी.एफ.टी. भराव क्षमता वाले सरदारगढ़ बांध का निर्माण कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त बांध का कितना कार्य हो चुका है तथा इस पर कितनी राशि अब तक खर्च हो चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि बांध का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बावजूद थोड़ी सी कमी के कारण यह बांध उपयोग में नहीं आ पा रहा है ? सरकार इस शेष कार्य को कब तक पूरा करवाने का विचार रखती है ?

(3) इस बांध से सिंचाई कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। बांध का लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं माह जनवरी, 92 तक रु. 22.66 लाख की राशि व्यय हो चुकी है।

(2) बांध का लगभग 50 प्रतिशत

(सिंचाई मंत्री)

कार्य हुआ है। ओवर फ्लो व नहरों का कार्य किया जाना शेष है। शेष रहे कार्य को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार करवाया जा सकेगा। यह कार्य एन.आर. ई.पी. में प्रारम्भ किया गया था। 1988-89 में एन.आर.ई.पी. कार्य बन्द हो गए। फिर जे.आर.वाई के अन्तर्गत इस कार्य को लिया गया और 8.53 लाख व्यय किया गया।

(3) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार कार्य पूर्ण होने पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

क्षेत्रीय वन संरक्षक, परबतसर के पौधे तैयार करने के लक्ष्य

807. **श्री बिरधा राम चौधरी** (मकराना),

श्री विनोद कुमार (हनुमानगढ़) एवं

श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्षेत्रीय वन अधिकारी, परबतसर को वर्ष 1991 की वर्षा ऋतु में कास्तकारों एवं अन्य विभागों को वितरण हेतु शुल्क व निःशुल्क पौधे तैयार करने हेतु कितना लक्ष्य रखा गया था, इसके विरुद्ध में कितने पौधे तैयार किये गये।

(2) उक्त तैयार किये गये पौधे में से कितने पौधे वितरण किये एवं किस-किस प्रकार के पौधे थे ?

(3) क्या मकराना पं. स. के ग्राम गाणी गाँव में नर्सरी थी तो वहां पर पौधे क्यों नहीं तैयार करवाये गये ?

(4) क्या मकराना पंचायत समिति को पौधे डेगाना व थावला से लाने पड़े ? यदि हां, तो क्यों एवं क्या परबतसर क्षेत्रीय वन अधिकारी के खिलाफ पौधे उपलब्ध नहीं करवाने की शिकायत की थी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) क्षेत्रीय वन अधिकारी, परबतसर को वर्ष 1991 की वर्षा ऋतु में निःशुल्क हेतु 2.50 लाख पौधे तैयार करने का लक्ष्य व सशुल्क वितरण रखा गया था, जिसके विरुद्ध 2.25 लाख पौधे तैयार किये गये।

(2) तैयार किये गये 2.25 लाख पौधे वितरित किये गये। ये पौधे अरडू, अनार, नींबू, कनेर, सफेदा, बेल पत्र, अमरूद, देशी बबूल, शीशम, गूंदा, विलायती बबूल, आंवला, बोगन बेलिया, पारकिन सोनिया, सिरस, केशिया स्यामिया एवं कीकर आदि के थे।

(3) जी हां। वर्ष 1991 में बजट के अभाव में इस नर्सरी में पौधे तैयार नहीं किये गये।

(4) जी हां। मकराना पंचायत समिति में विभाग द्वारा पौधे तैयार नहीं करवाये जाने के कारण स्थानीय मांग की आपूर्ति हेतु पौधे डेगाना, थावला एवं पुन्दलोता से लाये जाकर उपलब्ध कराये गये। परबतसर क्षेत्रीय वन अधिकारी के खिलाफ पौधे उपलब्ध नहीं करवाने की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

खनिज अभियन्ता, जयपुर द्वारा रायल्टी की वसूली

808. **श्री प्रकाश चन्द बैरवा** (फागी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1987 से 31-3-90 तक लाइम स्टोन, मारबल, ईंट मिट्टी की खनिज अभियन्ता जयपुर द्वारा कितनी रायल्टी वसूल की गई ? वर्षवार व खनिज-वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि के बाद रायल्टी की आय में कमी हुई ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(3) नकची घाटी चैकपोस्ट, घाट खानियां आगरा रोड जयपुर पर विभागीय नाके से सन् 1987 से 31-3-90 तक कितनी आय प्राप्त हुई तथा 1990 से 92 तक कितनी आय प्राप्त हुई ?

(4) क्या 1990 से 92 में इसकी आय विगत वर्षों के मुकाबले कम हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) सन् 1988 से 31-3-90 तक कितने चेकपोस्टों से जयपुर जिले में रायल्टी चोरी के आरोप साबित हुए तथा खनिज विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

(6) क्या सतर्कता विभाग के द्वारा नकची घाटी, घाट खानियां पर फ्लाइंग द्वारा कोई केस दर्ज किया गया ? यदि हां, तो किस किस के खिलाफ रायल्टी चोरी का मामला विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1987 से 31.3.90 तक लाइमस्टोन, मारबल एवं मिट्ठी खनिजों को खनि अभियन्ता, जयपुर द्वारा वसूल की गयी रायल्टी का वर्षवार एवं खनिजवार विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	लाइमस्टोन	मारबल	ईंट मिट्टी
1987–88	31,30,025/-	21,53,845/-	9,47,146/-
1988–89	42,92,205/-	32,86,656/-	11,34,969/-
1989–90	45,92,171/-	52,76,008/-	16,12,961/-

(2) जी नहीं।

(3) वर्ष 1987 से 31.3.90 एवं वर्ष 1990–92 तक नकचीघाटी चैक-पोस्ट एवं घाट खानियां पर विभागीय नाके से प्राप्त आय का विवरण निम्न प्रकार है :—

(खनिज राज्य मंत्री)

वर्ष	नकची घाटी चैकपोस्ट	घाट खानिया (आगरा रोड़ पर)
1987-88	297.00	64,350.00
1988-89	—	47,968.00
1989-90	300.00	4,424.00
1990-91	29,381.00	43,421.00
1991-92 (28.2.92 तक)	9,06,519.00	18,177.00

(4) चैक पोस्ट घाट खानिया से वर्ष 1989-90 से 1991-92 में आय कम हुई है जिसका मुख्य कारण घाट खानिया चैक पोस्ट से अलवर जिले के खनिज मारबल के वाहनों की निकासी कम होने से अन्तर वजन की रायल्टी कम प्राप्त होने तथा घाट खानिया चैक पोस्ट के निकटवर्ती क्षेत्रों का वर्ष 1989 (18.1.89) से अधिशुल्क संग्रह वसूली के ठेके नीलाम कर दिये जाने एवं आगरा रोड़ पर दिनांक 27.4.89 से 6.4.90 तक एक और चैक पोस्ट स्थापित किये जाने से है।

(5) वर्ष 1988 से 31.3.90 तक जयपुर जिले में चैक पोस्टों से रायल्टी चोरी अर्थात् बिना रवन्ना खनिज निर्गम करते हुए 819 मामले पकड़े गये, जिनसे नियमों के अन्तर्गत खनिज की कीमत (बारह गुणा रायल्टी) वसूल करने की कार्यवाही की गयी।

(6) सर्तकता अनुभाग द्वारा चैकिंग के दौरान विभागीय चैकपोस्ट नकची-घाटी, घाट खानिया पर कोई केस दर्ज नहीं कराया गया। चैकिंग के दौरान जो वाहन बिना रवन्ना खनिज निर्गमन के पाये गये उनसे मौके पर ही नियमानुसार खनिज की 12 गुणी रॉयल्टी वसूल कर दण्डित किया गया। इसके अतिरिक्त कोई मामला रायल्टी चोरी का विचाराधीन नहीं है।

कृषकों को लाभान्वित करने की योजनाएं

809. **श्री सांवरलाल** (भिनाय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि विभाग के तहत किसानों को लाभान्वित करने के लिए कौन-कौन सी विभिन्न योजनायें हैं ?

(2) इन विभिन्न योजनाओं के द्वारा क्या गत दो वर्षों में अजमेर जिले के किसानों को भी लाभान्वित किया गया ?

(श्री सांवरलाल)

(3) यदि हां, तो ऐसे लाभान्वित किसानों की संख्या योजना के नाम एवं राशि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि विभाग के तहत कृषकों को लाभान्वित करने के लिए निम्न योजनाएं चलाई जा रही हैं :—

(1) कृषि प्रदर्शन एवं शुष्क खेती वृहत प्रदर्शन कार्यक्रम।

(2) मिट्टी परीक्षण कार्यक्रम।

(3) पौध संरक्षण कार्यक्रम।

(4) दलहन विकास, कार्यक्रम।

(5) तिलहन विकास कार्यक्रम।

(6) कपास विकास कार्यक्रम।

(7) कृषि विस्तार कार्यक्रम।

(8) सिंचाई जल का कुशल उपयोग।

(9) चारा विकास एवं वानिकी कार्यक्रम।

(10) कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(11) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम–गेहूं, बाजरा, मक्का एवं समर मूंग।

(12) उन्नत कृषि यंत्रों का प्रचलन कार्यक्रम।

(13) लवणीय एवं क्षारीय ऊसर भूमि का सुधार।

(14) कृषि सूचना कार्यक्रम।

(2) जी, हां।

(3) उपर्युक्त कृषि कार्यक्रमों के तहत अजमेर जिले के लाभान्वित किसानों की संख्या एवं राशि की सूची संलग्न है।

461

कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 90–91 व 91–92 में अजमेर जिले के लाभान्वित कृषकों की संख्या योजनावर व राशि की सूचना

क्रमांक	योजना		प्रगति 90–91		प्रगति 91–92	
			लाभान्वित कृषकों की संख्या	राशि	लाभान्वित कृषकों की संख्या	राशि
(1)	पौध संरक्षण योजना अन्तर्गत अनुदान					
I	राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम					
	(के.प्र.यो.)	मूंग	2196	143906–40	1973	130099–00
		चना	614	67279–00	112	11000–00
(2) II	विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजना मक्का		1947	137884–20	286	27690–00
(3) III	राष्ट्रीय तिलहन योजना मूंगफली–सफेद लट		58	17431–95	88	21843–50
		सरसों	3425	274311–00	3876	334528–00
		तिल	—	—	107	13503–10

1	2	3	4	5	6
(4)	चूहा नियन्त्रण	4000	2000-00	4000	3496–50
(5)	कपास में जैविक नियंत्रण	—	—	40	11213–00
(6)	राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम	346	121349–00	583	42313–00
(7)	राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम	257	222265–00	350	137556–00
(8)	विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम	580	96452–00	731	202776–00
(9)	जल बजट योजना :—				
	(क) फव्वारा सैट	31	181580–00	21	127000–00
	(ख) पक्की नालिया	67	136405–00	71	63972–00
(10)	उसर भूमि सुधार कार्यक्रम	48	76518–00	61	109377–00
(11)	उन्नत कृषि यन्त्र योजना	869	109923–00	1012	175843-00
(12)	शुष्क खेती कार्यक्रम	418	11131–00	312	43776–00
(13)	(अ) कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम :—				
	(अ) मित्र कृषक प्रशिक्षण	315	26441	340	31020
	(ब) महिला कृषक प्रशिक्षण	200	2000	345	3450

1	2	3	4	5	6
	(स) विशेष खाद्यान्न (मक्का) उत्पादन	—	—	474	13186
	(द) फव्वारा सिंचाई कृषक प्रशिक्षण	140	5192	130	4768
(14)	चारा विकास एवं सामाजिक वानिकी :—				
	(अ) जीवित पौधे	67	5555	—	—
	(ब) चारा बीज वितरण	106	12880	110	17624
(15)	कृषि विस्तार कार्यक्रम :				
	(अ) राष्ट्रीय कृषि विस्तार योजना	184000	282727	184000	215405
(16)	मिट्टी परीक्षण कार्यक्रम	2000	29227	2600	110250

197

जिला भीलवाड़ा के प्राथमिक विद्यालयों के भवन

810. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में कितने प्राथमिक विद्यालय, भवन रहित हैं ? तथा यह कब से स्थापित हैं ?

(2) जिले की विभिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पिछले 10 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत कब-कब विद्यालय भवन हेतु स्वीकृतियां जारी हुई तथा क्या वे भवन बन सके ? यदि हां, तो क्या उसका उपयोग विद्यालय हेतु हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? संबंधित विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में भवन रहित कुल 37 प्राथमिक विद्यालय हैं। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जिले की 11 पंचायत समितियों में पिछले 10 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत 974 विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृतियां दी गई हैं इनमें 844 भवन बन गये हैं तथा 130 भवनों का निर्माण प्रगति पर है। उक्त भवनों में से केवल 5 भवनों का उपयोग विद्यालय भवनों के लिए न किया जाकर अन्य प्रयोजन हेतु किया जा रहा है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

भाग (1) की सूची

कार्यालय जिला परिषद, भीलवाड़ा

भवन रहित प्रा. विद्यालयों की पंचायत समितिवार सूची

क्र. सं.	नाम पं. स.	प्रा. वि. का नाम	कब से स्थापित	वि. वि.
1.	कोटड़ी	1. कोटड़ी	1959	
2.	सुवाणा	2. मोमी	82–83	निर्माण कार्य चालू है।
		3. बराठिया	84–85	भवन अपूर्ण है
		4. नाथों का हेड़ा	84–85	,, ,,
		5. रघुनाथपुरा	,,	,, ,,
3.	हुरड़ा	6. बागा का खेड़ा	1992	—
4.	बनेड़ा	7. बलिया	,,	—
		8. अमरगढ़	,,	—
		9. मानपुरा	,,	—

1	2	3	4	5
5.	सहाड़ा	10. उम्मेदपुरा	1992	—
		11. सिरोह का खेड़ा	"	—
		12. चौकी का खेड़ा	"	—
6.	शाहपुरा	13. सुरजपुरा	83 से	
		14. रघुराज पुरा	"	
		15. गोपालपुरा	84	
		16. कल्याणपुरा	78	
		17. सरदारपुरा	83	
		18. उमा चौहान का खेड़ा	85	
		19. तस्वारियावासा	85	
		20. भगवानपुरा	89	
		21. साउलिया	85	
		22. नासरदा	64	
		23. सालरियाखुर्द	58	
		24. खेड़ी खुर्द	84	
		25. ईटड़िया	85	
		26. कासीरामजी का खेड़ा	89	
		27. डेलास	89	
		28. नृहसिंगपुरा	89	
		29. भगवानपुरा	89	
		30. नन्दा का खेड़ा	85	
		31. कांगसी का खेड़ा	87	
7.	माण्डल	32. उम्मेदपुरा	88	
		33. तीखा (ज्ञानगढ)	84	
		34. रीछी का बाड़िया	92	
		35. बा. लेसवा	"	
		36. डांग का खेड़ा	"	
		37. भेरू खेड़ा	"	

ह./–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, भीलवाड़ा

भाग (2) की सूची

कार्यालय जिला परिषद, भीलवाड़ा (राज.)

जिले के विभिन्न पंचायत समितियों के प्राथमिक विद्यालयों निर्माण हेतु गत 10 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित शालाओं का विवरण प्रपत्र

क. सं.	नाम पं. स.	विद्यालयों की संख्या	गत 10 वर्षों में योजना का नाम	स्वीकृत राशि वर्ष	राशि	भवन पूर्ण	अपूर्ण
1.	सुवाणा	84	विभिन्न योजनाएं	90–91 तक	5613550/–	78	6
2.	बनेड़ा	96	,,	,,	2112600/–	74	22
3.	हुरड़ा	87	,,	,,	2063000/–	69	18
4.	जहाजपुर	113	,,	,,	6046470/–	90	23
5.	कोटड़ी	62	,,	,,	3760000/–	62	—
6.	माण्डल	117	,,	,,	4252000/–	98	19
7.	माण्डलगढ़	151	,,	,,	6648000/–	150	1

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	शाहपुरा	104	विभिन्न योजनाएं	90-91 तक	1236900/-	87	17
9.	रायपुर	40	,,	,,	2318100/-	37	3
10.	सहाड़ा	90	,,	,,	5198525/-	72	18
11.	आसीन्द	30	,,	,,	3014000/-	27	3
	योग	974			42263145/-	844	130

ह./-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, भीलवाड़ा

भाग (3) की सूची

ऐसे भवन जिनका निर्माण विद्यालय हेतु हुआ परन्तु उपयोग अन्य कार्यों में लिया जा रहा है।

जिला–भीलवाड़ा

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	विद्यालय का नाम	किस वर्ष में निर्माण हुआ
1.	माण्डलगढ़	—	—
2.	शाहपुरा	—	—
3.	सुवाना	मंडपिया (कोचरिया)	83–84 व 88–89
4.	माण्डल	—	—
5.	आसीन्द	—	—
6.	हुरडा	—	—
7.	बनेड़ा	—	—
8.	जहाजपुर	—	—
9.	रायपुर	—	—
10.	सहाड़ा	—	—
11.	कोटड़ी	1. आसोप 2. रासेड 3. सुढेपा 4. कंकरोलिया घाटी	90–91

राज्य के चिकित्सालयों का निरीक्षण

811. श्री हरीश झामनानी (अजमेर पश्चिम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने वर्ष 1990–91 एवं 1991–92 में कुल कितने चिकित्सालयों का निरीक्षण किया ?

(2) वर्ष 1990-91 व 1991-92 में कुल कितने चिकित्सक अपने कार्य में शिथिलता व अनुपस्थिति के लिये दोषी पाये गये ? कितने चिकित्सक राज्य में निलम्बित किये गये ?

उत्तर

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री ने वर्ष 1990-91 व 1991-92 में चिकित्सालयों का निरीक्षण नहीं किया। राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर प्रवास के समय चिकित्सालयों का भ्रमण अवश्य किया।

(2) भ्रमण के दौरान जो चिकित्सक चिकित्सालय में नहीं पाये गये उनसे स्पष्टीकरण लेकर एवं परिस्थितियों को देखते हुए अन्यत्र पदस्थापन किया गया। अपने कार्य में शिथिलता बरतने तथा अन्य गम्भीर मामलों के कारण कुछ चिकित्सकों को निलम्बित करने की कार्यवाही भी की गयी।

सोमेसर (पाली) में औद्योगिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव

812. **श्री अचला राम** (देसूरी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या पाली जिले के सोमेसर स्टेशन पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो अब तक इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक कार्यवाही पूर्ण होने की सम्भावना है?

उत्तर

जी नहीं। क्योंकि सोमेसर के सामिप्य में ही रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, पाली में 208 भूखण्ड एवं औद्योगिक क्षेत्र सोजत में 29 भूखण्ड उद्यमियों को आवन्टन हेतु उपलब्ध है।

सिरोही में बाढ़ से हुई क्षति का सर्वे

813. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष सिरोही में आई बाढ़ के कारण नदी, नालों ने अपने रास्ते बदल दिये थे तथा कई स्थानों पर इस बाढ़ के पानी से गांवों में भयंकर तबाही हुई थी?

(2) क्या सरकार ने ऐसे स्थानों का कोई सर्वे करवाया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार का सर्वे कराने का इरादा रखती है?

(3) क्या सरकार उक्त बाढ़ से खतरे में आ गये गांवों को प्राथमिकता देकर बाढ़ बचाव के कार्य प्रारम्भ करवायेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्ष 1991 में बाढ़ नहीं आई थी। बाढ़ वर्ष 1990 में आई थी।

(2) जी हां। प्रभावित स्थानों की सर्वे करवायी गयी है। सम्भावित ग्रामों की सूची प्रपत्र–"अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) बाढ़ बचाव कार्यों के प्रस्ताव जिला कलक्टर सिरोही को भिजवा दिये गये हैं। कार्यों की स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य करवाये जा सकेंगे।

203

सम्भावित बाढ़ से प्रभावित होने वाले ग्रामों की सूची (प्रपत्र–"अ")

क्र. सं.	नाम ग्राम	तहसील	किस्म कार्य
1.	जामोतरा	सिरोही	बाढ़ बचाव कार्य पूर्ण
2.	उड़ मण्डवाड़ा	सिरोही	—
3.	वलवन्तगढ़	सिरोही	—
4.	पाडवि	सिरोही	—
5.	सिरोही	सिरोही	—
6.	वरलूट	सिरोही	जिला कलक्टर को प्रस्ताव भिजवा दिये गये हैं।
7.	मनोरा	सिरोही	—
8.	सतापुरा	सिरोही	—
9.	वेरापुरा	सिरोही	—
10.	गोल	सिरोही	—
11.	राड़बर	सिरोही	—
12.	सरवाड़ा	सिरोही	—
13.	सुथारों का गुढ़ा	—	—
14.	जोयला	—	—
15.	कैरान	—	—
16.	लखमावा	—	—
17.	छोटा लोटीवाड़ा	—	कार्य प्रगति पर है।
18.	मनादर	—	कार्य प्रगति पर है।
19.	चवली	—	—
20.	वैरा जेतपुरा	—	—
21.	जोगापुरा	—	—
22.	आल्वा	—	—
23.	मौपाल	—	—
24.	मोड़ानी	—	—

खण्डार व सवाई माधोपुर की प्रोजेक्ट रेन्जों में एनीकट निर्माण कार्य

814. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रोजेक्ट रेंज सवाई माधोपुर एवं खण्डार जिला-सवाई माधोपुर में कहां-कहां पर पाश्चर डवलपमेंट व कहां-कहां पर एनीकट के कार्य वर्ष 1990–91 व 1991–92 में कराये गये एवं प्रत्येक पर कितना-कितना व्यय किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों का विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया ? निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियां पाई गई ? कमियां या अनियमितता पाने पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त मामलों की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) प्रोजेक्ट रेंज सवाई माधोपुर व रेंज खण्डार में वर्ष 1990–91 एवं 1991-92 में कराये गये पाश्चर डवलपमेंट कार्य, ऐनीकट निर्माण कार्य एवं प्रत्येक कार्य पर हुये व्यय की सूची परिशिष्ट '1' में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त कार्यों का विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया गया, यह सूचना परिशिष्ट '2' पर संलग्न है। कार्यों के क्रियान्वयन के लिए उच्चाधिकारियों ने मार्ग दर्शन दिया जिसके अनुसार कार्य किये गये। कार्यों में अधिकारियों द्वारा ऐसी कोई अनियमितता व कमी नहीं पायी, अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(3) जी नहीं। आवश्यकता नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

चित्तौड़गढ़ के खनन क्षेत्र

815. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में खनिज विभाग के पास कितना खनन क्षेत्र कहां-कहां सुरक्षित है ?

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में कौन-कौनसा खनिज कहां-कहां पाया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या चित्तौड़गढ़ जिले में खनिज विभाग द्वारा नये पट्टे देना बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ? कितने आवेदन पेंडिंग हैं ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार भविष्य में नये पट्टे देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या यह सही है कि पिछले दो वर्षों में कुछ लोगों को पट्टे दिये गये हैं ?

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

यदि हां, तो कहां-कहां पर किस-किस व्यक्ति को पट्टे दिये गये ? व्यक्तियों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में खनिज विभाग के पास कोई खनन क्षेत्र सुरक्षित नहीं है।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में पाये जाने वाले खनिजों के नाम व स्थान की सूची साथ में संलग्न है। (परिशिष्ट-"अ")

(3) चित्तौड़गढ़ जिले में खनिज विभाग द्वारा नियमानुसार नये पट्टे देना बन्द नहीं है। वर्तमान में 38 आवेदन पत्र पेन्डिग है। जिसकी सूची नामवार संलग्न है। (परिशिष्ट "ब")

(4) चित्तौड़गढ़ जिले में पट्टे देने पर कोई रोक नहीं होने से जब भी आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, उन पर नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जाती है।

(5) जी हां। पिछले 2 वर्षों में जिन लोगों को पट्टे दिये गये हैं उनकी सूची संलग्न है (परिशिष्ट-"स")

*(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्रीष्म काल में सूखे कुओं पर विद्युत के न्यूनतम चार्जेज

816. **श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा)**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा ग्रीष्म ऋतु में सूखने वाले कुओं पर लगे विद्युत सम्बन्धों पर भी न्यूनतम चार्जेज राशि वसूल की जाती है ? यदि हां, तो क्यों तथा क्या यह राशि वसूली वाजिब है ?

(2) क्या मण्डल उक्त कुओं से सम्बन्धित इस प्रक्रिया एवं प्रावधानों में उपभोक्ताओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए मौजूदा नियमों में संशोधन करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना में मण्डल के आदेश संख्या 10314 दिनांक 16-2-1990 के अन्तर्गत किसी भी मीटर सप्लाई वाले कृषि उपभोक्ताओं से बिलिंग माह फरवरी, 1990 से न्यूनतम चार्जेज वसूल नहीं किये जा रहे हैं अपितु उनसे वास्तविक खपत के आधार पर ही राशि वसूल की जाती है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

ग्राम पंचायत बसवा का गठन

817. **श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई)**: क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर पालिका बसवा को सरकार ने कब ग्राम पंचायत घोषित किया व पंचायत विभाग ने उक्त पंचायत को अपने अधीन कब लिया ? अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामकिशोर सैनी)

(2) ग्राम पंचायत बनाने के लिये एक ग्राम पंचायत की अधिकतम जन संख्या व एरिया कितना होना चाहिये ?

(3) क्या ग्राम पंचायत बसवा उक्त मान दण्डों के अनुसार सही बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बसवा ग्राम पंचायत को पुन: नगरपालिका बनाने का विचार रखती है ?

(4) ग्राम पंचायत बसवा की वर्ष 1991 तक की जन संख्या व कुल एरिया कितना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर पालिका बसवा को स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 23–8–91 के द्वारा ग्राम पंचायत घोषित किया गया तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 26-9-91 के द्वारा उक्त ग्राम पंचायत को अपने अधीन लिया। अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार सामान्यत: 2000 से 5000 तक की एक पंचायत की जनसंख्या निर्धारित है, परन्तु एकल ग्राम की पंचायत की जनसंख्या 5000 से अधिक भी हो सकती है।

(3) ग्राम पंचायत बसवा माप दण्डों के अनुसार सही बनाई गई है। इसे पुन: नगर पालिका बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(4) ग्राम पंचायत बसवा की वर्ष 1981 की जन संख्या 12130 है तथा इसका कुल एरिया 28-09 वर्ग किलोमीटर है।

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

स. एफ. (1) सीमा/स्वा. शा. वि./91/112, जयपुर, दिनांक 23–8–91

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 1 की उपधारा (1) के अनुसरण में इस विभाग की उद्घोषणा सं. एफ 1 (सीमा) स्वा. शा. वि./90 दिनांक 2-9-89 नगर पालिका बसवा को लोपित कर ग्राम पंचायत में परिवर्तन करने हेतु जारी की गई थी जिसका राज. राजपत्र भाग 6 (क) अंक दिनांक 8-9-89 में प्रकाशन किया जा चुका है।

उपर्युक्त उद्घोषणा दिनांक 2-9-89 को समुचित प्रचार एवं प्रसार कराने पर आपत्तियां ग्रहण कर राज्य सरकार ने आपत्तियों पर गहनता से विचार करने के पश्चात नगरपालिका बसवा को ग्राम पंचायत में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा नगरपालिका बसवा को लोपित कर ग्राम पंचायत में परिवर्तन करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
ह./–
(जी. के. गोस्वामी)
शासन उप सचिव

सं. एफ (सीमा) (1) स्वा. शा. वि./91/1130–42 दिनांक 23-8-91

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राज. जयपुर को राज. राजपत्र भाग 6 (ग) के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
2. निजि सचिव, मुख्य मंत्री/स्वायत्त शासन मंत्री, राजस्थान
3. निजि सचिव, मा. सचिव स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. जिला जयपुर
5. निदेशक कृषि विभाग, राज. जयपुर।
6. निदेशक पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, राज. जयपुर।

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक : एफ. (15) (1) ग्राविप/विधि/90/2618–26 जयपुर, दिनांक : 26-9-91

–:अधिसूचना :–

राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 3 की उपधारा (2) (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार उस क्षेत्र को जो स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (सीमा) स्वा. शा. वि./91/1129 दिनांक 23–8–91 को प्रसारित होने के पूर्व नगर पालिका, बसवा के नाम से जानी जाती थी, को एतद् द्वारा ग्राम पंचायत बसवा के रूप में तुरन्त प्रभाव से स्थापित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
ह./–
(धर्मवीर)
वरिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :—

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि इसे राजस्थान राजपत्र के विशेषांक भाग 6 (ग) में प्रकाशित करने का कष्ट करे।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्राविप, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, विकास आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, ग्राविप, राजस्थान, जयपुर।
6. निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. जिला कलक्टर, दौसा।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, दौसा।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बांदीकुई जिला दौसा।

ह./–
उप शासन सचिव

रैफरल हास्पिटल कपासन (जिला चित्तौड़गढ़) में चिकित्सकों के रिक्त पद

818. **श्री मोहनलाल चित्तोड़िया** (कपासन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कपासन जिला चित्तौड़गढ़ के रेफरल हॉस्पिटल में चिकित्सकों के कितने पद किस-किस प्रकार के रिक्त हैं और अब तक सरकार ने इन पदों को भरने के क्या प्रयास किये ? रिक्त पदों को कब तक भरने की सरकार की क्या नीति है ?

(2) रेफरल हॉस्पिटल के भवन निर्माण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपासन एवं पोस्ट मार्टम सेन्टर कपासन जिला चित्तौडगढ में निम्न चिकित्सकों के पद रिक्त हैं :

1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु)–एक
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी–एक

चिकित्सकों के पदों को भरने का प्रयास किया जा रहा है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुरूप भवन सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से पूर्व में बने हुये प्रा. स्वा. केन्द्र के भवन में आवश्यक वार्ड और एक्सरे रूम का निर्माण कराया गया है भवन की चार दीवारी व सम्पर्क सड़क का निर्माण भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है। एक कमरे का निर्माण जन सहयोग से कराया गया है।

चम्बल की दायीं मुख्य नहर की रकसपुरा लिफ्ट सिचाई योजना

819. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चम्बल की दायीं मुख्य नहर से रकसपुरा लिफ्ट सिंचाई योजना ब्लॉक नं. 13, 14, 15, के नाम से बनाई गई थी ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्तमान में इस लिफ्ट सिंचाई परियोजना के कार्य में क्या प्रगति है ?

(3) क्या सरकार जनहित में उक्त योजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) लिफ्ट स्कीम का तखमीना बना लिया गया है जो विचाराधीन है ।

(3) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप नई स्कीमों को स्वीकृत किया जाना संभव हो सकेगा । विभाग की नई नीति के अनुसार बडी बडी लिफ्ट योजनाओं के बजाय छोटी-छोटी लिफ्ट योजनाएं हाथ में ली जावेगी तथा उन्हें विभाग द्वारा निर्मित कर कृषकों की सहकारी समितियों को सौंप दिया जावेगा तथा रख रखाव भी उक्त सहकारी समितियां ही करेंगी ।

विवरण

चम्बल परियोजना की दांई एवं बांई मुख्य नहर के ऊंचे लेवल के कारण जो खेत के नहरों से सिंचित नहीं हो पाते उनका सर्वेक्षण कर 21 ब्लाकों में बांट कर लिफ्ट स्कीमें प्रस्तावित की गई थी । इनमें से 6 ब्लाकों पर लिफ्ट स्कीमों से सिंचाई की जा रही है । जबकि दो ब्लाकों पर स्कीमों का कार्य प्रगति पर है । सर्वेक्षण की हुई ब्लाकों में ब्लाक नं. 13, 14 एवं 15 को शामिल कर एक ही स्कीम रकसपुरा लिफ्ट स्कीम के नाम से तखमीना बनाया जा चुका है । जो विचाराधीन है । तखमीनें के अनुसार प्रस्तावित स्कीम की लागत वर्ष 1991 की दरों पर राशि रुपये 778.31 लाख आंकी गई है । इससे पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र के 11 ग्रामों की 5879 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होना अनुमानित है । यह ग्राम निम्न है ।

1. सीमली 2. भूमिसिया 3. सांखली 4. सोरखण्ड 5. रकसपुरा
6. कालाहेडी 7. हिंगोनिया 8. आखेडी 9. बमुलिया 10. चैनपुरा
11. बांरा

कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना

820. **डा. चन्द्रभान (मण्डावा)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वित्त वर्ष 1991-92 में कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से कृषि विभाग ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों से जोड़ने हेतु कुल कितनी किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की तथा उनके लिए कितनी धन-राशि का प्रावधान किया गया ?

(2) इन सड़कों में से 31 जनवरी, 1992 तक कितनी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हुआ, कितनी सड़कों का कार्य पूर्ण हो गया तथा कितनी सड़कों का कार्य प्रगति पर है ?

(3) क्या यह सही नहीं है कि वर्ष 1991-92 में मण्डावा विधान सभा क्षेत्र एवं झुंझुनूं पंचायत समिति को 13 पंचायतों एवं अलसीसर पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों में सड़क निर्माण का एक भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वित्त वर्ष 1991-92 में कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्र को सड़कों से जोड़ने हेतु 606.75 कि.मी. सड़कें स्वीकृत की गई जिनके लिए रु. 2238.62 लाख की धन-राशि का प्रावधान किया गया।

(2) 31 जनवरी, 1992 तक 115 सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हुआ, 4 सड़कों का कार्य पूर्ण हो गया तथा 111 सड़कों का कार्य प्रगति पर है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मण्डवा में एक सड़क हेमतसर से सीगड़ा 5 कि.मी. वर्ष 91-92 में स्वीकृत की गई।

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 1257 की सूची

प्रश्न के भाग एक की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का नाम
1.	अलवर	डा. सिकन्दर साहनी
2.	भरतपुर	डा. कैलाश नन्दन आर्य
3.	धौलपुर	डा. विजय सिंह यादव
4.	सीकर	डा. गिरधर भोमियां
5.	झुन्झुनूं	डा. एस. के. कुक्ड
6.	दौसा	डा. सहीराम
7.	अजमेर (ब्यावर)	डा. (सुश्री) शकुन्तला मित्तल
8.	भीलवाड़ा	डा. जगमोहन अग्रवाल
9.	टौंक	डा. नारायण लाल भारद्वाज
10.	नागौर	डा. मोमनराज जागों
11.	जोधपुर	डा. पारेश्वर सोनी
12.	पाली	डा. शंकर लाल अग्रवाल
13.	सिरोही	डा. केदाररूप माथुर
14.	जालौर	रिक्त
15.	बाडमेर	डा. विश्वनाथ शर्मा
16.	जैसलमेर	डा. जी.आर. चौधरी
17.	बीकानेर	डा. वी. के. श्यामसुखा
18.	रतनगढ	डा. एस. आर. चौधरी
19.	श्री गंगानगर	डा. गुरूमुख सिंह
20.	कोटा	रिक्त
21.	बून्दी	रिक्त
22.	करौली	डा. एस. बी. भारद्वाज
23.	झालावाड़	डा. आर. एस. पारासर

क्र. सं.	जिले का नाम	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का नाम
24.	बारां	डा. आर. डी. ठाकुरिया
25.	उदयपुर	डा. सी. एल. पालीवाल
26.	डूंगरपुर	डा. एम. एल. धारीवाल
27.	प्रतापगढ़	डा. ज्ञानेश्वर चन्द शुक्ला
28.	बांसवाड़ा	डा. वी. के. बिज
29.	राजसमंद	डा. मनमोहन सिह पाहूवा
30.	जयपुर	डा. पी. एन. बंसल

प्रश्न के भाग दो की सूची

क्र. सं.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	भ्रमण के दिनों की संख्या
1.	अजमेर	194
2.	अलवर	77
3.	बांसवाड़ा	531
4.	बाड़मेर	67
5.	बारां	31 (नया जिला)
6.	भरतपुर	127
7.	भीलवाड़ा	93
8.	बीकानेर	35
9.	बून्दी	91
10.	चित्तौड़गढ़	109
11.	चूरू	107
12.	डूंगरपुर	37
13.	दौसा	7
14.	धौलपुर	96
15.	श्री गंगानगर	109
16.	जयपुर	26
17.	जैसलमेर	44
18.	झालावाड़	61

क्र. सं.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	भ्रमण के दिनों की संख्या
19.	जालौर	117
20.	झुन्झुनू	81
21.	जोधपुर	74
22.	कोटा	81
23.	नागौर	256
24.	पाली	62
25.	सवाई माधोपुर	84
26.	राजसमन्द	42
27.	सीकर	106
28.	सिरोही	95
29.	टौंक	62
30.	उदयपुर	98

214

परिशिष्ट--4

अतारांकित प्रश्न संख्या 1263 की सूची

भाग एक की सूची

क्र. सं.	जिला	संख्या
1.	अजमेर	—
2.	अलवर	4
3.	बासवांडा	—
4.	बाड़मेर	2
5.	भरतपुर	1
6.	भीलवाड़ा	—
7.	बीकानेर	—
8.	बून्दी	—
9.	चित्तौड़गढ़	1
10.	चूरू	—
11.	डूंगरपुर	1
12.	धौलपुर	—
13.	गंगानगर	3
14.	जयपुर	—
15.	जैसलमेर	1
16.	झालावाड	—
17.	जालौर	3
18.	झुन्झुनूं	—
19.	जोधपुर	3
20.	कोटा	2
21.	नागौर	—
22.	पाली	7
23.	सवाई माधोपुर	—
24.	सीकर	
25.	सिरोही	2
26.	टोंक	1
27.	उदयपुर	1

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 1266 की सूची

भाग एक की सूची

(डिस्पेन्सरियों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोनयन)

1. पारा
2. सावर
3. जुनिया

(उपकेन्द्रों का उच्चीकरण)

1. बिसुन्दरी
2. घटियाली
3. करोज
4. तसवारिया
5. मेवदा कलां

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 1271 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

अन्तर्राज्यीय परियोजना का विवरण

क्र. सं.	नाम परियोजना/ बेसिन	अनुमानित लागत/राज्य का हिस्सा करोड़ रु. में	राज्य का पानी का हिस्सा प्रतिशत	मात्रा	जो पानी उपलब्ध हुआ, उसका विवरण (एम. ए. एफ.) 1988-89	89-90	90-91
1.	चम्बल प्रणाली	80.00 लगभग	नदी में उपलब्ध पानी का 50%	1.60	1,4557	1.1377	1.1645
2.	माही बजाज सागर	229.00	0.466 एम.ए.एफ.	0.466	0.466	0.466	0.466
3,	गुडगांव नहर	35.40	500 क्यूसेक (90 दिन के लिये)	0.09	0.308	0.006	0.0153
4.	भरतपुर फीडर	0.172	300 क्यूसेक (35 दिन)	0.021	0.0123	0.0077	0.0036
5.	रावी-व्यास (इन्दिरा गांधी नहर)	1904	1981 के समझौते के अनुसार 16.32 एम.ए.एफ. का 52.696% (रावी-व्यास नदी में उपलब्ध अधिशेष पानी की मात्रा के अनुसार)	8.60	6.309 (5.432)	6.084 (6.172)	8.519 (6.445)
6.	सतलज (भाखड़ा प्रोजेक्ट)	5.21	9.85 एम.ए.एफ. (औसत बहाव) का 15.22 प्रतिशत	1.50	1.263 (1.179)	1.099 (1.053)	1.273 (1.114)

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गंग केनाल	राजस्थान बनने से पूर्व पूर्ण हो गई	—	1.11	1.11	1.11	1.11
8.	नर्मदा	—	0.50	0.50	परियोजना निर्माणाधीन है।		
				13.877	10.6540	9.9104	12.5514

नोट : कोष्टक में दी गई मात्रा नदी में वास्तविक उपलब्ध पानी का राज्य का हिस्सा है।

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 1276 की प्रति

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर।

क्रमांक : एफ (सीडी) 1/10/स्था/89 दिनांक 1.1.90

अतिरिक्त मुख्य अभियंता,
सिंचाई खण्ड, उदयपुर।

विषय :— अनुसूचित जाति/जन जाति, विधवा एवं तलाकशुदा महिला, भूत-पूर्व सैनिक एवं विकलांग अभ्यर्थी को रोजगार दिलवाने बाबत।

श्री मगनीराम पुत्र श्री कानाजी बोदर (भील) निवासी क्वादर पो. कातरवास नं. खेरवाडा का आवेदन पत्र राज्य सरकार/अभ्यर्थी से प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र मूल ही इस अनुपलब्धता प्रमाण पत्र संख्या 3766–68 दिनांक 16.12.89 के अनुक्रम में आपको भिजवाया जा रहा है।

कृपया, इनकी योग्यता के समकक्ष/रिक्त पद पर राज्य सरकार की नीति निर्धारण के अनुसरण में नियमानुसार इन्हें भी नियुक्ति दिलवाने की समुचित कार्यवाही करते हुए, वस्तु स्थिति के बारे में इस कार्यालय को अवगत करावेगें।

ह./–
जिला कलक्टर,
उदयपुर

प्रतिलिपि :
22–23 दिनांक 1.1.90

श्री मगनी राम पुत्र श्री कानाजी भील निवासी क्वाटर पो. कातरवास त. खेरवाडा को भेजकर लेख है कि वे अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सिंचाई खण्ड, उदयपुर से सीधा सम्पर्क करेंगे।

ह./–
जिला कलक्टर,
उदयपुर

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 1277 का विवरण

(प्रपत्र–'अ')

तहसील टोडारायसिंह के बांधों/तालाबों का विवरण

क्रमांक 1	बांध का नाम 2	जल ग्रहण क्षमता एम.सी.एफ.टी 3	अनुमानित सिंचाई एकड़ में 4
1.	सूरजपुरा पिकअप वियर	—	—
2.	राठोड़िया	9.04	100
3.	राम सागर मोरला	16.59	116
4.	बनेडिया नया	22.50	235
5.	बनेडिया पुराना	7.00	70
6.	केरलो सागर	14.00	150
7.	मोर भाटियान	0.20	60
8.	खेडूलिया	12.64	126
9.	काली डूंगरी	55.00	577
10.	कुहाडा खुर्द	8.00	65
11.	गुच्छो नाडी	2.00	—
12.	नया तालाब गेन्दिया	16.00	160
13.	हरभगतपुरा	5.70	57
14	सदापुरा	7.00	80
15.	मेहरू सागर	35.00	350
16.	हालोलाव कलमण्डा	74.00	746
17.	नया तालाब पंवालिया	9.02	90
18.	तमोलिया पंवालिया	9.04	94
19.	काला तालाब मूंडिया	6.00	60
20.	पण्डुरिया मूंडिया	4.80	50

1	2	3	4
21.	वन का खेड़ा	10.00	70
22.	सुबदंड टोपा	9.32	93
23.	गागोंलाव	27.15	272
24.	घरेड़ा सागर	10[illegible].00	1018
25.	सांडला	44.00	450
26.	बोधोलाव	14.00	144
27.	बाथला	13.00	134
28.	सालगयांवास	22.86	234
29.	रामपुरा	10.40	100
30.	छांन	18.16	170
31.	इसलामपुरा	18.20	160
32.	गाहिरवाला एनीकट	—	—
33.	ढोपरू सागर	63.30	633
34.	रोन्डल्या रामपुरा	15.44	154
35.	रतवाड़ा	6.00	50
36.	शिवसागर सांवरया	11.00	110
37.	गेटोलाव	13.10	130
38.	बडा तालाब दतोब	23.05	230
39.	बालासागर सांवरया	8.00	80
40.	फालोलाव कुक्कड	5.80	58
41.	गनेता सागर	46.38	450
42.	भटेडा सागर	59.20	350
43.	राजोलाव कुहाडा	8.80	60
44.	खरेडा सागर	12.10	120
45.	मोडियाला	6.00	60
46.	मोरदंड कुहाडा	6.05	65
47.	पन्द्राहेडा	19.02	190
48.	शहोदरा	217.00	2082
		1129.86	10853 एकड़

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 1282 की सूची

सूची 'अ'

डग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अविद्युतिकृत ग्रामों की सूची।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
तहसील गंगरार/तहसील पचपहाड		
1.	मालपुरा	26/6/142
2.	दरियावपुरा	179
3.	पृथ्वीगढ़	166
4.	फजीलपुरा	153
5.	कुन्डिया	146
6.	पुवान्डला	158
7.	लुहारिया	157
8.	नन्दपुर	156
9.	केलुखेड़ा	185
10.	नाहरघटी	186
11.	बालीखेड़ा	183
12.	मंगवालिया	182
13.	वीरमाखेडी	188
14.	सकतपुरा	187
15.	छान	190
16.	कोचरिया खेड़ा	26/4/105
17.	चाचुनी	26/6/170
18.	रावतपुरा	15
19.	देवरिया किलोल	14
20.	करमाखेड़ा	97
21.	रलायती	11
22.	किटिया	143
23.	बोरखेडी	26/4/105
24.	बनखेडी	8

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
25.	भीकरियां	7
26.	आक्या गेलोत	6
27.	मुंडला	2
28.	सेमली गेहलोत	5
29.	भरका	40
30.	जाखनी	39
31.	परापीपली	26/6/1
32.	पिपलाई	31
33.	रनायरा	34
34.	परालिया	36
35.	नपानिया भाला	37
36.	देवरिया कांवल	75
37.	रातीखेडी	46
38.	धाकड़ खेडी	26/6/74
39.	रावनगुराडी	45
40.	हुडमतियारतन	48
41.	परासली	43
42.	सोमचिडी	44
43.	खेजडिया	41
44.	सीन्धला	42
45.	गुराडिया देवडा	57
46.	लाखा खेडी उमट	56
47.	खसरू खेडी	55
48.	किटिया	93
49.	मजनपुर	51
50.	अरन्या	52
51.	निन्सल खेडी	53
52.	टोंकडा	50
53.	हुडमत्या मेरा	49
54.	सालरिया	99
55.	बामनदेवरिया	94
56.	चांदखेडी	95
57.	खेरखेडा	98

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
58.	राजपुरा	122
59.	कागडिया	106
60.	धरमपुरी	107
61.	खाखरी	119
62.	कमठिया	112
63.	चाहा	113
64.	बीलखेडी	111
65.	बडिया हीरजी	114
66.	सेदरा	109
67.	कछनारा	117
68.	करनाखेडी	13
69.	करनालिया	21
70.	खमला	130
71.	गरडा	17
72.	गिरधरपुरा	176
73.	घट्टिया	9
74.	घाटा खेडी	120
75.	चिड़ि	104
76.	चोकडी कला	174
77.	छपिया	3
78.	टापली	77
79.	टिगरिया	76
80.	डोकलखेडा	110
81.	डोली सरना	164
82.	दुधालिया	171
83.	नया खेडा	89
84.	पुंवार खेडी	86
85.	बर खेडा	85
86.	बेटी खेडी	78
87.	बोरखेडी आंजना	87
88.	बोरखेडी करमचन्द	10
89.	मकोडिया	4
90.	मगसी	115

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड सं.
91.	राणा खेडी	32
92.	रामपुरा	116
93.	रामपुरिया	96
94.	लाखा खेडी परमार	101
95.	सालरिया	155
96.	सेंकला	83
97.	शिवगढ	172
98.	हुसामदी	22
99.	सुहागड़ा	118
100.	सिकन्दरपुरा	161
101.	मोकल खेडी	63
102.	धीगनी	19
103.	निपानिया काल	24
104.	देवगढ	72
105.	गुराडिया ईसर	75
106.	ढेला खेडी	81
107.	आक्या परमार	90
108.	खांखरी	105
109.	चन्द्रपुरा	133
110.	माधवी	137
111.	शेखपुर	154
112.	चौकडी खुर्द	169
113.	रतनपुरा	173
114.	गुढा	177
115.	महुडी खेडा	180
116.	टोंकडा	192
117.	दामोरी	26/4/69
118.	देवगढ़	137
119.	देवरी	71
120.	ऐरी	48
121.	खेजरियाखाल	1
122.	लाम्बी	51
123.	सेमलीजस्सा	73
124.	आनन्दपुरा	67
125.	रतनपुरा	68

228

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 1285 की सूची

विधान सभा क्षेत्र कठूमर में अविद्युतिकृत ग्रामों की सूची
जिला अलवर जो राजस्व रिकार्ड में है।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	रूंध मेथना	5/10/89
2.	नंगली उर्फ टोड़ा	143
3.	हरिपुरा	144
4.	नंगली भवाना	170
5.	चोकूटी	171
6.	रूपवास टेकरी	172
7.	पटाकपुर	173
8.	मकरेटा	174
9.	केमला	198
10.	टिटपुर	199
11.	शेखपुर	206
12.	नंगला खूबा	215
13.	भट्टवास	220
14.	नांगलवास गुमान	221
15.	नापापाडा	226
16.	नगला जादू	254
17.	रूंध सोंखरी	256
18.	वदन गढी	258
19.	कटहेडा	301
20.	उदयपुरा	302
21.	जैनपुरा	305
22.	दुंघाटी	306

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
23.	भगवतपुरा	285
24.	मानकपुर	279
25.	हनुमन्ता	76
26.	दयालपुरा	95
27.	भेरीथल	212
28.	लाटकी	205
29.	नगला सीताराम	207
30.	नगला केसरिया	208
31.	कल्याणपुरा	308
32.	गेदपुरा	267
33.	शाहपुर	262

परिशिष्ट—11

परिशिष्ट 'क'

अतारांकित प्रश्न संख्या 1289 की सूची

वर्ष 1991-92 में कृषि उपज मण्डी समिति, सोजतरोड एवं जैतारण द्वारा प्रस्तावित सड़कों की अनुमानित दूरी एवं अनुमानित राशि सहित सूची :—

मण्डी समिति	सड़कों के नाम	लम्बाई (कि.मी.)	अनुमानित (राशि लाखों में)
सोजत रोड—	1. डूमलियावास से खेड़िया	3.00	अंकित नहीं
	2. बड़ागुढ़ा से गुड़ाश्याम	2.00	,, ,,
	3. कोलपुरा से गोपावास	3.00	,, ,,
	4. गागुडा से भूपेलाव	4.00	,, ,,
	5. हमीरवास से सबराड़	6.00	,, ,,
जैतारण—	1. रायपुर से दीपावास	8.00	16.00
	2. रामगढ़ चांग से रेलड़ा	7.00	14.00
	3. चांवड़िया से सींगला	3.00	6.00
	4. सींगला से पटवा	3.00	6.00
	5. रातड़िया से बड़ीपोल	4.00	8.00

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 1293 का विवरण

जिला सवाई माधोपुर पंचायत समिति गंगापुर के पूर्व सरपंचों के विरुद्ध वर्ष 1991 से विचाराधीन मामलों का विवरण

क्र.सं.	नाम पूर्व सरपंच	नाम ग्राम पंचायत	कार्यवाही का विवरण
1.	श्री कुंजी लाल मीणा	टोंकसी	जिला कलक्टर से प्राथमिक जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गई है जो राज्य सरकार के विचाराधीन हैं
2.	श्री जमील अहमद	बजीरपुर	उप जिला कलक्टर गंगापुर से विस्तृत जांच कराई जा रही है।
3.	श्री परवीलाल	जीवली	,, ,,
4.	श्री पृथ्वीराज मीणा	बगलाई	,, ,,
5.	श्री मोहर सिंह मीणा	बडोदा	जिला स्तर पर जांच कराई जा रही है।
6.	श्री भरोसीलाल	छोटीउदई	,, ,,
7.	श्री दामोदर लाल	चूली	अग्रिम बकाया राशि की वसूली का नोटिस दिया गया है।
8.	श्री कुंजीलाल मीणा	टोकसी	,, ,,
9.	श्री रामजी लाल	मोहवा	,, ,,
10.	श्री रामप्रसाद माली	—	,, ,,
11.	श्री सुबुद्दी गुर्जर	अहमदपुर	,, ,,
12.	श्री अमर सिंह	बाढकला	,, ,,
13.	श्री ओमप्रकाश मीणा	पीलोदा	जिला स्तर पर जांच की जा रही है।
14.	श्री रघुवीर सिंह	श्यारोली	,, ,,

(229)

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 1294 की सूची

वर्ष 91-92 में खोले गये नये प्रा. वि. की सूची विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई (पंचायत समिति बांदीकुई)

क्र.सं.	नाम विद्यालय	वर्ष जिसमें विद्यालय खोला गया	विशेष विवरण
1.	झोंपडी गुल्लाना	91-92	ग्रा.वि. एवं पंचायत राज विभाग राज. जयपुर के पत्रांक 219 दि. 7.2.92 द्वारा स्वीकृति दी गई।
2.	करनावर	91-92	,,
3.	धपावन खुर्द	91-92	,,
4.	तिहाडा	91-92	,,
5.	खारी की झोपडी	91-92	,,
6.	धांधोलाई	91-92	,,
7.	कोटवालो का बास	91-92	,,
8.	मोटू का तिबारा	91-92	,,
9.	भीलों की ढाणी	91-92	,,
10.	ढाणी अक्षयपुरी	91-92	ग्रा.वि. एवं पंचायत राज विभाग जयपुर के पत्रांक 354 दिनांक 17.2.92 द्वारा स्वीकृति दी गई।
11.	मोटूका	91-92	,,
12.	बडीयाल खुर्द	91-92	,,

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 1297 की सूची

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	गत तीन वर्षों में भूखण्ड आवंटन किये गये या को व मजरों में	भूखण्ड आवंटन का क्षेत्र — आबादी भूमि	बिलनाम भूमि	भूखण्डों का यदि नहीं तो अनुमोदन हुआ ऐसे कितने तो, कितने का प्रकरण है।	
1	2	3	4	5	6	7
1.	सुवाणा	240	,,	—	144	96
2.	सहाडा	378	,,	—	378	—
3.	शाहपुरा	295	,,	—	295	—
4.	बनेडा	384	,,	—	384	—
5.	मांडल	418	,,	—	418	—
6.	आसीन्द	504	,,	—	19	485
7.	जहाजपुर	218	,,	—	197	21
8.	हुरडा	251	,,	59	251	—
9.	कोटडी	534	,,	—	463	71
10.	माण्डलगढ़	2326	,,	—	648	1678
11.	रायपुर	411	,,	—	404	7
	योग—	5559		59	3601	2358

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 1299 की सूची

राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न कार्यालय स्तर से अवैध खनन के पकड़े गये पिछले दो वर्षों में मामलों की संख्या एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण

नाम कार्यालय	पकड़े गये मामलों की संख्या वर्ष '89-90	'90-91	मामलों की संख्या जिसमें राशि वसूल हुई	वसूल की गई राशि	मामलों में की गई कार्यवाही का विवरण
स.ख.अ. बांसवाड़ा	6	1	1	12,000/-	शेष मामलों में वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व एवं विभागीय स्तर पर की जा रही है।
स.ख.अ. सिरोही	—	12	3	750/-	दो मामलों में खनिज जब्त किया गया एवं अन्य मामलों में वसूली की कार्यवाही जारी है।
बालेसर	5	21	13	12,963/-	शेष मामलों में वसूली की कार्यवाही जारी है।
अजमेर	31	45	13	25,983/-	,,
स.ख.अ. डूंगरपुर	16	12	11	5,488/-	,,
स.ख.अ. गंगानगर	3	8	2	64,393/-	,,
स.ख.अ. निम्बाहेड़ा	—	95	—	55,487/-	,,
स.ख.अ. राजसमन्द	1	2	—	—	वसूली हेतु वाद

1	2	3	4	5	6
ख.अ. भरतपुर	8	6	—	—	न्यायालय में विचाराधीन । शेष मामलों में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही जारी है ।
ख.ख.अ. नागौर	8	6	12	31,780/-	,,
ख.अ. उदयपुर	5	8	—		,,
स.ख.अ. मकराना	1	2	—		,,
स.ख.अ. चित्तौडगढ	240	315	—	1,96,423.75	,,
ख.अ. भीलवाड़ा	27	7	—	4,038/-	,,
ख.अ. रामगंज मण्डी	17	7	19	17,125/-	,,
स.ख.अ. सोजत	22	10	5	1,500/-	,,
ख.अ. (सर्तकता) कोटा	14	23	23	54,680/-	,,
ख.अ. कोटा	1	—	1	180/-	,,
ख.अ. (सर्तकता) भरतपुर		—	14		,,
स.ख.अ. जैसलमेर	108	151	234	43,979/-	,,
स.ख.अ. टौंक	20	8	6	12,120/-	,,
ख.अ. अलवर	32	6	—		,,
ख.अ. करौली	43	65	14	22,244/-	,,
ख.अ. बून्दी–II	20	10	—	2,11,563/-	22 व्यक्तियों को थाने में पकड़वाया एवं 101 ट्रक सैण्ड स्टोन जब्त किया गया ।
ख.अ. बून्दी–I	68	41	100	2,62,620/-	98 ट्रक खनिज जब्त किया ।
स.ख.अ. बाडमेर	9	43	49	33,439/-	शेष में वसूली की कार्यवाही जारी है ।
स. ख. अ. झालावाड़	14	5	19	2,040/–	शेष में वसूली की कार्यवाही जारी है ।

1	2	3	4	5	6
ख. अ. (सतर्कता) जयपुर	3	8			कुछ मामलों में विभागीय स्तर पर कार्यवाही एवं अन्य मामलों में न्यायालय का स्थगन होने से वसूली न हो सकी
ख. अ. जयपुर		3			वसूली का कार्यवाही विभागीय स्तर पर जारी है।
स. ख. अ. नीम का थाना		14	9	35,000/–	"
ख. अ. बिजौलिया	402	226	628	2025544/–	"
ख. अ. बीकानेर	100	79	–	–	"